16 दिसम्बर, 1994

अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

दिनांक 16 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ/कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	ऊपर से 8	1445 से 1443 1445 से 1533	1438 से 1443 1445 से 1531
25	नीचे से 15	(ख)	(घ)
38	ऊपर से 15	(क) से (व)	(क) से (ङ)
64	ऊपर से 19	1401	1461
71	ऊपर से 2	1457	1467
71	ऊपर से 13	(द)	(छ)
91	नीचे से 12	मनोरंज	मनोरंजन
98	नीचे से 14	और (ङ) शब्दों का लोप करें	
131	ऊपर से 12	(ख) और (घ)	(ख) से (व)
140	ऊपर से 11	(ख)	(च)
240	पंक्ति संख्या 1 और 2 का लोप करें		
260	ऊपर से 14	गूटेवार	गूडेवार
284	नीचे से 5	(बारस्तार)	(बारसाट)
285	ऊपर से 6	श्री योगेन्द्र झा	भोगेन्द्र झा
294 और 295	ऊपर से 1 नीचे से 12	रामाश्रम	रामाश्रय

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 8, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1994/25 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	142—144	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	141 और 145 से 160	22—50
अतारांकित प्रश्न संख्या	1445 से 1443,	50—240
	1445 से 1533,	
	1533 से 1598,	
	1600 से 1630, और	
	1632 से 1670	
चीनी के आयात के संबंध में ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने के बारे में		240—245
सभा पटल पर रखे गए पत्र		245—252
कार्य मंत्रणा समिति		
छियालीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		252
लोक लेखा समिति		
(i) अठहत्तरवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		252
(ii) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण—**सभा पटल पर रखे गए**		252—253
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
चौदहवां, पंद्रहवां तथा सोलहवां—**प्रतिवेदन प्रस्तुत**		253
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
अतहर हॉस्टल, दारूल उलूम नदवातुल उलेमा, लखनऊ में ली गई तलाशी		
श्री पी.एम. सईद		254—256
सभा का कार्य		257—260
निर्वाचन आयोग (भारत की संचित निधि पर व्यय भारण) विधेयक—**पुरः स्थापित**		260
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प :		
और		
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक—**विचार करने के लिए प्रस्ताव**		
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण		262—266
श्री चेतन पी.एस. चौहान		262—272
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही		272—277

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती	277—280
श्री शरद दिघे	280—283
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	283—284
श्री भोगेन्द्र झा	285—287
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन–**स्वीकृत**	289
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के विस्तार के बारे में संकल्प	
कुमारी ममता बनर्जी	289—293
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	294—296
श्री संतोष कुमार गंगवार	296—300
श्री हरचन्द सिंह	300—303
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	303—305
श्री एन. डेनिस	306—307
श्री सूर्य नारायण यादव	307—308
श्री पी.सी. थामस	308—310
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	310
श्री के.वी. तंग्का बालू	310—316
श्री हरि किशोर सिंह	312
श्री आर. अन्बारासु	317—320
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में संकल्प	
श्री सत्यदेव सिंह	321—332

लोक सभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1994 / 25, अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बैंक ऋण

+

***142. श्री गुमान मल लोढा :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी जमा राशियों का एक निर्धारित प्रतिशत उद्योग, कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्रों को ऋण के रूप में देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों ने उक्त क्षेत्रों को बैंक–वार कितनी धनराशि के ऋण दिये और यह उनकी कुल जमाराशियों का कितना प्रतिशत था,

(ग) क्या बैंकों द्वारा उक्त क्षेत्रों को दिया गया ऋण उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा–निर्देश उद्योग, कृषि व्यापार क्षेत्र के लिये ऋणों के रूप में जमाराशियो की कोई नियत प्रतिशतता का उल्लेख नहीं करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसरण में सभी भारतीय बैंकों से कृषि, लघु उद्योग, कमजोर वर्गों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों आदि वाले प्राथमिकता क्षेत्र को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक बैंक द्वारा कृषि (सम्बद्ध कार्यों सहित) को दिया गया वित्त निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में लघु उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों के लिये कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, खुदरा व्यापार और लघु कारोबार बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। मार्च 1992, 1993 और 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्ष की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियों और प्राथमिकता क्षेत्र को उनके द्वारा दिये ऋणों की बकाया राशि के साथ–साथ उनकी जमाराशियों की तुलना से इसकी प्रतिशतता अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों का अनुपालन करने और हर प्रकार की कमियों को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और जानकारी में आयी खामियों को दूर करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) और राज्य सरकार द्वारा निरतर आधार पर इस मामले की मॉनीटरिंग भी की जाती है।

अनुबंध

मार्च 1992, 1993, और 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों और प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की राशि

(करोड़ रुपए)

सरकारी क्षेत्र के बैंक		मार्च के अंत में जमा राशियों का बकाया			मार्च के अंत तक प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की बकाया राशि			जमाराशियों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत		
	बैंक का नाम	1992	1993	1994	1992	1993	1994	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय स्टेट बैंक	53620.42	59440.80	68540.96	11648.13 (39.02)	12490.80 (32.61)	13403.99 (35.09)	21.7	21.0	19.6
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2469.84	2875.34	3379.32	604.16 (37.64)	656.97 (34.12)	706.89 (36.35)	24.5	22.8	20.9
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3021.08	3631.08	4530.51	737.53 (36.24)	906.50 (37.44)	974.60 (36.28)	24.9	25.1	21.5
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1238.81	1430.34	1715.88	341.42 (39.63)	365.63 (37.87)	398.80 (36.25)	27.6	25.6	23.2
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1719.92	2108.79	2610.47	447.66 (38.4)	506.00 (37.26)	548.32 (35.62)	26.0	24.0	21.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2716.77	3349.48	4410.57	716.40(42.19)	772.00(37.19)	903.00(38.99)	26.4	23.0	20.5
7.	स्टैट बैंक आफ सौराष्ट्रा	1356.85	1668.62	2094.90	192.85 (42.20)	452.77 (40.40)	481.27 (38.53)	14.2	27.1	23.0
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2588.66	3162.40	3965.47	616.28 (40.45)	656.15 (40.92)	793.15 (45.24)	23.9	20.7	20.0
9.	इलाहाबाद बैंक	6584.24	7479.50	8212.29	1428.00 (43.19)	1558.00 (40.96)	1615.50 (39.32)	21.7	20.8	19.7
10.	आन्ध्रा बैंक	37.62.01	4131.39	4886.13	708.72 (37.66)	761.70 (38.37)	787.47 (36.32)	18.8	18.4	16.1
11.	बैंक आफ बड़ौदा	13605.12	16616.85	19163.66	2831.52 (41.38)	3363.96 (39.19)	4029.42 (40.30)	20.8	20.2	21.0
12.	बैंक आफ इंडिया	12805.10	14201.41	15943.02	2698.00 (39.87)	2553.00 (34.37)	2952.00 (35.26)	21.1	18.0	18.5
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3385.29	3883.89	4425.60	780.00 (42.04)	808.50 (40.02)	891.00(38.57)	23.1	20.8	20.1
14.	केनरा बैंक	13687.77	15640.45	19152.57	2950.88 (38.38)	3121.76 (38.20)	3289.54(37.81)	21.6	20.0	17.2
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12798.49	13576.61	15607.53	2681.52(40.69)	2784.00(38.22)	2730.66(38.24)	21.0	20.5	17.5
16.	कारपोरेशन बैंक	2310.15	2803.30	4083.35	394.78(40.94)	482.30(38.26)	542.00(37.86)	17.1	17.2	13.3
17.	देना बैंक	3299.85	4012.05	4860.46	737.05(42.05)	813.77(37.11)	912.20(37.01)	22.3	20.3	18.8
18.	इंडियन बैंक	7651.25	9385.03	10513.01	1990.77(40.49)	2297.50(43.76)	2239.00(42.31)	26.0	24.5	21.3
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6254.13	7569.86	9118.53	1284.30(42.42)	1398.60(40.08)	1466.30(42.27)	20.5	18.5	16.1
20.	ओरियंटल बैंक आफ कोमर्स	2506.69	4221.00	5206.58	740.51(41.34)	923.00(40.01)	1125.32(42.63)	29.5	21.9	21.6
21.	पंजाब नेशनल बैंक	15950.23	18078.57	22146.86	3444.20(43.44)	3780.70(40.09)	4301.00(40.08)	21.6	20.9	19.4
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2777.12	3337.17	3949.92	530.77(38.05)	635.96(36.98)	835.01(40.04)	19.1	19.1	21.1
23.	सिंडिकेट बैंक	6528.65	7371.62	8523.36	1275.00(37.40)	1310.00(32.75)	1385.00(34.51)	19.5	17.8	16.2
24.	युनियन बैंक आफ इंडिया	7921.39	9201.40	11803.44	1472.78(38.82)	1650.47(35.52)	2063.54(40.06)	18.6	17.9	17.5
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5027.48	5883.34	6722.59	974.00(35.35)	1140.00(36.80)	1305.00(40.70)	19.4	19.4	19.4
26.	यूको बैंक	6374.06	7110.11	7265.55	1230.38(38.81)	1333.99(37.31)	1380.72(35.53)	19.3	18.8	19.0
27	विजया बैंक	2716.42	3289.90	4277.43	664.50(43.72)	691.90(40.80)	710.42(37.78)	24.5	21.0	16.6
28.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2135.71	2350.82		459.34(42.72)	436.84(40.00)		21.5	18.6	

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े निवल बैंक जमा में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह कृषि क्षेत्र और लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए अपनी बैंक ऋण नीति को, विशेष रूप से इस सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की नियति के रूप में गैट समझौते को अपनाने के पश्चात् उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल लाने के लिए किस प्रकार और अधिक सार्थक और फायदेमंद बनाना चाहते हैं।

दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि क्या यह सरकार बड़े उद्योगों के हिस्से में कमी करके लघु क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाने का इरादा रखती है। विशेष रूप से इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि बडे उद्योगों को भारत तथा विदेशों में पूंजी बाजार में जाने की खुली छूट है जो लघु पैमाने के उद्योगों और कृषि क्षेत्र को उपलब्ध नहीं है।

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग इस प्रकार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, अगर आप ऐसे ही पूछते रहेंगे तो जवाब कैसे आयेगा?

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, यह मेरे प्रश्न का अंतिम भाग है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादक कार्यों के वास्ते लिए गए बैंक ऋणों को गैर–उत्पादक कार्यों जैसे शेयर बाजार तथा व्यापार कार्यों इत्यादि में प्रयुक्त करने का कोई मामला आया है। क्या सरकार शेयर बाजार में इस प्रकार से धन का निवेश करने वाले दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की नीति उत्पादन क्षेत्रों, जिसमें कृषि, लघु क्षेत्र के उद्योग, अन्य उद्योग और प्राथमिक क्षेत्र के अन्य घटक आते हैं, की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमने यह शर्त लगाई हुई है कि निवल बैंक ऋणों का कम से कम 18 प्रतिशत बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिये। अगर यह अपर्याप्त रहता है तो हम इसकी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे कि कृषि विकास की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है। अच्छे निर्यातों के कारण बैंक पहले ही उच्च तकनीक वाली कृषि की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। उच्च-तकनीक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में प्रत्येक बैंक द्वारा कम से कम एक विशेष शाखा स्थापित की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान होने से 99 प्रतिशत लोग ग्रामीण काश्तकार और वहां के दूसरे लोग ऋण के लिए बैंकों में चक्कर लगाते रहते हैं, दुर्भाग्य यह है कि बैंक के मैनेजर और वहां के स्टॉफ के लोग साधारण गरीब किसान जो कृषि या कृषि के उपकरणों के लिए स्मॉल सैक्टर में लोन लेने के लिए बैंक में आते हैं, तो बैंक में फार्म नहीं देते हैं।

यह अनुभव में आया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, गरीब काश्तकारों को बैंकों के अन्दर लोन मिल सके और एपैक्स लेवल पर इसी मोनिटरिंग हो सके, इसके लिए आप कोई सक्रिय कदम उठायेगें?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार छोटे और सीमान्त किसानों की सभी वास्तविक ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इसी सिलसिले में हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नवीकरण कर रहे हैं। चालू वर्ष के बजट में, मैंने इस दिशा में पहला कदम उठाया है। पचास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनोरूद्धार शुरू किया जायेगा और इससे अनुभव प्राप्त करके हम शेष बैंकों का भी पुनरूद्धार करेंगे जो आजकल अपने ऋण प्रवाह का विस्तार करने में भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

सेवा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विशेष रूप से छोटे ग्राहकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां मौजूद हैं और अगर समाज के किसी वर्ग की अगर कोई शिकायत है, तो मैं सुझाव दूंगा कि इन्हें राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों अथवा उस विशेष राज्य के लीड बैंक के नोटिस में लाया जाये।

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था कि क्या रिजर्व बैंक दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशा-निर्देश करते हैं कि उनके पास जो जमा धन है, उसका कितना प्रतिशत कृषि में उद्योग और व्यापारियों के लिए देते हैं। आपने कहा है कि इसका कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ आपने यह भी कहा है कि हम 40 प्रतिशत की अपेक्षा करते हैं कि वे 40 प्रतिशत दें। इसके साथ ही साथ आपने प्रश्न के 'ख' भाग में यह भी कहा है...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा नहीं है। आप प्रश्न पर आइए।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको चान्स दिया है, तो उसका उपयोग कीजिए।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : महोदय, मैं चांस का ही उपयोग कर रहा हूं। आपने अपने उत्तर में आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर इलाहाबाद बैंक की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य : आपने उत्तर में कहा है कि लघु उद्योग, खुदरा विक्रेता के लिए हमने कोई दिशा-निर्देश नहीं किया है। हमारा विकास तभी संभव है, जब इस में दिशा-निर्देश हो। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, क्या किसानों के साथ-साथ इनके लिए भी कोई कोटा निश्चित करने का आप आदेश करेंगे?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी आप दुबारा बता सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि निवल बैंक जमा का 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाना चाहिये। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, छोटे उद्योग, खुदरा व्यापारी, कमजोर वर्ग आते हैं तथा इसी में से निवल बैंक जमा का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देना पड़ेगा। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशो की शर्तों में पहले ही कृषि के हिस्से का उल्लेख किया जा चुका है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, इस देश में कृषकों की आबादी 70 प्रतिशत है और मंत्री जी ने अभी प्रश्न के मौखिक उत्तर में कहा है कि 18 परसेंट किसानों के लिए जो ऋण की सुविधा प्रदान की गई है..

अध्यक्ष महोदय : किसानों के लिए नहीं, कृषि के लिए। कृषि और किसानों में फर्क करना पड़ेगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषक की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण और चूंकि वे ग्रामीण इलाके में बसते हैं तो क्या उनको सुविधा देने के लिए कृषि पर 40 प्रतिशत ऋण देने का प्रावधान करने जा रहे हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ाया जा सके

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : जनसंख्या अनुपात और ऋण संबंधी जरूरतों के बीच आपस में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है। अगर जांच–पड़ताल करने पर यह पता चले कि कृषि को और अधिक ऋण की जरूरत है तो हम इस क्षेत्र को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उस पर कोई सीमा नहीं है। ये न्यूनतम आवश्यकतायें हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, जब हम माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर पर ध्यान से नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल कुछेक मामलों को छोड़कर, अधिकांश बैंकों में जमा राशि के मुकाबले प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए ऋण की प्रतिशतता कम हो गई है। यह माननीय मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कृषि ऋण वास्तविक रूप से कम नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र को अनुमानित 53,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र के लिए इस ऋण को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ताकि कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके? मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय कृषि क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए उसकी ऋण संबंधी आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यदि हां, तो मैं तत्संबंधी ब्यौरे जानना चाहूंगा।

श्री मनमोहन सिंह : पिछले तीन–चार वर्षों में हमारे देश की कृषि ऋण प्रणाली भारी दबाव में रही है। ऋण माफी योजना के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, दोनों की जमाओं पर कुप्रभाव पड़ा है। हम कृषि ऋण प्रणाली का नवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन आज की प्रत्यक्ष कृषि ऋण की स्थिति यही है। मेरे पास मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के आकड़े हैं। यह 13.7 प्रतिशत था। अतः, मेरे विचार में, वहां सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अब ऋण माफी योजना से संबंधित इन सभी समस्याओं को सुलझा लिया गया है और मैं महसूस करता हूं कि अब और अधिक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा...(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, हम आपसे सुरक्षा चाहते है। कृषकों के लिए ऋण माफी योजना की आलोचना करने के बहाने सरकार इस बात का सहारा ले रही है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही, वृत्तातं में सम्मिलित नहीं किया जायेगा

(व्यवधान)*

डा. वसंत पवार : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीति कृषि क्षेत्र को बैंक–जमा का 18 प्रतिशत देने की है। वर्ष 1985–86 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 9–10 प्रतिशत ब्याज दर पर एक परियोजना के साथ लिफ्ट सिंचाई योजनायें कार्यान्वित की गई थी। लेकिन अब ब्याज की दर बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारी फीस भी लेना शुरू कर दिया है। अब ब्याज दर के कारण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के भुगतान का कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया है। मेरा कहना यह है कि कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिये कि यह प्रश्न उद्योग, कृषि, लघु क्षेत्र के उद्योगों और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए ऋण देने में सरकार जिस नीति का पालन कर रही है, उससे संबंधित है।

डा. वसंत पवार : लिफ्ट सिंचाई योजनायें कृषि के अन्तर्गत आती हैं। अगर बैंक इन योजनाओं के संवर्धकों की मांगों पर विचार करे तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक उनके अनुरोध पर विचार करेगा?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सही नहीं है। उसके बाद भी अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैं उसके लिए एक अलग नोटिस चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, ये जो बैंकों की लिस्ट दी है, उसमें सबसे ज्यादा डिपोजिट स्टेट बैंक का 68 करोड़ है और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का 22 हजार करोड़ का है लेकिन हमें दिखाई देता है कि स्टेट बैंक का प्रतिशत केवल 35 है और उनका डिपोजिट का रेश्यों भी 19 है। इसका मतलब है स्टेट बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक है वह डिफाल्टिंग बैंक है और सब जगह पर यह अनुभव होता है कि स्टेट बैंक का व्यवहार लोगों के साथ, प्रायरटी सैक्टर के साथ अच्छा नहीं है।

तो इसके लिए आप स्टेट बैंक के लिए कोई विशेष एक्शन करेंगे, जिससे प्राइओरिटी सेक्टर का परसेंटेज प्राप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मुझे मालूम है कि प्राथमिक क्षेत्र की पिछले दो–तीन वर्षों से ऋण संबंधी समस्यायें रही हैं। इसीलिए इस वर्ष के शुरू में बैंकों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मेरी एक बैठक हुई थी। मैंने सभी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्योन्मुख समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। मेरे पास समग्र रूप में प्रत्येक बैंक के अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जो मैंने आंकड़े दिए हैं....

श्री राम नाईक : आपने आंकड़े दिए हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे सितम्बर, 1994 के जो आंकड़े अभी–अभी प्राप्त हुए हैं, वे दर्शाते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण–प्रवाह में काफी अच्छा सुधार आया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मार्च 1994 में अनुपात 37.8 से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। अतः हम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। ऋण–प्रवाह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस वर्ष के दौरान बैंकों ने एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है।

श्री राम नाईक : भारतीय स्टेट बैंक का क्या हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : वह स्टेट बैंक के साथ–साथ अन्य बैकों पर भी लागू होता है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कोई गलती हो जाए तो पहले ही माफी मांगना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : थोडी सी देर हो गई।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय लोढा जी का प्रश्न सुन रहा था, जब उन्होंने गरीब किसानों के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी से चर्चा की और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि—

[अनुवाद]

जरूरतमन्द किसानों की प्रत्येक जरूरत का ध्यान रखा जायेगा।

[हिन्दी]

वे जेन्यूइन किसान की बात करते हैं, आप गरीब किसान की बात करते हैं, लेकिन जेन्यूइन किसान का सर्टीफिकेट अब किसी दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए आप लोग भी अपने दिल और दिमाग खोल लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो गरीब इलाके हैं और खासकर कृषि क्षेत्र मे पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें जो जमा पूंजी है, उस जमा पूंजी के अनुसार वहां के कृषकों को ऋण उपलब्ध कराएंगे या नहीं। मैं अपने राज्य बिहार की बात करना चाहता हूं जहां पर पिछले वर्ष वहां के गरीब लोगों ने लगभग 11000 करोड़ रुपया बैंको में जमा कराया और उनको ऋण दिया गया 4000 करोड़ रुपए का। तो यह जो कृषि क्षेत्र में विषमता आ रही है और नई कृषि नीति के तहत, "गैट" समझौते के तहत अब ऋण जेन्यूइन किसानों को मिलेगा, तो जेन्यूइन किसान का प्रमाण पत्र कहां से आएगा और जो गरीब किसान उपेक्षित रहेगा, उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग ख क्षेत्रीय बैंकों के बारे में है। क्षेत्रीय बैंको की दशा बहुत दयनीय है, यह बताया गया। सरकार के पास एक सुझाव आया था कि क्षेत्रीय बैंकों को एकीकृत कर दिया जाए। क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की भी मांग है कि उनका समावेश स्टेट बैंक मे कर दिया जाए, जिससे वे अपनी गरीबी दूर कर सकें और इस विकास कार्य में संतुलित सहयोग कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या नीति अपनाई है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है कि आजकल ऋण—प्रवाह में क्षेत्रीय असंतुलन है। लेकिन इसके अनेक कारण हैं। मैंने इस सभा में कहा है, सभा के बाहर कहा है और बिहार राज्य में कहा है : उदाहरण के लिए, अगर केवल बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ही प्रभावी ढंग से चलाया जाये तो उत्पादक कार्यों के लिए, लघु सिंचाई कार्यों तथा संबंधित कृषि कार्यों के लिए काफी ऋण मिलेगा। अगर बिहार राज्य में उर्वरकों की व्यवस्था की जानी हो, तो उसके लिए काफी ऋण उपलब्ध होगा। मैं बिहार गया हूं और मैंने यह बात मुख्य मंत्री को कही थी और इसे पुनः दोहराता हूं। सिर्फ इसलिए कि जमा पूंजी अनुपात कम है, आप बैंकों को दोषी नहीं ठहरा सकते। बैंक कोई अनुदान देने वाली संस्थाये नहीं हैं। वे आपसे पैसा लेते हैं और उसे उधार देते हैं। अतः, अगर उस पैसे के वापिस आने के कोई आसार नहीं हैं और बैंक अपनी ऋण—क्षमता पर ध्यान दिए बगैर उधार देते जायें तो स्पष्ट रूप से बैंक घाटे में चला जायेगा और उससे देश की भी साख खराब होगी। मैं इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली का समर्थन नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न जवाब देने योग्य नहीं है। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास उद्योगों को दिए गए कुल बैंक ऋण संबंधित आंकडे हैं। लघु पैमाने के उद्योगों का अंश 13.46 प्रतिशत है और बड़े तथा मध्यम आकार के उद्योगों का 9.3 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मेरे पास वह आंकड़े नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तर्कसंगत भी नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : यह कार्यवाही संबंधी सुझाव है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से इस सुझाव की उपयुक्तता की जांच करने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब, यह एक आश्वासन बन जाता है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में बैंकों के कार्य—निष्पादन पर निगरानी रखता है। इन मामलों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में भी समीक्षा की जाती है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं। मेरे विचार में, मैंने विभिन्न राज्यों में आयोजित बैठकों में कुछ अवसरों पर विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में यह पता लगाने के लिए कि प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक और राज्य सरकार मिलकर क्या कर सकते हैं, इसकी समीक्षा की है।

निर्यात वृद्धि दर

+

***143. श्री चित्त बसु :**

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर निर्धारित दर से कम रही है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मासिक/त्रैमासिक निर्यात वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है,

(घ) निर्यात वृद्धि दर के कम रहने के क्या कारण है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). चालू वर्ष की अप्रैल–अक्तूबर की अवधि (वह अवधि जिसके लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान निर्यात में अमरीकी डालर मूल्य में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि वृद्धि का यह वर्तमान रूख जारी रहा तो निर्यात में वर्ष 1994–95 के दौरान 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित तो नहीं किया गया था लेकिन व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि वे निर्यात में डालर मूल्य की दृष्टि से 25 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखें।

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1994 तक की अवधि में अमरीकी डालर मूल्य में माहवार निर्यात वृद्धि दरें और वर्ष 1994–95 की प्रथम दो तिमाहियों में पिछले वर्ष की इन्हीं अवधियों की तुलना में निर्यात वृद्धि -दरें नीचे दी जा रही हैं :

(1) वर्ष/माह 1994–95*	प्रतिशत वृद्धि–दर
अप्रैल, 94	12.6
मई,94	6.7
जून, 94	9.4
जुलाई, 94	6.0
अगस्त, 94	24.6*
सितम्बर, 94	24.0
अक्तूबर, 94	26.9
(2) अप्रैल–जून, 94	9.6
जुलाई–सितम्बर, 94	18.0

(घ) और (ङ). माह अक्तूबर, 1994 के दौरान निर्यात में अक्तूबर, 1993 में हुए निर्यात की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार के उदारीकरण हेतु बड़े–बड़े उपाय किए हैं जिनमें शामिल है : निर्यात से जुड़े आयातों में लोचशीलता, आयात लाइसेंसिंग में कटौती, नीति एव क्रियाविधियों का सरलीकरण करके क्रियाविधि संबंधी बाधाओं को समाप्त करना और निर्यात की नकारात्मक सूची में काट–छांट करना। निर्यात संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा सरकार और व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों के बीच सहयोग से संभव होता है। निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार एवं उद्योग से परामर्श करके सभी संभव उपाय किए जाते हैं। ई पी आई पी, आदि जैसी योजनाओं के जरिए निर्यात संवर्धन प्रक्रिया में राज्यों को भी अधिकाधिक रूप से शामिल किया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल, 1994 से अगस्त, 1994 के दौरान निर्यात वृद्धि दर की प्रतिशतता में काफी उतार–चढ़ाव रहा है महोदय, जुलाई, 1994 में यह 6 प्रतिशत तक नीचे आ गया और अगले माह में 24.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। मुझे यह प्रवृति असाधारण प्रतीत होती है। इससे यह भी पता चलता है कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने गलत प्रक्रियाएं अपनाई। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि प्रणाली में मूलतः कौन सी गलतियां हैं, क्या उन गलतियों का पता लगाया गया है यदि पता लगाया गया है तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि हमारे देश की निर्यात वृद्धि हमेशा बनी रहे?

श्री प्रणव मुखर्जी : औसत 12 महीने की अवधि पर सतत वृद्धि का हिसाब लगाना होता है। यह सच है कि अप्रैल माह में निर्यात वृद्धि में कुछ गिरावट आई है। अप्रैल में यह 12 प्रतिशत था। लेकिन मई, जून और जुलाई में यह एकल अंक में था। इसके बाद इसमें वृद्धि होने लगी। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में यह 24,25 और 27 प्रतिशत से अधिक था। यदि आप इसकी तुलना 1992–93 और 1993–94 के आंकड़ो से करें तो आप अधिक उतार–चढाव पाएंगे। उदाहरण के लिए अप्रैल 1992–93 में निर्यात वृद्धि 8 प्रतिशत थी। 1993–94 में यह बढ़कर 29 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। इसलिए कभी–कभी ऐसा होता है। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक समय एक इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन योजना थी और हमने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा घरेलू मूल्य के बीच अंतर कम करने के लिए दी जा रही राज सहायता को । अप्रैल से वापस ले लिया गया इसलिए इसका कुछ प्रभाव पड़ा था। संपूर्ण लाभ में इंजीनियरिंग मदों का योगदान लगभग 12 प्रतिशत है। स्थानीय करों के कारण हमारे चावल कम प्रतियोगी हो गए हैं। कृषि उत्पादों, विशेष रूप से चावल के निर्यात मे कमी आई है। कपास की कमी के कारण हमें कपास का निर्यात कम करना पड़ा था। इसलिए इसमें कुछ गिरावट आई है। हम विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। साबुन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था।

इसलिए मैं आशा करता हूं कि वर्ष के अंत में दो प्रकार की परिस्थितियां उभर सकती हैं। यदि मैं पहले सात महीने का औसत लूं तो निर्यात वृद्धि 14 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगस्त के बाद ऐसी ही प्रवृति रही–परंतु एक बात अच्छी रही कि जैसा सोचा गया था कि प्लेग का कुप्रभाव होगा लेकिन सितम्बर–अक्तूबर के आंकड़ो से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार यदि ऐसी प्रवृति जारी रहे तो 18–19 प्रतिशत वृद्धि दर हो सकती है। प्रणाली में मूलत : कोई गलती नहीं है।

श्री चित्त बसु : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाल ही में इस वर्ष के निर्यात लक्ष्य को कम करने का निर्णय लिया है? क्या मैं मंत्री महोदय से आगे यह जान सकता हूं कि यदि ऐसा नहीं है तो इस वर्ष का लक्ष्य क्या है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि हमारे परंपरागत निर्यात बाज़ार विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में शुल्क और अन्य प्रकार के प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो सरकार इसका कैसे समाधान करना चाहती है और चालू वर्ष के लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक लक्ष्य का संबंध है यह पूरे पांच वर्ष के लिए है और यह योजनावधि के साथ ही समाप्त होगा।

1992–97 के लिए लक्ष्य प्रतिशतता में निर्धारित किया गया है और निर्यात में वृद्धि के लिए 13.6 प्रतिशत का लक्ष्य होना चाहिए। अमरीकी डॉलर में यह 15 से 20 प्रतिशत होना चाहिए। समग्र रूप से वर्ष समाप्त होने के बाद हमारा निर्यात वर्ष 1991–92 के मूल्य स्तर पर 33.5 बिलियन अमरीकी डॉलर होना चाहिए।

पहले वर्ष के दौरान हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे। 1992–93 के दौरान हमारा कार्यनिष्पादन 18 बिलियन अमरीकी डॉलर से कुछ अधिक था। 1992–93 के दौरान यह 22 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इसलिए मेरा यह सुझाव था कि यदि हम वर्ष 1994–95 के दौरान 25 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 26 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर लें तो 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है और आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में हम 33.5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा यही लक्ष्य है।

संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार में जिन भारतीय उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें से एक है घाघरा। उन्होंने कुछ ऐसा मुद्दे उठाए हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले पांच महीनों में संयुक्त राज्य अमरीका को हमारा निर्यात काफी उत्साहजनक रहा। अक्तूबर तक अमरीकी बाजार में हमारा निर्यात 22 प्रतिशत रहा है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में मंहगाई 10 प्रतिशत से उपर बढ़ी है जबकि रुपये का विदेशी विनिमय मूल्य यथावत है, ऐसी स्थिति में विदेशी आयात के लिये भारतीय माल पहले से मंहगा हो गया है जिससे निर्यात की क्षमता में ह्रास हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि निर्यात के लिये दी जाने वाली अग्रिम सहायता योजना को वापस लिये जाने से इंजीनियरिंग माल के निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ा है, लघु उद्योगों को मिल रही कुछ उत्पाद शुल्क में जो छूट दी गयी है, उसको वापस लिये जाने से निर्यात पर असर हुआ है, क्या सरकार लघु उद्योगों को ऐसी कोई सहायता देने पर पुनः विचार करती है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रूस को चाय के निर्यात में करोड़ो रुपये की घपलेबाजी का मामला प्रवर्त्तन निदेशालय ने पकड़ा है। क्या प्रवर्त्तन निदेशालय अन्य मामलों को भी पकड़ने में सक्षम हुई है जो विदेशी–मुद्रा की हेरा–फेरी करते रहते हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जहां तक कीमत और विनिमय दर का संबंध है इसका निर्यात पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है क्योंकि हमारी घरेलू मुद्रा स्फीति दर बहुत अधिक हो जाती है तथा हमारी मदें प्रतियोगी नहीं हो सकती हैं। मेरे विचार से इसका कम प्रभाव पड़ता है और वही पहले सात महीनों के निर्यात में परिलक्षित हुई है।

दूसरे, जहां तक नकद राजसहायता का सम्बन्ध है सरकार की यह नीति है कि यह राजसहायता देकर निर्यातकों की मदद नहीं कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत भी इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से राजसहायता को कम किया जाए ताकि वास्तविक प्रतियोगिता हो सके।

मैंने इंजीनियरिंग वस्तुओं का उल्लेख किया है। हम इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकों को कुछ सहायता दे रहे हैं और वित्त मंत्री ने लम्बित मामले कुछ हद तक निपटाने की कृपा की है कुछ मामले लंबित पड़े हैं और हम इन्हें निपटा रहे हैं। अतः मुझे आशा है कि अगले माह से इसमें वृद्धि होने लगेगी।

प्रवर्त्तन निदेशालय के बारे में जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसके बारे में मेरा विचार है कि यह निर्यात वृद्धि से संबंधित नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, कृषि उत्पाद का हमारे निर्यात वृद्धि में एक बड़ा प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार आपूर्ति बनी रहनी चाहिए और देश को वस्तुओं का विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता बनना चाहिए। इस बात को देखते हुए व्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में वाणिज्य मंत्रालय का क्या विचार है? अपनी इच्छानुसार कुछ वस्तुओं की सफाई आरंभ कर देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी बदनामी होती है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि हम लगातार आपूर्ति बनाए नहीं रख पाते हैं तो विदेशी बाजार में हम स्वयं को बनाए नहीं रख सकते। इसलिए मेरा भी यही विचार है कि यदि किसी वस्तु विशेष की कमी है तो अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए उस वस्तु का आयात करने में कोई गलत बात नहीं है और घरेलू बाजार में मांग तथा आपूर्ति में संतुलन रखने के लिए उसका आयात किया जा सकता है। इसलिए हमने यह दृष्टिकोण अपनाया और सौभाग्यवश 'नाफेड' ने प्याज का निर्यात शुरू कर दिया है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि 1993–94 में 1992–93 की तुलना में निर्यात में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मूल्य भारित लाइसेसिंग प्रणाली के रूप में एक फिर निर्यात घोटाला हो गया है। निर्यातक इस लाइंसेसिंग प्रणाली का दुरूपयोग करते हैं और कागजों पर जाली निर्यात दिखाया जाता है, जिसे प्रवर्त्तन विभाग तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा रोका गया है तथा यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय को दे दी गई है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है या नहीं? वर्ष 1993–94 के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपये का जाली निर्यात हुआ और निर्यातकों को जो भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या यह बात वाणिज्य मंत्रालय के ध्यान में आई है? यदि यह बात वाणिज्य मंत्रालय के ध्यान में आई है तो जाली निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जहां तक मूल्य भारित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के दुरूपयोग का संबंध है राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्त्तन निदेशालय ने कुछ कार्यवाही की है। विदेश व्यापार के महानिदेशक को जो मामले सौंपे गए थे उन पर जो कार्यवाही की जानी थी वह की गई है लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वह सही नहीं है, यह इतनी ज्यादा नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : सही आंकड़े क्या है? **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : निश्चित आंकड़े जानने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि एक भी मामले में निर्णय नहीं लिया गया है **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह लगभग 2,000 करोड़ रुपये हैं। लेकिन मेरी यह जानकारी है कि यह 20,000 करोड़ रुपये हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी उन्होंने उत्तर दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्ज़ी : महोदय, अभी तक राजस्व आसूचना निदेशालय अथवा प्रवर्तन निदेशालय ने एक भी मामले के बारे में निर्णय नहीं लिया है। लेकिन यह कार्य चल रहा है। अंततः जब जांच पूरी हो जाएगी और दायित्व निर्धारित किया जाएगा तभी राजस्व की हानि का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इस रामय ऐसा नहीं किया जा सकता है।

दूसरा मुद्दा यह है डी.जी.एफ.टी. की ओर से जिन मदों के बारे में आरोप लगाया गया है कि जिनका दुरूपयोग हुआ है उन्हें संवेदनशील सूची में रख दिया गया है मानदंड सुनिश्चित कर दिए गए हैं। पहले ऐसा होता था कि एक क्रेता सूची होती थी और उसमें से वे उन मदों का निर्यात कर सकते थे जिन पर घरेलू बाजार में प्रीमियम मिलता था। इसलिए उन संवेदनशील मदों के बारे में मानदंड सुनिश्चित कर दिए गए हैं और उन मानदंडों के अनुसार आयात लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोई एशिया का सबसे बड़ा कालीन बनाने वाला क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां से पहले लगभग 1200 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात होता था और आज के समय में वह कालीन का उद्योग विदेशों में इस दुष्प्रचार का कारण बना हुआ है कि वह खतरनाक उद्योग है और इसमें बच्चों से निर्दयतापूर्वक काम कराया जाता है। इसका दुष्प्रचार अपने ही देश के लोग दूसरे देशों में करते हैं जिससे इसके निर्यात में कमी आई है। कुछ वित्तीय कारणों से भी इसके निर्यात में कमी आई है। यह एक बड़ा उद्योग है जिससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या आपने कोई योजना बनाई है कि इस कालीन उद्योग के द्वारा बनाया गया कालीन जो दुनिया के देशों में निर्यात होता है, उसके निर्यात में कमी न आए जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को जो रोजगार मिलता है उसमें कोई दिक्कत न हो?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कालीन का निर्यात बढ़ाने संबंधी योजना का संबंध है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया है कि जो सहायता हम दे रहे हैं उसके साथ-साथ कुछ क्षेत्र-विशेष योजनाएं शुरू की जाएं। विशेष रूप से मुरादाबाद के लिए हमने यह सुझाव दिया था और उस योजना से ब्रुश कामगरों को बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण निर्यात मद है। उन्हें कतिपय अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी है। इसकी लागत केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वहन की जा रही है। इसी प्रकार उन्होंने सुझाव दिया है कि भदोई और अन्य क्षेत्रों के निर्यात करने वाले बुनकरों की सहायता के लिए एक योजना होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कालीन की बात पूछ रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कालीन को खतरनाक उद्योग घोषित किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें से प्रश्न नहीं निकल रहा था, फिर भी मैंने अलाउ किया, उसका उत्तर मिल गया लेकिन आप फिर उठ रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कालीन उद्योग में मजदूरी कर रहे बाल श्रमिकों का संबंध है माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि संदेहों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए हमने जर्मनी के कुछ आयात संगठनों को यह सुझाव दिया है कि वे यहां आए और स्वयं इस बात की पुष्टि करे कि क्या इन कारखानों अथवा उत्पादन केन्द्रों में बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है अथवा नहीं।

कुछ आयतक पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत से कालीन आयात करने वाले आयातकर्त्ताओं के अलावा एक गैर सरकारी संगठन भी है। वे एक अभियान चला रहे हैं। हमें इन कुछ देशों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि वे शो-हाउस के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भारत से सामान आयात नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत बाल श्रमिकों का शोषण कर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

हमने उन्हें बताया है कि हमारे देश में बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून बनाये गए हैं और हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन उनके द्वारा यह निर्णय लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या चालू वर्ष में निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की आशा है?

फिरोजाबाद एक ऐसी नगरी है...

अध्यक्ष महोदय : यह पूरे हिन्दुस्तान का प्रश्न है, फिरोजाबाद का नहीं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, कांच उद्योग का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका पूरा सामान निर्यात किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्यात में जो 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उसमें कांच उद्योग से बने माल की कितनी प्रतिशतता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह जानकारी दे सकते है?

(व्यवधान)

विदेशी पूंजी निवेश

+

*144. **श्री विजय एन. पाटील**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1993–94 के दौरान सीधे विदेशी पूंजी निवेश के लिए कितने प्रस्ताव मिले हैं और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें क्या है;

(ग) क्या विदेशी पूंजी निवेश संबंधी इन प्रस्तावों से निर्यात–आय प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पूंजी निवेश से अनुमानतः कितनी निर्यात–आय प्राप्त होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). कैलेण्डर वर्ष 93 और 1994 के प्रथम दस महीनों (अक्तूबर तक) के दौरान, 19604.36 करोड़ रुपए के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना करते हुए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 1650 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत किए गए हैं।

प्रस्तावों को नई औद्योगिक नीति 1991 की शर्तों के अनुसार स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ). जी, हां। तथापि, इन परियोजनाओं से होने वाले प्रत्याशित निर्यात संबंधी अर्जित राशि के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गए हैं।

श्री विजय एन. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैंने शर्तों और उपबंधों के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा था। मंत्री महोदय ने संक्षेप में यह उत्तर दिया है कि ये 1991 की औद्योगिक नीति के अनुरूप हैं। यह अच्छी बात है कि आगामी वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का निवेश होगा लेकिन साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है क्योंकि इस निवेश में यह प्रवृति रहती है कि यह केवल बड़े शहरों में ही किया जाता है।

यदि हम बंबई का ही उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि स्थानीय प्लैटों की कीमत 500 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है क्योंकि विदेशी निवेशक व विदेशी कार्यकारी अधिकारी वहां निवेश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटील आपका प्रश्न क्या है?

श्री विजय एन. पाटील : श्रमिक रोजगार के कारण झुग्गियों की संख्या बढ़ेगी। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन विदेशी निवेशकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है अथवा यह नहीं कहा जा रहा है कि वे देश में सूदूर क्षेत्रों में नए चुने गए विकास केन्द्रों में अपने उद्योग स्थापित करें। उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनके लिए क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, जुलाई 1991 मे औद्योगिक नीति वक्तव्य में सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण उपाय किए जाएंगे कि महानगरों में अधिक उद्योग स्थापित न किए जाए और उन्हें स्वीकृति देने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बंबई में कठिनाईयां है क्योंकि वहां अत्यधिक विदेशी निवेशक निवेश कर रहें हैं। निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि एक वित्तीय केन्द्र होने के कारण निवेशक बंबई की और अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इससे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि उससे निपटा जा सकता है। हमने भूमि के लेन–देन पर प्रतिबन्ध लगाए हैं लेकिन मेरे विचार से इसका कुप्रभाव पड़ेगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बंबई को विश्व का अग्रिम वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए उसका विकास न होने दें।

श्री विजय एन. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस निर्यात से होने वाली आय के बारे में भी पूछा है जो पूर्ण निवेश के बाद प्राप्त होगी। लेकिन यह उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के आकडे एकत्र नहीं किए जा रहे हैं।

मेरा विनिर्दिष्ट प्रश्न यह था कि आम तौर पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि विदेशी निवेशक मुख्यतः स्थानीय घरेलू बाजार की ओर आकर्षित होकर भारत में निवेश कर रहे हैं और इसीलिए घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की औद्योगिक वस्तुओं की बाढ़ आ जाएगी और इससे स्थानीय उद्योग को हानि होगी। यही आशंका व्यक्त की गई है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विदेशी निवेशकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं और क्या उन्हें यह कहा जा रहा है कि वे अपने उत्पादों की कतिपय गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनका निर्यात करें।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, नई नीति लागू होने के बाद से अक्तूबर, 1994 तक 80 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्राथमिक क्षेत्रों के लिए दी गई जिनका उल्लेख जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति वक्तव्य में अनुबन्ध III में किया गया है। इनमें विद्युत, तेल, शोधन, इलेक्ट्रानिक, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार, परिवहन और औद्योगिक मशीनरी आदि क्षेत्र शामिल हैं।

इसलिए यह मान लेना कि इन निवेशों का बड़ा भाग अधिकांशतः उपभोक्ता वस्तुओं अथवा गैर–आवश्यक वस्तुओं में किया जा रहा है, ठीक नहीं है। हमने कुछ मामलों में ही विदेशी निवेशकों को उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश करने की अनुमति दी है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि उन निवेशकों पर इस बात को सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी कि सात वर्षों तक उनकी निर्यात आय लाभांश के अनुरूप हो।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि इस समय यह बताना या गणना करना संभव नहीं है कि विदेशी मुद्रा आय कितनी होगी। मै अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष हूं। मैं यह महसूस करता हू कि

इन प्रस्तावों का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष रूप से निर्यातोन्मुखी है और आने वाले वर्षों मे आप देखेंगे कि देश के निर्यात पर इसके लाभकारी प्रभाव होंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। मैं औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें विदेशी निवेश भी शामिल हैं। अक्तूबर, 1994 तक उन्होंने यह दर्शाया कि कुल योजना निवेश 3,25,555 करोड़ रुपये है और उन परियोजनाओं के पूरा होने पर विनिर्माण क्षेत्र में तीन लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिए यह कहना कि इन निवेशकों के आने से रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे गलत है। वास्तव में इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1993–94 में 19,684.36 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की परिकल्पना के साथ 1658 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कितनी–कितनी राशि का निवेश किन–किन प्रदेशों में किया गया है तथा इनसे कितने मजदूरों को कार्य मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने बताया है कि कितने मजदूरों को कार्य मिलेगा।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विशेष रूप से पूंजी निवेश किया गया है वह महानगरों में किया गया है जब कि दूर–दराज के क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश तथा बिहार को तो बिलकुल ही छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो असंतुलन है, इसको दूर करने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि विदेशी निवेश समान रूप से नहीं हो रहा है अथवा सभी राज्यों में अनुपात में नहीं किया जा रहा है। मेरे लिए यही चिंता का विषय है। हमारी सरकार भी इससे चिंतित है लेकिन उसका उत्तर राज्य सरकारों के पास है। केन्द्र सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस अब समाप्त कर दिया है इस प्रकार विभिन्न राज्यों में विदेशी निवेश कितना होता है यह राज्य सरकारों की उद्यम लगाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। मुझे दुख है कि बिहार राज्य को निवेश की पर्याप्त राशि नहीं मिली है। लेकिन यदि नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं होती है और राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित क्षमता का 20 प्रतिशत से अधिक बिजली उत्पादन नहीं कर पाता है तो मैं नहीं समझता कि बिहार में कोई निवेशक आएगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रादेशिक असंतुलन है लेकिन राज्य सरकारें राज्य में न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर इस असंतुलन को दूर कर सकती हैं और यह सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में निवेश की पहली शर्त है।

श्री श्रीकान्त जेना : लेकिन क्या केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका है या नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार की भूमिका है। केन्द्र सरकार वृद्धि केन्द्रों के रूप में सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार गाडगिल सूत्र का पालन करती है जो निर्धनतम राज्यों के पक्ष में है। पहले भी वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों की गरीबी की ओर ध्यान दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार 1650 प्रस्ताव प्राप्त हुए और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुमति दी गई।

मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कुछ प्रादेशिक असंतुलन है विशेषरूप से पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भाग जहां विदशी निवेश बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि अनिवासी भारतीय इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय राज्य सरकारों और विदेशी निवेशकों के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे ताकि वे अधिक से अधिक धन निवेश कर सकें। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करती हूं कि कृषि आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्य सरकारों को कुछ कार्यवाही करने के लिए कहेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है। मैंने यह पाया है कि राज्य सरकारें इस बात के प्रति सचेत है कि निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए।

उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल का मामला ही लीजिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया है जो मैं समझता हूं कि एक अग्रगामी दस्तावेज है। मेरा विचार है कि आज पश्चिम बंगाल को विदेशी निवेश की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी यहां उपस्थित नहीं है। वह आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर गये थे और जब उनसे नई औद्योगिक नीति के बारे में प्रश्न किये गये तो उन्होंने बताया ही, यह अपरिवर्तनीय स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी, आपकी प्रशंसा से उनके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देते समय फारेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की क्या और कहां तक भूमिका रहती है? दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने मान्य की है, पर्यावरण की तरफ ध्यान देने की, तो मैं यह जानना चाहूंगी कि एक्वा कल्चर इंडस्ट्रीज जो आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय क्षेत्रों में पांव पसार रही हैं,

उसके कुप्रभाव से वहां की धान की खेती भी प्रभावित हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि इस इंडस्ट्री से जो अनुमानित आय होने वाली है, क्या उस रेशिओं के सामने वहां जो नुकसान हो रहा है नगण्य है और आय का रेशियो बहुत ज्यादा है इसलिए उसे परमीशन दी गई है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरी तरह से ठीक ही कहा है कि हमें पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा पर पड़ने वाले घरेलू एवं विदेशी औद्योगिक निवेश के प्रभाव को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। आज सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और जब भी हम परियोजनाओं को मंजूर करते हैं, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है। हम जो भी मंजूरी प्रदान करते हैं, यदि वह पर्यावरणीय शर्तो को पूरी नहीं कर पाती है, तो उसे मंजूरी नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अर्थ क्या है, यह ध्यान में रखकर प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विदेशी पूंजी निवेशकों के संबंध में और उनकी पूंजी के संबंध में बहुत सारी बातें बताई हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भी आपने दिया है कि विदेशी पूंजी निवेशकों के 1658 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आपने उन्हें स्वीकृति भी दी। कई बार इस सवाल पर बहस हुई और चर्चा आई कि कुछ इकाइयों के लिए आप पूंजी निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देते हैं लेकिन उसके बावजूद पूंजी निवेशक महानगरों से ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहीं पूंजी निवेश करने के इच्छुक रहते हैं। जिस प्रकार आप कुछ इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या उसी प्रकार से आने वाले पूंजी निवेशकों को उन क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देंगे जो पिछड़े हुए हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं है, उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के बारे में कहा जा सकता है कि वहां अंग्रेजों की हुकुमत से इनफ्रास्ट्रक्चर है और केन्द्र सरकार द्वारा कई वर्ष पहले से राशि दी जाती है। बहुत से राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल, ऐसे हैं जहां शुरू से ही केन्द्र सरकार के माध्यम से किसी राशि का सहयोग नहीं किया गया । इनका जिक्र ममता जी ने भी किया है। स्वाभाविक है कि इससे देश में असन्तुलन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी विदेशी निवेशक बिहार, उड़ीसा में नहीं जा रहें हैं। ऐसी स्थिति में ये राज्य और पिछड़ जाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके लिए केन्द्र सरकार क्या करने जा रही हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि गाडगिल फार्मूला और फाईनेंस कमिशन में उसका प्रोवीजन है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, उदारीकरण की नीति तो तब से लागू हुई है जब से मनमोहन सिंह जी आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा। उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या बेराजगारी की है। मंत्री जी ने बताया है कि विदेशों से 1650 प्रस्ताव आए हैं और सबको मंजूर किया है। बेरोजगारी को कम करने या खत्म करने के लिए कितने प्रतिशत रोजगार ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होने 3 मिलियन बताया है। यदि आप सुनें तो पता लग जाए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने 20,000 करोड़ रु. के निवेश वाले 15–16 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है, लेकिन ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ ही परियोजनाओं ने कार्य करना शुरू किया है और इसमें बहुत अधिक उत्साह नहीं देखा गया है। विदेशी निवेशक शिकायत कर रहे हैं कि अभी भी लालफीताशाही बहुत अधिक है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन इकाईयों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है।

श्री मनमोहन सिंह : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। निगरानी में अन्तराल रहा है लेकिन गत कुछ महीनों के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय इन प्रस्तावों पर निगरानी रखेगा। मंजूरी की तुलना में जिस वास्तविक निवेश के बारे में मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया है, वह पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान वास्तविक संवितरण 5,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। अतः, यह पूरी तरह से सही नहीं है कि इन प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार, मंजूरी की तुलना में कुल संवितरण धनराशि लगभग 23 प्रतिशत है जो यह देखते हुए बुरी नहीं है कि यह नीति लगभग तीन वर्षों तक ही प्रचलन में रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्यातकों को प्रोत्साहन

***141. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और अपने-अपने राज्यों के निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं अथवा एकमुश्त प्रोत्साहन देने की पेशकश की है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से दिशा–निर्देशों में संशोधन करने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(क) से (ङ). निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) योजना राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के परामर्श में तैयार की गई है। इस योजना में यह निर्धारित है कि निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाओं के सृजन में होने वाले पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत जो आमतौर पर प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगा, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की तरफ रो अनुदान द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें स्थापित हरेक इकाई के औद्योगिक उत्पादन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्यात कारोबार के 2 प्रतिशत के बराबर रख–रखाव अनुदान राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। आज की तारीख की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने निर्गत संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सात राज्यं सरकारों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, उनके नाम हैं : पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल।

2. आधारभूत सुविधाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक सहायता योजनाऐं तैयार करने हेतु निर्यात प्रधान क्षेत्र उप–प्लान योजना बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना में राज्य सरकारों के समन्वय से महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादन केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के उपाय निर्धारित हैं। फिलहाल तिरूपुर और मुरादाबाद के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

3. केन्द्र ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक निगम को, उसके वर्तमान निर्यात निष्पादन स्तर पर विचार किए बगैर निर्यात गृह के रूप में मान्यता दी है।

4. निर्यात संवर्धन के लिए सक्रिय केन्द्र–राज्य पारस्परिक सम्पर्क बनाए रखने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक अपर सचिव के अधीन एक स्टेट कार्यरत है।

5. निर्यात से संबंधित राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में फोकल प्वाइंट आफिसर नियुक्त किए गए हैं जिन्हें निश्चित क्षेत्रीय जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं।

6. निर्यात से जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों में नोडल आफिसर नियुक्त किए गए हैं।

निर्यात के लिए सुविधाओं में सुधार करने के मामले में राज्य सरकारों सें सुझाव प्राप्त हुए हैं जो अन्य सुझावों के साथ–साथ ये है :

1. निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन शुद्धीकरण के लिए विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकारों को राज्यों की निर्यात आय का एक निर्धारित प्रतिशत उपलब्ध कराया जायेगा।

2. विदेशों में निर्यात संवर्धन/दौरों के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3. लघु इकाइयों के विशिष्ट उत्पादों के विपणन को अभिज्ञात करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इन सुझावों और राज्यों के साथ विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

(क) केन्द्रीय निधियों के राज्यों की अन्तरय संबंधी मुखर्जी फार्मूला के अनुसार राज्यों द्वारा किए गए निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों को "विशेष समस्याओं" के अन्तर्गत कुछ महत्व देने के लिए, योजना आयोग के परामर्श से विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ख) इन क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए सहायता की अल्पावधि योजना की रूपरेखा बनाने के लिए एक निर्यात गहन क्षेत्र–उपयोजना स्कीम पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों को उनके निर्यात संवर्धन में उत्कृष्ट निष्पाद करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार की योजना भी प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

प्रति व्यापार (कांउटर ट्रेड) नीति

***145. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन विदेशी कंपनियों से माल खरीदने को प्राथमिकता दे रही है जो प्रति व्यापार (कांउटर ट्रेड) को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एशिया पैसीफिक काउंटर ट्रेड एसोसिएशन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रति व्यापार (काउंटर ट्रेड) नीति अपनाने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाने वाली प्रमुख खरीदारी के संबंध में, अन्य बातें समान रहने पर, उसके बदले में निर्यात या प्रति–व्यापार की पेशकश को लाभ माना जाता है।

(घ) इस संबंध में ए.पी.सी.ए. द्वारा दिए गए कोई विशिष्ट सुझाव सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के विरूद्ध मामले

***146. श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के विरूद्ध राज्य–वार कितने मामले उपभोक्ता शिकायंत निवारण फोरम के पास लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता शिकायत निवारंण फोरम ने उपरोक्त निगमों के विरूद्ध कितने–कितने फैसले दिए;

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा दायर किए गए दावों को निपटाने में जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम द्वारा क्रमशः कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजी से बचने के लिए नियमों में संशोधन करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा कंपनियों के विरूद्ध 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 3952 और 9011 है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा कंपनियों के विरूद्ध दिए गए निर्णयों की संख्या क्रमशः 418 और 2753 थी।

(ग) विगत तीनै वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों के बचाव पर बीमा कंपनियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार है :

जीवन बीमा निगम द्वारा	30.78 लाख रुपए
साधारण बीमा कंपनियों द्वारा	117.33 लाख रुपए

(ख) बीमा कंपनियां कानून के दायरे के अन्तर्गत कार्य करती हैं, जो उपभोक्ता को शिकायत/मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता है, और जिसमें पीड़ित पक्ष को अपील करने का प्रावधान है। अपील के प्रावधान को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

समस्त देश में उपभोक्ता राहत मंच (फोरम) में क्रमशः जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा कंपनियों के विरूद्ध राज्यवार लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विरूद्ध लंम्बित मामले (31.3.1994 की स्थिति के अनुसार) जी.बी.नि.	साधारण बीमा कंपनियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	612	730
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	2
3.	असम	29	74
4.	बिहार	168	410
5.	चण्डीगढ़	49	74
6.	दिल्ली	120	311
7.	गोआ	7	24
8.	गुजरात	278	724
9.	हरियाणा	131	273
10.	हिमाचल प्रदेश	34	198
11.	जम्मू व कश्मीर	18	115
12.	कर्नाटक	194	374
13.	केरल	143	712
14.	मध्य प्रदेश	214	446
15.	महाराष्ट्र	210	557
16.	मेघालय	–	8
17.	नागालैंड	–	2
18.	उड़ीसा	206	100
19.	पांडिचेरी	–	3
20	पंजाब	46	311
21.	राजस्थान	483	816
22.	तमिलनाडु	198	320
23.	त्रिपुरा	–	16
24.	उत्तर प्रदेश	760	2250
25.	पश्चिम बंगाल	52	161
	जोड़	3952	9011

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

***147. श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री के. प्रधानी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में वस्त्रों का निर्यात किया गया और रुपए तथा डालर में उनका मूल्य कितना था तथा इस हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) चालू वर्ष के लिए वस्त्रों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है और आज की तारीख तक क्या उपलब्धि रही है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उत्पादों (जिनमें केयर, पटसन तथा हस्तशिल्प शामिल हैं) के निर्यात तथा निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नोक्तनुसार थे :

वर्ष	लक्ष्य (अमरीकी मिलियन डालर में)	निर्यात (अमरीकी मिलियन डालर में)	(करोड़ रु. में)
1991–92	5414	5796.84	14409.46
1992–93	6349	6599.62	19114.19
1993–94	7400	7973.91	25010.56

(ख) और (ग). चालू वर्ष के लिए वस्त्रों के निर्यात के लक्ष्य 9000 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है। अप्रैल–अक्तूबर, 1994 के दौरान वस्त्र निर्यात 16726.41 करोड़ रु. मूल्य के हुए जो कि 5331.77 मिलियिन अमरीकी डालर के बराबर है।

(घ) वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात क्षण की बढ़ी हुई उपलब्धता को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट

***148. डा. मुमताज अंसारी :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु आदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बीमा कंपनियों का निजीकरण करने तथा विदेशी बीमा कंपनियों को बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नशीली दवाएं

***149. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक राज्य–वार कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). चूंकि स्वापक औषधों का अवैध व्यापार एक गुप्त गतिविधि है, अत : निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह देश में बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक जब्त किए गए स्वापक औषधों की मात्रा राज्य–वार विवरण I, II, III और IV पर दी गई है।

(ग) यथोचित जांच–पड़ताल कर लेने के बाद अन्तर्ग्रस्त पाए गए सभी व्यक्तियों पर एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जायेगा।

(घ) नशीले पदार्थों से सम्बद्ध अपराधों की जांच करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारी दोनों स्तर की सभी प्रवर्त्तन एजेंसियां स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से मिल जुलकर कार्य कर रही हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आयोजित समन्वय बैठक के माध्यम से एजेंसियों के बीच सूचना का आदान–प्रदान नियमित रूप से किया जाता है। नशीले पदार्थों से सम्बद्ध अपराधों पर सूचना के आदान–प्रदान तथा सहयोग के लिए, सरकार ने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं। पड़ोसी देशों की प्रवर्त्तन एजेंसियों के साथ भी नियमित रूप से सम्पर्क रखा जाता है।

भारत, अफीम का मात्र वैध उत्पादक है, अतः अवैध अपवर्तन को रोकने के लिए इसके उत्पादन पर सख्त नियंत्रण रखा गया है।

विवरण-I

वर्ष 1991 के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा

(मात्रा किलोग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन
1. आंध्र प्रदेश	–	–	4641	–	
2. अरूणाचल प्रदेश	–	–	36	–	–
3. असम	–	8	5238	10	–
4. बिहार	1	3	4329	1102	–
5. गोवा	–	1	1	6	
6. गुजरात	1	2	26	36	–
7. हरियाणा	127	4	1	33	
8. हिमाचल प्रदेश	2	–	–	–	
9. जम्मू और कश्मीर	6	11	–	13	–
10. कर्नाटक			4	–	
11. केरल	–	14	150	–	–
12. मध्य प्रदेश	511	25	36	1	–
13. महाराष्ट्र	506	320	6756	1564	4403
14. मणिपुर	–	3	8493	–	–
15. मेघालय	–	–	4	–	–
16. मिजोरम	–	4	144	–	–
17. नागालैंड	–	2	5026	–	–
18. उड़ीसा	–	–	–	1	–
19. पंजाब	137	1	28	3	–
20. राजस्थान	528	60	418	825	–
21. सिक्किम	–	–	–	–	–
22. तमिलनाडु	1	66	11619	–	–
23. त्रिपुरा	–	–	5	–	–
24. उत्तर प्रदेश	71	10	957	187	–
25. पश्चिम बंगाल	6	24	4592	11	12
26. दिल्ली	248	64	123	621	–
27. दमन और दीव	–	–	–	–	
28. पांडिचेरी	–	–	–	–	
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	6	–	
30. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
31. दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–
32. चंडीगढ़	–	–	–	–	
	2145	622	52633	4413	4415

विवरण-II

वर्ष 1992 के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा

(मात्रा किलोग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन
1. आंध्र प्रदेश	–	–	1199	–	–
2. अरूणाचल प्रदेश	3	–	4	–	
3. असम	1	6	3011	–	–
4. बिहार	–	5	11160	3365	–
5. गोवा	–	1	3	14	–
6. गुजरात	–	–	107	269	–
7. हरियाणा	–	1	–	55	
8. हिमाचल प्रदेश	105	–	–	47	–
9. जम्मू और कश्मीर	1	4	–	116	–
10. कर्नाटक	–	–	180	–	–
11. केरल	–	–	227	–	–
12. मध्य प्रदेश	172	3	115	10	–
13. महाराष्ट्र	68	848	11200	1517	7108
14. मणिपुर	–	8	4522	–	–
15. मेघालय	–	1	840	–	–
16. मिजोरम	8	6	274	–	–
17. नागालैंड	2	5	8455	–	–
18. उड़ीसा	–	–	6	–	–
19. पंजाब	134	45	14	9	–
20. राजस्थान	400	46	67	390	
21. सिक्किम	–	–	–	–	–
22. तमिलनाडु	691	37	15360	7	–
23. त्रिपुरा	–	1	1	695	
24. उत्तर प्रदेश	215	52	6840	10	74
25. पश्चिम बंगाल	2	34	460	93	–
26. दिल्ली	81	25	251	–	293
27. दमन और दीव	–	–	–	–	–
28. पांडिचेरी	–	–	10	–	–
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	16	–	–
30. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
31. दादर और नागर हवेली	–	–	–	–	–
32. चंडीगढ़	35	25	19	24	–
	1918	1153	64341	6621	7475

विवरण-III

वर्ष 1993 के दौरान राज्यवार जब्त किए गए स्वापक औषधों की मात्रा

(मात्रा किलोग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	3613	–	–
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	4	–	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	3	–	2458	–	–
4.	असम	1	4	5193	–	–
5.	बिहार	–	4	19278	684	37
6.	चंडीगढ़	103	13	–	14	–
7.	दादर और नागर हवेली	–	–	–	–	–
8.	दमन और दीव	–	–	–	–	–
9.	दिल्ली	435	139	189	1016	203
10.	गोवा	–	2	32	15	–
11.	गुजरात	29	1	165	95	–
12.	हरियाणा	187	–	–	108	
13.	हिमाचल प्रदेश	12	–	–	75	–
14.	जम्मू और काश्मीर	4	13	1	11	–
15.	कर्नाटक	6	6	3615	–	2331
16.	केरल	–	1	86	2	–
17.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	
18.	मध्यप्रदेश	373	22	1372	22	11
19.	महाराष्ट्र	81	150	7937	3862	11442
20.	मणिपुर	–	4	24620	–	–
21.	मेघालय	50	3	4261	13	–
22.	मिजोरम	3	7	272	–	–
23.	नागालैंड	–	5	11266	2	–
24.	उड़ीसा	4	1	339	–	–
25.	पांडिचेरी	–	–	1	–	–
26.	पंजाब	475	18	–	78	–
27.	राजस्थान	775	141	1151	1538	–
28.	सिक्किम	–	–	–	–	–
29.	तमिलनाडु	329	110	3684	1	291
30.	त्रिपुरा	–	4	32	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	139	50	3616	699	689
32.	पश्चिम बंगाल	2	11	5653	3	–
		3011	709	98838	8238	15004

विवरण-IV

वर्ष 1994 के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा (नवंबर तक)

(मात्रा किलोग्राम में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन
1. आंध्र प्रदेश	–	–	30556	–	–
2. अरूणाचल प्रदेश	3	–	3057	–	–
3. असम	3	5	10460	–	
4. बिहार	–	10	6782	547	–
5. गोवा	–	–	16	8	–
6. गुजरात	47	35	66	1901	7292
7. हरियाणा	147	–	2	292	394
8. हिमाचल प्रदेश	5	–	7	70	–
9. जम्मू और कश्मीर	–	30	–	11	–
10. कर्नाटक	–	–	2681	–	–
11. केरल	–	–	91	–	–
12. मध्य प्रदेश	–	20	3911	14	940
13. महाराष्ट्र	574	181	8293	122	10492
14. मणिपुर	30	8	23541	–	–
15. मेघालय	–	2	423	–	–
16. मिजोरम	–	9	502	–	–
17. नागालैंड	–	–	–	–	–
18. उड़ीसा	–	–	2147	–	–
19. पंजाब	313	25	–	7	–
20. राजस्थान	510	352	220	2431	17
21. सिक्किम	–	–	–	–	–
22. तमिलनाडु	52	15	38113	–	37
23. त्रिपुरा	–	–	62	–	–
24. उत्तर प्रदेश	189	14	2091	420	9354
25. पश्चिम बंगाल	30	–	1312	12	–
26. दिल्ली	18	77	4	247	–
27. दमन और दीव	–	–	–	–	–
28. पांडिचेरी	–	–	–	–	–
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	31	–	–
30. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
31. दादर और नागर हवेली	–	–	–	–	–
32. चंडीगढ़	16	–	–	2	–
	1937	783	134368	6084	28706

[हिन्दी]

बुनकरों के लिए कल्याण योजनाऐं

***150. श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए कुछ नई योजनाओं को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना व्यय किया जायेगा; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इन योजनाओं का विवरण और इनके अंतर्गत 1993–94 से 1995–96 के तीन वर्षों के दौरान होने वाले व्यय का विवरण इस प्रकार है :

1. 3.27 लाख करघाहीन बुनकरों को 4000 रु. की दर से सब्सिडी देकर शामिल करना जिसमें करघों कार्यशाला और आई. आर. डी. पी. के अंतर्गत सूती धागे के लिए 8000 रुपये और रेशमी धागे के लिए 14,000 रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए कुल आवश्यकता। 130.00 करोड़ रुपये और ऋण घटक के लिए 392.40 करोड़ रुपये आंकी गई है और इस प्रकार कुल व्यय 523.20 करोड़ रुपये होगा।
2. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 11,000 रुपये प्रति इकाई की दर से 1.20 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों को आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत कुल व्यय 132 करोड़ रुपये होगा।
3. ट्राइसम के अंतर्गत एक लाख हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए 9.85 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।
4. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1000 सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाऐंगे। प्रत्येक केन्द्र में 2.50 लाख रुपये व्यय होगा इस प्रकार कुल व्यय 25 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 10.20 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में होगी और शेष 14.00 करोड़ रुपये की राशि राज्य/प्राथमिक समितियों द्वारा वहन की जाएगी।

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अलग से राशि निर्धारित नहीं की गई है। हथकरघा बुनकरों की कवरेज के लिए व्यय आई. डी. पी, ट्राइसम और जे. आर. वाई. के अंतर्गत डी. आर. डी. ए./जिला परिषद को उपलब्ध राशि में से ही किया जायेगा।

बचत और पूंजी निवेश

***151. श्री राम टहल चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की गई परिवार–बचत और सकल घरेलू बचत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की बचतों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा दिए गए नए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बचत में कमी होने के परिणामस्वरूप उत्पादक परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश में कितनी कमी आई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बचत और पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था के उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर बचत और सकल सावधि पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) तथा सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जी.डी.सी.एफ.) में प्रवृत्तियों को नीचे दिया गया है :

चालू कीमतों के आंकड़े करोड़ रुपए में

	1990–91	1991–92	1992–93
सकल घरेलू बचतें जिनमें :	127535	142479	157186
घरेलू क्षेत्र	108219	115524	122718
सकल घरेलू पूंजी निर्माण जिनमें :	145731	148715	172908
सकल सावधि पूंजी निर्माण	121062	135260	150241

1992–93 के दौरान, सकल घरेलू बचतों में 14707 करोड़ रुपंए की वृद्धि की तुलना में सकल सावधि पूंजी निर्माण और सकल घरेलू पूंजी निर्माण ने क्रमशः 14981 करोड़ रुपए और 24193 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई है। बचतों पर भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े सकल बचतों की प्रवृत्तियों में वसूली को दर्शाते हैं। सकल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू बचतों द्वारा मापित सकल घरेलू बचतें बाजार मूल्यों पर 1990–91 में 23.7 प्रतिशत से बढकर 1993–94 में 24.2 प्रतिशत हो गई। सकल बचतों और निवेश की वृद्धि के लिए मानदंडों में सुधार किया जाना आवश्यक है जिससे अर्थव्यवस्था में बचतों और निवेश का वहन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर–नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिग प्रणाली की कार्यक्षमता और पूंजी बाजार तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण विश्वास इसमें शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में सकल बचतों और निवेश दोनों पर अब तक किए गए विभिन्न आर्थिक सुधार के उपायों का अनुकूल प्रभाव होने की संभावना है।

[अनुवाद]

यूरो इश्यूज

***152. डा. एस.पी. यादव :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरो इश्यूज के माध्यम से धनराशि जुटाने की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कितनी कंपनियों ने आवदेन किये हैं और अब तक कितनी कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) सभी कंपनियों को इसकी अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूरो इश्यूज के लिए कुछ कंपनियों को दी गई अनुमति की अवधि समाप्त हो गई है और क्या कुछ कंपनियां इससे मुकर गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 184 यूरो–इश्यू प्रस्तावों के संबंद्ध कुल 173 कंपनियों ने भारत सरकार से स्वीकृति मांगी है। इनमें से अब तक 86 प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर उन पर अन्तिम स्वीकृति दी जा चुकी है (जिनमें से 10 प्रस्ताव व्ययगत हो गए हैं) जबकि अन्य 35 प्रस्तावों पर स्वीकृति सिद्धांत रूप में प्रदान कर दी गई है (जिनमें से 9 स्वीकृतियां व्ययगत हो गई हैं और 2 प्रस्तावों को वापस ले लिया गया है)।

(ख) यूरो–इश्युओं के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कंपनियां केवल तभी पात्र हैं जब उनके अच्छे कार्य–निष्पादन का वृत्त लक्ष्य कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक अनुकूल रहा हो; साथ ही यूरो–इश्युओं के मार्फत जिन संसाधनों को जुटाया गया है, उनका उद्देश्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वर्णित अन्तिम प्रयोग मानदंड के अनुरूप हो। जो कंपनियां पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती, अथवा अन्तिम प्रयोग शर्तों से मेल नहीं खाती तो उन्हें यूरो–इश्युओं को जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) से (ङ). यूरो–इश्युओं के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत भारत सरकार की स्वीकृतियों के संबंध में विशिष्ट वैधता अवधि का उल्लेख करती हैं। प्रदत्त स्वीकृतियों को यदि निर्धारित समयावधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है और उसके बाद जब तक भारत सरकार द्वारा उन्हें पुनः वैधता प्रदान नहीं की जाती तो वे व्यवपगत हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों की अवधारणा और भारतीय इक्विटी में अभिरूचि कई परिवर्तनों का एक कार्य है जिसमें बाह्य कारकों यथा संयुक्त राज्य अमरीका की ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव तथा अन्य उभरती बाजार इक्विटियों का आर्कषण शामिल है। यूरो–बाजार में प्रवेश करने वाली भारतीय कंपनियों की संख्या में कमी से बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियों के लिए सुधारात्मक अनुक्रिया मिलने की संभावना है।

रूई की जमाखोरी

***153. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में रूई की जमाखोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में रूई की जमाखोरी की गई है; और

(ग) सरकार ने इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और रूई के जमाखोरों के विरूद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, कपास नियंत्रण आदेश के अंतर्गत गिनिंग फैक्ट्री कॉटन प्रैसिंग फैक्ट्री तथा व्यापारियों पर कपास का स्टाक रखने के लिए स्टाक की सीमाओं को दुबारा लागू किया गया है। जमाखोरी रोकने के लिए कृषकों को छोड़करके मिलों, निगमों आदि पर पहले से ही सीमा संबंधी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कपास को भारतीय रिर्जव बैंक द्वार चुनिंदा ऋण नियंत्रण के अंतर्गत भी लाया गया है।

फर्जी बीमा के मामले

***154. श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में फर्जी बीमा के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) ऐसे मामलों का पता लगाने की कार्यविधि क्या है; और

(घ) इस प्रकार के फर्जी बीमा के मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि फर्जी बीमा के सम्बंध में कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). आन्तरिक और बाह्य लेखापरीक्षा तथा खातों की नियमित जांच–पड़ताल द्वारा निरोधक उपाय आरंभ किए गए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की फालतू भूमि

***155. श्री शरद दिघे :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का विचार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के अंतर्गत गठित वित्तीय संस्थाओं के संघ को अपनी फालतू भूमि बेचने का है;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार बेचे जाने वाले भू–भागों के नाम तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी कीमत निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार जुटाई गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए करेगी;

(घ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्तीय संस्थाओं के संघ ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम से खरीदी जाने वाली भूमि के उपयोग की योजना के संबंध में कोई संकेत दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च). वस्त्र अनुसंधान संघो ने एन. टी. सी. मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 2005.72 करोड़ रु. के निवेश वाली योजनाएं बनाई हैं। आधुनिकीकरण योजनाओं में 36 गैर अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना शामिल है। श्रम मंत्रालय की एन. टी. सी. विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति के अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि एन. टी. सी. की मिलों के साथ–साथ उसकी अधिग्रहित मिलों को वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा यथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है तथा एन. टी. सी. मिलों की फालतू भूमि तथा अन्य परिसंपतियों को बेचा जा सकता है तथा प्रबंधकों द्वारा उससे प्राप्त होने वाली आय को आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सिद्धांत रूप से भारत के विभिन्न शहरों में एन.टी.सी. के स्वामित्वाधीन फालतू भूमि को खरीदने के प्रति सहमति प्रकट की है। तथापि, भूमि के विशेष फंड को बेचने/खरीदने के संबंध में एन. टी. सी./यू. टी. आई. द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त पोषण के स्रोत आदि सहित आधुनिकीकरण योजनाओं के विभिन्न ब्यौरों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं इसलिए किसी भी प्रकार की जो अंतिम योजना बनेगी उसके लिए बी. आई एफ आर का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

बैंको का सेवा प्रभार

***156. श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंको ने अपने सेवा प्रभारों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वृद्धि से बैंको को कितनी आय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को सेवा प्रभारों में वृद्धि के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने 16 सितम्बर, 1994 को अपने सभी सदस्य बैंकों को सेवा प्रभारों की बेचमार्क अनुसूची परिचालित की थी जिसके आधार पर अलग–अलग बैंकों ने विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के लिए अपने स्वयं के सेवा प्रभारों को संशोधित किया है। भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित किए गए बेचमार्क सांकेतिक बैंक सेवा प्रभार, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सेवा प्रभारों को सेवाएं देने में आई लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में बैंकों द्वारा वसूल किया जाता है। संशोधित सेवा प्रभार भी सेवाओं की लागत को पूर्णतः पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार, इससे कोई अधिशेष आय होने की आशा नहीं है।

(घ) और (ङ). सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक की सेवा प्रभारों में बढ़ोतरी के विरोध में चैम्बर आफ कॉमर्स ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री, अलग अलग व्यक्तियों आदि से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें भारतीय बैंक संघ को भेज दिया गया है।

विवरण

बैंक सेवा प्रभार के बैंचमार्क सूचक

सेवाएं संग्रहण बाहरी चैक	बेंचमार्क दर
500/–रुपये तक	5/–रुपये
500/–रुपये से अधिक –1000/–रुपये तक	10/–रुपये
1000/–रुपये से अधिक–5000/–रुपये तक	20/–रुपये
5000/–रुपये से अधिक–10000/–रुपये तक	30/–रुपये
10000/–रुपये से अधिक –1 लाख रुपये तक	प्रत्येक 1000/–रुपये अथवा उसके भाग पर 3 रुपये
1 लाख रुपये से अधिक –10 लाख रुपये तक	2.50/–रुपये प्रति हजार न्यूनतम 300/–रुपये

बिल	
1000/–रुपये तक	15/–रुपये
1000/–रुपये से अधिक–5000/–रुपये तक	30/–रुपये
5000/–रुपये से अधिक–10000/–रुपये तक	50/–रुपये
10,000/–रुपये से अधिक–1लाख रुपये तक	प्रति 1000/–रुपये अथवा उसके भाग पर 5/–रुपये
1 लाख रुपये से अधिक–10 लाख रुपये तक	प्रति 1000/–रुपये अथवा उसके भाग पर 4.50/–रुपये न्यूनतम 500/–रुपये
प्रेषणाएं	
मांग ड्राफ्ट/डाक/तार अंतरण	
500/–रुपये तक	5/–रुपये
500/–रुपये से अधिक–1000/–रुपये तक	10/–रुपये
1000/–रुपये से अधिक–5000/–रुपये तक	15/–रुपये
5000/–रुपये से अधिक–10000/–रुपये तक	20/–रुपये
10000/–रुपये से अधिक–1 लाख रुपये तक	प्रति 1000/–रुपये पर 2/–रु.
1 लाख रुपये से अधिक –10 लाख रुपये तक	प्रति 1000/–रुपये पर 1.50/–रुपये न्यूनतम 200/–रुपये
नकदी के बदले प्रेषण के लिए	बैंक अपने विवेक से अतिरिक्त प्रभार लगा सकते हैं।
ड्राफ्ट की दूसरी प्रति	20/–रुपये
ड्राफ्ट को फिर से वैध बनाने के लिए	10/–रुपये
बैंकर्स चैक/अदायगी आदेश	
500/–रुपए तक	5/–रुपए
500/–रुपए से अधिक–1000/–रुपए तक	10/–रुपए
1000/–रुपए से अधिक–5000/–रुपए तक	15/–रुपए
5000/–रुपए से अधिक–10,000/–रुपए तक	20/–रुपए
10,000/–से अधिक –1 लाख रुपए तक	प्रति 1000/–रुपए या उसके भाग पर 1/– न्यूनतम 20/–रुपए
1 लाख रुपए से अधिक–10 लाख रुपए तक	प्रति 1000/–रुपए या उसके भाग पर 50 पैसे न्यूनतम 100/–रुपए
खाता–बही पन्ना प्रभार	40/–रुपए प्रति लेजर पेज
चालू/नगद ऋण खाते	
औसत ऋण शेष	प्रति वर्ष लेजर पेजों की मुफ्त देने की अनुमति दी गई
25000/–रुपए तक	शून्य
25000/–रुपए से अधिक–50000/–रुपए तक	3
50000/–रुपए से अधिक–1 लाख रुपए तक	5
1 लाख रुपए से अधिक –2 लाख रुपए तक	10
2 लाख रुपए से अधिक	कोई प्रभार नहीं

कम्प्यूटर पर खाते बनाने के लिए 40 प्रविष्टियों अथवा उसके भाग [illegible] एक लेजर पेज माना जाएगा।

अग्रिम प्रस्तावों पर कार्रवाई	
25000/–रुपए तक	शून्य
25000/–रुपए से अधिक–2 लाख रुपए तक	100/–रुपए
2 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक	प्रति 1 लाख रुपए या उसके भाग पर 100/– रुपए

गैर–निधि अग्रिमों (सिवाय आस्थगित भुगतान गारंटियों के) और जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, यूटीआई, म्यूचुअल फण्ड, यूनिटस, एनएससीएस, के.वी.पी.एस., आई.वी.पी.एस. के बदले अग्रिमों के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाता है। प्रभार मंजूर राशि पर लगाया जाता है। आईआरडीबी को छोड़कर कृषि अग्रिमों के मामले में, कुल परिव्यय/परियोजना की कुल लागत के 0.50 प्रतिशत के दर पर मूल्यांकन शुल्क/संसाधन प्रभार केवल एक बार वसूला जाए।

गारंटियां	
कार्यनिष्पादन गारंटी	100/–रुपए+2प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसका भाग
कार्य–निष्पादन गारंटी के अलावा	100/–रुपए + 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसका भाग
अदत्त लौटाए गए चैकों/बिलों के लिए	
हैण्डलिंग प्रभार	
स्थानीय चैक	10/–रुपए प्रतिलिखित
बाहरी चैक	न्यूनतम 15/–रुपए प्रति के अधीन संग्रहण प्रभारों का 50 प्रतिशत
स्थानीय और बाहरी बिल	उपर्युक्त की भांति
परिपक्वता पर जमा आवर्तियों का संग्रहण	संग्रहकर्ता बैंक प्रेषणों पर लागू प्रभार के अनुसार प्रभार लगाएगा। स्थानीय संग्रहण के मामले में, बैंकर्स चैकों पर लागू प्रभार लगाया जाएगा।
डाक द्वारा और दूर संचार प्रशुल्क	वास्तविक प्रभार लिया जाता है। साधारण डाक मुफ्त
स्थाई अनुदेश	प्रति लेनदेन 5/–रुपए जिसमें एक ही शाखा में अन्य खाते में जमा अंतर्ग्रस्त है। यदि सौदा अप–केन्द्री केन्द्र का है तो प्रेषण प्रभार निर्धारित दर पर और वास्तविक डाक खर्च अलग से वसूल किया जाएगा। प्रभार उस खाते से लिए जाते हैं जिसमें से धनराशि स्थांतरित हुई है।
सुरक्षित अभिरता प्रसार स्क्रिप	
	प्रति स्क्रिप पत्र 1/– रुपए न्यूनतम 10/–रुपए प्रति वर्ष अथवा उसका भाग
मुहरबंद कवर *प्रर्ति	20/–. रूपए*कवर प्रतिवर्ष अथवा उसका भाग
मुहरबंद बक्से	बैंकों के विवेक पर
बैंक की अपनी जमा आवर्तियां	कोई प्रभार नहीं
भुगतान रोको अनुदेश (सभी प्रकार के खाते)	
डुप्लीकेट स्टेटमैट पास बुक	अद्यतन शेष के साथ 10/–रुपए प्रति पासबुक पिछली लिखतों (यदि अपेक्षित है) के लिए प्रभार, प्रति लेजर पेज अथवा उसके लाभ पर 10/–रुपए की दर से

कम्प्यूटरों पर रखे गए खातों के लिए 40 प्रविष्टियां अथवा उसके भाग को एक पेज माना जाएगा।

मांग जमा रसीद	25/–रुपए
एम.आई.सी.आर. चैक	एम.आई.सी.आर. चैक बुक के जारी होने के समय 1/– रुपए प्रति चैक पन्ना तथापि, अलग–अलग व्यक्तियों के बचत खाते के लिए एक कलेण्डर वर्ष में प्रति 20 पन्नों की तीन चैक बुक मुफ्त होगी।

टिप्पणी :

1. **ग्रामीण शाखाओं के लिए छूट**
   ग्रामीण शाखाओं में ग्राहकों के लिए सेवा प्रभार सामान्य दर से 20 प्रतिशत कम हो सकता है।
2. **उच्च राशि लेनदेन के लिए छूट**
   सेवा प्रभारों के लिए बेंचमार्क अग्रिमों के लिए आवेदनों की प्रक्रिया के संबंध में 1 करोड़ रु. तक पर लागू हो सकता है और अन्य मामलों में 10 लाख रुपए तक। इन राशियों के अलावा, बैंक जो उपयुक्त हो, सेवा प्रभार लगा सकते हैं जो क्रमशः 1 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए पर बेंचमार्क दर से कम नहीं होना चाहिए।
3. **कम्प्यूटरीकृत/उच्च लागत शाखाओं के लिए विशेष दर**
   कम्प्यूटरीकृत/उच्च लागत शाखाओं पर बैंक अपने विवेक से उच्च सेवा प्रभार ले सकते हैं।
4. **कम्प्यूटरीकृत शाखाओं पर कारबार घण्टों का बढ़ाया जाना**
   कम्प्यूटरीकृत शाखाओं पर, ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में, कारबार घण्टों को एक घण्टे बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

***157. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका हमारे स्वदेशी उद्योग पर क्या प्रभाव पडेगा;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पर लगे नियंत्रण को समाप्त करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त समिति की सिफारिशें मिल गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? .

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). आयात और निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सार्वजनिक हित में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। इस समय उपभोक्ता वस्तुओं, जो अन्य बातों के साथ भुगतान संतुलन संबंधी पहलुओं के कारण प्रतिबंधित है, के आयात का उदारीकरण करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

कारों का निर्यात

***158. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान कारों के निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों में किन–किन कंपनियों की कारों की मांग है;

(ग) चालू वर्ष में उन कारों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ). सरकार कारों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। चालू वर्ष के दौरान, कारों सहित इंजीनियरी माल के निर्यात में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि–दर का अनुमान लगाया गया है।

इंजीनियरी निर्वाह संवर्धन परिषद (ई ई पी सी) के अनुसार भारत से जिन कुछ देशों को कारों का निर्यात किया जा रहा है, वे हैः अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, मिस्र, यूनान, जर्मनी, और नेपाल।

सम्पूर्ण वाहनों (कारों और दुपहियों–तिपहियों सहित) के निर्यात के लिए, वर्ष 1994–95 का लक्ष्य 925 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

अप्रैल सितम्बर, 1994 के दौरान सम्पूर्ण वाहनों (कारों और दुपहियों,तिपहियों सहित) के निर्यात की स्कीम 410 करोड़ रुपये (अन्तिम) की थी। निर्यात की गई कारों की संख्या 4828 थी जिनका मूल्य लगभग 82 करोड़ रुपए था।

श्रम कानून

***159. श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई औद्योगिक नीति को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या इन प्रस्तावों में कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं को समाप्त करने का मामला अंतर्ग्रस्त है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च). विद्यमान श्रम कानूनों की विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मंचों, जिनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, में सतत् समीक्षा की जाती है। ये निकाय नियोजक संगठनों, कर्मकार संगठनों और राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हैं। इन निकायों की सिफारिशों के आधार पर, जब कभी भी और जहां कही भी आवश्यक समझा जाता है, विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन किए जाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना को समाप्त करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

***160. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
डा. वसंत पवार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्याज सहित कृषि उत्पादों की कीमतों में घरेलू बाजार में हुई वृद्धि को देखते हुए इनके निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उत्पादों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध को कब तक हटा लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिनकी घरेलू कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). जो कृषिजन्य वस्तुएं एग्जिम नीति (संशोधित मार्च, 1994) के अनुच्छेद–16 के अनुसार निषिद्ध प्रतिबन्धित अथवा सरीणीवृत हैं उनको छोड़कर शेष सभी कृषिजन्य वस्तुओं के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। इसके अलावा कतिपय अन्य मदों का निर्यात बशर्ते कि दिनांक 31.03.1993 की सार्वजनिक सूचना संख्या 15 में सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार किया जा सकता है। वह सार्वजनिक सूचना प्रक्रिया सम्बन्धी पुस्तिका (संशोधित मार्च 1994) के परिशिष्ट *III (1) में प्रकाशित हुई है।

सरकार की वह नीति है कि आम उपभोग की मदों के निर्यात की अनुमति इस प्रकार से दी जाए कि इससे खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रभावित न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सरकार दालों, अनाजों, तिलहन, दूध, दुग्ध–उत्पाद तथा चीनी जैसी मदो पर लाइसेन्सिंग मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा और न्यूनतम निर्यात कीमत जैसे प्रतिबंध लगाती है। साथ ही, सरकार का उद्देश्य किसानों के लाभ के लिए कृषिजन्य क्षेत्र से विदेशी मुद्रा अर्जन को अधिक से अधिक बढ़ाना है।

[अनुवाद]

कपास एकाधिकार खरीद योजना

1438. श्री राम नाईक : क्या **वस्त्र मंत्री** 29 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 993 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में "कपास एकाधिकार खरीद योजना" को अगले दस वर्षों के लिए आगे बढ़ाने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) महाराष्ट्र कपास एकाधिकार खरीद योजना को बढ़ाना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

1439. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कितने उद्यमियो को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया गया तथा इसका जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिला औद्योगिक केन्द्रों ऋण हेतु सिफारिश किए गए कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को अब तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में जिला–वार ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता

1440. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने किसान लाभन्वित हुए हैं;

(ग) ऋण की कितनी राशि की वसूली की गई; और

(घ) नाबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बैंकों की प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि विवरण I में दर्शाई गई है। उक्त अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या से संबधित सूचना उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वापस की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि क्रमशः 1991–92 में 48.43 करोड़ रुपए, 1992–93 में 49.37 करोड़ रुपए और 1993–94 में 54.65 करोड़ रुपए थी।

(घ) चालू वर्ष के लिए मध्य प्रदेश राज्य में योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए आबंटित किए गए पुनर्वित्त की राशि विवरण II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत बैंकों को नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त की उद्देश्य -वार राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

उद्देश्य	वर्ष 1991–92	1992–93	1993–94
लघु सिंचाई	4582	3323	2105
भूमि विकास	1	3	–
कृषि यंत्रीकरण	4020	4781	5293
वृक्षारोपन बागवानी	43	30	15
मुर्गीपालन/भेड़/सुअर पालन	212	111	71
मछलीपालन	2	3	7
डेरी विकास	53	39	107
गोदाम भंडारण और बाजार स्थान	–	51	104
वानिकी	147	844	408
गोबर गैस संयंत्र	18	22	11
गैर–कृषि क्षेत्र	117	284	332
अन्य	101	67	2
आईआरडीपी	6571	5767	5346
	15867	15325	13801

विवरण-II

वर्ष 1994-95 के वर्ष के लिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

उद्देश्य	आवंटित राशि
लघु सिंचाई	3525
आर ई सी/एस पी ए	150
भूमि विकास	10
कृषि यंत्रीकरण	5079
वृक्षारोपण/बागवानी	60
डेरी विकास	147
मछली पालन	29
गोदाम भंडारण/बाजार स्थान	250
वानिकी	30
बायो–गैस	30
मुर्गीपालन कृषि	109
भेड़/बकरी/सुअर पालन	2
आईआरडीपी	4353
गैर–कृषि क्षेत्र	615
अन्य	75
योग	15034

[अनुवाद]

"यूरो" निर्गमों के माध्यम से धनराशि जुटाना

1441. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि गैर–सरकारी क्षेत्र "यूरो" निर्गमों द्वारा जुटाई गई धनराशि को शेयर बाजार में लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशों में धनराशि जुटाने वाली सभी कंपनियों से उनके द्वारा जुटाई गयी धनराशि के निवेश का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा यूरो इशुओं के माध्यम से निधियां जुटाने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों से लेखा–परीक्षकों द्वारा विधिवत जांचे गए तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है जिनमें अन्तरिम उपयोग सहित अनुमोदित अन्ततोगत्वा प्रयोगों पर धनराशि के उपयोग का तरीका बताया गया हो। अन्ततोगत्वा प्रयोगों, जिनके लिए निधियां

जुटाई जाती हैं, के लिए इशू से हुई आय का वास्तविक उपयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है जिसमें इसके परिणामस्वरूप निधियों को बीच की अवधि में अस्थायी तौर पर अन्य परिसम्पत्तियों में लगाने की आवश्यकता होती है। अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनियों से उनके द्वारा जुटाई गई निधियों को अनिवार्यतया विदेश में रखने की अपेक्षा की गई है जिसे देश में तभी प्रत्यावर्तित किया जाएगा जब अनुमोदित अन्ततोगत्वा प्रयोगों के लिए व्यय उपगत किया जाए। सितम्बर/अक्तूबर, 1994 मे निर्गमकर्ता कंपनियों द्वारा सरकार को दी गई सूचना के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि यूरो–इशू से हुई आय का अधिकांश अन्तरिम उपयोग भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्डों, इन्टर–कार्पोरेट जमा–राशियों में किया गया है।

काष्ठ और काष्ठ उत्पादों का निर्यात

1442. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष काष्ठ और काष्ठ उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काष्ठ हस्तशिल्पों सहित लकड़ी तथा लकड़ी उत्पादों का मूल्य रूप में कुल निर्यात निम्नलिखित हैं

(करोड़ रुपये में)

1991–92	1992–93	1993–94 (अनुमानित)
100.73	124.15	284.15

स्रोत : रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता

(ख) सरकार, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद लकड़ी तथा लकड़ी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, लगातार अनेक उपाय करती रही है। इनमें सरकार के आर्थिक उदारीकरण उपायों के अलावा, शामिल है: विदेशों को बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना, प्रचार अभियान विदेश में होने वाले मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराना आदि।

[हिन्दी]

सॉफ्ट ड्रिन्क के निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन

1443. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पेय–पेदार्थ निर्माताओं द्वारा कर अपवंचन के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों के बही–खातों की समय–समय पर जांच करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नीदरलैंड के साथ पूंजी निवेश सुरक्षा संधि

1445. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नीदरलैंड ने पूंजी निवेश सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है;

(घ) दोनों देशों को इससे कितना लाभ होगा;

(ङ) क्या सरकार ने किन्हीं अन्य देशों के साथ ऐसे कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). नीदरलैण्ड्स के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता आरम्भ हो चुकी है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाती, प्रस्तावित करार अथवा उसके साथ जुड़े अन्य मामलों की मुख्य विशेषताओं के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(ङ) यूनाइटैड किंगडम के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) यूनाइटेड किंगडम के साथ किए गए करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

– दोनों में से किसी भी देश के निदेशों को दूसरे देश में संरक्षण दिया जाएगा;

– दोनों में से किसी भी देश द्वारा निवेशों और निवेशकों दोनों के संबंध में दूसरे देश के साथ सर्वाधिक प्रिय देश का व्यवहार किया जाएगा;

– दोनों में से किसी भी देश द्वारा निवेशों के संबंध में दूसरे देश के साथ राष्ट्रीय व्यवहार किया जाएगा;

– अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए निवेश संबंधी विवाद के निपटान का प्रावधान है;

– स्वामित्वहरण राष्ट्रीयकरण हो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है;

– यह करार एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को करार–समाप्ति का लिखित नोटिस दिए जाने के एक वर्ष बाद तक लागू रहेगा;

बैंक में धोखाधड़ी/डकैतियां

1446 श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री खेलन राम जांगडे

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 में अब तक राज्य–वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी/लूट/डकैतियों के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उन मामलों में कितने व्यक्ति दोषी ठहराए गए;

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) बैंक डकैतियों के दौरान घायल हुए अथवा मारे गए बैंक कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क)से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्तु व्यापार वायदा

1447. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय वस्तु वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आई.टी.सी.एग्रो को किस आधार पर मुंबई में देश के प्रथम कामौडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज को लगाने की अनुमति प्रदान की है;

(ग) इस एक्सचेंज के क्या कार्य हैं तथा सरकार इस पर किस तरह नियंत्रण रखती है;

(घ) क्या सरकार को अब तक काबरा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य–मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय वस्तु वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, इसके साथ देश में अरंडी के बीज, काली मिर्च, हल्दी, गुड़, हैसियन (हेंसियन) और आलुओं के व्यापार की अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग). सरकार ने आई टी सी एग्रों को बम्बई में एक वस्तु वायदा केन्द्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है।

(घ) से (च). काबरा समिति जिसकी नियुक्ति जून, 1993 में नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य और लोक वितरण द्वारा वायदा बाजारों की समीक्षा करने और वायदा व्यापार के कार्य कलापों को प्रभावी रूप से नियमित करने के लिए वायदा बाजार आयोग की भूमिका के निर्धारण करने हेतु की गई थी, इस समिति ने सितम्बर, 1994 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। काबरा समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को शेयर आवंटन

1448. श्री गोविन्दराव निकम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय उन उपक्रमों जो कि शत–प्रतिशत है सरकार के स्वामित्व में है, को वार्षिक आम सभा असाधारण आम सभा में अनुमोदन के पश्चात् अपने कर्मचारियों को शेयर आबंटित करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को शेयर आवंटन के मामले में मानदण्डों को संशोधित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है जिसके द्वारा असूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को नए शेयर जारी करने में सक्षम हों। तथापि, कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित संकल्पों को पारित करके ऐसे कुछ उपक्रमों ने कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव किया है। ये विषय सरकार के जांच अधीन हैं।

आयात-निर्यात नीतियों में परिवर्तन

1449. डा. जयन्त रंगपी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक सिट्रोनेला तेल के कुछ रासायनिक स्थानापन्नों के संबंध में आयात–निर्यात नीति में परिवर्तन करने का है जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों के घास उत्पादकों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). आयात–निर्यात नीति की समीक्षा करते रहना एक सतत् प्रक्रिया है और, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, उसमें समय–समय पर संशोधन किए जाते हैं।

संपत्ति की कुर्की

1450. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई आयकर विभाग ने हाल ही में कतिपय प्रमुख कंपनियों की सम्पत्ति की कुर्की की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयकर विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में विश्व बैंक से वित्तपोषित परियोजनायें

1451. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रही विश्व बैंक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं किस-किस वर्ष में आरंभ हुई थी तथा इनके किस-किस वर्ष में पूरा होने की संभावना है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलनी है और दिसम्बर, 1993 तक दी गई वास्तविक सहायता राशि कितनी है और 1994 में कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है;

(घ) वर्ष 1994 में अब तक परियोजना-वार वास्तव में कितनी सहायता राशि दी गई है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने यह सहायता तब तक बंद करने का निर्णय लिया है जब तक सरकार उनकी कुछ शर्तें नहीं मान लेती है;

(च) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा सहायता राशि को जारी रखने के लिए परियोजना-वार क्या शर्तें रखी है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). बिहार राज्य में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची

(अमरीकी डालर मिलियन में)

परियोजना का नाम		आरंभ होने की तिथि/वर्ष	पूरा होने की तिथि/वर्ष	अनुमानित सहायता/एल एन/सी आर राशि	दिसंबर,93 तक प्राप्त सहायता	94 में अब तक (1/94 से 10/94 तक) प्राप्त सहायता	सहायता प्राप्ति की आशा (1/94 से 3/95 तक
1		2	3	4	5	6	7
1.	बिहार पठार विकास	16.3.93	30.6.98	117.000	6.000	0.806	14.069
2.	झील तथा मछली उत्पादन (बहु राज्यीय)	28.5.92	30.6.99	85.00	4.653	0.754	9.917
3.	जनसंख्या-सात (बहुराज्यीय)	8.3.91	30.6.98	64.000	19.926	14.010	14.358
4.	राष्ट्रीय जल प्रंबधन (बहु राज्यीय)	10.8.87	31.3.95	114.000	81.580	33.875	3.937
5.	तकनीकी शिक्षा (बहु राज्यीय)	5.12.90	30.6.98	211.000	67.336	17.502	27.639
6.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार (बहु राज्यीय)	5.1.88	31.3.95	67.000	51.096	12.825	9.382
7.	राज्य सड़क परियोजना (बहु राज्यीय)	2.3.89	30.6.95	115.000	–	22.630	34.153

मजदूर वर्ग में बैंकिंग की ओर रुझान

1452. श्री अमल दत्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मजदूर वर्गों के मन में बैंकिंग की ओर रुझान उत्पन्न करने की कोई योजना है; और

(ख) कोयला क्षेत्रों, खानों, रेलों, वृक्षारोपण में कार्यरत उन मजदूरों का प्रतिशत कितना है जिनमें बैंकिंग की ओर रुझान हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). इस समय, विशेष रूप से, देश के श्रमिक वर्ग में बैंकिंग सम्बंधी आदतें डालने के लिए नयी योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, बैंकों की कई जमा योजनाएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से, कोयला खान, खानों, रेलवे, बागवानी से सम्बद्ध श्रमिकों में, जिनमें बैंकिंग की आदतें हैं, सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त नहीं होते।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क अपवंचन

1453. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **वित्त मंत्री** 12 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 2859 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे में सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) एकत्र किए गए ब्यौरों के आधार पर, अतारांकित प्रश्न सं. 2859 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की दिनांक 11.11.94 को पूर्ति कर दी गई है। रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

वित्त मंत्रालय **राजस्व विभाग**

प्रश्न सं., तारीख तथा संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी द्वारा दिनांक 12.8.94 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 2859	**उत्पाद शुल्क की चोरी** जिसमें यह पूछा गया था कि : (क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का निर्माण लघु उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एककों द्वारा करवाती हैं और वे स्वयं अपने ब्रांडों का मुहर लगाने (जैसा कि नहाने के साबुन के मामले में किया जाता है) और पैकिंग करने तक की सीमित रहते हैं ताकि वे उत्पाद शुल्क से पूरी तरह बच सकें;	(क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी	(क) एक ऐसोसिएशन ने यह अभिवेदन किया है कि कुछ बड़ी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने साबुनों का निर्माण लघु उद्योग एककों से करवाकर और इसके पश्चात् बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इन पर अपने ब्रान्डों का मुहर लगाकर उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं की जा रही है।	आश्वासन को तीन महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा रहा है।
	(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा की जा रही शुल्क की चोरी के लिए अपनाए गए तरीकों से सरकार का विचार किस तरह निपटने का है; और		(ख) उत्पाद शुल्क निर्मित माल पर लगाया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में, पहले से निर्मित वस्तु पर केवल ट्रेडमार्क का ब्रांडनाम लगाने से यह निर्माण का श्रेणी में नहीं आता है। औषधियों और डिटरजेंट पाऊडरों जैसे कुछेक माल की पैकिंग/पुनः पैकिंग को निर्माण के रूप में मानने के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 का अनुसूची में विशेष उल्लेख किया गया है। परन्तु साबुनों की पैकिंग/पुनः पैकिंग के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।	
	(ग) क्या सरकार का विचार नहाने के साबुनों और प्रसाधन सामग्रियों के पैकिंग को उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रसंस्करण कार्य के एक भाग मानने का है जैसा कि डिटरजेंट/टिकिया के मामले में किया गया है?		(ग) इस सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।	

[अनुवाद]

लकड़ी से बने हस्तशिल्प

1454. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लकड़ी से बने हस्तशिल्प के विकास से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में एक नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से निर्यात हेतु लकड़ी के बने हस्तशिल्प के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होगी तथा डिजाइन, उत्पाद विकास, उन्नत उपकरण तथा विपणन संवर्धन के क्षेत्र में अपने संसाधनों का उपयोग करेगी। परियोजना लागत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा 9,86,000 अमरीकी डालर का होगा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, विद्यमान तीन सामान्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा तीन नए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त, चार काष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

मारीशस के विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में पूंजी निवेश

1455. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस के विदेशी संस्थागत निवेशकों ने विदेशी निवेश के नाम पर प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाकर भारतीय शेयर बाजार में भारी पूंजी निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 12 दिसम्बर, 1994 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप–खातों के रूप में 28 संस्थाओं को अनुमोदित किया गया है। 9 दिसम्बर, 1994 तक मारिशस के इन उप–खातों द्वारा किए गए निवल निवेश 1252.22 करोड़ रुपए है। इन संस्थाओं को दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम हेतु भारत सरकार और मारिशस सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार कर देय होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय

1456. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यन्वयन की तारीख से उन्हें बकाया भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के कार्यन्वयन के परिणामस्वरूप नए वेतनमानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का संशोधित वेतन 1.1.1991 से जारी कर दिया गया था। अलबत्ता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को 1.1.1991 से पहले के बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ 1984 की रिट याचिका संख्या 132 में 1993 के आई.ए.सं. 1 के तहत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चले गए हैं, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बकाए के भुगतान को मांग की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 सितम्बर 1994 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत भारत संघ और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को कर्मचारी संघ के परामर्श से चार सप्ताह के अन्दर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री के. बसु की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों सहित एक समिति की नियुक्ति की है। समिति कर्मचारी संघों से परामर्श कर रही है। इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, जिन्होंने योजना प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1994 या इससे पूर्व कर दिया है। समिति के साथ परामर्श पूरा करते ही भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटक

1457. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर मे हाल ही मे विदेशी राष्ट्रिकों के अपहरण की घटनाओं से अक्तूबर और नवम्बर, 1994 के दौरान पर्यटन उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1993 के दौरान 750 पर्यटकों के मुकाबले अक्तूबर, 1994 के दौरान 578 विदेशी पर्यटकों ने कश्मीर घाटी की यात्रा की।

वनस्पति द्वारा रंगाई

1458. श्री उद्धव बर्मन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कपड़ों की वनस्पति द्वारा रंगाई करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्वचा की सुरक्षा की दृष्टि से वनस्पति द्वारा तैयार किया गया रंग रसायनिक रंग से बेहतर होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। सरकार देश में कपड़ों की वनस्पति द्वारा रंगाई करने पर विचार कर रही है और प्राकृतिक/मानव निर्मित रेशे तैयार कपड़ों की रंगाई के लिए वनस्पति रंगों के प्रयोग करने का अनुमान लगाने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन करने को भी बढ़ावा दे रही है।

(ख) सरकार ने पटसन : सूती मिश्रित धागों पर प्राकृतिक/वनस्पति के रंगों के व्यवहार अध्ययन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यू.एन.डी.पी. से सहयोग प्राप्त परियोजना से अनुदान दिया है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने भी आई. आई. टी. को इसी प्रकार की परियोजना प्रायोजित की थी। यू.डी.सी.टी. बम्बई ने भी वनस्पति रंगों की विशेषताओं के अध्ययन के लिए एक परियोजना आरंभ की है।

(ग) और (घ). यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्राकृतिक रंगों का त्वचा पर क्या प्रभाव पडता है इसकी कोई वर्गीकृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। कृत्रिम रंजकों के विषय में कई रंजकों की विषाक्तता के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए कई देशों में बेंजीडेन न्युकलियस वाले कई रंजकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्राकृतिक रंजको पर अभी हाल ही में लिखे गये एक लेख में कहा गया है कि सभी प्राकृतिक रंजक पर्यावरण अनुकूल नहीं होते, उनमें से कुछ विषाक्त भी होते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय तम्बाकू पर आयात शुल्क लगाया जाना

1459. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों ने भारतीय तम्बाकू पर आयात शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तम्बाकू के मामले में भारत–अमरीका व्यापार संबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) ; (क) से (ग). हालांकि संयुक्त राज्य ने तम्बाकू पर टैरिफ ढांचे में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया है, फिर भी यू.एस.ए. में 1993 में सिगरेट उत्पादन को शासित करने वाले यू.एस.विधायन में न्यूनतम घरेलू आवश्यकता का 75 प्रतिशत विनिर्धारण किया गया है। इच्छुक पार्टियों (भारत का तृतीय पार्टी हित होने के कारण) द्वारा मामला उठाए जाने पर गाट पैनल ने यह निर्णय किया कि यह उपाय गाट के अन्तर्गत यू.एस. बाध्यताओं के अनुरूप नहीं हैं।

कालीकट हवाई अड्डा

1460. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है और इसके लिए कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ के विस्तार कार्य अथवा विकास के लिए कोई अंशदान/धन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). परियोजना की अनुमानित लागत 73.46 करोड रुपए है। इसमें से 60 करोड़ रुपए अनिवासी भारतीयों और वित्तीय संस्थाओं को केरल सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी द्वारा जुटाए जाएंगे, और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अग्रिम के रूप में दिए जायेंगे। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 5 वर्षों को अवधि के बाद 50 प्रतिशत अग्रिम की वापस अदायगी की जायेगी और शेष 50 प्रतिशत की वापस अदायगी साढ़े पांच वर्षों के बाद की जाएगी।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस योजना के लिए वर्ष 1994–95 में 2 करोड़ रुपए और वर्ष 1995–96 में 10 करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

1401. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कब से विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) तत्कालीन तथा वर्तमान सैनसेक्स इन्डैक्स का ब्यौरा क्या है,

(ग) अनुमति दिए जाने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख उद्योगों तथा उपभोक्ता उद्योगों में कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के लिए कोई सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 14 सितम्बर, 1992 को भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) 14.9.92 को बम्बई स्टाक एक्सचेंज सनसेक्स 3274.85 बिन्दुओं पर बन्द हुआ। 9.12.94 को सनसेक्स 3967.87 बिन्दुओं पर बन्द हुआ।

(ग) सेबी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों, द्वारा 27 जुलाई, 1994 तक महत्वपूर्ण क्षेत्र (जिसमें पावर, स्टील, इंजीनियरिंग और निर्माण, दूरसंचार, सीमेंट, तेल और पेट्रो–रसायन, खनन और धातु, उर्वरक आदि जैसे उद्योग शामिल हैं) में किया गया निवेश 3452.9 करोड़ रुपए था और

उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (जिसमें उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं, खाद्य–संसाधन, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स आदि जैसे उद्योग शामिल हैं) 587.7 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ). प्राइमरी और सेकेण्डरी बाजारों में पोर्टफोलियो निवेश, किसी एक कम्पनी में कुल पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल धारिताओं के लिए निर्मित शेयर पूंजी के 24 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन होगा। उच्चतम सीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सभी धारिताओं पर लागू होगी। किसी एक कंपनी में एक विदेशी संस्थागत निवैशक की धारिता भी कुल निर्गमित पूंजी के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगी। इस प्रयोजन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक ग्रुप की धारिताएं एक विदेशी संस्थागत निवेशक की धारिताओं के रूप में गिनी जाएंगी।

सभी अनिवासी पोर्टफोलियो निवेशों के लिए 24 प्रतिशत की अधिकतम धारिताओं, जिसमें पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारिताएं भी शामिल हैं, में अनिवासी (निगमित और अनिगमित) भारतीय निवेश भी शामिल होंगे, लेकिन निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे :

(क) वित्तीय सहयोगों के अन्तर्गत किए जाने वाले विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) जिनको, सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक किए जाने की अनुमति दी गई है।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए, निवेश, जिन्हें निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से किया गया है।

(i) समुद्रीतट से दूर सकल क्षेत्रीय निधियां।

(ii) सार्वभौमिक निक्षेप प्राप्तियां।

(iii) यूरो(कनवर्टिबल)।

अल्युमीनियम और अल्युमीनियम उत्पादों के निर्यात पर रोक

1462. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में देशी अल्युमीनियम धातु का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इसकी मांग की पूर्ति करने में देश को अल्युमीनियम की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का इसकी कमी को दूर करने हेतु अल्युमीनियम तथा देशी धातु से बने अल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). अप्रैल–अगस्त, 1994 के दौरान अल्यूमिनियम धातु और सेमिस के निर्यात का कुल मूल्य 113 करोड़ रुपया (अनन्तिम) था। वर्ष 1993–94 और 1992–93 के दौरान निर्यात क्रमशः 255 करोड़ रुपए और 383 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ). देश का अल्यूमिनियम उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में अल्यूमिनियम के उत्पादन और मांग के अन्तराल को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ङ) अल्यूमिनियम धातु के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, आयात को सुगम बनाने के लिए अल्यूमिनियम पर सीमा शुल्क भी मुक्त कर दिया गया है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की मास्टर गैन (1992) योजना

1463. श्री ए. अशोकराज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1993 में पंजीयक के पास अंतरण हेतु भेजे गये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मास्टर गैन (1992) योजना के प्रमाणपत्रों का पंजीकरण करके उन्हें अन्तरितियों को भेज दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील

1464. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने उनके मंत्रालय की मंजूरी के बिना श्रम न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध रिट याचिकाएं दायर की हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम ने श्रम न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध कथित समय के दौरान तीन रिट याचिकाएं दायर की है। ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने सरकार से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा है और मामला विचाराधीन है।

विवरण

श्रम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के बारे में वर्ष 1993 और 1994 (नवम्बर 1994 तक) में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दायर रिट याचिकाओं का विवरण

क्र. सं.	मामले में शामिल कर्मचारी (कर्मचारियों) के विवरण	मामले का संक्षिप्त विवरण	श्रम न्यायालय जिसका अधिनिर्णय	जिस न्यायालय में याचिका दायर की
1.	श्री एन चेलुवराजू, हाउस मैन, होटल अशोक, बंगलौर	चोरी; धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप में सेवा समाप्ति	अतिरिक्त श्रम न्यायालय, बंगलौर द्वारा पिछले पूरे वेतन के साथ बहाली	कर्नाटक उच्च न्यायालय
2.	श्री बी. एन. जैन, चिकित्सा अधिकारी, अशोक होटल, नई दिल्ली	भरोसा खत्म हो जाने के कारण सेवा समाप्ति	श्रम न्यायालय, दिल्ली द्वारा सेवा बरकरार रखने 50% पिछला वेतन देने के साथ बहाली	दिल्ली उच्च न्यायालय
3.	श्री सी. रमैया, वरिष्ठ सहायक, ग्रेड–2, होटल अशोक, बंगलौर	उपद्रवी और उत्पाती, अनुशासन भी करने, आदि के व्यवहार के आरोप में सेवा समाप्ति।	श्रम न्यायालय, बंगलौर द्वारा 75% पिछले वेतन के साथ बहाली	कर्नाटक उच्च न्यायालय

होटल खोलने हेतु अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव

1465. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 30 नवम्बर, 1994 तक देश में पर्यटकों के लिए होटल खोलने हेतु अनिवासी भारतीयों के कितने प्रस्ताव मिले;

(ख) इनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पर्यटकों के लिए होटल खोलने हेतु अनिवासी भारतीयों को दिए गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). सरकार को दिल्ली, बंबई, मद्रास और सूरत में होटल स्थापित करने के लिए वर्ष 1993 और 1994, नवम्बर तक के दौरान अनिवासी भारतीयों से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 65.49 करोड़ रुपए का विदेशी पूंजी निवेश शामिल है। इनमें 44.47 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी वाले दो प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। एक विवरण संलग्न है।

होटल सेक्टर में पूंजी–निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय कर अधिनियम के तहत प्रोत्साहन और 1 से 3 सितारा और हैरिटेज श्रेणी के होटलों को विशिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज इमदाद होटल परियोजनाओं को उपलब्ध है। यह प्रोत्साहन अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित की गई होटल परियोजनाओं का भी उपलब्ध है।

विवरण

होटल स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1993 में और नवम्बर, 1994 तक अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	पार्टी का नाम	कार्य की प्रकृति	स्थित	विदेशी पूंजी–निवेश	अवस्थिति
	1993				
1.	**मै. पान पेसिफिक (प्रा.) लिमिटेड**	होटल प्रोजेक्ट	सूरत (गुजरात)	24.00	अनुमोदित
2.	**मै. इन रियलटी होटल वेंचर**	होटल डेव बिजीनिस	दिल्ली, बंबई, इत्यादि	4422.60	अनुमोदित

अल्प बचतें

1466. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में शुरू की गयी लघु बचत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लघु बचत स्कीमों और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

लघु बचत स्कीमें क्रम संख्या	स्कीम का नाम	प्रतिवर्ष ब्याज की दर	
1.	डाकघर बचत खाता	5.5 प्रतिशत साधारण(व्यक्तिगत खाता)	
2.	*डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्ष)	तिमाही रूप से चक्रवृद्धि दर से 12.5 प्रतिशत (10 रुपए के मूल्य के लिए परिपक्वता मूल्य 833.40 रुपए है)	
3.	*डाकघर मासिक आय स्कीम (6 वर्ष)	मासिक रूप से देय 13 प्रतिशत और 6 वर्ष के अन्त में जमा–राशि का 10 प्रतिशत बोनस।	
4.	* डाकघर सावधि जमा		
	(क) एक वर्षीय जमा	10.5 प्रतिशत	तिमाही रूप में चक्रवृद्धि दर से लगाया गया वार्षिक रूप से देय ब्याज
	(ख) दो वर्षीय जमा	11.00 प्रतिशत	
	(ग) तीन वर्षीय जमा	12.00 प्रतिशत	
	(घ) पांच वर्षीय जमा	12.5 प्रतिशत	
5.	** राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम (6 वर्षीयं)	12 प्रतिशत	अर्द्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि दर से 12 प्रतिशत (1.00 रुपए का मूल्य वर्ग के लिए परिक्वता मूल्य 201.50 रुपए है)।
6.	**राष्ट्रीय बचत योजना 1992	11 प्रतिशत	
7.	सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना	अर्द्धवार्षिक रूप से देय 10 प्रतिशत	
8.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना	अर्द्धवार्षिक रूप से देय 10 प्रतिशत	
9.	इन्दिरा विकास पत्र (5–1/2 वर्ष)	धनराशि 5–1/2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।	
10.	किसान विकास पत्र (5–1/2 वर्ष)	तदैव	
11.	लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्ष)	12 प्रतिशत	

* आय कर अधिनियम की धारा 80 ठ के अधीन लाभ मिलता है।

** आय कर अधिनियम की धारा 88 और 80 ठ के अधीन लाभ मिलता है।

ब्याज पूर्णतः कर–मुक्त है; लोक लेखा निधि के मामले में धारा 88 के अधीन लाभ भी उपलब्ध है।

जूट मिलों को अर्थक्षम बनाया जाना

1457. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन के अंतर्गत इस समय कार्यरत राष्ट्रीयकृत जूट मिलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस समय नेशलन जूट मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन में संसाधनों की कमी है जिसके कारण वह मिलों को चलाने की स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन के अधीन चलने वाली मिलों के पुनरूद्धार हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जूट मिलों को पुनः चालू करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है;

(च) क्या इन मिलों को पुनः चालू करने के मामले को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया है; और

(द) यदि हां, तो इस संबंध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (छ). राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन जे एम सी) के अंतर्गत छः राष्ट्रीयकृत पटसन मिलें हैं। पांच पटसन मिलें कलकत्ता तथा उसके आस–पास तथा एक कटिहार (बिहार) में अवस्थित है। बजट प्राक्कलन 1994–95 में 26 करोड़ रु. के प्रावधान में से 23.82 करोड़ रु. उनके घाटों को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में पहले ही मंजूर किए गए हैं। निरंतर नक्द घाटों तथा निवल राशि की कमी के कारण एन जे एम सी के मामले को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजा गया है। बी आई एफ आर ने एन जे एम सी को रूग्ण कंपनी घोषित की है और आई आर बी आई को सर्वांगीण योजना की जांच करने के लिए प्रचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। बी आई एफ आर पहले ही तीन सुनवाई कर चुका है। भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) ने एन जे एम सी के सर्वांगीण सुधार नीति/आधुनिकीकरण/ सुव्यवस्थीकरण के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके कार्यान्वयन में, दी जाने वाली राहत/पहले दी गई राहत तथा 1165 करोड़ रु. तक सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाली जाने वाली राहत राशि शामिल है। यह रिपोर्ट प्रचालन अभिकरण तथा सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने वाले पर्यटक

1468. श्री पी.सी. चाको : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 और 1994 में 30 नवम्बर तक काफी अधिक संख्या में पर्यटकों ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की है;

(ख) क्या उक्त आंकड़ों में घरेलू पर्यटक भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रत्येक माह का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन पर्यटकों को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश से लेकर उनके गन्तव्य स्थलों तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार वर्ष 1993 और 1994 के दौरान जम्मू व कश्मीर के लिए महीने–वार पर्यटक यातायात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

माह	1993			1994		
	स्वदेशी	विदेशी	जोड़	स्वदेशी	विदेशी	जोड़
जनवरी	106236	502	106738	159300	277	159577
फरवरी	97956	350	98306	92649	1008	93657
मार्च	239519	325	239844	263052	494	263546
अप्रैल	343186	567	343753	354603	792	355395
मई	365153	608	365761	415679	742	416421
जून	520386	2320	522706	520072	2028	522100
जुलाई	253919	4767	258686	254435	7032	261467
अगस्त	187826	6331	194157	366297	7570	373867
सितम्बर	294568	2952	297520	292273	3123	295396
अक्तूबर	388006	1112	389118	377544	901	378445
नवम्बर	238244	385	238629	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	
दिसम्बर	258769	625	259394	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	
जोड़	3293768	20844	3314612	3095904	23967	3119871

(घ) और (ङ). राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर पुलिस और अर्द्ध–सैनिक बल कड़ी चोकसी बरतते हैं। तथापि पर्यटकों का वैयक्तिक रूप से पुलिस संरक्षण नहीं दिया जाता है।

सरकारी विभागों द्वारा स्थानीय खरीद

1469. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी विभागों या सरकार के अधीन विभागों द्वारा स्थानीय खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनियमितताएं बरतने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सार्वजनिक सेवा के लिए सामान की खरीद की प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित है। सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सामान्य वित्तीय नियमावली में यथा–निर्धारित खरीद प्रक्रिया में अनियमितता का कोई मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नयी दिशा देना

1470. श्री सुधीर गिरि : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कृषि पर आधारित उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यकर्त्ताओं को नयी दिशा देने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) विशेष रूप से कृषि–आधारित तथा खाद्य संसाधन उद्योगों की अपेक्षा के अनुरूप बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनराभिमुखीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वातानुकूलित टैक्सी

1471. श्री मंजय लाल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैक्सी की बनावट तथा अन्य विकसित देशों में पर्यटकों को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) सरकार द्वारा संस्थागत वातानुकूलित टैक्सी तथा अन्य वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है;

(ग) क्या उदारीकरण के दौर में वातानुकूलित टैक्सी या अन्य वाहनों के संबंध में कोई उदार लाइसेंसिंग नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ). पर्यटक परिवहन क्षेत्र का सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

1. उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदनों के सचिवालय की विदेशी सहायता स्कीम के अंतर्गत रेंट–ए–कार उद्योग की स्थापना को उत्साहित करना।
2. अनुमोदित यात्रा एजेंटों, टुअर प्रचालकों और पर्यटक परिवहन प्रचालकों तथा होटल मालिकों को सीमा शुल्क की रियायती दरों पर वातानुकूलित कारों/कोचों के आयात को अनुमति प्रदान करना।
3. भारत में अन्तर्राज्जीय पर्यटक परिवहन को सुगम बनाने के लिए पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट संशोधन नियम, 1993 के तहत कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया।

तथापि, विकसित देशों में उपलब्ध टैक्सी ढांचे और अन्य परिवहन सुविधाओं के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात से खनिजों का निर्यात

1472. श्री हरिभाई पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात से निर्यात किए गये खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे राज्य सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ग) राज्य में खनन उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). गुजरात से निर्यात होने वाले मुख्य खनिज बाक्साइट तथा नमक हैं। राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) मार्च, 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में उन सभी 13 खनिजों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है जो अब तक केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा ही दोहन हेतु आरक्षित थे। जिन खनिजों का आरक्षण समाप्त किया गया है, वे इस प्रकार हैं– लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोम, सल्फर, सोना, हीरा, तांबा, शीशा, जिंक मोलीब्नम, टंगस्टन, निकल तथा प्लेटिनम खनिज समूह।

खान एंव खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 में बाद में संशोधन किए गए। जिस कंपनी को भारत में पंजीयन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप धारा (1) में विहित परिभाषा के अनुसार पंजीकृत किया गया हो वह खनिजों के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और खनन पट्टा पाने की पात्र होती है। खनिज विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को और भी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ये संशोधन इसलिए किए गए हैं जिससे खनिज क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों के गैर–सरकारी पूंजी निवेश और अद्यतन तकनालाजी को आकर्षित किया जा सके जिससे देश में खनिज विकास की गति और तीव्र हो सके।

[हिन्दी]

रोजगार

1473. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक आवश्यक विधि–निर्माण किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीजों के निर्यात की सीमा

1474. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993–94 और 1994–95 में बीजों की कुछ किस्मों का निर्यात करने के लिए परमिट देने पर कोई सीमा लगाई है;

(ख) यदि हां, तो बीजों की उन किस्मों का ब्यौरा क्या है, जिनकी मात्रा पर सीमा लगाई गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बीजों की मात्रा पर लगाई गई इस प्रकार की सीमा को हटाने अथवा निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में सामयिक समीक्षा करने की वर्तमान नीति को उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). निर्यात एवं आयात नीति, 1992–97 के अध्याय 16, खंड 2 के क्रमांक 20 पर दिए गये कुछ विशिष्ट बीज और पादप–सामग्री प्रतिबंधित मदें हैं, जिनका निर्यात केवल लाइसेंस के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

एच पी एस मूंगफली, तिल और कुसुम की तरह वस्तुएं माने जाने वाले बीजों की मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है, जबकि रामतिल का निर्यात नेशनल एग्रीकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (नेफेड), ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (ट्राइफेडे) और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन डी डी बी) के ज़रिए किया जाता है। वर्ष 1993–94 में 21,000 मी. टन अरंडी के बीज के लिए निर्यात लाइसेंस जारी किये गये थे, जबकि वर्ष 1994–95 में इस वस्तु के निर्यात के संबंध में 25000 मी. टन के लिए इस प्रकार के लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। अन्य तिलहनों के निर्यात के लिए भी निम्नानुसार मात्रात्मक सीमाएं लगाई गई हैः

	1993-94	**1994-95**
सरसों और रेणसीड	50,000 मी.टन	50,000 मी. टन
सूर्यमुखी के बीज	50,000 मी.टन	50,000 मी. टन

घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गये हैं। एक्सिम नीति के प्रावधानों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

रुग्ण एककों के लिए अर्थक्षम पैकेज

1475. श्री तरित वरण तोपदार :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री हाराधन राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमोटर के रूप में आवश्यक धनराशि देने के संबंध में सरकार द्वारा बचनबद्धता पूरी न किए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक पैकेज अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ख) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बी आई एफ आर) बोर्ड को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों के संबंध में "प्रमोटर" के रूप में सरकार की इस भूमिका पर बोर्ड ने आपत्ति की है;

(ग) क्या बी आई एफ आर ने उपरोक्त आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में "प्रमोटर" को और समय देने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य दोनों) के मामले की स्थिति निम्नानुसार थी :

		केन्द्र	राज्य
1.	पंजीकृत मामले	54	66
2.	चलाए जाने योग्य न मानकर खारिज	2	21
3.	पुनर्वास योजनाएं अनुमोदित/मंजूर	4	7
4.	संबद्ध उच्च न्यायालयों के पास परिसमापन की सिफारिश वाले	3	5
5.	प्रारुप योजनाएं परिचालित	2	5
6.	परिसमापन नोटिस जारी	5	8
7.	जांच के अधीन	34	20
8.	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश	4	–

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के प्रावधानों के अनुसार बाइफर को किसी कंपनी को परिसमापन योग्य मानने से पहले किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के पुनरुज्जीवन के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करनी पड़ती है। बाइफर को प्रशासनिक मंत्रालय/राज्य सरकार और रुग्ण कंपनी सहित सभी संबंधितों को सुनवाई का उचित अवसर भी देना पड़ता है और समय देने का अनुरोध प्राप्त होने पर बाइफर को उस पर भी विचार करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में बाइफर प्रशासनिक मंत्रालय/राज्य सरकार और संबद्ध कंपनी को समय प्रदान करता है ताकि वे अतिरिक्त निधियां लगाने और संबंधित मामलों में अपना निर्णय दे सके, जिनमें यह निर्णय लेना हो कि उसे पुनरुज्जीवित किया जाए या विकल्प रुप में उसे बंद किया जाए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ मामलों में बाइफर ने परिचालन एजेंसियों से प्रबंधन में परिवर्तन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों खासकर रुग्ण उद्यमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक पुनरीक्षा करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। मंत्रियों के समूह के कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ ये भी शामिल हैं : बाइफर को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों पर विचार करना बाइफर के सामने पेश की जाने वाली प्रस्तावित राहत पैकेज और संबंधित मंत्रालय को निर्देश या मार्गनिर्देश देना ताकि वे निर्णय ले सके या बाइफर के समक्ष भारत सरकार की ओर से वायदा करना।

पश्चिम बंगाल की रुग्ण पटसन मिलें

1476. श्री अमर रायप्रधान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की रुग्ण पटसन मिलों का अधिग्रहण करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पटसन मिलों के क्या नाम हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक किन–किन पटसन मिलों का अधिग्रहण किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने अभी तक देश में छः पटसन मिलों का अधिग्रहण किया है, जिनमें से पांच मिले पश्चिम बंगाल में हैं अर्थात, एलैक्जैंडर, खारदाछ किन्दीसन नेशनल और यूनियन तथा एक बिहार राज्य (आर बी एच एम) में है। इन सभी पटसन मिलों को 1980 में एन जे एम सी को सौंप दिया था।

सैन्य व्यय में कटौती

1477. श्री बलराज पासी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान से सैन्य व्यय में कटौती करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चाय का उत्पादन

1478. डा. बसंत पवार :
श्री उद्धव बर्मन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में चाय का अत्यधिक उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक उत्पादन के कारण चाय के घरेलू बाजार मूल्यों मे गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या असम चाय कंपनियां मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए चाय का उत्पादन बन्द करने की सोच रही है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). पिछले तीन वर्ष के दौरान चाय उत्पादन के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं :

वर्ष	उत्पादन मिलियन किग्रा. में
1991–92	738.58
1992–93	721.09
1993–94	753.53 (अनुमानित)

(ग) रूस, ईरान एवं सी आई एस देशों द्वारा भारतीय चाय के कम उठान तथा चाय में अधिक उत्पादन के फलस्वरूप प्रमुख नीलामी केन्द्रों में चाय की कीमतों में गिरावट देखी गयी है।

(घ) जी, नहीं। उत्तर भारतीय चाय उद्योग द्वारा दिसम्बर, 1994 से अगले मौसम तक पूर्वोत्तर भारत में चाय उत्पादन बंद किए जाने का अपुष्ट खबर है। तथापि, उद्योग, ने अब इस खबर का खंडन किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का उत्पादन

1479. डा. असीम बाला :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार रबड़ का कितना उत्पादन हुआ :

(ख) देश में चालू वर्ष के दौरान उद्योग–वार रबड़ की कुल कितनी मांग है;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में देश में रबड़ का राज्यवार कुल उत्पादन निम्नानुसार रहा :

राज्य/संघ राज्य	1991/92	1992/93 (मी. टन)	1993/94
1	2	3	4
केरल	343,109	368,648	408,311
तमिलनाडु	13,975	14,250	14,720
कर्नाटक	7,260	7,910	8,626
त्रिपुरा	1,600	1,740	2,351
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	485	515	539
आसाम	148	198	301
मेघालय	45	93	109
गोवा	89	89	106
मिजोरम	5	3	51
मणिपुर	12	14	19
अरुणाचल प्रदेश	12	19	16
महाराष्ट्र	5	11	11
	366,745	393,490	435,160

(ख) वर्ष 1994–95 के लिए रबड़ का कुल अनुमानित आवश्यकता निम्नानुसार है :

	1994–95 (मी. टन) (अनुमानित)
आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूबें	213,000
साइकिल टायर तथा ट्यूबें	67,300
ऊंट की गंठी	31,500
फुटवियर	50,800
बेल्ट तथा मौजे	33,600
लैटेक्स फोम	27,400
केबल तथा तारें	1,400
बैटरी बाक्स	1,500
डिप्ड सामान	24,300
अन्य	34,100
	485,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्यूबा के साथ संयुक्त उद्यम

1480. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा ने अपने यहां सयुंक्त उद्यम लगाने वाले भारतीय निवेशकों को 51 प्रतिशत से, अधिक शेयर को साम्य पूंजी साझेदारी में विशेष रियायतें देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). क्यूबा में सयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय निवेशकों को 51 प्रतिशत से अधिक शेयरों के साथ इक्विटी में अधिक साझेदारी के बारे में कोई निश्चित पेशकश नहीं की गई है। किन्तु, "क्यूबा में व्यापार अवसर" नामक एक दस्तावेज में ऐसा उल्लेख किया गया है कि संयुक्त उद्यमों के मामले में विदेशी वित्तपोषण उन मामलों में क्यूबाई सहभागिता से अधिक हो सकता है जहां उसे उचित समझा जाएगा। संयुक्त उद्यम अवसरों संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार संबंधित उद्योग संघ के जरिए किया गया है।

सिनेकर्मियों का कल्याण

1481. श्री तारा सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिनेकर्मियों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गये कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बेहतर कल्याण हेतु सिनेकर्मियों की ओर से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) वित्तीय कठिनाइयों के कारण सिने कर्मकार कल्याण निधि से सिने कर्मकारों को लाभ, सिने कर्मकारों के बालकों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता व सिने कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों, जिन्हें अन्य कल्याण निधियों के अंतर्गत स्थापित औषधालयों/अस्पतालों, जहां उपलब्ध हैं, से भी चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाता है, को कैंसर और हृदय रोगों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता तक सीमित रहे हैं।

(ख) और (ग). सिने कर्मकारों हेतु कल्याण सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हेतु सिने कर्मकार संघों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। सिने कर्मकारों हेतु कल्याण कार्यकलापों के विस्तार के लिए संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से 13.10.1994 से फीचर फिल्मों पर उपकर बढ़ा दिया गया है।

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक

1482. श्री राज नारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययता लाने के लिए आंतरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किए गए कार्य पर कोई. निगरानी रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1992, 1993 और 1994 के दौरान ऐसे एककों को मंत्रालय–वार क्या सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के बारे में इन एककों के निष्कर्षों/रिपोर्टों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कड़ाई से कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी कार्यालयों में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से कतिपय सख्त कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आंतरिक ,कार्य–अध्ययन एककों का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ–साथ संगठनात्मक ढांचों, कार्य विधियों और प्रक्रियाओं, निष्पादन मानकों और प्रतिमानों, स्टाफ के पैट्रन आदि का अध्ययन करते हैं। अलग–अलग अध्ययनों के परिणामस्वरूप होने वाली मितव्ययिता को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रभावी किया जाना होता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से कोई मानीटरिंग नहीं की जाती है।

(घ) से (च). सरकारी व्यय को नियंत्रण में रखना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन अनुदेशों में पदों में कटौती, पैट्रोल/डीजल, टेलिफोन आदि के व्यय में कमी करना शामिल है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

1483. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर के अंत तथा गत तीन वर्षों के दौरान उसी तिथि को कुल कितनी विदेशी मुद्रा का भंडार था; और

(ख) विदेशी मुद्रा के प्रचुर भंडार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अक्तूबर के अन्त तथा गत तीन वर्षों के दौरान उसी तिथि को स्वर्ण तथा एस.डी.आर. सहित कुल विदेशी मुद्रा भंडार नीचे दिया है :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

1991	1992	1993	1994
5,920	8,995	11,825	23,993

(ख) प्रचुर विदेशी मुद्रा भंडार के मौद्रिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए अनेकों कदम उठाये गये हैं।

ये निम्नलिखित थे :–

(i) समयोपरि बजट घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को पूरा करना;

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के संदर्भ में मुक्त बाजार परिचालन के लिए वचनबद्धता;

(iii) बैंकों के लिए नकद मुद्रा भंडार अनुपात को बढ़ाना;

(iv) अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं पर ब्याज दरों का परिवर्तन करके अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दर संरचना के साथ उनको मिलाना;

(v) विदेशों में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और पूंजीगत सामान के उत्पादन के लिए उनका प्रयोग करना और यूरो इश्युओं के तहत अन्तर्प्रवाहों का सघन अनुरीक्षण करना।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

1484. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्यों को तदनुकूल अनुदान जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य–वार राज्य सरकार द्वारा छुड़ाए गए परन्तु काम पर न लगाए गए मजदूरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य–वार मुक्त कराए गए पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यवार जारी की गयी सहायता के केन्द्रीय हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	वर्ष		
	1991–92	1992–93	1993–94
आंध्र प्रदेश	–	26.60	101.41
बिहार	3.28	11.12	6.18
कर्नाटक	–	–	171.49
केरल	–	–	6.03
उडीसा	–	–	5.75
राजस्थान	–	5.65	1.69
तमिलनाडु	–	–	1.59
कुल	3.28	43.39	294.14

(ग) शून्य।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों के ब्यौरे

राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या	
	मुक्त कराए गए	पुनर्वासित किए गए
आंध्र प्रदेश	36,289	27,333
बिहार	12,986	11,843
कर्नाटक	62,708	54,960
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,800
राजस्थान	7,478	5,953
तमिलनाडु	38,886	39,054
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल	2,51,424	2,27,404

पेंशन योजना

1485. कुमारी ममता बनर्जी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री के. मुरलीधरन :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री राम कापसे :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिये प्रस्तावित पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) योजना को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). क.भ.नि. अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी विधेयक राज्य सभा में 29 मार्च, 1993 को पेश किया गया था। प्रस्तावित योजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है क्योंकि उक्त विधेयक सदन में अभी तक लंबित पड़ा है। चूंकि प्रस्ताव में अधिनियम का संशोधन शामिल है अतः इस संबंध में कोई भी समय सीमा निर्धारित कर पाना कठिन है।

"अगर" का जब्त किया जाना

1686. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 10 अगस्त, 1994 को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाखों रुपये मूल्य की दुर्लभ लकड़ी "अगर" तथा उसका तेल जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमाशुल्क अधिकारियों ने 7.8.94 को एक यात्री के सामान से क्रमशः 6.120 किलोग्राम और 1.123 किलोग्राम वजन की "अगर" लकड़ी और "अगर" लकड़ी के तेल को पकड़ा है जिसका कुल मिलाकर मूल्य 12,24,900/-रु. है। माल जब्त करने और दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

(ख) से (घ). जी, हां। जांच पड़ताल से पता चला है कि यात्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दो बीजक झूठे थे। यात्री श्री सोनू राम को "अगर" लकड़ी और "अगर" लकड़ी के तैल की तस्करी करने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी-रोधी एजेंसियों को वन्य-जीवों और वनस्पतियों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

विमान इंजनों की मरम्मत

1487. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने हाल में बंबई में विमान इंजनों की मरम्मत हेतु आयोजना, अभिकल्पना, अभियांत्रिकी तथा अनुरक्षण सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में कितना लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार का इस विषय में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1994 में एअर इंडिया ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को, बंबई में प्रैट एण्ड बाइटनी 4056 इंजन ओवरहाल सुविधा परियोजना के लिए अग्रिम भुगतान कार्य के आधार पर परियोजना प्रबंध परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 13.50 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). एअर इंडिया परियोजना लागत का 4.47 प्रतिशत परामर्श शुल्क के रूप में भुगतान राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को करेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

1488. श्री छेदी पासवान :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री हाराधन राय :
श्री ए. चार्ल्स :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लागू होने के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कितने बेरोजगार युवकों को ऋण दिया है तथा उन्हें राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि दी गयी है;

(ख) क्या बैंकों के पास ऋण हेतु कुछ आवेदन पत्र अभी तक लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो ऋण हेतु ऐसे आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण आवेदनों की प्राप्ति और उसकी मंजूरी/संवितरण पूरे वर्ष चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है और इसलिए किसी भी समय कुछ आवेदन लंबित रहेंगे।

(ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में माना गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा 25,000/-रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000/-रुपए से अधिक के ऋण आवेदन 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए। बैंकों से कहा गया है कि वे प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को इस निर्धारित समय के अन्दर निपटाएं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

विदेशों से रियायती दरों पर प्राप्त सहायता

1489. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में "कन्सर्न ओवर कॉल इन एड टु इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को विदेशों से रियायती दरों पर मिलने वाली सहायता बंद हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार विदेशों और बहुपक्षीय संस्थाओं से रियायती सहायता प्राप्त कर रही है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बकाया उत्पाद शुल्क

1490. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कंपनियों पर अधिकतम उत्पाद शुल्क बकाया है;

(ख) इन कंपनियों पर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बैंकों में हड़ताल

1491. श्री अन्ना जोशी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग उद्योग को मई, 1994 से लेकर अब तक कितनी बार हड़तालों का सामना करना पड़ा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) बैंक कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) ने सूचित किया है कि मई 1994 से अब तक, अर्थात् 5 मई, 11 मई और 29 सितम्बर, 1994 को, बैंक कर्मचारियों की तीन हड़तालें हुई हैं।

(ख) और (ग). बैंकिंग उद्योग में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के कारणों में अन्य बातों के साथ ये शामिल थे: बैंकों के तथाकथित निजीकरण के विरूद्ध, कम्प्यूटरीकरण के कारण अधिकारियों को वेतन वृद्धि/नियत व्यक्तिगत भत्ता प्रदान करने और शीघ्र वेतन संशोधन।

(घ) भारतीय बैंक संघ/सरकार ने बैंकों की यूनियनों को बार-बार आश्वस्त किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और उनके सरकारी स्वरूप को बरकरार रखा जायेगा। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी नौकरी और नौकरी की सुरक्षा को-कोई खतरा नहीं है। वित्त मंत्री ने सैन्ट्रल ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ दिनांक 29.1.1994 को हुई अपनी बैठक में भी व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति को स्पष्ट किया था। इसके अतिरिक्त आइबीए ने प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन के बारे में दिनांक 8.10.1994 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसमें वेतन बिल में 10.5 प्रतिशत की समग्र वृद्धि होगी। इसके कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों के लिये बैंकिंग उद्योग को प्रतिवर्ष 388 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना होगा। बैंकिंग उद्योग में ऐसा ही विचार-विमर्श अधिकारी संघों के साथ चल रहा है।

[हिन्दी]

भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन

1492. डा. लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान किन-किन देशों के साथ भुगतान संतुलन/व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत का किन-किन देशों के साथ व्यापार फालतू और घाटे का रहा है; और

(ग) घाटे वाले व्यापार संतुलन के देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). भारत का भुगतान संतुलन केवल कुछ देशों के लिए ही समेकित किया जाता है। भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़े केवल वर्ष 1990-91 तक ही उपलब्ध हैं। जहां तक व्यापार संतुलन का संबंध है, वर्ष 1993-94 के दौरान जिन प्रमुख देशों के साथ भारत का व्यापार बेशी रहा, वे

हैं: बंगलादेश, हांगकांग, इटली, जापान, नीदरलैन्ड्स, रूस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन घाटे का रहा और देश के व्यापार घाटे का बड़ा प्रतिशत इसी घाटे के कारण है। ये देश हैं : आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ईरान, नाइजीरिया, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन आदि।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए, सरकार ने व्यापार का उदारीकरण करने के लिए प्रमुख उपाय किए हैं, जिनमें निर्यात से जुड़े आयात में लोचशीलता, आयात लाइसेन्सिंग में कमी, नीति और क्रियाविधियों के सरलीकरण के जरिए प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची में काट–छांट करना शामिल है। निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया तथा सरकार और व्यापार एवं उद्योगपतियों के बीच एक सहयोगी प्रयास है। व्यापारियों और उद्योगपतियों से परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। राज्यों को भी, ई पी आई पी आदि जैसी स्कीमों के जरिए, निर्यात संवर्धन प्रक्रिया में अधिकाधिक रूप से शामिल किया जा रहा है।

गैट समझौता

1493. श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री साइमन मरान्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डुंकेल प्रस्तावों पर भारत की कृषि, राजसहायता, उपभोग की वस्तुओं में आयातित वस्तुओं का स्तर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खत्म होने, बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा बीजों के पेटेंट पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त सभी चीजों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन विपरीत प्रभावों को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). कृषि करार में व्यापार को विकृत करने वाली राजसहायता कम करने तथा प्रशुल्क एवं गैर–प्रशुल्क दिक्कतों को कम करके कृषि उत्पादों के व्यापार को उदारीकृत करने पर बल दिया गया है। जहां तक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संबंध है, हमारे कानून अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रीय मानवों के अनुरूप हैं। हमें अपने पेटेंट कानून में संक्रमण–व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधन करना होगा। हमें भौगोलिक लक्षणों, एकीकृत सर्किटों के डिजाइन, रूपरेखा तथा अप्रकाशित सूचना के संबंध में नया कानून बनाने पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीजों का पेटेंट की व्यवस्था करने का कोई दायित्व नहीं है, तो भी पौधों की किस्म को संरक्षित करने के लिए एवं अनुपम प्रणाली बनाने की जरूरत है।

कृषि को घरेलू समर्थन देने के बारे में भारत ने कोई कमी करने का वचन नहीं दिया है, और न ही न्यूनतम बाजार पहुंच का कोई दायित्व ही लिया है। इस प्रकार यह करार कृषि विकास संबंधी हमारी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रभावित नहीं होती है। पौधों के किस्मों का संरक्षण भी हमारे हित में रहेगा क्योंकि इससे किसानों को पुनः पौध रोपण के अधिकार एवं अनुसंधानकर्ताओं के बीजों के आदान–प्रदान के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। "ट्रिप्स" करार में संक्रमण काल एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के किसी दुरूपयोग के रक्षोपाय की व्यवस्था है।

उरूग्वे वार्ता दौर के परिणाम कुल मिलाकर अपना निर्यात बढ़ाने में हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

मूल्य वर्धित कर प्रणाली

1494. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री तारा सिंह :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कर सुधारों विशेषकर नई मूल्य वर्धित कर प्रणाली आरंभ करने संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का मूल्य वर्धित कर प्रणाली आरंभ करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मूल्य वर्धित कर लागू करने सहित कर सुधार के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च). वर्धित कर लागू करने सहित कर सुधार के सभी पहलुओं पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति द्वारा जांच की जा रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना

1495. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुछ तकनीकी अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने और वसूली के उद्देश्य से उन ऋणों को संग्रहीकरण के अंतर्गत रखने की परम्परा का अनुपालन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि के ऋण वास्तव में तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि वसूली गई और इन वसूलियों को किस रूप में लेखा में रखा जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) वर्ष–वार वसूली के अंतर्गत ऋण की वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। अशोध्य ऋणों के संबंध में वसूलियों की गणना इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यथावत बही–खाते में खाते को यथावत छोड़कर अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान कर दिया गया है या क्या अशोध्य ऋण को वास्तव में बही–खाते में बट्टे–खाते डाल दिया गया है। पहले मामले में उधार खाते, जिसमें वसूली की गई है, में उस वसूली को जमा करते समय खाते में किये गये प्रावधान को अधिशेष माना जाता है और वर्ष के अंत में उसका कुछ अन्य खातों के लिये उपयोग किया जाता है या लाभ और हानि खाते में ले लिया जाता है। बाद के मामलों में राशि को अशोध्य ऋण वसूली खाते या समान प्रकृति के अन्य खाते में जमा किया जायेगा।

विदेशी पर्यटक

1496. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री पाला के.एम. मैथ्यू :
डा. सुधीर राय :
मेजर जनरल, (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी अक्सर विदेशों की यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 में 30 नवम्बर, 1994 तक विदेशी यात्रा पर गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ;

(ग) इन यात्राओं के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है अथवा नीतिगत ढांचा तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पर्यटन को बढ़ावा देना एक सतत् प्रक्रिया है और इसीलिए प्रोत्साहन देने वाले शिष्ट मण्डल पर्यटन प्रजनन वाले स्थानों पर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने उन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों की बैठकों में भी भाग लिया है, जिनका भारत भी एक सदस्य है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में ऐसी प्रोत्साहनात्मक यात्राओं और भाग लेने से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने मे मदद मिलती है। वर्ष 1994 में सितम्बर, 1994 तक इसमें 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अक्तूबर, 1994 में प्लेग के डर के कारण इसमें 34.8 प्रतिशत की कमी हुई। पर्यटन विभाग द्वारा सक्रिय कदम उठाने के कारण नवम्बर, 1994 के अंत तक यह कमी घटकर 16.9 प्रतिशत रह गई। दिसम्बर, 1994 से अब तक सकारात्मक वृद्धि का रूख दिखाई दिया है।

भारत में पर्यटक-यातायात को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग में एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में रूचि पैदा करने के लिए यात्रा एजेंटों, मीडिया के व्यक्तियों, यात्रा लेखकों, निर्णय निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजकों आदि को आमंत्रित करता है। मीडिया अभियान आरम्भ किए जाते हैं और विदेशी में टुअर कंपनियों को विज्ञापन सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए भारतीय यात्रा और होटल उद्योग को सहायता दी जाती है। पर्यटन शिष्ट मण्डलों, जिनमें विदेशी स्थित होटलों और पर्यटन उद्योग के सदस्य शामिल होते हैं, की यात्राएं विभाग द्वारा आरम्भ किए गए प्रोत्साहनात्मक कार्यकलापों का ही एक हिस्सा है।

विवरण

किए गए दौर	किया गया खर्च (रुपयों में) (स्वीकृतियों के अनुसार)
1	2
पैसिफिक एशिया यात्रा एसोसिएशन (पाटा) का वार्षिक सम्मेलन और पाटा विश्व चैप्टर कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए	1,30,622.00
विश्व पर्यटन संगठन कार्यकारी समिति अधिवेशन और तकनीकी सेमिनार में भाग लेने के लिए	1,07,492.00
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कन्वेंशन एसोसिएशन में भाग लेने के लिए	96,945.00
बुचारेस्ट और सोफिया में पर्यटन करार को अंतिम रूप देने के लिए	1,34,568.00

1	2
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी का उनके साथ बुल्गारिया, रोमानिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, और अर्जेन्टीना में प्रोत्साहनात्मक टूर पर दौरा	3,05,528.00
मैड्रिड में 34वीं कांग्रेस और एक्स्पो लेटिन अमेरिकन एजेंसियों में भाग लेने के लिए	1,04,354.00
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के साथ दो अधिकारियों का दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेन्टीना और ब्राजील का प्रोत्साहनात्मक दौरा	2,11,908.00 1,91,863.00
कोलम्बो में दक्षिण एशिया के लिए विश्व पर्यटन संगठन(डब्ल्यू टी ओ) आयोग की 30वीं बैठक में भाग लेने के लिए	33,676.00
न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर में पर्यटन प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण टुअर में भाग लेने के लिए	1,48,591.00
पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में सार्क प्रदेश के संयुक्त संवर्धन पर विशेषज्ञ मण्डल की बैठक में भाग लेने के लिए	13,856.00
संयुक्त राज्य और फ्रांस का पर्यटन संवर्धनात्मक दौरा	1,34,126.00
सार्क की तकनीकी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	5,690.00
पर्यटन मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए	1,24,710.00
फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य और जर्मनी का पर्यटन संवर्धनात्मक दौरा	1,33,441.00
बौन में भारत–जर्मन पर्यटन समिति में शामिल होने के लिए	78,582.00
विश्व पर्यटन संगठन कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	98,297.00
जोड़	20,54,249.00

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सलाहकार समिति

1497. श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987 में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी कितनी समितियां हैं;

(ग) प्रत्येक समिति में औसतन कितने सदस्य हैं;

(घ) क्या ये समितियां सरकार को समय–समय पर वेतनमान, पारिश्रमिक तथा दैनिक मजदूरी के संबंध में विभिन्न अनुभागों में व्याप्त विसंगतियों के बारे में सलाह देती रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन समितियों ने किस–किस तिथि को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, और

(च) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इन समितियों की बैठकों पर कितना–कितना खर्च वहन किया जाता है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च). 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में 1987 में सरकार ने छः क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित की हैं।

समिति का संघटन नीचे दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	क्षेत्र	अंतर्ग्रस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	पूर्वी क्षेत्र	प. बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम
3.	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप,
4.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़
5.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली
6.	मध्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

समिति में श्रम मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के एक–एक प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। समिति की बैठक क्षेत्र में विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रम–वार आयोजित की जाती है। बैठक की कार्यसूची को श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों से सामग्री प्राप्त होने पर तैयार करता है। मेजबानी करने वाले राज्य द्वारा, बैठक को आयोजित करने के संबंध में सचिवालयीन सहायता तथा अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं।

इन समितियों की बैठकों के प्रथम दौर दक्षिणी क्षेत्र के लिए 9 अक्तूबर, 1987 को मद्रास में, पूर्वी क्षेत्र के लिए 31.10.1987 को कलकत्ता में, उत्तरी क्षेत्र के लिए 12.12.1987 को दिल्ली में, पश्चिमी क्षेत्र के लिए 17.12.1987 को बम्बई में, और उ. पूर्वी क्षेत्र के लिए 9–10 जनवरी, 1992 को गुवाहाटी में आयाजित किये गये थे। विभिन्न कारणों के कारण मध्य क्षेत्र की बैठक का प्रथम दौर आयोजित नहीं किया जा. सका।

समितियों की बैठक के द्वितीय दौर पूर्वी तथा उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र के लिए 29–30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में, दक्षिण क्षेत्र के लिए 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में और मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के लिए 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में आयोजित किए गए थे। पश्चिमी क्षेत्र की बैठक दिसम्बर, 1994 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रथम दौर तथा द्वितीय दौर की बैठक में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में अनेक सिफारिशें की गयी हैं। इनमें भिन्न–भिन्न राज्यों के बीच में एक ही क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी में असमानताएं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ता के घटक का प्रावधान, जहां कहीं भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ता प्रदान नहीं किया जाता तो दो वर्ष में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दाण्डिक उपबंधों में वृद्धि करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में बेहतर अन्तर राज्यिक समन्वय आदि शामिल हैं। इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

श्रम मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी आधिकारिक क्षमता में बैठक में भाग लिया और इस कारण मेजबान राज्य ने कोई व्यय वहन नहीं किया। बैठक के लिए बैठक तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु सचिवालयीन सहायता की भी मेजबान राज्य के विद्यमान अधिकारी तंत्र का उपयोग करके व्यवस्था की गयी।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा

1498. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 1 नवम्बर, 1994 को भारत से दुबई को किये जा रहे विदेशी मुद्रा के अवैध निर्यात में संलिप्त एक बहुत बड़े अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को कारगर ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) एवं (ख). राजस्व आसूचना निदेशालय ने 29.10.94 को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में एक यात्री के सामान से 79,29,547/– रुपये के मूल्य की 33 देशों की विविध करेंसियों का अभिग्रहण किया था। की गयी जांच–पड़ताल से यह पता चला है कि विदेशों से तस्करी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजी जा रही थी।

(ग) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी रोधी अभियान को और अधिक तेज कर दिया गया है। तस्करी की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में हवाई–अड्डे के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना, आसूचना एकत्र करने और जांच–पड़ताल संबंधी कार्यों में तेजी लाना, संवेदनशील उड़ानों से आने वाले यात्रियों के सामान की जांच–पड़ताल करना शामिल है।

असबाब, एक्स–रे मशीनों और धातु खोजियों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

बी.सी.सी.आई. की योजनाओं में अनियमितताएं

1499. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 और 1986 में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल की योजनाओं में अनियमितताओं का पता चला था;

(ख) क्या बैंक के विरूद्ध इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाएं हैं कि अनियमितताओं का पता चलने पर विदेशी बैंकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 22 फरवरी, 1966 की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल (बीसीसीआई) के उसकी निरीक्षण के दौरान ग्राहक निधि प्रबंधन योजना (सीएफएम) नामक योजना में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईं। इस योजना को बैंक द्वारा शुरू किया गया था जिसके द्वारा ग्राहकों ने अपनी निधियों को बैंक के पास रखा था। ग्राहकों ने यह बैंकों द्वारा सह–स्वीकृत बिलों की भुनाई के लिए किया था।

(1) सीएफएम के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकार की गई निधियों को भुनाए गए बिलों के स्थान पर सामान्य जमाराशियों के रूप में माना जाता था, बैंकों को उक्त निधियों को एसएलआर और सीआरआर की गणना के लिए लेना चाहिए।

(2) सह–स्वीकार किए गए बिलों को बिना किसी कमीशन के स्वीकार किया गया था।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सीएफएम योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त निरीक्षण के निष्कर्षों के बारे में अपनी अनुपालना दे दी थी। इस बारे में दिनांक 7 जनवरी, 1988 की उसकी स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में बाद में भी इस स्थिति की पुष्टि की गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के विरूद्ध कोई कार्रवाई करना, आवश्यक नहीं समझा गया था।

(घ) बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं का पता चलने पर भारत में कार्य कर रहे बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।

लघु उद्योगों को ऋण

1500. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान लघु-उद्योगों से ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इनके लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) सरकार ने औद्योगिक रूग्णता से बचने के लिए आवेदनकर्ताओं/लघु एककों को समय पर वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जून 1992 को समाप्त (अद्यतन उपलब्ध) तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को संवितरित ऋणों, खातों की संख्या और राशि निम्नानुसार है :-

के अंतिम शुक्रवार के अनुसार स्थिति	खातों की संख्या	(करोड रुपए) संवितरित राशि
जून, 1990	26243	635.81
जून, 1991	27870	667.31
जून, 1992	24917	811.57

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने रूग्णता से बचने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण के प्रवाह के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। आवेदनों को निपटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के अलावा, बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र की विधिसम्मत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। लघु उद्योग एककों की सीमाएं अस्वीकृत करने या कम करने के मामले में, ऐसे समस्त मामलों को अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसे उसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्यमियों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न से उत्पाद शुल्क वसूली

1501. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1994 के "इकोनोमिक टाइम्स" की पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न से प्राप्त होने वाले राजस्व की वसूली में आई भारी कमी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम छः माह और 1993-94 के अनुवर्ती महीनों के दौरान पी.एफ.वाई, एन.एफ.वाई, पोलीप्रोपीलीन फिलामेन्ट यार्न, टैक्सचराइज्ड पी.एफ.वाई. और सिलाई के कृत्रिम धागे के लिए पृथक-पृथक उत्पाद शुल्क की कितनी वसूली हुई;

(ग) क्या यह वसूली सरकार द्वारा इस संबंध में लगाए गए अनुमान के अनुरूप है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न से उत्पाद शुल्क की वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेन्ट यार्नों, के लिए राजस्व प्रक्षेपण संयुक्त रूप से रखे जाते हैं और किसी एक सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न के लिए अलग से बजट अनुमान नहीं लगाए जाते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्ष सं. 54.01 से 54.07 तक के शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले सिन्थेटिक मोनो फिलामेन्ट तथा अपशिष्ट सहित सभी सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्नों और सिलाई के धागे के लिए स्वीकृत बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए कुल मिलाकर 2300 करोड़ रुपये है जबकि सितम्बर, 1994 तक 892.65 करोड़ रुपये (अनन्तिम) प्राप्त किए गए हैं।

(घ) और (ङ). इस समय यह बताना संभव नहीं है कि क्या सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्नों के लिए बजट अनुमानों में निर्धारित राशि को प्राप्त कर लिया जाएगा या नहीं। सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्नों के संबंध में राजस्व वसूली को निम्नलिखित कारक प्रभावित करेंगे। वर्ष 1994 के बजट में, नाईलोन फिलामेन्ट यार्न पर उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 57.50 रुपये प्रति किलोग्राम (जो बजट से पूर्व मूल्यों पर मानक किस्मों के लिए औसतन मूल्यानुसार 45 प्रतिशत बैठता है) से कम करके मूल्यानुसार 34.5 प्रतिशत कर दिया गया था। गैर-टेक्सचर्ड पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर भी उत्पाद शुल्क को 69/-रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 62.10 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। यद्यपि टेक्सचर्ड पोलिएस्टर फिलामेन्टर यार्न पर लगाया गया उत्पाद शुल्क गैर टेक्सचर्ड यार्न पर 62.10 रु. प्रति किलोग्राम के शुल्क से 10.35 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक होने का अनुमान लगाया गया है तथापि टेक्सचर्ड यार्न से प्राप्त राजस्व

के इस दर पर परिकलित राजस्व से कम प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि टेक्सवर्ड यार्न के लिए सामान्य लघु उद्योग छूट योजना का लाभ दिया गया है। इस प्रकार टेक्सवर्ड यार्न से प्राप्त राजस्व बहुत अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, इन यार्नों के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य रसायनों पर इस बजट में उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था जिससे मॉडवेट क्रेडिट लेने की सुविधा में वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप निविष्टियों पर उत्पाद शुल्क से में की गई वृद्धि की सीमा तक पोलिएस्टर और नाइलोन फिलामेन्ट यार्न हो, प्राप्त राशि में कमी आएगी। यार्नों के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले पूंजीगत माल के लिए मॉडवेट की सुविधा देने से भी सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न से राजस्व वसूली में कमी आएगी।

अप्रवासी भारतीयों को ऋण सुविधा

1502. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अप्रवासी भारतीयों को सरकार ऋण सुविधा देती है जो देश में पूंजी निवेश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने अनिवासी भारतीयों को कितनी ऋण सुविधा दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक

1503. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की बीड़ी फैक्टरियों से कितना उपकर वसूल किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बीड़ियों पर उपकर एकत्र किया जाना तथा बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण :–

वर्ष	एकत्रित उपकर (रुपये हजारों में)	व्यय
1991–92	9173	8270
1992–93	9454	9344
1993–94	9238	13741

भड़ौच में विमानपत्तन का निर्माण

1504. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भड़ौच में विमानपत्तन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूस को चाय का निर्यात

1505. श्री हरिसिंह चावडा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के आयातकों ने भारत द्वारा घटिया किस्म की चाय निर्यात किये जाने के बारे में बार–बार शिकायतें की हैं;

(ख) क्या रूस स्थित भारतीय दूतावास ने अगस्त,1993 में यह कहा था कि चाय उद्योग को निर्यात की जाने वाली चाय की गुणवत्ता के मामले को और गम्भीरता से लिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का निर्यात लाइसेंस जारी करने से पूर्व चाय के नमूनों की जांच में सख्त गुणवत्ता मानदण्ड लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चाय बोर्ड को वर्ष 1993 में रूस और कुछ सी आई एस देशों को घटिया और निकृष्ट क्वालिटी की चाय का निर्यात करने के संबंध में कुछ भारतीय निर्यातकों के विरूद्ध शिकायतें मिली थीं।

(ख) रूस स्थित भारतीय दूतावास ने रूस को निर्यात की गई चाय की गुणवत्ता नियंत्रण की सिफारिश करते हुए जून, 1993 में रिपोर्टें भेजी थीं।

(ग) रूस को चाय के निर्यात में कडाई से गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने के उद्देश्य से निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे रूस/सी आई एस देशों को निर्यात करने के लिए लदान लाइसेंस प्राप्त करने से पहले एस जी एस भारत से या रूसी आयातकों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य अभिकरण से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत रूस को दिए जाने वाले निर्यात को भी अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत लाया गया है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान के पायलटों को प्रशिक्षण

1506. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने अपने पायलटों को प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रशिक्षण की शर्तें तथा अवधि कितनी है; और

(घ) यह प्रशिक्षण कब तक दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अफगानिस्तान सरकार को आश्वास्त किया गया है कि भारत में उनके विद्यार्थियों की आवश्यकता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में विमान की उपलब्धता के आधार पर उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

सौर ऊर्जा हेतु विश्व बैंक सहायता

1507. श्री अमर पाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह शर्त लगाई है कि उत्पादित सौर ऊर्जा का ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में यह समझौता रद्द कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। विश्व बैंक ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 550 लाख अमरीकी डालर का ऋण देने का प्रावधान किया है। विश्व बैंक की इस सहायता का उद्देश्य देश में प्रकाश (फोटो) –वोल्टीय उत्पादों के व्यापारिक स्तर पर विपणन को सहायता प्रदान करने के लिए टिकाऊ उत्पाद की आपूर्ति, सुपुर्दगी, विक्रय उपरांत सेवा और वित्त तंत्रों की संस्थापना को प्रोत्साहन देना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेत्रहीनों को रियायतें

1508. श्री सी.पी. मुडलागिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेत्रहीन व्यक्तियों को विमान में यात्रा करने हेतु कुछ रियायत मिलती है;

(ख) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों के संघों द्वारा यह सुविधा नेत्रहीन के साथ जाने वाले व्यक्ति के लिए भी प्रदान करने की निरंतर मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रचालनों की लागत अत्यधिक होने के कारण नेत्रहीन व्यक्तियों के साथ जाने वालों के लिए ऐसी रियायत देना संभव नहीं है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं को बन्द किया जाना

1509. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कितनी शाखाओं को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) किस परिस्थितिवश इन शाखाओं को बंद किया जाना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने बैंक कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(घ) इस स्थिति को टालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1993–94 के लिए पुनः पूंजीकरण निधियों को आबंटित करते समय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह माना था कि वह शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में अपनी 10 गैर–अर्थक्षम/ हानिवाली/ शाखाओं को बंद कर देगा तथा 50 ग्रामीण /अर्ध ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओं को सैटिलाईट कार्यालयों में परिवर्तित करेगा। तथापि बैंक ने वर्ष 1993–94 के दौरान किसी भी घाटे वाली शाखा को बंद नहीं किया है। बैंक ने केवल तीन घाटे वाली ग्रामीण शाखाओं को सैटिलाईट कार्यालयों में परिवर्तित किया है।

गारमेंट एक्सपोर्ट एंटाइटिलमेंट एलाटमेंट पालिसी

1510. श्री महेश कुमार कनोडिया :
डा. वसंत पवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गारमेंट एक्सपोर्ट एंटाइटिलमेंट एलाटमेंट पालिसी (कोटा पालिसी), 1994–96 के उपबंधों में संशोधन के लिए निर्यातकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) से (ग). सरकार ने दीर्घावधि परिधान निर्यात हकदारी नीति (1994–96) के विभिन्न पहलुओं पर कुछ विरोधाभासी अभ्यावेदनों सहित व्यापार से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। ये अभ्यावेदन अन्य बातों के साथ–साथ पंजीकृत कोटा एजेंटों के माध्यम के बिना पंजीकृत निर्यातकों में प्रत्यक्ष अंतरण की अनुमति देने, पूर्व निष्पादन हकदारी (पी पी ई) तथा गैर–कोटा हकदारी (एन क्यू ई) के परिकलन की आधार अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाने, एन क्यू ई के अंतर्गत विकल्पों की संख्या बढ़ाने, पहले आओ पहले पाओ पद्धति (एफ सी एफ एस) के लिए वार्षिक स्तर की निश्चित प्रतिशतता उद्दिष्ट करने, नए विनिर्माता निर्यातकों की परिभाषा में परिवर्तन करने, हकदारियों के 50 प्रतिशत की जून–सितंबर अवधि के दौरान हकदारियों के अंतरण नियंत्रित करने आदि से संबंधित है। सरकार ने सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा कार्यान्वयन के लिए उनमें की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

''यूरो'' निर्गम संबंधी दिशानिर्देश

1511. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''यूरो'' निर्गम संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन्हें कब तक लागू किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). यूरो–इशू संबंधी दिशानिर्देशों को दिनांक 23.10.1994 के प्रेस–नोट के जरिए आंशिक रूप से परिवर्तित किया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इशू बन्द होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर यूरो–इशू से हुई आय के प्रयोग के संबंध में लगाई गई शर्त हटा दी गई है। इसके अलावा निर्गमकर्ता कंपनियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे यूरो–इशू से हुई आय को अनिवार्यतया विदेश में रखें जिसे तभी प्रत्यावर्तित किया जाए जब अनुमोदित अन्तिम प्रयोग (जिसमें सामान्य कार्पोरेट पुनः संरचनात्मक प्रयोग के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत शामिल है) हेतु व्यय उपगत किए जाए। प्रवर्धक प्रभाव और छोटे तथा मध्यम स्तर के उद्योगों जो स्वयं यूरो–मार्किट से सम्पर्क करने में अक्षम हैं, पर सामान्यतया लाभकर प्रभाव को देखते हुए अनुमोदित अन्ततोगत्वा प्रयोग संबंधी मापदण्ड में छूट दी जाएगी ताकि चुनिन्दा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को यूरो–मार्किट से सम्पर्क करने में सक्षम बनाया जा सके।

ये दिशानिर्देश प्रेस–नोट जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 28.10.1994 से लागू हो गए थे।

रूग्ण उद्योगों को बंद करना

1512. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने रूग्ण उद्योगों के कितने मामले औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंद किए गए रूग्ण उद्योगों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्योगों के कर्मचारियों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा वर्ष 1993 के दौरान प्राप्त किये गये 223 प्रेषणों और 1992 के 38 प्रेषणों जो कि संवीक्षाधीन थे और जिन्हें आगे ले जाया गया था, में से 152 प्रेषणों को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 के अन्तर्गत बीआईएफआर द्वारा दर्ज किया गया था।

(ख) और (ग). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआईसीए) की धारा 16 के अन्तर्गत जांच करने के पश्चात् और सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और सभी सम्बन्धितों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, इसने एसआईसीए की धारा 20(1) के अन्तर्गत यह राय कायम की कि रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के 9 मामलों में यह संभावना नहीं थी कि वे अपनी सभी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करते समय युक्तिसंगत समय के भीतर अपनी निवल मालियत को संचित हानियों से अधिक कर पायेंगे और इसके परिणामस्वरूप भविष्य मे कंपनियों के अर्थक्षम होने की संभावना नहीं थी और कि यह सही और न्यायसंगत था कि कंपनियों का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए। बीआईएफआर ने उक्त विचार को कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई के लिए संबंध उच्च न्यायालय को भेज दिया था। उपर्युक्त 9 कंपनियों का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राज्य
1.	कन्हैया पैकेजिंग प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश
2.	आशुतोष टैक्स–ओ–पाक लि.	गुजरात
3.	रगा केबल्स लि.	आन्ध्र प्रदेश
4.	प्रिमियर पोलीकोटर्स लि.	केरल
5.	न्यू प्रेसिजन (आई) लि.	मध्य प्रदेश
6.	श्री रामालगेश्वर एग्रो प्रोसेसर लि.	आन्ध्र प्रदेश
7.	ए.पी. स्कूटर्स लि.	आन्ध्र प्रदेश
8.	कर्नाटक इम्पलीमेंट एंड मशीनरी कंपनी लि.	कर्नाटक
9.	शायाद्री ग्लास वर्क्स लि.	महाराष्ट्र

चावल का निर्यात

1513. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बासमती चावल के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जी, नहीं।

(ग) बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त दिनांक 3.1.1994 को समाप्त कर दी गई थी। बासमती चावल के मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है। सरकार ने ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो बासमती चावल सहित कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात में सहायक हों। ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना की सुविधा, रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने की पात्रता, रियायती ऋण की उपलब्धता, लदान-पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया का सरलीकरण, आदि। कृषि मंत्रालय में भी एक सतत योजना है, जिसके तहत बासमती चावल की निर्यात क्वालिटी की किस्मों के प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में नए बैंक खोलना

1514. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की सहायता से गुजरात में नए बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं/जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों ने नए बैंक खोलने के लिए प्रस्ताव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने राज्य सरकार/राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की मदद से गुजरात में नए बैंकों की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। तथापि, 22 जनवरी, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त क्षेत्र की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लि. को कुछ शर्तों के अध्यधीन निजी क्षेत्र में एक नए बैंक की स्थापना के लिए "सिद्धांत रूप" से अनुमोदन दिया है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए उसे राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को ऋण

1515. श्री बारे लाल जाटव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने बेरोजगार युवकों ने बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग लगाने हेतु बैंकों से ऋण के लिए आवेदन दिया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को ऋण की स्वीकृति एवं ऋण की अदायगी की गई और कुल स्वीकृत की गई धनराशि कितनी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तांबे के तारों की तस्करी

1516. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तांबे के तारों की तस्करी में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तांबे की तारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सीमाशुल्क प्राधिकारी तांबे के तार की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने से संबद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकार की सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 1991-92 से लेकर अब तक, भारत नेपाल सीमा को छोड़कर न तो अभिग्रहण करने वाली एजेन्सियों अथवा न ही आसूचना एजेंन्सियों द्वारा तांबे के तारों की किसी प्रकार की तस्करी होने की सूचना दी गयी है। इस क्षेत्र में किये गये तांबे की तारों के अभिग्रहणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	अभिगृहीत की गयी तांबे की तारों का मूल्य
1991-92	1,64,400/-रुपये
1992-93	10,36,700/-रुपये
1993-94	64,000/-रुपये
1994-95 (30 नवम्बर, 94 तक)	शून्य

[हिन्दी]

बड़े औद्योगिक घरानों को ऋण

1517. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1993 और 1994 के प्रथम 6 माह के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बीस बड़े औद्योगिक घरानों की घराना–वार प्रदान किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : बड़े औद्योगिक घरानों का वर्गीकरण करने के मानदंडों को प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निधि आधारित और गैर–निधि आधारित ऋण सीमायें प्राप्त 20 बड़े औद्योगिक घरानों को 31 मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से क्रमशः 17,317.63 करोड़ रुपए और 9,194.89 करोड़ रुपए की निधि आधारित सीमा के आकार के अनुसार कम दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अलग–अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार भी प्रकट नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

वस्त्र व्यापार मेला

1518. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र बाजार से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने तथा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने तथा इस उद्योग को विश्व बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने में सहायता करने के लिए वस्त्र व्यापार मेला आयोजित करने संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन वस्त्र मंत्रालय तथा वस्त्रों से संबंधित विविध निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा शीर्ष निकायों के सक्रिय सहयोग से दिनाक 18 से 21, जनवरी, 1995 तक "टैक्स–स्टाइल इंडिया" नामक मिश्रित प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यह वस्त्रों पर प्रथम वृहत प्रदर्शनी है जिसमें सूती, रेशम, पटसन, ऊनी, रेयन तथा सिंथेटिक फाइबर के मेड अप्स शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के सम्मुख भारत के वस्त्रों की एक वृहत श्रृंखला प्रक्षेपित करने के साथ–साथ उच्च कोटि के परिधानों के निर्माण के लिए अपने विनिर्माताओं को अपने फैब्रिक आधार का प्रदर्शन करना है।

गुजरात में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

1519. **श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख). गुजरात में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गयी विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). वडोदरा पर टर्मिनल भवन के कार्य में केवल दो महीने की देरी हुई है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्य की प्रगति पर लगातार निगरानी रख रही है जिससे इसे शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

विवरण

(1) **अहमदाबाद** : 30.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रारंभिक और गौण निगरानी राडारों का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। प्रतिष्ठापन का कार्य जुलाई, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) **वडोदरा** : 11.43 करोड़ रुपए की लागत पर एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है और इसके मार्च, 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है। 2.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर धावनपथ पर पुनः परत बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। 3.00 करोड़ रुपए की लागत से उपकरण अवतरण प्रणाली और दूरी मापक उपस्कर संस्थापित किये जा रहे हैं। इस कार्य के दिसम्बर, 94 तक पूरा हो जाने की आशा है। 1.77 करोड़ रुपए की लागत से चारदीवारी के निर्माण और 0.85 करोड़ रुपए की लागत से भू–सुरक्षा सेवाओं को क्रमशः सितम्बर, 95 और दिसम्बर, 95 तक पूरा किया जायेगा।

(3) **राजकोट** : धावनपथ पर पुनः परत बिछाये जाने का प्रस्ताव है। 4.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उपकरण अवतरण प्रणाली, दूरी मापक उपस्कर और डालर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास संस्थापित किए जा रहे हैं। उपकरण अवतरण प्रणाली के दिसम्बर, 94 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है।

(4) **भुज** : (1) भूमि की उपलब्धता के आधार पर 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक यात्री टर्मिनल के निर्माण किये जाने की योजना बनाई गई है।

(2) 2.10 करोड़ रुपए की लागत पर डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर का संस्थापन किया जा रहा है। इस कार्य के अगस्त, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(5) **पोरबंदर :** 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नये यात्री टर्मिनल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और कार्य आरंभ होने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर इसके पूरा हो जाने की आशा है।

(6) **जामनगर :** 2.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर के संस्थापन का प्रस्ताव है और इसके अगस्त, 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है।

प्रत्यक्ष कर संबंधी कानूनों के अंतर्गत अपराध

1520. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत अपराधों के संयोजन हेतु दिशानिर्देशों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने 30 सितम्बर, 1994 के पत्र के द्वारा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रशमन के लिए उदारीकृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देश अपराधों के उचित प्रशमन के लिए मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों के लिए निर्देशों के रूप में हैं। दिशा-निर्देशों में शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें अपराध/अपराधों के प्रशमन के लिए कर-निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इनमें प्रत्यक्ष कर कानूनों की विभिन्न धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों के प्रशमन के लिए समझौता शुल्क के विभिन्न मानदण्ड भी दिए गए हैं।

(ग) इन दिशा-निर्देशों को अपराधों के प्रशमन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने, न्यायालयों के समक्ष अभियोजन मामलों के लम्बित रहने को कम करने और करदाताओं की अवांछित कठिनाई दूर करने के उद्देश्यों से जारी किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात पर प्रतिबन्ध

1521. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से होने वाले सभी आयातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पाकिस्तान की सरकार ने 10.10.1994 को एक आदेश जारी कर भारत से तीन महीनों की अवधि के लिए सभी आयात पर पाबन्दी लगायी थी।

(ख) आदेश में कोई निश्चित कारण नहीं बताया गया, लेकिन समझा जाता है कि यह प्रतिबन्ध प्लेग की वजह से लगाया गया होगा।

(ग) इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया। पाकिस्तान की सरकार ने यह पाबंदी 17.11.1994 को खत्म कर दी है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में कमी करना

1522. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निजी विमान कंपनियों की सेवाओं के कारण सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं कम कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कुल कितनी उड़ानें रद्द की गईं; और

(ग) किन-किन शहरों में ये उड़ानें रद्द की गईं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

निजी बैंक

1523. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी बैंकों के लिए इस आशय का कोई निर्देश प्रभावी है कि निजी बैंक बंद होने के समय निवेशकों को उनकी जमा तथा उस पर पूरे ब्याज का भुगतान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निजी बैंकों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने सूचित किया है कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16, जिसे देश के सभी राज्यों में सभी गैर-सरकारी बैंकों पर लागू किया गया है (सिक्किम राज्य को छोडकर), बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करती है। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जब कभी किसी बैंक को बंद किया जाता है या परिसमापनाधीन रखा जाता है या उसे किसी दूसरे बैंक के साथ मिलाया जाता है तो डीआईसीजीसी द्वारा प्रत्येक जमाकर्ता को उस राशि का भुगतान करना होगा जिसकी सीमा उसने भारत सरकार के साथ परामर्श

करके समय–समय पर निर्धारित की हो। यह किसी जमाकर्ता द्वारा उस बैंक में जमा की गई राशि के संबंध में होगा। यह उसी क्षमता और अधिकार के साथ किया जाएगा। इस समय 1,00,000 रुपए की सीमा प्रचलित है। इस प्रयोजन के लिए डीआईसीजीसी की देनदारी पंजीकरण रद्द होने की तारीख के अनुसार जमाराशियों तक सीमित होगी और जमाराशि का निर्धारण सुनिश्चित की गई उस राशि को उसमें से काट कर किया जाएगा जिसे बीमाकृत बैंक उसी अधिकार से जमाकर्ता के साथ समाधान करके कानूनी रूप से दावा करने का पात्र है।

[अनुवाद]

बैंक डकैती के दौरान मारे गए या घायल लोगों को सहायता

1524. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक में डकैती के दौरान मारे गए/घायल हुए लोगों को मुआवजा देने तथा ऐसी डकैतियों को विफल करने वाले लोगों को पुरस्कार देने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में बैंकवार कुल कितने बैंक डकैती के मामले हुए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने पीड़ित/शोक संतप्त लोगों को मुआवजा/पुरस्कार दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टील निर्यातकों के लिए संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पुनर्भुगतान योजना

1525. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए लोहे एवं स्टील उत्पादों की आपूर्ति करने वालों को, निर्यातक मानते हुए संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पुनर्भुगतान योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नयी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) अपर्याप्त निधि के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत दावों की कितनी राशि का भुगतान बाकी है तथा इस नयी योजना का लघु एवं मध्यतम दर्जे के इंजीनियरिंग निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके तहत स्टील उत्पादकों द्वारा निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किये जाने के लिए बड़ी मात्रा में आयात लाइसेंस जारी किए जाएं और स्वदेशी स्टील उत्पादकों द्वारा इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को कच्ची स्टील सामग्री की सप्लाई की जाए। ऐसा अनुमान है कि इस योजना से इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को, खासकर लघु एवं मध्यम क्षेत्र के निर्यातकों को रियायती मूल्यों पर घरेलू स्रोतों से स्टील प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आई पी आर एस) के तहत 5.12.94 की स्थिति के अनुसार बकाया दावों की कुल राशि 387.70 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

बागान श्रमिक

1526. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान श्रमिकों की राज्यवार क्या संख्या है;

(ख) बागान श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है;

(ग) बागान श्रमिकों द्वारा भुगती जा रही समस्याओं के अध्ययन के लिए सरकार द्वारा गठित समितियों/आयोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रूग्ण कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाना

1527. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :
श्री सुधीर सावन्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात तथा महाराष्ट्र में रूग्ण कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) स्वीकृत धनराशि कब तक दे दी जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय ने गुजरात तथा महाराष्ट्र की रूग्ण वस्त्र मिलों के **पुनरुद्धार** के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नई आर्थिक नीति

1528. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तथा विशेषरूप से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन और आयों में वृद्धि बहुत अच्छी थी। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना वितरण में भी 1992–93 (बजट अनुमान) में 3100 करोड़ रुपये से 1994–95 (बजट अनुमान) में 7010 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है। तथापि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव के गहन विश्लेषण के लिए यह बहुत ही पहले हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम में अनियमितताएं

1529. श्री सुधीर सावन्त : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 और 1994 के दौरान अब तक भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक चेक/निरीक्षण बढ़ा दिए गए हैं और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अनुसरण की जा रही पद्धतियों का विश्लेषण किया गया है। सतर्कता के मामलों के संबंध में पुनरीक्षण बैठकें पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है।

विवरण

जनवरी 93 से अक्तूबर 94 तक भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों की अनियमितताओं के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त आरोपित अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा।

क्र. सं.	अरोपित अधिकरियों के नाम व पद	से प्राप्त शिकायत	पर्यटन विभाग/मंत्रालय की संदर्भ सं. व दिनाक	शिकायत का सार	क्या पर्यटन विभाग को उत्तर भेजा गया है अथवा नहीं	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मामले की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
(क) जनवरी से दिसम्बर 1993 की अवधि						
1.	श्री एम.एन. गुप्ता उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम मजदूर संघ	संयुक्त सचिव के दिनांक 10 मार्च 1993 के अ.शा. पत्र सं. 11/2/93 पी. एस. यू. (टी)	निजी लाभ के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग	जी हां	सावधानी बरतने का पत्र लिखा गया।
2.	श्री वाई.पी. कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय मजदूर जनता यूनियन (श्रीमती कमला सिंहा, सांसद)	पर्यटन विभाग के दिनांक 13.5.93 के पत्र सं. 15/17/93 पीएसयू (टी)	पक्षपात और सरकारी पद का दुरूपयोग	नहीं	हिदायती ज्ञापन जारी किया गया है।
3.	श्री एम.एन. गुप्ता उपाध्यक्ष श्री आर.सी.गुप्ता महाप्रबंधक	अशोक होटल कर्मचारी यूनियन (श्री इंदर जीत गुप्ता, सांसद)	संयुक्त सचिव के दिनांक 7.6.93 के पत्र सं. 11/2/93 पीएसयू (टी)	निजी लाभ के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग	जी हां	श्री एम.एन. गुप्ता के संबंध में मामला सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है। श्री आर.सी. गुप्ता को आरोप पत्र जारी किया गया है।
4.	श्रीमती उषा अहलूवालिया महा–प्रबंधक	भारत पर्यटन विकास निगम ट्रेड यूनियन संघ (श्रीमती कमला सिंहा, सांसद)	पर्यटन विभाग के दिनांक 23.7.93 के पत्र सं. 15/4/93 पी.एस.यू. (टी)	सरकारी पद का दुरूपयोग	नहीं	जांच पड़ताल पूरी हो गई है। उचित कार्रवाई की जा रही है।
5.	श्री वाई. पी. कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय भारत जनता पर्यटन विकास निगम मजदूर यूनियन (श्रीमती कमला सिंहा, सांसद)	मंत्री के निजी सचिव का दिनांक 5.1.93 का डायरी सं. 1/13 राज्य मंत्री (प) वी आई पी/93	पक्षपात और कर्मचारियों को बचाना	जी हां	प्रमाणित नहीं हुआ, मामला बंद कर दिया गया है।
6.	श्री सोमनाथ चक्रबर्ती, लेखाकार	श्री राजेश कुमार, सांसद और भारतीय रेलवे उपभोक्ता संघ	पर्यटन विभाग के दिनांक 17.11.93 के पत्र सं. 10/3/93 पीएसयू (टी)	भ्रंष्टाचार और निजी व्यवसाय करना	जी हां	निलंबित कर दिया गया है तथा आरोप पत्र दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	कनिष्क होटल का प्रबंधन	श्रीमती मधु अग्रवाल प्राइवेट पार्टी	पर्यटन विभाग पत्रांक 6/8/93 पीएसयू (टी) तारीख 13.7.93	ग्राहक को कैश मीमो न देकर धोखा धड़ी	जी हां	श्री पी. शेखर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। कमीशन की इन्क्वायरी की जा रही है।
8.	कनिष्क के शापिंग प्लाजा का प्रबंधन	श्री ए. वर्मा प्राइवेट पार्टी	पर्यटन विभाग पत्रांक 9/13/93 पीएसयू (टी) तारीख 1.11.93	काला बाजारी में प्रीमियम पर दुकान उपलब्ध	जी, हां	साबित नहीं हुआ मामला बंद कर दिया गया है।
9.	श्री जी.एस. चैन्नी क्षेत्रीय अध्यक्ष (रजि) श्री बी.पी. भट्ट प्रबंधक	अशोक होटल कर्मचारी संघ, बंगलौर	पर्यटन विभाग पत्रांक 11/9/93 पीएसयू (टी) तारीख 6.12.93	चिकित्सा दावों का गलत आहरण	जी, हां	श्री चैत्री से अधिक राशि की वसूली की गई श्री बी.पी. भट्ट के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
10.	कनिष्क शौपिंग प्लाजा का प्रबंधन	श्री विनोद दुआ प्राइवेट पार्टी	नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के ऊपर निजी सचिव के 6 जुलाई 93 की टिप्पणी	दुकानदारों से बकाया की वसूली न करना	हां	साबित नहीं हुआ। मामला बंद कर दिया है।
11.	श्री आर.पी. भटनागर महाप्रबंधक	डा. एस. ए. उप्पल प्राइवेट पार्टी	पर्यटन विभाग के दिनांक 1.11.93 के पत्र सं. 9/13/93 पीएसयू (प)	भ्रष्टाचार और कनिष्क शापिंग प्लाजा में किराया न देने के दोषी व्यक्तियों को संरक्षण देना। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग।	नहीं	जांचाधीन है।
(8) अवधि-जनवरी से अक्तूबर 1994						
12.	श्री जी एस स्लाथिया महाप्रबंधक	महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस–आई औरंगाबाद	नागर विमानन व पर्यटन मंत्री के अपर निजी सचिव के दिनांक 3.8.94 की टिप्पणी	सरकारी शक्तियों का दुरूपयोग	हां	जांचाधीन है।
13.	कनिष्क शापिंग प्लाजा का प्रबंधन	श्री आर. सी. सहेजा प्राइवेट पार्टी	पर्यटन विभाग के दिनांक 9.9.94 के पत्र सं. 10/2/92 पीएसयू (प)	बिजली की चोरी	नहीं	जांचाधीन है।
14.	श्री एम. आर. एस. कृष्णा, उपाध्यक्ष और श्री एस. सी. घई, उप महाप्रबंधक	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ	पर्यटन विभाग के दिनांक 21.5.94 के पत्र सं. 11/4/94 पीएसयू (प)	भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरूपयोग	नहीं	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम संघ कर्मचारी से हमें इस संस्तुटि की प्रति भेजी।

1	2	3	4	5	6	7
15	श्री वाई.पी. कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एल.आर. पाहवा, उपाध्यक्ष श्रीमती उषा आहलूवालिया महा प्रबंधक	भारत पर्यटन विकास निगम ट्रेड यूनियन संघ 1. श्री सूर्य नारायण यादव, संसद सदस्य 2. श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य	पर्यटन विभाग के दिनांक 19.5.94 के पत्र सं. 15/12/94 पीएसयू (प) और दिनांक 25.4.94 के पत्र सं. 15/7/94 पीएसयू (प)	भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरूपयोग	जी, हां	आरोप अस्पष्ट होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की गई।
16.	भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन	श्री निरंजन दास प्राइवेट पार्टी	पर्यटन विभाग के दिनांक 7.6.94 के पत्र सं. 9/16/94 पीएसयू (प)	भारत पर्यटन विकास निगम और अशोक होटल में भ्रष्टाचार	जी, हां	अपराधों, अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
17.	भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन (श्री गया सिंह, संसद सदस्य)	पर्यटन विभाग के दिनांक 25.6.94 के पत्र सं. 15/11/94 पीएसयू (प)	कैप्टन जे.बी. शर्मा महाप्रबंधक एटीटी की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई	जी, हां	साबित नहीं हुआ। नियमों और विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की गई।
18.	श्री ओ.एन. वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन जन मजदूर सभा	पर्यटन विभाग के दिनांक 13.5.94 के पत्र सं. 6/13/89 पीएसयू (प)	भ्रष्टाचार और सरकारी पद का दुरूपयोग	नहीं	जांचाधीन है।
19.	श्री ओ.एन. वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष	यूनाइटेड भारत पर्यटन विकास निगम अधिकारी एसोसिएशन	पर्यटन विभाग के दिनांक 24.5.94 के पत्र सं. 11/10/94 पीएसयू (प)	विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का उल्लंघन और भ्रष्टाचार	नहीं	जांचाधीन है।
20.	श्री अनिल भण्डारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मेजर सुधीर सामन्त, संसद सदस्य	पर्यटन विभाग पत्र सं. 6/16/92 पीएसयू (प) खण्ड–II, दिनांक 10.8.94	भ्रष्ट व्यवहार	जी, हां	सी. बी. सी. के साथ परामर्श करके मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है।
21.	श्री अनिल भंडारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.पी. चावला उप महा–प्रबंधक	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम अधिकारी एसोसिएशन	पर्यटन विभाग पत्र सं. 13/4/93 पीएसयू (प) दिनांक 12.4.94	भारत पर्यटन विकास निगम को 1992 में आबंटित किए गए स्टाल को उप–किराए पर देने में अनियमितताएं	जी, हां	13.12.94 को सी बी सी को उत्तर भेजा जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7
22.	श्री अनिल भंडारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मेजर सुधीर सामन्त, संसद सदस्य	पर्यटन विभाग पत्र सं. 6/10/92 पीएसयू (प) खण्ड–II, दिनांक 10.8.94	निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरूपयोग	नहीं	जांचाधीन है।
23.	श्रीमती कुसुम मलिक, महा प्रबंधक, निगम श्री आर.पी. चावला, मजदूर संघ उप महाप्रबंधक	अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम मजदूर संघ	पर्यटन विभाग के पत्र सं. 10/18/93 पीएसयू (प) दिनांक 16.5.94	पक्षपात और शक्तियों का दुरूपयोग	नहीं	जाचांधीन है।
24.	श्री अनिल भंडारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री गोविन्द दास नायकम, संसद सदस्य	पर्यटन विभाग के दिनांक 25.10.94 के पत्र सं. 15/54/93–पीएसयू (प)	विदेश के दूसरे के प्रति पक्षपात	नहीं	पर्यटन विभाग के विचाराधीन
25.	श्री अनिल भंडारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वही–	पर्यटन विभाग के दिनांक 31.10.94 के पत्र सं. 15/54/93–पीएसयू (प)	– –	नहीं	जांचाधीन है।

गुजरात में श्रमिक

1530. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार 1994–95 के दौरान इन श्रमिकों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों के लिए धनराशि देने पर सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है औ इसके लिए कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक केन्द्रीय सहायता नहीं मिली है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1991 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार गुजरात में मुख्य कर्मकारों की संख्या 14.09 मिलियन थी। जनगणना आंकड़ों में संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के अलग ब्यौरे नहीं दर्शाये गये हैं। तथापि, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित श्रम सांख्यिकी जेबी पुस्तिका (1994) के अनुसार गुजरात में 1991 में कारखानों में नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या 761,000 थी।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र

1531. डा. साक्षीजी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे आयात संवर्धन कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को आयात संवर्धन के लिए दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित इस प्रकार के किसी केन्द्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक संघ की सदस्यता

1533. श्री डी. पांडियन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 हेतु मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई, कोचीन और विशाखापट्टनम में पत्तन और गोदी में कार्यरत विभिन्न श्रमिक संघों की प्रमाणित श्रमिक संघ सदस्यता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार श्रमिक संघों की वास्तविक सदस्यता की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा जांच की अपेक्षा गुप्त मतदान प्रणाली लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) वर्ष 1993–94 के लिए मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, कोचीन और विशाखापत्तनम के पत्तनों और गोदियों में कार्यरत व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन आयोजित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन संबंधी रीति को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

आई.टी.पी.ओ. के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

1534. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ) के कई अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विदेश दौरो का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विदेशों में प्रत्येक स्थान पर कितने समय के लिए रूके;

(ग) ऐसे दौरों पर उक्त संगठन द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या इन दौरों व्यय की गई विदेशी मुद्रा को विदेशी मिशनों से सहायता लेकर बचाया जा सकता था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जी, हां। इटपो के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरों के स्थान इटपो के अनुमोदित वार्षिक भागीदारी कार्यक्रम के अनुसार है। इटपो के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विदेशी दौरे पर रूकने की अवधि प्रत्येक स्थान की आवश्यकता के आधार पर अलग होती है। इटपो के भिन्न–भिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे प्रर बिताये गये मानवदिवसों की संख्या निम्नलिखित है :

अधिकारी का स्तर	1992–93	1993–94	1994–95
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	41	36	49
कार्यकारी निदेशक	24	19	33
वरिष्ठ महाप्रबन्धक	38	37	7
महाप्रबन्धक	211	108	131
प्रमुख	94	86	109
प्रबंधक	280	227	124
संयुक्त प्रबंधक	260	158	274
उप प्रबंधक	133	324	216
सहायक प्रबंधक तथा अन्य	153	204	161
योग	1234	1199	1104

(ग) वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 (अप्रैल–नव. 1994) के दौरान कुल 3,67,37,558.54 रु. का व्यय हुआ।

(घ) तथा (ङ). इटपो के अधिकारियों को इटपो के विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में विदेशी दौरे करने पड़ते हैं जिसमें शामिल हैं : भारत तथा विदेश में व्यापार प्रदर्शनियां, क्रेता–विक्रेता बैठकें, विभागीय स्टोरों के जरिए संवर्धन, सम्पर्क संवर्धन तथा उत्पाद विकास कार्यक्रम साथ ही उत्पादों तथा बाजारों के संबंध में जानकारी प्रदान करना। इटपो विदेशों में व्यापार मेलों और अन्य व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी आयोजित करने के संबंध में जहां जरूरी होता है विदेश स्थित मिशनों की मदद भी लेता है। चूंकि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन और उनके परीक्षण की सीधी जिम्मेदारी इटपो की है जिसमें पूर्णकालिक व्यावसायिक निविष्टि की जरूरत होती है, इसलिए इस संबंध में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश

1535. श्री साइमन मरान्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगपतियों ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात हेतु और अधिक छूट देने की मांग की है और भारतीय तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु अधिक पूंजी निवेश करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1994–95 के दौरान कुल विदेशी पूंजी निवेश का माह–वार ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह कितना था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 23 नवम्बर, 1994 को वित्त मंत्री ने पूर्व–बजट सभा में उद्योगपतियों ने एक दल से भेंट की। उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर लगायी गई अत्यधिक बाधाओं को हटाते हुए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाये जाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़ाये जाने सहित उद्योगपतियों ने अनेक सुझाव दिये।

(ख) उपयुक्त आर्थिक नीति को तैयार करते समय उद्योगपतियों, अन्य संगठनों और संबंधिति व्यक्तियों द्वारा दिये गये सुझावों को सरकार ने अपने ध्यान में रखा है।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (डी एफ आई), विदेशी संस्थागत निवेशर्क (एफ आई आई) और यूरो इश्यू (यूरो) के माध्यम से विदेशी पूंजीगत निवेश को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :

महिने	डीएफआई (करोड़ रु.)		एफआईआई (मिलियन डालर)		यूरो (मिलियन डालर)	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
अप्रैल	404	137	2	165	0	89
मई	350	597	23	289	0	50
जून	631	546	34	261	0	220
जुलाई	923	143	46	82	154	526
अगस्त	917	4169	76	133	0	137
सितम्बर	319	2346	56	146	0	165
अक्तूबर	466	1632	59	180	244	281
अप्रैल–अक्तूबर	4010	9570	285	1255	398	1468

[अनुवाद]

विमान चालकों को प्रशिक्षण

1536. श्री पी.सी. थॉमस : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान चालकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विमान चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के संबंध में गंभीर अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने का है ताकि विमान दुर्घनाओं को टाला जा सके?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग): विमान दुर्घटनाओं से बचने के लिए विमान चालकों के प्रशिक्षण को संवृद्ध बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) उड़ाने क्लबों को सिमुलेटर प्रदान करना।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में मुख्य उड़ान अनुदेशक मानकीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में उड़ान अनुदेशक रेटिंग ग्राउण्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(4) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा मुख्य उड़ान अनुदेशकों की मौखिक जांच किया जाना।

(5) उड़ान प्रशिक्षण नदेशक द्वारा उड़ान क्लबों का निरीक्षण किया जाता है।

(6) विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिए निजी अकादमियों का अनुमोदन करना।

बैंक जालसाजियों संबंधी समिति

1537. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों में होने वाले कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) अब तक कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकृति की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न मदों की जांच पड़ताल करने के लिए श्री ए. घोष, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, की अध्यक्षता मे एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने 1992 में गवर्नर, आर बी आई को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति की मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की रिपोर्ट की जांच की थी और अगस्त, 1992 मे बैंकों से रिपोर्ट में दी गई 123 सिफारिशों में से 88 सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वित करने के लिये कहा गया था। बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। शेष सिफारिशों की सरकार और भारतीय बैंक संघ के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच की थी और बैंकों से अब 16 सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

क्षेत्रों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं को जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति की मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. बैंकों को प्रचालनात्मक ऐहतियातों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

2. करेंसी वेस्ट लेनदेनों का सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण विभाग को उसी दिन देनी चाहिए।

3. बैंकों को लांडरिंग जैसे कार्यकलापों के लिए दुरुपयोग से स्वयं को बचाना चाहिए और असामान्य लेनदेनों के मामलो को कर प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों को तत्काल सूचित करना चाहिए।

4. बैंको को लिखित निवेश नीति रखनी चाहिए जिसमें निवेश पोर्टफोलियों प्रबंधन के आवश्यक पहलुओं की रूपरेखा को दर्शाया गया हो। उन्हें अपनी विद्यमान पद्धतियों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा भी करनी चाहिए।

5. बैंकों को ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार के रूप में एक लिखित ऋण नीति तैयार करनी चाहिए।

6. अग्रिम पोर्टफोलियो में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को अपेक्षित/आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करें और कमी को दूर करें।

7. बैंकों को एक स्वतंत्र ऋण पुनरीक्षा विभाग प्रधान कार्यालय स्तर पर और अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थापित करना चाहिए।

8. बैंकों को अपनी नियंत्रण और सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कम्प्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में धोखाधडियों को रोका जा सके।

9. बैंकों को अनियमितताओं कदाचारों और धोखाधड़ियों का समय पर पता लगाने के लिए अपने निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

10. अनुषंगी कंपनियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए उचित नियंत्रण प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है ताकि जिन कार्यकलापों को बैंकों के लिए निशेध किया गया हो, अनुषंगी उन्हें न करें।

11. स्वयं को प्रभावी करने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारियों को उच्च प्रबंधन के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और उन्हें प्रारंभिक जांच करने, मामला तैयार करने के लिए सांविधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। उसके पश्चात ऐसे मामलों को सक्षम कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों को सौंपना। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार करना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापित अनुषंगी कंपनियों को सक्षम सतर्कता तंत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सके।

12. विभिन्न जांच एजेंसियों अर्थात बैंकों का सतर्कता विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पुलिस के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और बैंकिंग प्रभाग के बीच समय-समय पर बैठक भी होनी चाहिए।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम

1538. श्री शरत् पटनायक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1993 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ मृत्यु तथा स्थायीपूर्ण अशक्तता के लिए क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि को क्रमशः 20,000 रु. से 50,000 रु. और 24,000 रु. से 60,000 रु. तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि का निर्धारण करने के लिए 1,000 रुपये की मासिक मजदूरी सीमा को भी बढ़ाकर 2,000 रुपये तक किया जा रहा है। अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार को ऋण

1539. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों ने महाराष्ट्र सरकार को कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शीर्ष योजना, गैर योजना, आकस्मिक अग्रिम और बाजार ऋण के अंतर्गत लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लेग फैलने के कारण हवाई उड़ानों को रद्द किया जाना

1540. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री रमेश चेन्नित्तिला :
श्री राम नाईक :
श्री गुरूदास कामत :
श्री सनत कुमार मंडल :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री साइमन मरान्डी :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री वेंकटेश्वर राव :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में प्लेग फैलने के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ने अपनी कई उड़ानें रद्द की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इनमें से प्रत्येक विमान कम्पनी को कितनी धनराशि का वित्तीय घाटा हुआ;

(घ) क्या प्लेग फैलने से कई विदेशी एयरलाइनों ने भी भारत के लिए अपनी उड़ानें रद्द की थीं;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें रद्द की थीं;

(च) क्या सभी एयरलाइनों ने अब अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं;

(छ) यदि नहीं, तो किन-किन एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें अभी तक फिर से शुरू नहीं की हैं; और

(ज) इन एयरलाइनों की विमान सेवायें फिर से शुरू करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली में प्लेग फैलने के परिणामस्वरूप, विभिन्न देशों द्वारा अपने देशों में भारतीय यात्रियों के प्रवेश और उड़ानों के प्रचालन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने क्रमशः 434 और 110 उड़ानें रद्द की।

(ग) उड़ानों के रद्द होने के कारण एयर इंडिया को 29.88 करोड़ रुपए और इंडियन एयरलाइन्स को 28 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1. साऊदिया
2. अमीरात
3. गल्फ एयर
4. बीमान बंगलादेश
5. पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स
6. एयर कनाडा
7. कुवैत एयरवेज़
8. मलेशियिन एयरलाइन्स
9. एयर लंका
10. एयरोफ्लोट
11. ओमान एयर
12. कतार एयरवेज़
13. एयर मोरीशस
14. यमनीया
15. कजाकिस्तान एयरवेज़

(च) जी, हा।

(छ) और (ज). ये प्रश्न नहीं उठते।

इन्दौर एयरपोर्ट

1541. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्दौर एयरपोर्ट पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ). इन्दौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा किए जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। चूंकि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम पर मौजूदा पांचों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत से और भारत को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं इसलिए इस समय किसी अन्य हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा किए जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मसालों के निर्यात मूल्य में कमी

1542. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए प्रमुख मसालों के मूल्यों में मामूली कमी हुई है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी वस्तुवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्यों में कमी आने के कारण जिन उत्पादकों को नुकसान हुआ है, उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). भारत से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख मसालों की कीमतों में कोई आम गिरावट नहीं आई है, लेकिन उनकी कीमतों में उतार–चढ़ाव रहा है जैसा कि निम्नलिखित प्रमुख मसालों की निर्यात कीमत के वस्तु–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरे से देखा जा सकता है :

(रुपया/किग्रा.)

मसाले	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4
काली मिर्च	36.19	32.97	38.51
इलायची (छोटी)	286.29	395.04	405.37
इलायची (बड़ी)	55.44	68.31	68.32
मिर्च	27.45	40.08	22.60
अदरक	15.35	17.39	12.59
हल्दी	19.21	24.59	20.59
धनिया	13.30	15.27	15.27
ज़ीरा	38.54	58.26	48.81
अजमोदा	16.75	14.88	16.49
सौंफ	22.51	23.87	23.07
मैथी	8.74	10.81	14.57
लहसुन	8.06	9.45	12.13

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता/सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा पास किए गए पोतलदान बिलों से प्राप्त निर्यात आंकडों के आधार पर

(ग) भारत सरकार का कृषि मंत्रालय संबंधित राज्य के परामर्श से मसालों सहित उन चुनिंदा फसलों के विपणन में हस्तक्षेप करती है जहां केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नेफेड द्वारा और जहां राज्य सरकार द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा खरीद की जाती है। यदि कोई घाटा होता है तो उसे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच बराबर–बराबर वहन किया जाता है।

सम्पत्ति कानून

1543. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल :
श्री गोविंद राव निकम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संपत्ति के स्थानांतरण, पंजीकरण और टिकट शुल्क से संबंधिति कोई प्रस्ताव विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). संपत्ति स्थानांतरण से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक पंजीकरण अधिनियम, 1908 का संबंध है, अधिनियम की धारा 30 (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के संबंध में, सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखकर अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को अध्ययन का कार्य सौंपा था। संस्थान की रिपोर्ट राज्य सरकारों और मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दी गई है।

इमारती लकड़ी पर आयात शुल्क

1544. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, कनाडा, ब्राजील, चिली, म्यांमार और मलेशिया जैसे इमारती लकड़ी के निर्यातक देशों से इमारती लकड़ी, गोलाकार

लट्ठों, चीरी हुई तथा परिष्कृत इमारती लकड़ी पर आयात शुल्क में वृद्धि होने के कारण भारत में इनके आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इमारती लकड़ी के आयात पर लगाए गए वर्तमान आयात शुल्क की पुनरीक्षा करने तथा आवश्यक वन क्षेत्र संरक्षण करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994–95 के बजट में अथवा उसके बाद इमारती लकड़ी पर आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम

* **1545. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बच्चों के अधिकारों की स्थिति तथा बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन के अनुरूप अपनाए गए उपायों के संबंध में 1995 के शुरू में ही बॉल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाल अधिकारों को संरक्षण देने तथा विशेषकर जोखिम भरे व्यसायों में बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक कानून बनाने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बालकों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 44 पैराग्राफ 1(क) की अपेक्षानुसार, अभिसमय की स्टेट पार्टी के रूप में भारत की प्रारम्भिक रिपोर्ट 10.1.1995 को (अर्थात् बालकों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के लिए भारत के पदारोहण के दो वर्ष पश्चात्) देय हो जाती है।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग (क) और (ख) में व्यवसाय और प्रक्रियाएं विहित है जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 (1) के अंतर्गत गठित तकनीकी बाल श्रम सलाहकार समिति सरकार को अनुसूची में व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन हेतु सलाह देती है। इस समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की अनुसूची में और प्रक्रियाओं तथा व्यवसायों को शामिल किया है। अधिनियम की अनुसूची का भाग (क) और (ख), जिसमें और व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, संलग्न हैं।

बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों में संरक्षात्मक उपबंध विहित हैं। सरकार का दृष्टिकोण विभिन्न कानूनों के बाल श्रम से संबंधित सभी उपबंधों को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्यान्वित करना है। अतः अलग से किसी व्यापक विधान की आवश्यकता नहीं है।

इन अधिनियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर प्रवर्त्तन तंत्र विद्यमान है। इन अधिनियमों के उपबंधों का उल्लघंन करने पर नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है। इन कानूनों के बेहतर प्रवर्त्तन के लिए प्रवर्त्तन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

अनुसूची	बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 से उद्धरण।
1	2

भाग–क

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबद्ध कोई व्यवसाय :

(1) यात्री, माल अथवा रेलवे द्वारा डाक परिवहन;

(2) सिंडर उठाना, राख के गड्ढे की सफाई अथवा रेल परिसरों में भवन निर्माण;

(3) रेलवे स्टेशन पर खान–पान प्रतिष्ठान में कार्य इसमें वैंडरों अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म अथवा चलती रेल गाड़ी में अथवा बाहर की गतिविधि शामिल है;

(4) रेलवे स्टेशन का निर्माण से संबंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाईन के अत्यधिक समीप अथवा रेलवे लाइनों के बीच किया जाता है;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर पत्तन प्राधिकरण;

*(6) अस्थायी लाइसेन्सों वाली दुकानों में पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य।

**(7) बूचड़ खाने/पशुवध गृह

भाग–ख

प्रक्रियाएं :

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन–बुनाई

(3) सीमेन्ट विनिर्माण, सीमेन्ट की बोरी में भरने सहित

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई

(5) माचिस विनिर्माण, विस्फोटक तथा अतिशबाजी

(6) अभ्रक कटाई तथा विखण्डन

(7) श्लैक विनिर्माण

(8) साबुन विनिर्माण

(9) चमड़ा शोधन

(10) ऊन की सफाई

(11) भवन निर्माण तथा विनिर्माण उद्योग

(12) स्लेट पेंसिल विनिर्माण (पैकिंग सहित)

(13) गोमेद से उत्पाद विनिर्माण

*(14) विषैली धातुओं तथा सीसा, पारा, मैगनीज, क्रोमियम, कैडेमियम, बेंजिन, कीटनाशक तथा एसबेस्टास जैसे पदार्थों के प्रयोग से विनिर्माण प्रक्रियाएं

**(15) "जोखिमकारी प्रक्रियाएं" जैसा कि धारा 2 (ग, ख) में परिभाषित किया गया है और "खतरनाक कार्य" जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अन्तर्गत बने नियमों में अधिसूचित किया गया है;

**(16) छपाई जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ट) (iv) में परिभाषित किया गया है।

**(17) काजू तथा केशूनट की छिलाई करना तथा तैयार करना।

**(18) इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों मे सोल्डरिंग कार्य।

अनु. : * भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 5 जून, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. संख्या 404 (अ.) द्वारा।

** भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 29 मार्च, 1994 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. संख्या 263 (अ) द्वारा।

फर्जी ऋण पत्र

1546. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने जून, 1994 में, नेपाल स्थिति भारतीय व्यापारियों द्वारा उनके स्वामित्व वाली अनिवेशी कम्पनियों द्वारा आहरित अनेक ऋण पत्रों का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और नेपाल के बीच हुई बैठक में खेपों की निकासी के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में लिए गए निर्णय को लागू कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नेपाल में माल के आयात के कई मामलों का पता चला है जबकि जांच करने पर देखा गया कि नेपाल में आयात करने वाले व्यक्ति काल्पनिक थे/अस्तित्व में नहीं थे। इस संबंध में की गई जांच से नेपाल में रह रहे किसी भारतीय व्यावसायिक के इसमें अंतर्गत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) जून, 1994 तक ऐसे 26 मामलों का पता चला है।

(ग) और (घ). एच. एस. जी. नेपाल की सरकार और भारत के बीच में कई मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों के संबंध में कुछेक मानदण्ड निर्धारित किए गए थे जैसे कि संवेदनशील मदों की सूची, परिवहन का तरीका, किया गया बीमा, सीमाशुल्क पारगमन घोषणा दायर करते समय क्रेडिट पत्र की प्रति प्रस्तुत करना और खाली आधानों की उपयोगिता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तंजौर हवाई अड्डा

1547. श्री के.टी. वान्डायार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजौर हवाई अड्डे को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है तथा इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार की विश्व तमिल सम्मेलन तथा पर्यटन की दृष्टि से पुरातन शहर के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए इस हवाई अड्डे को तुरन्त खोलने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ). तंजौर हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। अनुसूचित एयरलाइनों से मांग की कमी और संसाधनों की तंगी के कारण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तंजौर हवाई अड्डे पर सिविल एन्कलेब प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

1548. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं चल रही हैं और वे कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितनी शाखाएं घाटे में चल रही हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही शाखाओं को बंद कर देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन शाखाओं को लाभ कमाने वाली शाखाएं बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 10 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1310 शाखाएं थीं। उनकी अवस्थिति के संबंध में विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह इकट्ठा किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 241 शाखाएं ऐसी हैं जो 31 मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार तीन वर्षों या उससे अधिक समय से घाटा उठा रही है। बैंक–वार विवरण नीचे दिया गया है :

बैंक का नाम	हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	92
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
इलाहाबाद बैंक	1
आन्ध्रा बैंक	5
बैंक आफ बड़ौदा	2
बैंक आफ इंडिया	5
केनरा बैंक	4
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	8
इंडियन बैंक	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	25
पंजाब नेशनल बैंक	18
सिंडिकेट बैंक	2
यूनियन बैंक आफ इंडिया	7
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	46
यूको बैंक	22
	241

(ग) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत बैंकों को अपनी ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं के अलावा, अलाभकारी शाखाओं को बन्द करने की अनुमति दी गई है। एक वाणिज्यिक बैंक शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों पर हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करना, वांछनीय नहीं माना गया है। तथापि, दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा सेवारत केन्द्रों पर उनमें से एक शाखा को बन्द करने के लिए निर्णय, आपसी परामर्श से, संबंधित बैंकों द्वारा लिया जा सकता है। बैंक, बन्द होने वाली अपनी ग्रामीण शाखाओं की पहचान के लिए सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं और संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित उनके प्रस्ताव को, उसके अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जा सकता है।

(घ) बैंक हानि उठाने वाली शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं

(1) जमाराशियों के सम्मिश्रण में सुधार करना।

(2) उच्च लाभप्रदत्ता वाले अग्रिमों में लगाना।

(3) शाखा को पुनः अवस्थित करना जहां अपर्याप्त कारबार के लिए उसकी अवस्थिति/घाटा उत्तरदायी है।

(4) अतिदेय राशियों की वसूली और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करके परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना।

(5) वसूली प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में कृतिक बलों का गठन करना।

(6) हानि उठाने वाली शाखाओं की निरंतर पुनरीक्षा करना और उनकी प्रगति की बारीकी से जांच करना।

(7) व्यय में कमी।

(8) निधियों का उचित प्रबंधन।

प्लास्टिक पर आयात शुल्क

1549. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक पर आयात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब से कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महोदय, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त **(क)** को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

'नाबार्ड' द्वारा अल्पावधि ऋण

1550. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाबार्ड' द्वारा दिये गये अल्पावधि के अग्रिम ऋणों पर 3 से 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है;

(ख) क्या 1993 से पूर्व अल्पावधि ऋणों पर ब्याज की दर समरूप थी;

(ग) क्या बढ़ी हुई ब्याज की दर के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंक और सहकारी समिति घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण है,

(ङ) क्या 'नाबार्ड' का विचार समरूप ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालन पुनर्वित्त पर

राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) से उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दर और उसका आधार निम्नलिखित है :

राज्य में सभी डीसीसीबी के संबंध में पीएसी के लिए बकाया औसत एसएओ ऋण के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड से एससीबी के औसत उधार	एस ए ओ के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर प्रभारित ब्याज दर
37 से कम	3.0
37 और अधिक परन्तु 40 से कम	3.5
40 और अधिक परन्तु 45 से कम	4.0
45 और अधिक परन्तु 50 से कम	4.5
50 और अधिक परन्तु 58 से कम	5.0
58 और अधिक परन्तु 67 से कम	5.5
67 और अधिक परन्तु 80 से कम	6.0
80 और अधिक	6.5

उपर्युक्त दर सरंचना 1 नवम्बर, 1991 से लागू है। अलबत्ता, पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 1992–93 और 1993–94 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज दरें 3 से 5 प्रतिशत के बीच हैं और देश के अधिकांश राज्य सहकारी बैंक न्यूनतम 3 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित कर रहे थे।

(ग) और (घ). नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया है कि अलग–अलग ब्याज दरों के वर्तमान फार्मूला से सहकारी बैंकों को घाटा नहीं हो रहा है।

(ङ) और (च). एक समान ब्याज दर पर अल्पावधिक एसएओ ऋण देने का नाबार्ड का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा लागू नीति सदा इस सोच पर आधारित रही है कि रियायती पुनर्वित्त अनुपूरक किस्म का होना चाहिए और सहकारी ऋण संरचना में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक प्रणाली होनी चाहिए। इसके लिए ब्याज दरों को पुनर्वित्त की निर्भरता के प्रत्यक्ष अनुपात में जोड़ा जाना चाहिए।

महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

1551. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फैक्ट्रियों तथा अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत महिला श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में महिला श्रमिकों को बराबर की मजदूरी दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार, दिल्ली में कारखानों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत् महिला कर्मकारों को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कारखानों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में पुरूषों और महिलाओं दोनों से ही समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार, दिल्ली में महिला कर्मकारों को समान मजदूरी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षणालय के स्टाफ द्वारा समय–समय पर स्वतः प्रेरणा से निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

धन को दूसरी मदों में लगाया जाना

1552. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी हटाने हेतु स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एजेन्सी से प्राप्त धनराशि को दूसरी मदों में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से प्राप्त कितने प्रतिशत धनराशि को उन्नत औद्योगिक परियोजनाओं में लगाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज पर सीमाशुल्क

1553. श्री राम निहोर राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलकर समिति तथा प्राक्कलन समिति ने स्टेंडर्ड अखबारी कागज पर सीमाशुल्क लगाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों के अनुसार सरकार का अखबारी कागज पर सीमाशुल्क लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। केलकर समिति ने अपनी दीर्घावधिक नीति संबंधी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ विकेन्द्रीकरण के साथ 40 प्रतिशत की टैरिफ दर लगाकर सभी समाचार–पत्रों के लिए खुले सामान्य लाईसेन्स द्वारा आयात सुविधा लागू करके नियंत्रित मूल्य और मात्रात्मक आबंटन नीति संबंधी व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया था। प्राक्कलन समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ, अखबारी कागज के बारे में दीर्घावधिक नीति संबंधी केलकर समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया था।

(ग) से (ङ). वर्ष 1995–96 के आगामी केन्द्रीय बजट को देखते हुए, इस समय इस मामले में सरकार के विचारों की जानकारी देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बैंक शाखाएं

1554. श्री पीयूष तीरकी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1994–95 के दौरान नई बैंक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 1990–95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत शाखायें खोलने के लिए बैंकों को वर्ष–वार लक्ष्य आबंटित नहीं किया जाता है। अलबत्ता, ऊपर उल्लिखित शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र के तहत पता लगाए गए ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त उचित रूप से अनुसंशित प्रस्ताव पर गुणदोषों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है। इस आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए 264 केन्द्र आबंटित किए हैं। जहां तक अर्ध–शहरी केन्द्रों का संबंध है, अखिल भारतीय आधारित बैंकों को आबंटित कोटा के अंतर्गत उन्हें अपनी पसंद के केन्द्र में शाखायें खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्ध–शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के प्रयोजन के लिए कोई राज्य–वार कोटा आबंटित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में शाखाएं खोलने के लिए उसने 1290 अर्ध–शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर के केन्द्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में गठित कार्यशील दल द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों के आधार पर आबंटन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में 985 केन्द्र आबंटित किए गए हैं। चालू शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंको का विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं अर्थात औद्योगिक वित्त, विदेशी, एसएसआई/एसआईबी, एनआरआई राजकोषीय शाखा आदि खोलने की स्वतंत्रता है। यह वे उस केन्द्र में पर्याप्त कारबार सुनिश्चित करने के बाद कर सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजना जरूरी नहीं हैं। अलबत्ता, इन प्रस्तावों को छोड़कर वे प्रस्ताव जो विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें पूर्व अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजना होता है। बैंकों को शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990–95 के अंत तक अर्थात 31 मार्च, 1995 तक आबंटित केन्द्रों में शाखायें खोलनी अपेक्षित हैं। फिर भी, आबंटित केन्द्रों में शाखाएं खोला जाना उपर्युक्त परिसरों, पक्की सड़कों, दूर–संचार केन्द्रों आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

यू.एन.डी.पी. सहायता

1555. डॉ. के.वी.आर. चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यू.एन.डी.पी. ने कितनी सहायता प्रदान की; और

(ख) इस सहायता से चलाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) द्वारा दी गई सहायता की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि अमरीकी डालर में
1991	20,253,185
1992	18,367,246
1993	31,803,873

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की तकनीकी सहायता विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की कार्य अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार मुहैया कराई जाती है। विभिन्न राज्यों में अवस्थित इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यू. एन. डी. पी. नई दिल्ली-कार्यक्रम वितरण 1991 से 1993 तक

परियोजना संख्या	परियोजना का नाम	अवस्थिति	कार्यक्रम विवरण			
			1991	1992	1993	'91–93
1	2	3	4	5	6	7
इंड–85–038	यूटिलिटी ऑफ हाईड्रोफ्रैक्चरिंग	कोठेगुडम	(5153)	–	–	(5153)
इंड–89–129	आर.एण्ड.डी. मैटल फॉरमिंग (पी.ए.)	हैदराबाद	3938	15403	4840	14501

1	2	3	4	5	6	7
इंड 90–005	यूटिलाइजेशन ब्लू डस्ट	हैदराबाद	44884	1249	(1482)	44651
इंड 91–008	हाईब्रिड राइस टैक्नालोजी	हैदराबाद	12478	157760	1865152	2035390
इंड–92–031	इन्डस्ट्री कंपीटीटिवनेस इन एशिया	हैदराबाद			8524	8524
	आंध्र प्रदेश		56147	174412	1867354	2097913
इंड 80–052	कोल माइन्स आपरेशन्स	रांची	10515	68831		79346
इंड–85–007	प्रीडिक्टिवमेंट फर्टिलाइजर	सिन्दरी	(1532)			(1532)
इंड–85–064	एनर्जी सेविंग एण्ड कन्जरवेशन सेल	रांची	64265		64	64265
इंड–87–001	वर्किंग कन्डीशन्स इन माइन्स	धनबाद	131551	1394		132945
इंड–88–011	पी. डी. एल. सुविधाएं	सिन्दरी	138993	256163	80650	475806
इंड 88–012	इम्प्रूव्ड कोरोजन, पी.डी.आई.एल.	सिन्दरी	285400	75481	2076	362957
	बिहार		629192	401869	82726	1113787
इंड–88–007	माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स	चण्डीगढ़	309565	34873	832649	1177087
इंड 90–034	प्रीसिजन मैकेनिकल डिजाइन	चण्डीगढ़	75752	581003	609562	1266317
	चण्डीगढ़		385317	615876	1442211	2443404
इंड–87–002	ओशियन डाटा अनालिसिज	गोआ	142412	61544	8066	212022
इंड 91–026	मैटल्स एण्ड प्लास्टिक्स ट्रैनिंग सेन्टर	पणजी		50830	776896	827726
	गोआ		142412	112374	784962	1039748
इंड–81–045	जियोफिज़िकल सीसमिक सर्वे	बडोदा	(70)	(14988)		(15058)
इंड–82–001	ईजीकेयर कॉटन फैब्रिक्स	अहमदाबाद	(4181)			(4181)
इंड–84–001	पेट्रोकैमिकल काम्पलेक्स	बड़ौदा	(11421)			(11421)
इंड–90–006	कैपेबिलीटीज़ नेशनल इन्सटी. ऑफ डिजाइन	अहमदाबाद	57801	83102	19094	159997
इंड 90–024	इवैल्यूएशन ऑफ ई.ओ.आर. पाइलट्स	अहमदाबाद	263874	(250583)	189313	202604
इंड 91–091	संप्पोर्ट टू.सी.ई.आर.सी.	अहमदाबाद			155726	155726
इंड–92–306	जूट–ए.टी.आई.आर.ए.	अहमदाबाद			1158619	1158619
	गुजरात		306003	(182469)	1522752	1646286
इंड–89–128	पेस्टीसाइड देव सेन्टर	गुड़गांव	204504	190112	318048	712664
	हरियाणा		204504	190112	318048	712664
इंड–85–015	मैकेनीकल वूड इंड.	बंगलौर	337811		(7652)	330159
इंड 85–059	देधाकोस्टल एक्वाकल्चर	बंगलौर	281903	14772	554	297229
इंड 85–060	देव अर्थमूविंग मशीनरी	बंगलौर	51			51
इंड–88–010	सिरामिक टेक इन्स्टीटयूट	बंगलौर	294313	387287	153851	835451
इंड–91–025	कॉम इंण्टैग मैन्यूफैक्चर	बंगलौर		95	55757	55852
इंड–91–103	पावर लाइन एग्रेगेट्स	कोलार		75521	1158312	1230833
	कर्नाटक		914078	474675	1360822	2749575
इंड–83–011	फ्ल्यूड कट्रॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट	पालघाट	1633			1633
इंड–90–014	इलैक्ट्रॉनिक्स डेस एण्ड टेक प्रोसेस	कोझीकोड	24632	109245	203807	337684

1	2	3	4	5	6	7
इंड 91–005	फ्लूइड कण्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट	पालघाट	35391	262906	16944	315241
	केरल		61656	372151	220751	654558
इंड–85–065	हाई सेक. एनीमल डिसीज लैब	भोपाल	(8073)	4949	(20485)	(23609)
इंड–88–003	इलै. ट्रांस्पोर्टेशन टेक	भोपाल	280031	228461	449317	957809
इंड–88–023	स्टीज ऑन ट्राइबल हैल्थ	जबलपुर	70147	(5966)	(582)	63599
	मध्य प्रदेश		342105	227444	428250	997799
इंड 83–017	फेटीग लेब फार ओटो इंड	पुणे	776			776
इंड–85–040	पैकेज टेस्टिग, आई.आई.पी.	बम्बई	3691		25	3716
इंड 85–061	ब्रिज टेकनोलॉजी	पुणे	707			707
इंड 85–070	ऑटोमोटिव इम्मिशन लेब	पुणे	30048		1484	41532
इंड–86–019	प्रिटिंड टैक्सटाइल्स डिजाइन्स	बंबई	(24390)	(1545)		(25935)
इंड–86–040	मिनेरल प्रो. लेब, नागपुर	नागपुर	315876	142482	295735	754093
इंड–87–007	जिओलाइट केटालिस्ट्स	पुणे	605851	190524	43210	839585
इंड–88–013	ट्रेनिंग इन मिनेरल रिसोरसस	नागपुर	7443	(14581)		(7138)
इंड 88–015	अल्यूमिनियम रेस सेन्टर	नागपुर	782848	423673	789256	1995777
इंड–88–011	नैट ड्रिलिंग ट्रेनिंग सेन्टर	नागपुर	236637	173369	49750	459756
इंड–82–041	एन.सी./सी.एन.सी. फसीलिटीज़ एट.ए.आई.	बंबई	480019	81376	35354	596749
इंड–90–008	ऑटो ओपर इरिगेशन केनल सिस्टम्स	पुणे	401	18440	203695	222536
इंड–90–019	मॉडर्न गोल्ड मिण्ट टेक (पी. ए.)	बम्बई	34174	(3539)	15553	46188
इंड–90–038	फ्लूयवियल ओसियन हाइड्रो मेकेनिक्स	पुणे	110781	258495	285257	654533
इंड 91–002	पेटेण्ट इनफो सिस्टम	नागपुर	409	339494	129085	468988
इंड 92–301	जूट–बी.टी.आर.ए. (पोलीमर फाइने.)	बम्बई			271926	271926
इंड 92–308	जूट–बी.टी.आर.ए. (यूनी–प्रॉडक्ट्स)	बम्बई			762913	762913
इंड–92–311	जूट–डब्ल्यू.आर.ए.	बम्बई			181545	181545
इंड–92–313	जूट–आई.आई.एफ.	बम्बई			13	13
इंड 93–006	एडमिन; एण्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क्स इन इंडिया	वम्बई			59895	59895
	महाराष्ट्र		2585271	1608188	3134696	7328155
इंड 78–020	एरिल एज्यू. रिसर्च	नई दिल्ली	541			541
इंड–79–034	सोइल डायनामिक्स	नई दिल्ली	1085			1085
इंड–80–011	रिमोट सेंसिंग लैण्ड रिवे	नई दिल्ली	164			164
इंड–80–037	पेस्टीमाइड देव प्रोग.	नई दिल्ली	(4596)			(4596)
इंड–82–033	कम्प्यूटर एडिट डेस.	नई दिल्ली	(359)			(359)
इंड–82–034	अपर ऑटोमेशन	नई दिल्ली	106009	11429	(11429)	106009
इंड–83–016	इनसेट फॉर एज्यू.	नई दिल्ली	13492			13492
इंड–84–003	मोडर्न फॉरेस्ट फायर कन	नई दिल्ली	(51729)	8037	(3706)	(47398)
इंड–84–006	लो कास्ट केनल लाइनिंग	नई दिल्ली	(1415)			(1415)
इंड–84–011	ग्राण्डवाटर कासाइ. साबरनारेखा	नई दिल्ली	11984			11984
इंड–84–020	सिमेन्ट रिस. इंस्टिट्यूट	नई दिल्ली	219742	84403	209549	513694

1	2	3	4	5	6	7
इंड–84–030	माइक्रो–प्रोसेसर अपली इंजी.	नई दिल्ली	49753	236		49989
इंड–85–004	इंजीनियरिंग कनस. सर्विस	नई दिल्ली	(2853)	1456	34310	32913
इंड–85–027	मॉडर्न–कारलेग्राफिक सेण्ट	नई दिल्ली	40057	414392	96461	550910
इंड–85–032	रेग; टेलकॉम ट्रेनिंग सेण्ट	नई दिल्ली	569233	188794		758027
इंड–85–047	करीकुलम देव. एज्यू.	नई दिल्ली	(220)			(220)
इंड–85–055	सेडीमेन ऑफ रिजर्व वॉयरस	नई दिल्ली	119735	13748	25358	15884
इंड–85–072	नालिज्ड बेसड कॉम सिस्टम	नई दिल्ली	390683	664160	145585	1200428
इंड–85–074	फाबरे ऑपटिक टेक,	नई दिल्ली	220972	3486	(16505)	207953
इंड–85–083	नैट. इंस्टीट्यूट आफ इम्पोनोलोजी	नई दिल्ली	16071	13010		29081
इंड–86–002	सोलर इन सेण्ट	नई दिल्ली	290285	134952	83489	508726
इंड–86–005	इनटेग आपरे. एण्ड कन्ट्रोल पावर सिस्टम	नई दिल्ली	(103137)	117360		14223
इंड–86–007	रेडियो मानीटरिंग/स्पेक्ट्रम मैनजमेंट	नई दिल्ली	203387	111009	153982	468378
इंड–86–009	एजे. रिस. इन कामनेट	नई दिल्ली	1445028	396058	372279	2213365
इंड–86–010	टेलिमैटिक्स देव,	नई दिल्ली	72410	26462	130	99002
इंड–86–012	पी.जी. एज. इन चाइल्ड न्यूट्रिशन	नई दिल्ली	45437	167654	66668	279759
इंड–86–014	वाटर सिस्टम्स. कोल माईनिंग	नई दिल्ली	35140	44240	27680	107060
इंड–86–018	पेट्रोलियम प्रोड.	नई दिल्ली	1590	36015	484027	521632
इंड–86–032	एक्सपोर्ट मार्किट. एल. काम.	नई दिल्ली	236	(500)	132	(132)
इंड–86–034	नै. टेलिकॉम नेटवर्क	नई दिल्ली	94873	755		95628
इंड–86–036	डैम सेफ्टी सर्वेलैंस	नई दिल्ली	292554	53101	8378	354033
इंड–86–039	मैनेजमेंट कन्सलटैन्सी (फेज–II)	नई दिल्ली	2588			2588
इंड–87–004	प्रोक्योरमैंट फ्रॉम डेव. कंट्रीज़	नई दिल्ली	33067	85469	(11328)	107208
इंड–87–008	ट्रेनिंग इन पब्लिक एडमिन.	नई दिल्ली	239087	215239	18715	473041
इंड–87–011	इन्टरनल मैनेजमेंट एजूकेशन	नई दिल्ली	371203	175074	66571	612848
इंड–88–002	आई.जी. सेंटर फार आर्टस	नई दिल्ली	6000			6000
इंड–88–004	टेकनीक फार अर्थक्वेक रिस्क	नई दिल्ली	471			471
इंड–88–006	मार्डन होटल केटरिंग इन्स्टीट्यूट	नई दिल्ली	708294	(5057)	(7946)	695291
इंड–88–024	सेमी कन्डक्टर डिवाइसिज	नई दिल्ली		40303	(1410)	38893
इंड–88–074	टेक्नीकल कैपेबिलिटिज	नई दिल्ली	31772	11871	1134	44777
इंड–89–099	प्रोक्योरमेंट सर्विस फार-ही–टैक इक्यूपमेंट	नई दिल्ली	255858	59042		314900
इंड–89–100	एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग	नई दिल्ली	42287			42287
इंड–89–103	बायो–कैमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टैक.	नई दिल्ली	520245	120001	144496	784742
इंड–89–107	नेशनल इंजी. कंजरवेशन	नई दिल्ली	293911	200938	(7021)	487828
इंड–89–117	मैंनेजमेंट कन्स्ट्र. देव.	नई दिल्ली	260456	48454	23480	332390
इंड–89–134	टोकटीन (फेस–II)	नई दिल्ली	171647			171647
इंड–89–136	नेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम	नई दिल्ली	348261	155751	180753	684765
इंड–90–001	डवल. प्राइमरी एजू.	नई दिल्ली	8			8
इंड–90–007	फीटोट्रान फैरिलिटी	नई दिल्ली	78527	138937	1142102	1359566

1	2	3	4	5	6	7
इंड–90–009	स्ट्रैन. कैपेसिटी आफ सी.एस.एम.आर.एस	नई दिल्ली	117601	751959	1011321	188088
इंड–90–013	मैनेजमेंट देव. कारपोरेशन सैक.	नई दिल्ली	181533	169463	27227	378223
इंड–90–017	फार सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	नई दिल्ली	99852	211907	10084	321843
इंड–90–018	सैन. फार वीएसएलआई डिजाइंन	नई दिल्ली	478826	827662	214754	1521242
इंड–90–028	एस्टे सरफेस अनालिटिक फैस	नई दिल्ली	6482	662066	101924	770472
इंड–90–035	फैशन टैक	नई दिल्ली	85614	283333	295775	664722
इंड–90–042	टोकटीन (फेस IV)	नई दिल्ली	203698	528668	328204	1000570
इंड–90–048	क्रिस्टल ग्रोथ एंड प्रोक. लैब	नई दिल्ली	23582			23582
इंड–91–006	न्यू टैक इन ब्राडकास्टिका	नई दिल्ली		98777	214661	313438
इंड–91–007	अपग्रेडिंग एयर आरकाइवस	नई दिल्ली		22931	391610	414541
इंड–91–011	मिटिगेट डैमेज डयू टू साइक्लोन	नई दिल्ली		92154	287551	379705
इंड–91–012	प्राइ. इन्डठ एंड ट्रे.इ. (यूनिस्टार)	नई दिल्ली	64724	148775	119679	333178
इंड–91–015	मीटीओरोलोजिल अप इन एग्री	नई दिल्ली		0	165712	165712
इंड–91–018	वाटरशेड वैस्ड फार्मिंग	नई दिल्ली		21578	(646)	20932
इंड–91–023	काम मैनेज्ड मेंट (सेल)	नई दिल्ली		102081	390536	492617
इंड–91–029	आटो टैक रोमोट सेन्सिंग	नई दिल्ली		18907	100864	119771
इंड–91–038	अपग्रेडिंग आफ II पी ए	नई दिल्ली			54278	54278
इंड–91–058	माइक्रो प्रोसेसर अप इंजी.	नई दिल्ली		119082	218570	337652
इंड–91–080	जूट डेवलपमेंट (पी ए)	नई दिल्ली	8906	245551	23323	277780
इंड–91–090	इ.ए.पी. इन इंडिया	नई दिल्ली		175241	24947	200188
इंड–91–093	सुपर प्योरिटी एलुमिनियम	नई दिल्ली		45846	70019	115865
इंड–91–096	फुल एम्प फार फार्मस	नई दिल्ली		18331	65581	83912
इंड–91–100	ह्यूमन देव इन्डिकेटर्स	नई दिल्ली		1035	218568	219603
इंड–92–002	टैक ट्रांसफर	नई दिल्ली		13410	488158	501568
इंड–92–006	सोश सेक स्ट्रेग्ट एंड फाइन	नई दिल्ली		22963	112470	135433
इंड–92–008	एक्सप देव मेरिन प्रोडक्ट्स	नई दिल्ली		128300	(14953)	113437
इंड–92–019	एमई-II डी (टोकीन-II. विंड)	नई दिल्ली		149	46760	46909
इंड–92–042	इन्ड स्ट्रक्चरिंग	नई दिल्ली		142850	36378	179228
इंड–92–307	जूट–पीएमयू (ओपीएस)	नई दिल्ली			104576	104576
इंड–92–307	जूट–पीएमयू (जीओआई)	नई दिल्ली			281756	281756
इंड–92–409	लैदर–एनआईएफटी	नई दिल्ली			294270	294270
इंड–93–007	मैनेजमेंट देव. आफ सीनि. एडमिनिस्ट्रेटर्स	नई दिल्ली			306810	306810
इंड–93–014	क्वालिटी एस इन टेलि. प्रो.	नई दिल्ली			25807	25807
इंड–93–016	रेलवे आर्गनाईजेशनल देव. एंड सिस्टम चेंजिस	नई दिल्ली			25300	25300
इंड–93–022	पोलि. स्टू. आन इकोनामिक रिफार्म्स	नई दिल्ली			118986	118986
	नई दिल्ली		8710652	8589298	9386794	26686744
इंड–85–002	कॉम सिस्ट्म इन सेल	राउरकेला	7713	13363	(460)	20616

1	2	3	4	5	6	7
इंड–88–063	इलैक्ट्रोस्मैल्टिंग	उड़ीसा अंगुल	45328	(3954)	7	41381
इंड–89–109	देव आफ जेमस्टोन्स	भुवनेश्वर	181975	259788	137032	578795
	उड़ीसा		235016	269197	136579	640792
इंड–82–032	सेंट्रल इंडस्ट्री, आफ हैण्डटूल्स	जालन्धर	45422	(8773)		36649
इंड–83–020	एग्रि. रिसर्च एजु.	लुधियाना	192795	16668	(14471)	194992
इंड–87–012	सीइंग मशीन देव. सेन्टर	लुधियाना	115741	863603	89603	291647
इंड–92–032	प्लांट क्वारन्टाइन फैक.	अमृतसर			2443	2443
इंड–93–020	पी.ए.पी.एच. फार पंजाब प्रोग.	पंजाब			12076	12076
	पंजाब		353958	94198	89651	537807
इंड–90–016	टेक. कॉम जियोलॉजी माइनिंग	उदयपुर	426230	36319	648	463197
इंड–90–037	यूनिट्स फार हैनमेड पेपर	संगनेर	78097	365098	109358	552553
	राजस्थान		504327	401417	110006	1015750
इंड–86–006	एन.सी./सी.एन.सी सेन्टर एट.ए.टी. आई.	मद्रास	16315	6104		22419
इंड–86–011	वाटर रिसोर्स देव., एण्ड मैनेजमेंट	मद्रास	86770			86770
इंड–86–038	अनकन्वेशनल फाइबर्स एस.आई.टी.आर.ए.	कोयम्बटूर	33460	(24)	(4833)	28603
इंड–89–130	एल. पैकेजिंग टेक.	मद्रास	800034	670606	363976	1834616
इंड–90–040	लैदर प्रोग.	मद्रास		706733	(706733)	0
इंड–91–076	पोर्टवर्क्स ट्रेनिंग इंस्ट्री	मद्रास		21356	17093	38449
इंड–92–304	जूट–एस.आई.टी.आर.ए.	कोयम्बटूर			343685	343685
इंड–92–309	जूट–पी.एस.जी.	कोयम्बटूर			5	-
इंड–92–402	लैदर–सी. एफ. टी. सी.	मद्रास			393188	393188
इंड–92–403	लैदर–लैदर एक्सपोर्ट्स	मद्रास			501395	501395
इंड–92–404	लैदर–सी.एन.आर.आई.	मद्रास			391761	391761
इंड–92–404	लैदर–सी.एल.आर.आई.	मद्रास			1133004	1133004
इंड–92–407	लैदर–आई.आई.एल.पी.	मद्रास			231048	231048
इंड–92–410	लैदर–पी.डी.टी.सी.	मद्रास			186864	186864
इंड–92–411	लैदर–पी.एम.यू. (ओ.पी.एस.)	मद्रास			127537	127537
इंड–92–411	लैदर–पी.एम.यू. (जी.ओ.आई.)	मद्रास			278513	278513
	तमिलनाडु		936579	1404775	3256503	5597857
इंड–83–008	पोल्यूशन कन्ट्रोल	हरिद्वार	19342	15251	512	35105
इंड–83–031	कास्टिंग एण्उ फोजिंग सेन.	आगरा	6435			6435
इंड–84–009	डेव. सेन. स्पोर्ट्स गुड्स	मेरठ	(1458)			(1458)
इंड–85–006	फार प्लान्ट आपरेशन्स	नोएडा	1480	52753	(7464)	46769
इंड–85–020	पी.जी. एग्रि. एजु.	देहरादून	770859	256506	748496	177586
इंड–85–027	मैटल हैंडिक्राफ्ट्स	मुरादाबाद	166	11791	70	12027
इंड–85–028	कन्सरवेशन आफ मैटल्स	लखनऊ	(7392)			(7392)

1	2	3	4	5	6	7
इंड 85–048	केम रिकव, प्लांट पल्प मिल्स	सहारनपुर	131450	25311	(1855)	154906
इंड–85–062	इलैक्ट्रिक सर्विसिंग एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	रामनगर	133450	86815	3868	224133
इंड–86–003	लोकॉस्ट बायोफर्टिलाइजर्स	गाजियाबाद	155603	265648	186758	608009
इंड–86–008	आर. एण्ड. डी. फैक., आर.एस.डी.ओ.	लखनऊ	189633	791880	222194	1203707
इंड–87–009	ट्रेनिंग पेट्रोलियम टेक.	देहरादून	45553	18041		63594
इंड–88–008	वाइल्डलाइफ इंस्टी. आफ इंडिया	देहरादून	70111	(3552)		66559
इंड–88–047	सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर	इलाहाबाद	186655	460744	230745	878144
इंड–89–101	आई.सी. उरण एकैडमी	फुरसतगंज	29476	(8056)	(201386)	(179966)
इंड–89–114	नॉन–वुड बेस्ड पल्प एण्ड पेपर	सहारनपुर	491049	132863	424446	1048358
इंड–89–133	पी.पी.डी.सी. फार एस. आयल्स	कन्नौज	121388	21069	92792	235249
इंड–90–003	हाइड स्टड कैपेबिलिटीज़	रूड़की	70306	93021	732019.	895346
इंड–90–004	रिस. एण्ड ट्रेनिंग एल.बी.एस.नै.एकेड.	मसूरी	450573	192393	87514	720480
इंड–90–010	ग्लास इंड. सेन्टर	फिरोजाबाद	114	116684	300139	416937
इंड–92–007	वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट	देहरादून		27156	233570	260726
इंड–92–038	स्ट्रेंग्थनिंग आई.सी.एफ.आर.ई.	देहरादून		113	144126	144239
इंड 92–315	जूट–सी.पी.पी.आर.आई.	सहारनपुर			18670	18670
इंड–92–316	जूट–सी.पी.पी.आर.आई./त्रिवेणी टिशूज़	सहारनपुर			543	543
इंड–92–401	लैदर–सी.एफ.टी.सी.,	आगरा			534601	534601
इंड–92–405	लैदर एफ.डी.डी.आई. (यूनिडो)	नोएडा			753847	753847
इंड–93–405	लैदर–एफ.डी.डी.आई. (जी.ओ.आई.)	नोएडा			852176	852176
इंड–93–012	आर.डी.एस.ओ. (फेज–II)	लखनऊ			82381	82381
इंड–93–021	नैट फार एक्श. प्रोग.	देहरादून			57921	57921
	उत्तर प्रदेश		2864793	2556431	5496683	10917907
इंड 82–007	नैश. गैस्ट हाउस	कलकत्ता	150708		(8820)	141888
इंड 82–025	कालीनी लैदर टेक.	कलकत्ता	(4402)			(4402)
इंड 86–037	जूट रिस एण्ड टेक	कलकत्ता	175372	162034	36541	373947
इंड 87–003	अमापस सिलिकॉन सोलर सेल्स	कलकत्ता	411259	256313	158318	825890
इंड 87–010	ट्रीटमेंट/प्रीवेन्शन लेप्रोसी	कलकत्ता	80740	44636		125376
इंड 87–017	प्लाट इम्प्रूवमेंट	कलकत्ता	143064	194828	35761	373653
इंड 87–018	वायोलॉजी आफ पैरासाइटस	कलकत्ता	64434	92266	93117	249817
इंड–92–033	जूट–डेवलपमेंट	कलकत्ता		307221	507	307728
इंड–92–302	जूट–आई. जे. आई. आर. ए. कास्मेटिक्स	कलकत्ता			453834	453834
इंड–92–303	जूट–जे. सी. आई.	कलकत्ता			72272	72271
इंड–92–305	जूट. आई. जे. आई. आर. ए. टेक्स एफ.	कलकत्ता			508987	508987
इंड–92–312	जूट जे. एम. डी. सी. (आई. टी. सी.)	कलकत्ता			44196	44196
इंड 92–312	जूट जे. एम. डी. सी. (आई. टी. सी.)	कलकत्ता			487569	487569
इंड–92–314	जूट एस. एस. जे एम सी.	कलकत्ता			236510	236510
इंड–92–406	लैदर फंड बंगाल सरकार	कलकत्ता			46294	46294
	पश्चिम बंगाल		1021175	1057298	2165085	4243558
	जोड़ :		20253185	18367246	31803873	70424304

नेपाल में संयुक्त उद्यम की स्थापना

1556. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रक्रिया संबंधी अड़चनें भारतीय निवेशकों को नेपाल में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु हतोत्साहित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गैर-सरकारी क्षेत्र निवेश

1557. श्री पाला के.एम. मैथ्यू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर–सरकारी क्षेत्र के आधारभूत ढांचा क्षेत्र में प्रवेश को सरल बनाने और निजी अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आधारभूत ढांचे का नियंत्रण करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में वाणिज्यिक वित्तीय सहायता प्रदान कर गैर–सरकारी क्षेत्र की सहायता करने का है;

(च) यदि हां, तो सहायता किस सीमा तक दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ). आधार–ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जिसमें विदेशी निवेश शामिल हैं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :

– सरकारी क्षेत्र के कार्य–क्षेत्र को कम करके केवल छह उद्योगों यथा, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा आदेश 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों तक कर दिया गया है।

– विद्युत क्षेत्र में घोषित नीति संबंधी पैकेज में ऐसे प्रोत्साहन शामिल थे जैसे कि विद्युत उपस्करों पर आयात शुल्कों में 20 प्रतिशत तक की छूट, नई विद्युत परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष की कर–मुक्ति और प्रदत्त तथा अभिदत्त पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर पर आय का आश्वासन जिसमें सभी निजी कंपनियों और विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित किए जाने वाली परियोजनाओं हेतु 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए 4:1 तक के ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी गई है।

– पेट्रोलियम क्षेत्र में सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) को निगम के रूप में पुनर्गठित किया है और इसके संसाधनों में वृद्धि करने तथा स्वायत्तता को सुकर बनाने हेतु इसकी इक्विटी का विनिवेश आरंभ किया है; खोजे गए मध्यम और छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्रों का विकास करने के लिए निजी कंपनियों को पेशकश करना तथा साथ ही निजी कंपनियों को वर्ष भर बोली के आधार पर अन्वेषण करने की पेशकश करना ताकि वे बोली के दौर में भाग लेने के लिए अपना समय चुन सकें।

– टेलिकाम क्षेत्र में मूल्य वर्धक सेवाएं देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है और राष्ट्रीय टेलिकाम नीति के अन्तर्गत बुनियादी सेवाएं भी निजी क्षेत्र को दे दी गई है।

– बुनियादी टेलिकाम सेवाएं मुहैया करने के लिए बनी संयुक्त उद्यम कंपनी के मामले में 49 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी जाती है;

– घरेलू क्षेत्र में निजी वायु परिवहन कंपनियों के प्रचालन हेतु वायु निगम (उपक्रम अन्तरण निरसन) अधिनियम अधिनियमित किया गया है और नौ निजी हवाई टैक्सी प्रचालकों को एयरलाइन का दर्जा दे दिया गया है।

– आसान शर्तों पर वाणिज्यिक उधारों को सुकर बनाने के लिए सड़क क्षेत्र को उद्योग घोषित कर दिया गया है और राजमार्ग क्षेत्र में बड़ी फर्मों को प्रवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों में छूट दी गई है।

– राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्दा खण्डों पर शुल्क लगाने हेतु मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स अधिनियम अधिनियमित किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है।

– मुक्त और अबाधित घरेलू व्यापार को सुकर बनाने के लिए अनेक राज्य सरकारों द्वारा चुंगी समाप्त कर दी गई है और मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि किसी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले परमिटों की संख्या पर रखी गई सीमा को हटाया जा सके।

– निजी क्षेत्र को कैप्टिव कोयला खानें स्थापित करने तथा प्रचालन करने की अनुमति दी गई है; निजी निवेश करने वालों को बनाओं स्वामित्व–लो चलाओ आधार पर कोयला–वाशरीज स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है जो उत्पादक, उपभोक्ता और कंपनी के बीच त्रिपक्षीय करार के अधीन होगी।

– अच्छी वित्तीय स्थिति वाली भारतीय कंपनियों को सार्वभौम निक्षेप बाण्डों (जी डी आर) और विदेशी मुद्रा

परिवर्तनीय बाण्डों तथा अपतटीय निधि के जरिए विदेश में निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है।

– "फेरा" के प्रावधानों को उदार बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कंपनियों को पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों के समान माना जाएगा।

आकाश में दुर्घटनाएं

1558. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आकाश में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुईं और कितनी दुर्घटनायें होते–होते बचीं; और

(ख) इस तरह की चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आकाश में विमानों के टकराने की कोई घटना नहीं हुई। 1991 से आगे की अवधि के दौरान विमानों के भिड़ते–भिड़ते बचने की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1991	9
1992	16
1993	14
1994 (13.12.94 तक)	11

(ख) प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है और जांच निष्कर्षों पर निर्भर करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय/राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चेतावनी जारी करने, लाइसेंस रद्द करने तथा ड्यूटी आदि से संबंधित कार्मिक को हटाने जैसी कार्रवाई जिम्मेदार एटीसी कार्मिक/विमान चालक के विरूद्ध की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, विमान यातायात नियंत्रकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

कामगारों के लिए प्रशिक्षण संस्था

1559. श्री बीर सिंह महतो : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) एवं (ख). केवल श्रमिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई संस्थान नहीं है। तथापि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (रा.व्या.प्र.परि.) के तत्वावधान में 2721 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र (ओ.प्र.सं./औ.प्र.के.) 8वीं से 12वीं तक योग्यता प्राप्त युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम संचालित करते हैं। औ.प्र.सं./औ.प्र. केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एवं (घ). औ.प्र.सं./औ.प्र.के. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता के आधार पर खोले जाते हैं।

विवरण

31.7.94 का स्थिति के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शसित प्रदेश का नाम	औ.प्र.सं./औ.प्र.के. की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	422
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	23
4.	बिहार	41
5.	गोवा	16
6.	गुजरात	159
7.	हरियाणा	106
8.	हिमाचल प्रदेश	33
9.	जम्मू और कश्मीर	32
10.	कर्नाटक	195
11.	केरल	323
12.	मध्य प्रदेश	74
13.	महाराष्ट्र	250
14.	मणिपुर	6
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	40
19.	पंजाब	113
20.	राजस्थान	67
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	406
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	29
25.	पश्चिम बंगाल	56
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़	3
28.	दादर और नगर हवेली	1
29.	दमन और दीव	2
30.	दिल्ली	42
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	4
		2721

उड़ीसा में सिंडिकेट बैंक की शाखाएं खोलना

1560. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिंडिकेट बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास 1994–95 के दौरान राज्य में इस बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो बैंक की इन शाखाओ को खोलने हेतु किन–किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में सिंडिकेट बैंक की 27 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) से (घ). 1990–95 की शाखा विस्तार योजना के तहत, शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई वर्ष–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अलबत्ता, विद्यमान योजना के तहत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उड़ीसा में 44 शहरी केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक अर्ध–शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को अनुमति दी गई है कि अखिल भारतीय आधार पर उन्हें इस प्रयोजन के लिए आबंटित कोटे के अन्दर–अन्दर अपनी पसंद के केन्द्रों पर वे शाखाएं खोल सकते हैं और कोई राज्य वार कोटा इस प्रयोजन के लिए आबंटित नहीं किया गया है। विद्यमान नीति के तहत, व्यक्तिगत बैंक अपनी सेवा क्षेत्र के अन्दर जनजातीय केन्द्रों सहित ग्रामीण केन्द्रों की पहचान कर सकते हैं। पहचान किए गए केन्द्रों के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार के संस्थागत वित्त विभाग के मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाना होता है।

विवरण

वर्ष 1990-95 की योजना के दौरान उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित शहरी केन्द्रों की सूची

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
	कट्टक
भारतीय स्टेट बैंक	सेमिनार छाक
स्टेट बैंक ऑफ हैद्राबाद	बिजी पटनायक छाक
बैंक ऑफ बड़ौदा	मणि साहू छाक
इंडियन ओवरसीज बैंक	जोबरा
बैंक ऑफ इंडिया	गोपालपुर (कट्टक सिटी का बाहरी विकास)
इलाहाबाद बैंक	जगतपुर
भारतीय स्टेट बैंक	पिथापुर
भारतीय स्टेट बैंक	जजीरमंगला
	प्रदीप
केनरा बैंक	प्रदीप गढ
इंडियन बैंक	फिशीग हारबम (सेक्टर 21)
	बरहामपुर
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	बस स्टैंड ब्रम्ह नगर
बैंक आफ बड़ौदा	ब्रज नगर (एसबीआई कालोनी)
	भुवनेश्वर
पंजाब नेशनल बैंक	उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बैंक कालोनी चन्द्रशेखरपुर
भारतीय स्टेट बैंक	आईआरसी गांव नियर इन्द्रधनु मार्केट काम्प्लेक्स
स्टेट बैंक आफ मैसूर	यूनिट–II मार्केट
बैंक आफ इंडिया	कपिल प्रसाद मार्केट काम्प्लेक्स
बैंक आफ बड़ौदा	सामंतारापुर
इलाहाबाद बैंक	सतसंग विहार
यूको बैंक	अशोका मार्केट
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	जगमारा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पातिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	गोदा गोपीनाथ प्रसाद
युनाइटेड बैंक ऑफ हैदराबाद	मालिसाही
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बीजेबी नगर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	गाांधा मुंडा
भारतीय स्टेट बैंक	भुवनेश्वर औद्योगिक वित्त शाखा
	पुरी
बैंक ऑफ बडौदा	स्वर्गद्वार
पंजाब नेशनल बैंक	चक्रतीर्थ रोड (सुनारा गौरंगा)
बैंक आफ इंडिया	नाबाकालेदार रोड़ (गुंडी चावरी)
इंडियन ओवरसीज बैंक	लोक नाथ रोड़
भारतीय स्टेट बैंक	मुनिसिपल मार्केट (दैतापदसाही)

1	2
	संबलपुर
बैंक आफ बड़ौदा	गोसाला (चिवलोमा)
विजया बैंक	साखी गोपीनाथ
बैंक आफ इंडिया	धंकांडा
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	एसईसीएल काम्प्लेक्स (बुरला के निकट)
भारतीय स्टेट बैंक	ज्योति विहार
	राऊरकेला
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	आईडीएल कालोनी (देसाई नगर)
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	सेक्टर 16 मार्केट
बैंक आफ इंडिया	चांद एचएसजी कालोनी एनएसी मार्केट काम्प्लेक्स
बैंक ऑफ इंडिया	वेदव्यास छाक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	फर्टिलाइजर्स टाउनशिप
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	माडर्न इंजी. वर्क्स
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	मेन रोड, राउरकेला

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की तैनाती

1561. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सुदूर स्थानों पर तैनात नहीं करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंडिकेट बैंक इन निर्देशों का पालन कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिंडिकेट बैंक से इस निर्देश को लागू कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किए जाने वाले स्थानांतरण सामान्यतया प्रबंधनों और कर्मचारियों के बीच निर्धारित स्थानांतरण नीतियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। स्थानांतरण संबंधी ये मार्गनिर्देश सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक समान हैं। अलबत्ता, सरकार ने 31.10.86 को सिंडिकेट बैंक सहित सभी बैंकों को यह परामर्श दिया था कि अधिकारियों को अनुसूचित जात्ति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के खिलाफ भेदभाव की किसी कार्रवाई से अर्थात उनकी सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर, दूरदराज स्थानों और महत्वपूर्ण पदों पर उनके स्थानांतरणों से बचना चाहिए। इसके अलावा, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी संवर्गों के पदो पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबध में सरकारी क्षेत्र के बैंको से यह कहा गया है कि वे उन्हे यथासंभव उनके स्वनगरों/निवास स्थान के निकट तैनात करने के लिए उपाय करें।

[हिन्दी]

वाहनों की खरीद के लिए सहायता

1562. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि

(क) देश में यातायात की गम्भीर समस्या को देखते हुए यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने हेतु बसों और अन्य यात्री वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार वाहनों की कमी और सम्भावित लाभ को देखते हुए बसों और अन्य वाहनों की खरीद के लिए मार्जिन राशि की सीमा घटाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने के वास्ते लघु सड़क और जल परिवहन परिचालकों (बसों और पैसेंजर वाहनों की खरीद के लिए वित्तपोषण करने हेतु अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋणों/अग्रिमों की राशि नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपए)

जून का समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1990	81001	395.89
1991	76292	315.12
1992	65283	237.62

जिन लघु सड़क और जल परिवहन परिचालकों के पास इस समय 6 वाहनों का एक फ्लीट (वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित एक वाहन सहित) हैं उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों/अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के रूप में माना जाता है। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत मार्जिन की राशि से संबंधित शर्तें नीचे दी गई हैं :–

ऋण सीमा	मार्जिन
(1) 25,000/– रुपए तक और उसके सहित की ऋण सीमा	शून्य
(2) 25,000/–रुपए से अधिक की ऋण सीमा	15% से 25% जो ऋण के प्रयोजन और उसकी राशि पर निर्भर करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जहां सब्सिडी/मार्जिन उपलब्ध है और जो ऋण राशि के 15 प्रतिशत से कम नहीं है, वहां बैंकों द्वारा और मार्जिन निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

आयकर-दाताओं के लिए पहचान-पत्र

1563. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयकर–दाताओं को एक बहुउद्देश्यीय स्थायी खाता संख्या वाला कार्ड तथा पहचान–पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). कम्प्यूटरीकरण के व्यापक कार्यक्रम के एक अंश के रूप में कर–निर्धारितियों को लैमिनेटिड स्थायी खाता संख्या वाले कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है जो पहचान–पत्र का उद्देश्य भी पूरा कर सकता है। व्यक्तिगत हैसियत वाले कर–निर्धारितियों को फोटोग्राफ वाला स्थायी खाता संख्या वाले कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि अन्य कर–निर्धारितियों को बिना फोटोग्राफ वाले ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे।

(ग) प्रथम चरण में दिल्ली, बम्बई और मद्रास के तीन शहरी क्षेत्रों में स्थायी खाता संख्या वाले कार्ड जारी करने संबंधी कार्यवाही पहले ही शुरू हो गई है तथा अन्य स्थानों पर इस स्कीम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक

1564. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मालदा एवं पुरुलिया जिलों में विशेष रूप से बीड़ी श्रमिकों के लिए क्षयरोग अस्पताल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा की जब्ती

1565. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वित्त मंत्री** 5 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, दिल्ली तथा मद्रास हवाई अड्डों पर क्रमशः 669.38 लाख रु., 1434.74 लाख रु. और 1274.61 लाख रु. की मुद्रा का अभिग्रहण किया गया।

(ख) और (ग). जी, हां। पुरस्कार नियमावली के अंतर्गत मुखबिर को पुरस्कार के भुगतान के लिए कोई समयावधि नियत नहीं की गई है। न्यायनिर्णयन अपील कार्यवाहियों के पूरे होने के बाद ही अंतिम पुरस्कार का भुगतान किया जाता है।

(घ) ऊपर भाग (क) में संदर्भित अभिग्रहण के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान मुखबिरों के 24.76 लाख रु. के अग्रिम पुरस्कार दिये गये।

(ङ) ऊपर (क) में दिए गए मामलों में केवल एक मामले को अंतिम रूप दिया गया है। न्यायनिर्णयन/अपील कार्यवाहियों के पूरे होने और अभिग्रहित विदेशी मुद्रा की जब्ती के बाद ही मुखबिर अंतिम पुरस्कार के भुगतान के लिए हकदार होता है।

त्रिपक्षीय श्रमिक संबंधी स्थायी समिति

1566. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रमिक स्थायी समिति की हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन–किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिए गए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). स्थाई श्रम समिति का बत्तीसवां सत्र नई दिल्ली में 27.10.1994 को आयोजित किया गया था। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी :–

(i) बाल श्रम और बंधित श्रम

(ii) रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, और

(iii) श्रम मानक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2. स्थाई श्रम समिति द्वारा अंगीकार किये गये संकल्प इस प्रकार है :

(क) **सामाजिक खंड**

सर्वसम्मति से यह संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार और नियोजकों व कर्मकारों के संगठन, अ.श्र.सं. और अन्य सभी मंचों पर, किसी भी ओर से "सामाजिक खंड" लाने, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु बाजार तक पहुंच के लिए श्रम मानक लागू करना एक शर्त बनाई जा सके, का प्रतिरोध करेंगे क्योंकि इसका राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और स्वायत्त श्रम नीति निर्धारण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव है।

यह कि, साथ ही, श्रम मानकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के अलावा अन्य तरीकों से श्रम मानकों को उन्नत करने हेतु सतत् राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जानी चाहिए, और इस संदर्भ में अनुसमर्थित और गैर–अनुसमर्थित अभिसमयों की समीक्षा हेतु आवधिक बैठकों के आयोजन द्वारा राष्ट्रीय अभिसमय समिति को सक्रिय किया जाना चाहिए।

(ख) **बाल श्रम उन्मूलन**

यह मानते हुए कि यह एक राष्ट्रीय चिन्तन का विषय है कि जिस समय बालकों को स्कूलों में होना चाहिए वे रोजगार में लगे हैं, और कि बालकों के वयस्क के रूप में उचित विकास के लिए उनके हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषणाहार अति आवश्यक है, यह संकल्प किया जाता है कि सन् 2000 ई. तक जोखिमकारी नियोजनों और अन्य नियोजनों में बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों व कर्मकार तथा नियोक्ताओं के संगठनों को समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। और इस प्रयोजनार्थ, बालकों को रोजगार से हटाने और उन्हें शिक्षा, प्राथमिक व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य, पोषणाहार तथा साथ–ही–साथ ऐसे बालकों के माता–पिता को लाभकारी रोजगार के साधन प्रदान करने हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारें समयबद्ध कार्रवाई योजनाएं लागू करें।

(ग) **बंधित श्रम**

यह मानते हुए कि सभी राज्यों ने यह दृढ़तापूर्वक कहा है कि, वास्तव में, "बंधिक श्रम" का उन्मूलन हो गया है, तथापि कर्मकारों में बंधित श्रम की व्याप्ति के संबंध में शिकायतें हैं।

यह संकल्प किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकों की पहचान हेतु नये सर्वेक्षण करवायेगी और भारत सरकार से प्राप्त बढ़ी हुई वित्तीय सहायता से उनको मुक्त करवाने और पुनर्वास की व्यवस्था करेंगी, राज्य सरकारें इन सर्वेक्षणों के भाग के रूप में एक बार मुक्त करवाये गये और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों के पुनः बंधिकरण में आ जाने, संबंधी यदि कोई मामला हो, की भी जांच पड़ताल करेंगी।

(घ) **भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र हेतु कार्यसूची और अनसूची**

यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय श्रम सम्मेलन का अगला सत्र 3 और 4 जनवरी, 1995 को आयोजित किया जायेगा।

यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र हेतु कार्यसूची इस प्रकार होगी :—

(1) आर्थिक सुधारों के संदर्भ में औद्योगिक संबंध (रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार सहित) ।

(2) रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

कैसिनो का लगाया जाना

1567. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में कैसिनो लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किन–किन राज्यों ने कैसिनो लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कैसिनो लगाया जाना राज्य सरकार का विषय है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

गैट समझौते के अन्तर्गत चाय व्यापार

1568. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैट समझौते से भारत का चाय व्यापार दुष्प्रभावित होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). गैट सन्धि के फलस्वरूप भारतीय चाय के अनेक प्रमुख आयातकों ने प्रशुल्क में कमी की है। सम्भवतः चाय के निर्यात पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करेगा।

नए बैंक खोलने हेतु अनुमति

1569. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से नए बैंक खोलने हेतु अनुमति देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे गैर–सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए गैर–सरकारी

क्षेत्र की निम्नलिखित 18 वित्तीय संस्थाओं से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : (1) आवास विकास वित्त निगम लि. (एचडीएफसी), (2) ट्वेंटिएथ सेंचुरी फाइनांस कार्पोरेशन लि., (3) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि., (आईसीआईसीआई), (4) इन्डस इंड इन्टरप्राइजेज एण्ड फाइनांस लि., (5) आईटीसी क्लासिक फाइनांस लि., (6) इन्सपात फाइनांस लि., (7) एसआरएफ लि., (8) सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि., (9) डियाडेम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनांस लि., (10) कोक्स एण्ड किंग्स फाइनांस लि., (11) इंडियन सीमलेस फाइनांसियल सर्विसेज लि., (12) बिरला ग्रोथ फंड (13) एसआरईआई इन्टरनेशनल फाइनांस लि., (14) पीयरलेस जनरल फाइनांस एण्ड इनवेस्टमेंट कं. लि. (15) सहारा इंडिया फाइनांसियल कार्पोरेशन (16) रास मुरारका फाइनांस लि., (17) रौनक फाइनांस लि., (18) पद्मजा फाइनांसियल सर्विसेज लि.।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए दो बैंकों अर्थात आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पोरेशन लि. (प्रवर्तक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.) और इंडसइंड बैंक लि. (प्रवर्तक, इंडसइंड इन्टरप्राइजेस एण्ड फाइनांस लि.) को लाइसेंस जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, नए बैंक स्थापित करने के लिए आवास विकास वित्त निगम लि. और ट्वेंटिएथ सेंचुरी फाइनांस कार्पोरेशन लि. को भी "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयरलेस जनरल फाइनांस एण्ड इनवेस्टमेंट कं. लि., रास मुरारका फाइनांस लि., पद्मजा फाइनांसियल सर्विसेज लि. और सहारा इंडिया फाइनांसियल कार्पोरेशन के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है।

हड़ताल

1570. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान सरकारी क्षेत्र की इकाईयों/निगमों जैसे प्रभावित संस्थाओं में तारीख, कारण इत्यादि सहित हड़ताल का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक हड़ताल में मांग की गई "मांगों" का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कहां तक इन्हें माना गया है; और

(ग) हड़ताल की पूर्ण समाप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वसूली योग्य आयकर

1571. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 दिसम्बर, 1994 तक आयकर की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) कितने व्यक्तियों, एच.यू.एफ कंपनियों और आयकर का भुगतान न करने वालों पर 10 लाख रुपये से अधिक आयकर बकाया है; और

(ग) बकाया आयकर को वसूल करने और आयकर अधिकारियों की मांगों संबंधी विवादों के शीघ्र निपटान के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पहली दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार वांछित सूचना अभी तक समेकित नहीं की गई है। सितम्बर, 1994 के अंत तक आयकर/निगम कर की कुल बकाया मांग 12921.93 करोड़ रुपये थी। इसमें से 1838.30 करोड़ रुपये की मांग या तो देय नहीं हुई थी या न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण और आयकर प्राधिकारियों द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

हैसियत	संख्या
(1) व्यक्तिगत	2823
(2) हिन्दू अविभाजित परिवार	190
(3) कंपनियां	3671
(4) अन्य	1523

(ग) बकाया मांगो को कम करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसकी वसूली के लिए उचित प्रशासनिक एवं कानूनी उपाय किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर्स रखे जाते हैं और उपयुक्त स्तर पर स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। जिन मामलों में बड़ी मात्रा में बकाया धनराशि रूकी रहती है। उनके शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। आयकर आयुक्त (अपील) और उपायुक्त (अपील) के समक्ष जो अपीलें हैं उनके निपटान की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है जिसके लिए अधिक मांग वाली अपीलों और पुरानी अपीलों के निपटान पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन विकास

1572. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनिवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र को शामिल करके आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास पर विशेष प्राथमिकता देने संबंधी एक नई नीति केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और प्रर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) नीति की मुख्य बातों में मौजूदा आधारभूत संरचना का उन्नयन करना सेवा की गुणवत्ता, सभी श्रेणी के पर्यटकों की खान-पान व्यवस्था के लिए पर्यटक केन्द्रों पर सितारा होटल/जनता होटल तथा मोटल बनाने, मनोरंजन पार्क, जलक्रीड़ा तथा अन्य मनोरंजनात्मक सुविधाएं आदि स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन क्षेत्र के विकास में सक्रियता से भाग लेने के लिए अनिवासी भारतीयो सहित निजी क्षेत्र के उद्यमियों को उत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता पर्यटन के विकास हेतु प्रत्येक प्रस्ताव के गुण–दोषों, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट प्रस्तावों के लिए दी जाती है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा त्यागपत्र

1573. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों और इंजीनियरों द्वारा उन पायलटों, जो निजी एयरलाइनों में अल्प सेवा के पश्चात इंडियन एयरलाइन्स की नौकरी में आ गए, को पदोन्नति देने के विरोध स्वरूप हाल ही में कोई आंदोलन शुरू किया था;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के निवारणार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ख). जिन दो विमानचालकों ने अपना त्यागपत्र दिया था वे वापस इंडियन एयरलाइन्स मे आना चाहते थे। चूंकि उनका त्यागपत्र स्वीकार नही किया गया था इसलिए उन्हें ऐसा करने और उनकी वरिष्ठता भी कायम रखने की अनुमति दी गई थी। भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ द्वारा इसका विरोध किया गया था और इसके कुछ सदस्यों ने दिनांक 28.10.1994 से 2.11.1994 की अवधि के दौरान सामूहिक रूप से बीमार होने की सूचना भेजी।

(ग) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ चर्चा की गई थी और यह निर्णय किया गया कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएंगे।

ई.एस.आई. अस्पताल

1574. श्री एन.जे. राठवा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात में श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों की संख्या समुचित है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में ऐसे और अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में 9 क.रा.बी. अस्पताल कार्य कर रहे हैं। जहा कहीं आवश्यक हो, बीमांकित व्यक्तियों को पर्याप्त इन–डोर उपचार मुहैया करवाने के लिए सरकारी/निजी अस्पतालों में बिस्तर भी आरक्षित कर दिंए गए हैं। इसी बीच क.रा.बी. निगम दो अस्पतालों–एक वापी मे और दूसरा जामनगर में, का निर्माण करवा रहा है। इन दो अस्पतालों के निर्माण के लिए, निगम ने 489.98 लाख रु. की धनराशि मंजूर की है। नरौदा स्थित 225 बिस्तरों वाले चैस्ट अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल में परिवर्तित करने संबंधी एक प्रस्ताव भी क. रा.बी. निगम को प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

ब्राउन शुगर की जब्ती

1575. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 करोड़ रुपये के ब्राउन शुगर पकड़े/जब्त किए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में ब्राउन शुगर की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 12.11.94 को एयर कस्टम (प्रिवेन्टिव) स्टाफ ने इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्रायः अनिर्धारित मात्रा और मिश्रण के होते हैं और जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, संभव नहीं है।

(ख) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

कैश क्रेडिट सुविधा

1576. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उद्योगों की तरह किसानों को कैश क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ताकि किसानों को एक फसल वर्ष के दौरान छोटे–छोटे ऋणों के बजाय एक ही बार में ऋण प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 26.10.1994 के परिपत्र द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि जो किसान कतिपय मानदण्ड पूरा करते हैं, उन्हें उनकी संमिश्र ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगद ऋण सुविधा के रूप में ऋण की श्रृंखला दी जाए। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास सिंचाई सुविधा है और उनको भी जिनके पास यह सुविधा नहीं है परन्तु जो फसलों की खेती के अतिरिक्त, डेरी, मुर्गीपालन आदि जैसे सहायक कार्यकलाप करते हैं और/अथवा अन्य गैर–कृषि कार्यकलापी करते हैं और जिनका उनके बैंक/उधार खातों के संचालन के संबंध में पिछले दो वर्षों का पिछला कार्य–निष्पादन का रिकार्ड संतोषजनक है।

भोपाल विमानपत्तन

1577. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल को एयर बस सेवा द्वारा दिल्ली और मुम्बई के साथ जोड़ने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) भोपाल विमानपत्तन की हवाई पट्टी में सुधार करने और इसका विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यातायात की मात्रा भोपाल हवाई अड्डे के लिए/से एयरबस सेवा का प्रचालन किये जाने का औचित्य सिद्ध नहीं करती है।

(ख) धावनपथ की लम्बाई को पहले ही अगस्त, 1992 में 6700 फुट तक बढ़ा दिया गया है।

कांटीनेन्टल फ्लोट ग्लास प्रोजेक्ट

1578. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांटीनेन्टल फ्लोट ग्लास प्रोजेक्ट भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई) ने सूचित किया है कि संस्थाओं ने मै. कांटीनेन्टल फ्लोट ग्लास लि. (सीएफसीआई) को रुपया और विदेशी करेंसी सहायता मंजूर की है। परन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार तथा साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीय विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

हज संबंधी यातायात

1579. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993, और 1994 में हज संबंधी यातायात पर एयर इंडिया द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) हज संबंधी यातायात से एयर इंडिया द्वारा प्राप्त आय अथवा एयर इंडिया को देय राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) हज संबंधी यातायात पर वर्षवार कितना निवल लाभ अथवा हानि हुई;

(घ) प्रति हज तीर्थयात्री से वर्षवार कितना निवल लाभ अथवा कितनी हानि हुई; और

(ङ) प्रति हज तीर्थ–यात्री के मामले में हज एयर चार्टर किराये पर निवल लाभ/हानि का प्रतिशत क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई में विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण

1580. श्री राम नाईक : क्या **नागर विमानन और पर्यटम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में गंदी बस्तियों अथवा झोंपड़ियों में रहने वाले कितने परिवारों ने विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण किया है;

(ख) क्या इन लोगों को विमानपत्तन की भूमि से दूर बसाने और इनका पुनर्वास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितने परिवारों को स्थानान्तरित किया जाएगा, इन लोगों को किस स्थान पर बसाने का विचार है तथा स्थानांतरण और उनके वैकल्पिक पुनर्वास करने पर कितनी लागत आएगी;

(घ) किस तारीख से इनका स्थानान्तरण शुरू हो जाएगा और यह कार्य किस तारीख तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या राज्य सरकार और वहां के निवासी इस स्थानान्तरण से सहमत हैं; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) बम्बई हवाई अड्डे पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर लगभग 65,000 अनधिकृत झोपड़ पट्टी हैं।

(ख) से (च). महाराष्ट्र सरकार, नागर विमानन विभाग और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

रूग्ण उद्योगों के ऋण का निपटान

1581. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूग्ण उद्योगों के बकाया ऋण के निपटान के संबंध में भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के कतिपय मार्गनिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक 1992–93, 1993–94 और 1994 के दौरान रूग्ण उद्योगों के ऋण माफ करने पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिक

1582. श्री उद्धव बर्मन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों की संख्या का आकलन करने के लिए देश में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या कृषि श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां। 1991 की जनगणना में कृषि श्रमिकों की गणना की गयी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	कृषि कर्मकारों की संख्या (1991 जनगणना)	खेतिहरों की संख्या (1991 जनगणना)
1	2	3	4
1.	भारत	74,597,744 (जम्मू कश्मीर को छोडकर)	110,702,346
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,625,159	7,891,167
2.	असम	844,964	3,559,117
3.	बिहार	9,512,892	11,164,519
4.	गुजरात	3,230,547	4,703,628
5.	हरियाणा	896,782	1,829,530
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	1,125,311
7.	जम्मू और कश्मीर	–	–
8.	कर्नाटक	4,999,959	5,915,633
9.	केरल	2,120,452	1,015,983
10.	मध्य प्रदेश	5,863,029	12,904,121
11.	महाराष्ट्र	8,313,223	10,172.108
12.	मणिपुर	47,350	437,499
13.	मेघालय	89,492	395,804
14.	नागालैण्ड	7,233	371,597
15.	उड़ीसा	2,976,750	4,598,500
16.	पंजाब	1,452,828	1,917,210
17.	राजस्थान	1,391,670	8,181,512
18.	सिक्किम	12,851	95,078
19.	तमिलनाडु	7,896,295	5,664,090
20.	त्रिपुरा	187,538	305,523
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	22,031,181
22.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	5,844,993
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,989	14,525
24.	अरूणाचल प्रदेश	20,054	235,987
25.	चंडीगढ़	1,642	2,302
26.	दादरा और नगर हवेली	6,233	36,278
27.	दिल्ली	25,195	33,296
28.	गोवा	35,284	56,528
29.	दमन और दीव	1,199	3,266
30.	लक्षद्वीप	–	–
31.	मिजोरम	9,527	178,101
32.	पाण्डिचेरी	77,203	17,959

पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस

1583. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994–95 और 1995–96 के लिए (अफीम) पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस देने संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पोस्त की खेती करने वालों से इस संबध में कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने फसल वर्ष 1994–95 के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के संबंध में सामान्य शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) वे खेतिहर, जिन्होंने फसल वर्ष 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 43 किलोग्राम से कम अफीम की उपज नहीं दी है, लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं।

(2) वे खेतिहर जिनकी पोस्त की खेती फसल वर्ष 1993–94 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थी और जो फसल संबंधी क्षति खण्ड के अंतर्गत आते हैं लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं, यदि उन्होंने प्रति हेक्टेयर 34 किलोग्राम की न्यूनतम उपज दी हो।

(3) फसल वर्ष 1993–94 के दौरान खेतिहरों द्वारा दी गई अफीम की उपज पर निर्भर करते हुए प्रति खेतिहर अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुमत क्षेत्र 50 ऐरी, 30 ऐरी, 24 ऐरी और 20 ऐरी निश्चित किया गया है।

(4) अधिक खेती के संबंध में मांफी सीमा लाइसेंसीकृत क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है।

फसल वर्ष 1995–96 के लिए अफीम पोस्त की खेती करने हेतु लाइसेंस मंजूर करने की शर्तें अभी निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) खेतिहरों से प्राप्त अभ्यावेदनों का अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस मंजूर करने संबंधी सामान्य शर्तों में निर्धारित सिद्धांतों को मद्दे नजर रखते हुए निपटान किया जा रहा है।

यात्रा प्राधिकरण की स्थापना

1584. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने और समन्वित करने हेतु एक यात्रा प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटको को उपलब्ध यात्रा सुविधाओं में सुधार करना और समन्वित करना एक सतत् प्रक्रिया है और पर्यटन विभाग, भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय प्राधिकरणों व होटल तथा पर्यटन उद्योग के समन्वय से यह कार्य करता है।

बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का हवाई अड्डा

1585. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरानाटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे पर एयरोपुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा;

(ग) क्या प्रयोजनार्थ निविदाएं आमंत्रित की गई है;

(घ) इनका निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाने की सभावना है;

(ङ) उक्त कार्य के लिए 1994–95 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बंगलौर मे एच.ए. एल. हवाई हड्डे पर प्रस्तावित नए एकीकृत टर्मिनल ब्लॉक में 6.3 करोड़ रुपए की लागत पर 2 ऐरो ब्रिज लगाने की योजना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जुलाई, 1995 तक निर्माण शुरू किए जाने की सभावना है।

(ङ) और (च) वर्ष 1994–95 में 0.5 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। जून, 1997 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

चाय के बागान

1586. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत चाय व्यापार निगम के स्वामित्व में आने वाले चाय बागानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन चाय बागानों में विभिन्न किस्म की कितनी चाय का उत्पादन हुआ है;

(ग) इन बागानों की अर्थक्षम और लाभ अर्जन में सक्षम बनाने के लिए भारत चाय व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारत चाय व्यापार निगम अधिकाशतः निर्यात बाजार के लिए विभिन्न किस्म की चाय की खरीददारी करता रहा है,

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश वार कितने मूल्य की कितनी चाय का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(च) क्या भारत चाय व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय में हाल ही के वर्षों में कमी आई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है,

(ज) क्या भारत चाय व्यापार निगम ने घरेलू बाजार की पेकेजिंग हेतु चाय की विभिन्न किस्मों की खरीददारी करने का हाल ही में निर्णय लिया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमि. के स्वामित्व में पांच चाय बागान है, जो इस प्रकार है : पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुडी जिले में लुकसान और पोटोंग चाय एस्टेट, पश्चिमी बंगाल के दार्जीलिंग जिले में पशोक और वाह तुकवार चाय एस्टेट तथा आसाम के करीमगंज जिले में पथिनी चाय एस्टेट।

(ख) वर्ष 1990–91 से 1992–93 के दौरान टी.टी.सी.आई के स्वामित्व में आने वाले बागानों द्वारा उत्पादित चाय की मात्रा निम्नलिखित रही :

वर्ष	उत्पादन
1990–91	1455
1991–92	1060
1992–93	1106

(ग) टी.टी.सी.आई ने निगम के बागान प्रभाग को अर्थक्षम और लाभ अर्जन के योग्य बनाने के लिए जो उपाय किए हैं, उनमें नवीकरण, छंटाई झाड़–झाखडों को हटाना और साथ ही मशीनरी लगाना जैसे विकासात्मक क्रियाकलाप शामिल हैं।

निगम ने बागान प्रभाग के प्रबन्ध के लिए कार्मिकों की भरती भी की है।

(घ) निगम का व्यापार प्रभाग निर्यात के लिए प्राप्त सप्लाई आर्डरों और साथ ही घरेलू बाजार के लिए समय–समय पर चाय खरीदता है।

(ङ) टी.टी.सी.आई द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

(च) तथा (छ). हाल के वर्षों में टी.टी.सी.आई. लि. के निर्यात निष्पादन में गिरावट आई है। यह गिरावट रूस, सी.आई.एस. देशों तथा ईरान को हुए कम निर्यात के कारण भारत से चाय के समग्र निर्यात में गिरावट के कारण रही है।

(ज) तथा (झ). टी.आी.सी.आई पिछले कुछ वर्षों से चाय की खरीद और घरेलू बाजार में अपने स्वयं के ब्रान्ड माया पैकेट/नटराज पाउच में सप्लाई कर रहा है। हाल के वर्ष के दौरान टी.आी.सी.आई. ने कलकत्ता में और इसके आसपास फुटकर बाजार में भी थोडा बहुत व्यापार शुरू कर दिया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.टी.सी.आई. द्वारा चाय का निर्यात

मात्रा : मीट्रिक टन
मूल्यः–लाख रूपए में

देश	1991–92		1992–93		1993–94	
काली चाय	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोवियत संघ	1504	959.0	59	34.0	–	
जापान	20	34.0	32	66.0	26	58.0
अफगानिस्तान	900	556.0	–	–	–	
जर्मनी	57	220.0	52	228.0	–	
लीबिया	135	69.0	–	–	–	-
कजाकिस्तान	1500	1082.0	1429	950.0	910	565.0
अन्य	12	38.0	18	41.0	3	37.0
हरी चाय						
मोरक्को	1070	687.0	541	381.0	1357	953.0
योग	5198	3645.0	2131	1700.0	2296	1613.0

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा संचालित पर्यटक चार्टर्ड विमान सेवायें

1587. श्री पी.सी. चाको : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न देशों को पर्यटक चार्टर्ड विमान सेवाओं का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1994 तक विभिन्न देशों को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा संचालित ऐसी विमान सेवाओं के देश–वार नाम क्या–क्या हैं;

(ग) क्या 1994 के दौरान 30 नवंबर तक इन विमान सेवाओं से पहले से अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार तथा विमान कंपनी–वार ब्यौरा क्या है तथा इससे इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में पर्यटक चार्टर्ड विमान सेवाओं में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ). पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित और प्रचालकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर महानिदेशक, नागर विमानन पर्यटक चार्टर उड़ानों को क्लीयर करता है। सरकार की नीति पर्यटक चार्टर प्रचालनों को बढ़ावा देने की है। तथापि, प्रचालित की जाने वाली चार्टर उड़ानों की संख्या पर निर्णय लेना चार्टर प्रचालक पर निर्भर करता है।

एल्यूमिनियम पर सीमा-शुल्क में छूट

1588. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम की भारी कमी हो रही है और क्या आयातित सामग्री पर दस प्रतिशत सीमा–शुल्क तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति पर नियंत्रण लगाने हेतु इस संबंध में निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय एल्यूमिनियम की मांग के एक भाग को आयातों द्वारा पूरा करना पड़ता है। सरकार को एल्युमिनियम पर आयात शुल्क समाप्त करने के लिए कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). वर्ष 1995–96 के आगामी केन्द्रीय बजट को देखते हुए, इस समय इस मामले में सरकार के विचारों की जानकारी देना संभव नहीं है।

भारत पाक सीमा पर नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार

1589. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने हेतु प्रवर्त्तन एजेंसियों को सक्षम बनाने के लिए भारत–पाकिस्तान सीमा पर दूर संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर पर हाल ही में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि द्रुतगामी संचार व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एस.टी.डी. सुविधा के साथ फोन तथा फैक्स प्रदान किए जाएं। दोनों पक्षों ने यह भी निर्णय लिया कि उन अधिकारियों के पते तथा फोन नंबरों का आदान–प्रदान किया जाए जो सीमा पार स्वापक औषध तस्करी निवारण से संबंधित क्षेत्र स्तरीय संपर्क कार्यों में लगे हुए हैं।

(ग) औषध अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए दोनों देशों के द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

– भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तान की ओर से पाक रेंजरों के बीच आयोजित आवधिक बैठकों का उद्देश्य, दोनों देशों के प्रतिकूल–स्वापक कार्यों में लगी हुई नोडल एजेंसियों से प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके, कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है।

– सीमा के दोनों ओर में से किसी भी तरफ गिरफ्तार किए गए स्वापक औषध अवैध व्यापारियों के विस्तृत ब्यौरों का पूर्वनिर्दिष्ट संपर्क स्थल पर तत्काल आदान–प्रदान कया जाएगा।

– आसूचना का आदान–प्रदान करना जिससे कि स्वापक औषध व्यापार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

हैंक यार्न

1590. श्री गुमान मल लोढा :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैंक यार्न के उत्पादन के लिए राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान हैंक यार्न के लिए प्रति वर्ष कितनी राजसहायता प्रदान की गई :

(घ) क्या हाल ही में इस यार्न पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राजसहायता के लाभ बुनकरों को प्राप्त हों?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा हैंक यार्न के उत्पादन के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती है। तथापि मिल गेट मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत चुनिंदा हथकरघा शीर्ष समितियों/विकास निगमों/क्षेत्रीय शीर्ष समितियों आदि को सप्लाई किए गए सूत के मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर समान दर से हथकरघा विकास निगम को सब्सिडी की राशि लौटाई जाती है। (राष्ट्रीय भाड़े और ऊपरी खर्चों की प्रति–पूर्ति के लिए)

(ग) यद्यपि हैंक यार्न के उत्पादन के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई है तथापि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत वर्ष 1991–92 से 1993–94 के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि इस प्रकार है :

1991–92	रुपये 1.15 लाख
1992–93	रुपये 35 लाख
1993–94	रुपये 96.73 लाख

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत सप्लाई किए गए सूत पर सब्सिडी की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तथापि भारत सरकार ने हैंक यार्न के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए अप्रैल, 94 के दौरान एक समय के लिए ही हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चुनिंदा शीष समितियों/विकास निगमों आदि को 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक समान दर पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना को अब मार्च, 95 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(च) मिल गेट मूल्य सब्सिडी योजना के अतर्गत प्रयोग करने वाले अभिकरणों के लिए आवश्यक है कि वे क्रय किए गए सूत से हथकरघा कपड़े का उत्पादन अथवा सीधे पंजीकृत सदस्य समितियों/बुनकरों को ऐसा सूत सप्लाई करें तथा योजना का पूरा लाभ उन्हें दे दें। प्रत्येक उपभोक्ता अभिकरण को इस संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को एक लिखित आश्वासन भी देना होगा, यदि हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसी शीर्ष/क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समिति द्वारा अपनी सदस्य प्राथमिक समितियों को सप्लाई किया जाता है तो बिक्री किए सूत के मूल्य के बराबर तैयार माल समिति से उपलब्ध करके सब्सिडी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समिति को दी जाती है। इन प्रथिमिक समितियों को दी गई सब्सिडी की राशि का अनुमान कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ऐसे सूत की प्राप्ति के लिए किए भाड़े व ऊपरी खर्चों पर हुऐ व्यय से लगाया जाता है।

[हिन्दी]

दालों का शुल्क मुक्त आयात

1591. श्री बलराज पासी :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों के भावों में वृद्धि को देखते हुए दालों का शुल्क मुक्त आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय दालों पर सीमा शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी

1592. श्री चित्त बसु :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर तस्करी का अध्ययन कार्य नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान संगठन की राष्ट्रीय परिषद को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.सी.ए.आर.सी. ने अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट में किन–किन बातों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर तस्करी का अध्ययन कार्य नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान संगठन की राष्ट्रीय परिषद को सौंपा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की संख्या कम करना

1593. श्री राम नारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों की संख्या में दस प्रतिशत कमी करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो 1992–93, 1993 और 1994 के दौरान अब तक श्रेणीवार समाप्त किए गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मंत्रालयों/विभागों ने इस नीति को लागू नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य में समाप्त किए जाने हेतु कितने पदों की पहचान कर ली गई है;

(च) क्या समाप्त किए गए/सौंपे गए अधिकांश पद निचली श्रेणी के हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इस योजना के अंतर्गत समाप्त किए गए या समाप्त किए जाने वाले अधिकांश पद या तो खाली पड़े हैं या विलंबित रखे गए हैं और वास्तव में किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्पित अथवा अवनत नहीं किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख) और (ङ). राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 में हुई बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित निर्णय के अनुसरण में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पदों की वर्षवार और समूहवार कटौती से संबंधित सूचना केंद्रीय तौर से नहीं रखी जाती है। तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 62,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है और लगभग 36,000 अतिरिक्त पदों को समाप्त करने के लिए उनकी पहचान कर ली गई है।

(ग) और (घ). जिन विभागों ने पदों में कटौती करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) और (छ). समूह "क" और "ख" जैसे उच्चतर श्रेणियों के पद सामान्यतः पर्यवेक्षी स्वरूप के होते हैं जिनसे समूह "ग" और "घ" की निचली श्रेणी के अनेक पद संबद्ध होते हैं। 1.1.1991 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की 38.75 लाख की कुल संख्या में से समूह "ग" और "घ" के 37.10 लाख कर्मचारियों की तुलना में समूह "क" और "ख" के केवल 1.65 लाख कर्मचारी थे। इस अनुपात को देखते हुए यह जरूरी है कि समूह "ग" और "घ" में समाप्त किए गए पदों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होगी।

(ज) और (झ). पदों में 10 प्रतिशत कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पदों को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है और समाप्त किए गए पदों के स्वरूप के बारे में आंकड़े केंद्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अधिशेष कर्मचारी, अगर कोई हों तो, केंद्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों की पुनः तैनाती) नियम, 1990 के अनुसार पुनः तैनात किए जाने होते हैं।

विवरण

(1) बंजर भूमि विकास विभाग

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(3) सार्वजनिक उद्यम विभाग

(4) नागर विमानन विभाग

(5) विधि कार्य विभाग

(6) संसदीय कार्य मंत्रालय

(7) विधायी विभाग

(8) अंतरिक्ष विभाग

(9) राजभाषा विभाग

(10) कृषि अनुसंधान एव शिक्षा विभाग

(11) परमाणु ऊर्जा विभाग और

(12) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[हिन्दी]

ऋण जमा

***1594. श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 31 अक्तूबर, 1994 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में औसत ऋण जमा कितनी है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण जमा के असंतुलन को दूर के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जून 1994 के अन्त (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा

अनुपात अखिल भारत के 54.0 प्रतिशत औसत की तुलना में 37.1 प्रतिशत है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण जमा अनुपात समयबद्ध सुधार के लिए सिफारिशें करने के वास्ते अगस्त, 1992 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात पर एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी की है कि कृषि को ऋण के संवितरण के लिए अपेक्षित आधारभूत सहायता सुविकसित है और इसके परिणामस्वरुप, यह क्षेत्र अपनी संभावनाओं के अनुसार ऋण खपाने की स्थिति में है। लेकिन, उद्योग के मामले में सही नहीं है, जिसके परिणामस्वरुप ऋण जमा अनुपात में समय सुधार धीमा एवं असंतुलित है। तदनुसार, समिति ने सिफारिश की है कि सरकार और बैंक दोनों को आधारभूत सुविधा के प्रावधान, संबंधों के विकास और ऋण के विनियोजन के लिए हस्तक्षेप करने और अपने उपायों में पर्याप्त तेजी लाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम सहकारिता परिषद की सिफारिशें

1595. श्री अमर रायप्रधान : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम सहकारिता परिषद की सिफारिशों को वर्ष 1993 और 1994 के दौरान लागू न करने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के आधार पर एजेंसियां आबंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त एजेंसियों द्वारा सिफारिशों को लागू न करने का क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने वाली है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। सचिव, नार्थ–28 परगना जिला श्रम सहकारिता संघ, कलकत्ता और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली से शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ). कलकत्ता हवाई अड्डे पर सहकारिता समितियों का कार्य–निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बिना किसी सीमा के सभी अकुशल निर्माण कार्यों के आरक्षण और 5 लाख रुपए तक के कुशल निर्माण कार्यों के बारे में तो श्रम सहकारिता से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों का पालन करने के लिए भरपूर प्रयास करता है परन्तु अन्तिम तौर से निर्माण कार्य सौंपने से पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सहकारिता समिति के पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय श्रम आयोग

1596. डा. मुमताज अंसारी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 24 अक्तूबर, 1994 को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सभी राज्यों से कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) वे राज्य कौन–कौन से हैं जिन्होंने इन सिफारिशों को लागू करने की स्वीकृति दे दी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). फिलहाल इस समय कोई राष्ट्रीय श्रम आयोग नहीं है और इस प्रकार 24 अक्तूबर, 1994 को दिल्ली में आयोग का सम्मेलन आयोजित होने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार समझौता

1597. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विदेश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यापार समझौतों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जी, हां।

	देश का नाम	ब्यौरे
1.	क्रोशिया गणराज्य	जैगरेब में दिनांक 16.9.94 को व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये गये।
2.	ट्यूनीसिया गणराज्य	सितम्बर, 1994 में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये।
3.	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य	दिनांक 22 अगस्त, 1994 को व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये।
4.	म्यांमार	जनवरी, 1994 में सीमा व्यापार सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) इन करारों में व्यापार की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन इनसे व्यापार वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

रूई का निर्यात

1598. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष पांच लाख रूई की गांठों का निर्यात करने का निर्णय लियां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को क्या–क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). दीर्घकालीन कपास निर्यात नीति के अनुसार सरकार प्रति वर्ष कपास मौसम (सितंबर–अगस्त) के आरंभ से निर्यात के लिए 5 लाख गांठें रिलीज करती है।

इस निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :–

(क) कपास उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति को कपास का स्थायी आपूर्तिकर्ता के रूप में बनाए रखना; तथा

(ग) कपास की कीमतों को स्थिर बनाना जो उद्योग के साथ–साथ उपजकर्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

1600. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पुनः चालू करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ख). वस्त्र अनुसंधान संघों ने एन टी सी की मिलों के पुनरूद्धार के लिए योजनाएं तैयार की हैं। इनमें कानपुर में स्थित एन टी सी (यू.पी.) लि. के अंतर्गत की मिलें भी हैं। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ आधुनिकीकरण, पुनर्संरचना आदि शामिल हैं। पुनरूद्धार योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ब्यौरों की सरकार जांच कर रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एन टी सी (यू.पी.) लि. सहित एन टी सी के 9 सहायक निगमों में से व 8 निगमों के मामले वित्तीय तथा औद्योगिक पुनर्संरचना बोर्ड को भेजे गए हैं। इसलिए पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन करने से पहले इस पर बी. आई एफ आर के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का राष्ट्रीयकरण

1601. श्री शरद दिघे :
श्री राम नाईक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंबई स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की तेरह मिलों का राष्ट्रीयकरण संबंधी कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). वस्त्र अनुसंधान संघों ने एन टी सी की मिलों के पुनरद्धार के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की हैं इसमें बंबई में अधिग्रहित की गई मिलें भी शामिल हैं। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि अधिगृहित मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में यथाप्रस्तावित आधुनिकीकरण के द्वारा एन टी सी की मिलों तथा अधिग्रहित मिलों को अर्थक्षम बनाया जा सकता है। प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ब्यौरों की सरकार जांच कर रही है।

उपभोक्ता सामान का आयात

1602. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक के अनुदेशों के अंतर्गत उपभोक्ता सामान के आयात को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). आयात–निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, उसमें समय–समय पर संशोधन किए जाते हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प का विकास

1603. श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात से हथकरघा और हस्तशिल्प निर्मित उत्पादों के विकास और निर्यात हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई है/दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). गुजरात राज्य सहित, देश में हस्तशिल्पों तथा हथकरघा उत्पादों के विकास और संवर्धन के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में प्रशिक्षण, डिजाइन तथा तकनीकी विकास, क्वालिटी

डाइंग यूनिटें, विप्रणन विकास स्पोर्ट, प्रदर्शनियों के लिए सहायता, प्रचार तथा शिल्प/हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना, लुप्त–प्रायः शिल्पों का पुनर्जीविकरण, परियोजना पैकेज स्कीम, दीन–हीन बुनकरों को न्यूनतम धनराशि की व्यवस्था, समन्वित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम, वर्कशेड सह–आवास योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण तथा जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. आई.) के अन्तर्गत 1000 सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

गुजरात राज्य सहित देश में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परषिद (ई.पी.सी.एच.) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी.ई.पी.सी.) तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच.ई.पी.सी.) की मार्फत हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :–

(1) क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना;

(2) विदेशों में बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(4) विदेशों में प्रचार और केटालाग का प्रकाशन;

(5) देश में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, भारतीय कालीन एक्सपो तथा हथकरघा एक्सपो आयोजित करना;

(6) महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों में कार्यशाला संगोष्ठियां आयोजित करना।

(ग) हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्रों में निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, आठवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रिलीज/स्वीकृत की गई धनराशि निम्न प्रकार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजना	गैर–योजना	कुल
1992–93	24.33	165.03	189.36
1993–94	96.38	406.75	503.13
1994–95	199.12	22.63	221.75
(अक्तूबर "94" तक)			

[हिन्दी]

बिहार में बैंकों की स्थापना

1604. श्री राजेश कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बिहार में राज्य सरकार तथा राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा प्रायोजित नए बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए गये हैं/जारी किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा नए बैंकों की स्थापना का भी प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बिहार में, राज्य सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा प्रायोजित किसी नए बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है।

(ग) और (घ). भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे किसी भी अन्य राज्य सरकार से नए बैंकों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

1605. श्री श्रीकांत जेना :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ी गई विदेशी मुद्रा के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गबन किए जाने सम्बन्धी कोई मामला हाल ही में सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह मामला माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन पड़ा है।

[हिन्दी]

कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य

1606. श्री छेदी पासवान :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) के माध्यम से व्यापार और उद्योग के सामान्य लाभ के लिए अनुसंधान संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उक्त योजना का कितना कार्यान्वयन हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जी, हां। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों के सामूहिक लाभ के लिए एक ऐसी अनुदान सहायता योजना है जिसके तहत बागवानी, पुष्पोत्पादों और मांस उत्पादों जैसी एपीडा की अनुसूचित एपीडा मदों के निर्यात में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण प्रोद्यौगिकियों, पैकेजिंग और फसल–पश्चात प्रक्रियाओं में सुधार लाने हेतु संगत–अनुसंधान तथा विकास कार्य होता है। एपीडा द्वारा निर्यातकों की ओर से अनुसंधान परियोजनाएं कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों की मार्फत निष्पादित की जाती हैं। एपीडा अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए परियोजना लागत के 100 प्रतिशत तक व्यय हेतु वित्तपोषण की सहायता प्रदान करता है। एपीडा द्वारा प्रायोजित 7 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कुल 13.47 लाख रु. का व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता

1607. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए भारत में एक कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एक–उच्चस्तरीय शिष्ट मण्डल ने इस संबंध में भारत की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ समझौते किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) नई दिल्ली में स्थित आस्ट्रेलियाई उच्चायोग से पता चला है कि आस्ट्रेलियाई व्यापार आयोग (आस्ट्रेड) नई दिल्ली और बम्बई में स्थित अपने मौजूदा कार्यालयों के पूरक के रूप में भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर में तीन नए व्यापार कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है।

(ख) औपचारिक रूप से प्राप्त होने पर सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

(ग) इस कार्य के लिए कोई भी सरकारी प्रतिनिधि मंडल भारत नहीं आया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि पर आधारित उद्योगों को ऋण

1608. श्री मंजय लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों की राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सुविधा दिलाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंक सभी आर्थिक रूप से सक्षम तथा तकनीकी रूप से व्यवहारिक कार्यविधियों के लिए ऋण देते हैं जिनमें निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की कार्यविधिया भी शामिल हैं। विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) बैंकों को कृषि पर आधारित उद्योगों हेतु ऋण देने के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

प्रेशर कुकर पर उत्पाद शुल्क

1609. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेशर कुकरों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के परिणामों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रेशर कुकरों पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क लगाए जाने से इनकी मांग में कमी हुई है और केरोसिन तेल की खपत बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तत्संबंधी निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). कर–आधार को व्यापक बनाने संबंधी समग्र नीति के एक अंग के रूप में इस बजट में प्रेशर कुकरों पर 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया गया था। उत्पाद शुल्क में प्रभावी वृद्धि काफी कम होगी क्योंकि विनिर्माता अपनी निविष्टयों पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क का पूर्ण क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, प्रेशर कुकर बनाने वाले लघु एककों को 30 लाख रुपये तक की गई निकासियों पर कोई उत्पाद शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा और शुल्क का भार केवल बड़े एककों द्वारा ही वहन किया जाएगा। इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि उत्पाद शुल्क

लगाए जाने से प्रेशर कुकरों का प्रचलन बढ़ाने में रूकावट आई है जिसके कारण मिट्टी के तेल की खपत में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड

1610. श्री अन्ना जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्रेडिट कार्ड की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो संस्थावार जारी किए गये क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या और उनके प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) बैंक अपने कोडों को तीन श्रेणियों अर्थात् प्रीमियम, गैर–प्रीमियम और मध्य स्तर के कार्डों में वर्गीकृत करते हैं। कुछ बैंक उन्हें गोल्ड, एक्जिक्यूटिव और क्लासिक कार्डों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। उपलब्ध सूचनानुसार उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम, जिन्होंने अपने क्रेडिट–कार्ड शुरू किये हैं, और क्रेडिट–कार्ड धारकों की संख्या (बैंक–वार) नीचे दी गई है :–

बैंक का नाम	क्रेडिट–कार्ड धारकों की संख्या	की स्थिति के अनुसार
आन्ध्रा बैंक	73,007	31.3.93
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,60,637	31.3.94
बैंक ऑफ इंडिया	26,514	30.9.93
विजया बैंक	38,462	31.3.93
केनरा बैंक	2,04,342	31,3,94
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	81,429	31.3.94

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1989 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किये थे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर जोर दिया गया था कि यदि अत्यधिक बैंक अपने–अपने क्रेडिट कार्ड शुरू करते हैं तो यह न तो लाभप्रद होगा और न ही किफायती। यदि कोई बैंक घरेलू क्रेडिट कार्ड के कारोबार में प्रवेश करने का इच्छुक है तो उसके लिये क्रेडिट कार्ड शुरू कर चुके किसी बैंक के साथ उपयुक्त तालमेल (टाईअप) करना बेहतर होगा।

[हिन्दी]

एक हजार रुपए का नोट

1611. डा. लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** 5 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक हजार रुपए का नोट जारी करने के संबंध में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रचलन कब से शुरू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). इस समय एक हजार रुपये के नोट को जारी करने का प्रस्ताव केवल विचाराधीन है।

गुजरात में बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋणों का वितरण

1612. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई और इन बैंकों द्वारा लघु/मध्यम उद्योगपतियों और बेरोजगार युवकों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) क्या इन बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान युवा उद्यमियों और महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत आठ महीनों से इन बैंकों में बड़ी संख्या में खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की नई इकाइयों की स्थापना

1613. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की और अधिक इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

1614. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री मनोरंजन सुर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बोर्ड के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निदेशकों सहित गैर–सरकारी निदेशकों का ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्तियों के लिए क्या मार्ग निदेश हैं;

(ख) क्या गैर–सरकारी निदेशक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यों से जुड़े होते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के चेयरमैन और निदेशकों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हथकरघा विकास केन्द्र

1615. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में 3000 हथकरघा विकास केन्द्र और 500 उत्तम कोटि के रंगाई एकक स्थापित करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक राज्य–वार ऐसे केन्द्र/एकक कहां–कहां स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इससे राज्य–वार कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 (30.11.94 को) मंजूर की गई केन्द्र/ईकाई और

(ख) और (ग). उससे लाभांवित बुनकरों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र/रंगाई इकाई (1993–94)		केन्द्र/रंगाई इकाई (1994–95)		लाभान्वित बुनकर
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	24	29	13	79,000
2.	असम	45	–	–	–	45,000
3.	बिहार	–	–	3	3	3,000
4.	हिमाचल प्रदेश	1	–	1	–	2,000
5.	कर्नाटक	6	1	13	3	19,000
6.	केरल	8	–	8	–	16,000
7.	महाराष्ट्र	1	1	1	1	2,000
8.	मध्य प्रदेश	5	–	–	–	5,000
9.	मणिपुर	41	–	–	–	41,000
10.	उडीसा	38	26	16	2	54,000
11.	तमिलनाडु	30	6	–	–	30,000
12.	पश्चिम बगाल	42	8	17	2	59,000
13.	उत्तर प्रदेश	–	–	34	21	34,000
	कुल	267	66	122	45	3,89,000

[अनुवाद]

बकाया ऋण

1616. श्री पी. कुमारासामी :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋण की धनराशि 50 करोड़ या इससे ऊपर है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में ऋण दो वर्ष से अधिक से लंबित है; और

(ग) इन बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में इंडबैंक हाऊसिंग लिमिटेड की शाखाएं

1617. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन बैंक की सहायक कम्पनी इंडबैंक हाऊसिंग लि. की महाराष्ट्र में बर्तमान में कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इस सहायक कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्य इस सहायक कम्पनी की हाऊसिंग हेतु कम लागत वाली सामग्री की पहचान करने के लिए अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 में अब तक इसके द्वारा महाराष्ट्र में कितना ऋण मंजूर और वितरित किया गया है; और

(ङ) इससे राज्य में सस्ते मकान बनाने हेतु योजनाएं तैयार करने में कितनी सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि इंडबैंक हाऊसिंग लि. (आई अच एल) की कोई शाखा महाराष्ट्र में कार्य नहीं कर रही है।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ग) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि आई एच एल के मुख्य उद्देश्य भारत में आवासीय मकानों/फ्लैटों की खरीद/उनका निर्माण करने के लिए दीर्घावधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ग) और (ङ). जी, हां। आई एच एल ने राज–मिस्त्रियों, हिताधिकारियों आदि को मकान निर्माण में कम लागत की प्रौद्योगिकी के उपायों का प्रचार के लिए हुडको के प्रभावकारी कदमों का समर्थन करने का कार्य किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आई एच एल ने नई तकनीक की कारगरता के उद्देश्य को पूरा करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए राज–मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के कई कार्यक्रम काफी सफलतापूर्वक चलाए हैं।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का दुरुपयोग

1618. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसधारी आयातकों द्वारा पी.एफ.वाई. के अत्यधिक आयात के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सरकार को राजस्व की कोई हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि सरकार को इकोनोमिक टाइम्स के नई दिल्ली संस्करण में दिनांक 18.7.1994 को प्रकाशित जाली दस्तावेजों के जरिए पी ओ वाई आयात से सीमाशुल्क राजस्व की हानि, शीर्षक से एक समाचार मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जाली दस्तावेजों के जरिए पी ओ वाई के निःशुल्क आयात और सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन करके घरेलू बाजार में आयातित पी ओ वाई की बिक्री से सीमाशुल्क राजस्व की काफी हानि हो रही है। हवाला मार्ग के जरिए व्यापार करने के सम्बन्ध में भी बताया गया है।

(ग) से (ङ). विदेश व्यापार महा निदेशालय समाचार में बतांए गये विशिष्ट मामले की स्वयं ही जांच कर रहा है।

तम्बाकू बोर्ड में राज्यों का प्रतिनिधित्व

1619. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास तम्बाकू बोर्ड का पुनर्गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, और

(घ) इस बोर्ड का पुनर्गठन कब तक किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार ने तम्बाकू बोर्ड के उंन सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नए सदस्यों को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है। पदेन सदस्यों के अलावा, इनमें शामिल हैं--तम्बाकू उगाने वाले राज्यों के प्रतिनिधि, तम्बाकू–व्यापारी, विनिर्माता, निर्यातक, उपकर्ता और विपणन/कृषि विशेषज्ञ।

(ग) और (घ). इस अधिनियम में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की राज्य सरकारों में से प्रत्येक का एक–एक प्रतिनिधि शामिल करने का प्रावधान है। अन्य दो सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अन्य तम्बाकू उपजकर्ता राज्यों की सरकारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्रमिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत नए सदस्य महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों से होगे।

सम्बंधित प्राधिकारियों के परामर्श से नामांकनों को अन्तिम रूप दिए जाते ही, नए सदस्यों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

आयकर विभाग में सृजित पद

1620. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फील्ड स्तर पर अपनी श्रम शक्ति के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आयकर विभाग में कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता की समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है। वर्ष 1993 में आयकर आयुक्तो के स्तर के 42 पदों का सृजन किया गया था। जहां तक समूह ख, ग और घ का संबध है, 1993 में संवर्ग पुनरीक्षा पूरी की गई थी और सरकार ने 1993 और 1994 में 4287 पद मुक्त किए हैं।

ग्राहक सेवा

1621. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कम्पनियों में घटिया उपभोक्ता सेवाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993–94 तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाई गई वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कम्पनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कम्पनियों में बेहतर उपभोक्ता सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). आवेदकों और वर्तमान उधारकर्ताओं द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के विरूद्ध शिकायतें/अभ्यावेदन प्रायः कमजोर/रूग्ण औद्योगिक एककों को ऋणों की मंजूरी, आवश्यक राहतें/रियायतें देने, बकाया देय राशि के एक बारगी समझौता आदि के संबंध में देरी/अस्वीकृति से संबंधित होती है। सरकार इन शिकायतों को उचित कार्रवाई/उपचार/टिप्पणी के लिये सम्बद्ध संस्थानों के पास भेज देती है। जहां तक बीमा कम्पनियों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल-क्रीड़ा सुविधाएं

1622. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जल–क्रीड़ा सुविधाएं विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) क्या राज्य ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). जी, हां। उड़ीसा में जल–क्रीड़ा के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमें अनुमोदित की गई हैं और निधि रिलीज की गई है :–

	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	वर्ष
				(रु. लाखों में)
1.	हीराकुंड पर जल–क्रीड़ा उपकरण	15.43	7.00	1990–91
2.	समुद्र पर गोपालपुर पर जल–क्रीड़ा उपकरण	8.00	2.00	1991–92

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जल–क्रीड़ा सुविधाओं के विकास से संबंधित कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

1623. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्ष–वार आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए किसानों को

संवितरित ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए)

एजेंसी	वर्ष		
	1991–92	1992–93	1993–94*
सहकारी बैंक	5986	9377	10117
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	596	831	977
वाणिज्यिक बैक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित)	4608	4960	6242
जोड़	11190	15168	17337

* अनन्तिम

प्रत्येक वर्ष किसानों को संवितरित ऋणों में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषद में सदस्यों की नामजदगी

1624. श्री जगजीत सिंह बरार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रायोजित व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के अलावा, व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि मंडल गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधिमंडलों का ब्यौरा क्या है और 1993–94 के दौरान उन्होंने किन–किन देशों का दौरा किया; और

(ग) इन प्रतिनिधिमंडलों में सदस्यों की नामजदगी के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जी, हां। वाणिज्य मंत्रालय, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रायोजित व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, के अतिरिक्त, जब कभी आवश्यक समझता है, व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करता है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चयन उनके निर्यात निष्पादन और प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान इन देशों आदि में भारतीय कम्पनियों की चल रही निर्यात/आयात परियोजना से सम्बंधित मुद्दों पर होने वाले विचार–विमर्श को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस तरह के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों और जिन–जिन देशों में वे गए, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

	प्रतिनिधिमंडल के सदस्य	देश
1.	श्री बी.पी. मिश्रा, संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।	बाल्टिक राज्य (लाटविया, लिथुआनिया स्टोनिया और पोलैण्ड)
2.	श्री बी.पी. मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को आर्थिक कार्य विभाग के नेतृत्व में एक अन्तः मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल में भेजा गया।	मास्को
3.	श्री कमालुद्दीन अहमद, वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए के गोस्वामी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, श्री एच.पी. बरूचा, अध्यक्ष, आई डी. ए, श्री कीर्ति पटेल, प्रबंध निदेशक, मैसर्स मणिभाई एण्ड कम्पनी, श्री अभिजीत मजूमदार, महाप्रबंधक (चाय निर्यात) टाटा चाय, श्री प्रवीण मंसाली, प्रबंध निदेशक, मै. शान्तिलाल एण्ड मंसाली, श्री दीपक अटल, निदेशक, मैसर्स डंकन एग्रो. श्री करन पाल, निदेशक, असम फ्रन्टियर, श्री अहमदुल्ला, कार्यकारी निदेशक (चाय) मैसर्स हरीसन मलयालम, श्री मुमताज अहमद, मैकलाड रसेल, श्री अजीत थामस, अध्यक्ष, उपासी।	यू.के, फ्रान्स, पोलैण्ड, और जर्मनी।
4.	श्री कमालुद्दीन अहमद, वाणिज्य, मंत्रालय में राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें शामिल थे–श्री जी.पी. राव, तत्कालीन, संयुक्त सचित, वाणिज्य मंत्रालय, श्री राघव चन्द्रा, उप सचिव, वाणिज्य, मंत्रालय, श्री गोकुल पटनायक, अध्यक्ष, एपीडा, श्री टी. हसन, आवासीय निदेशक, एस्सर ग्रुप, नई दिल्ली, श्री सुरेश समरवाल, अध्यक्ष यू.ए.ई स्थित भारतीय मांस और पशुधन निर्यातक संघ और श्री तेजसिंह आनन्द, उपाध्यक्ष, मुकुन्द लिमिटेड बम्बई।	कतर, यू.ए.ई
5.	श्री अशोक झा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें शामिल थे : श्री देव नाथ शा, उप सचिव, विदेश मंत्रालय, श्री पी जी आयंगर, निदेशक (वाणिज्य) कुद्रेमु आयरन और लिमिटेड, बंगलौर, श्री एम के जालान, निदेशक केवेन्टर एग्रो लिमिटेड, कलकत्ता, श्री विश्वनाथ मैसर्स नाथ ब्रदर्स एक्सिम इण्टरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली, श्री आर. राजमणि, पेन्नार स्टील्स लिमिटेड, हैदराबाद, श्री श्रीधर रेड्डी, प्रबंध–निदेशक फिशिंग फाल्कन लिमिटेड, हैदराबाद श्री आर के वर्मा, सदस्य, सोपा, इन्दौर, श्री कैलाश आनन्द संस्पारिल्स, ग्रीनलैण्ड (प्रा.) लिमिटेड, मेरठ, श्री जे. भण्डारी, अध्यक्ष, सोपा, इन्दौर, श्री ई गोम्स, प्रबंध निदेशक, यूनिक वाल्वस लिमिटेड, पुणे श्री सुखदेवराज, प्रबंध निदेशक, विक्टर टूल्स प्रा. लिमिटेड, जालन्धर, और श्री ए सोंधी, प्रबंधक, एम एम टी सी लि. टोक्यो, जापान।	ताईवान

बेरोजगारी

1625. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में बेरोजगारी में भारी वृद्धि का कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1626. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र में पहला अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है;

(ग) इसमें कितना अनुमानित खर्च आयेगा; और

(घ) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को "अपना बनाओ और प्रचालन करो" के आधार पर निजी पार्टियों की सहायता से बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपनी अनापत्ति सूचित कर दी है।

नेदुम्बसेरी कोचीन में एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, केरल सरकार को एक सोसायटी बनाने की अनुमति दी गयी है जिससे वह अनिवासी भारतीयों सहित जनता से धन जुटा सकें। उस सोसायटी द्वारा हवाई अड्डे का निर्माण किया जायेगा और यह उसके स्वामित्व में होगा।

(ग) बंगलौर हवाई अड्डे के बारे में अभी तक कोई आंकलन नही किया गया है जबकि कोचीन हवाई अड्डे के मामले में, भूमि की लागत को छोड़कर प्रारंभिक अनुमान 274 करोड रुपए का लगाया गया है।

(घ) दोनों हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य पूरा होने की ठीक–ठीक समय–सीमा बताना अभी बहुत जल्दी होगा।

[अनुवाद]

पेंशन संरचना

1627. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघ ने पेंशन ढांचे में संशोधन करने तथा पेंशन अधिनियम, 1871 को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). पांचवें वेतन आयोग द्वारा 5 मई, 1994 को प्रैस के माध्यम से जारी की गई अधिसूचना के जवाब में अखिल भारतीय पैंशनभोगी संघ, मद्रास द्वारा पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में पैंशन ढांचे का पुनरीक्षण करने तथा पैंशन अधिनियम, 1871 को प्रतिस्थापित करने संबंधी संघ के सुझाव निहित हैं।

पांचवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग मृत्यु–सह–निवृत्ति लाभों सहित केन्द्रीय सरकार के पैंशन भोगियों के पैंशन ढांचे की जांच करेगा और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देगा।

[हिन्दी]

दूर-दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में विमान सेवाएं

1628. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना के दूर–दराज पर्वतीय क्षेत्रों को विमान सेवाओं से जोड़ने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत देश के कई पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए प्रचालन करते हैं। मैसर्स अर्चना एयरवेज हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी स्टेशनों को प्रचालन करते हैं। अरूणाचल प्रदेश स्थित दूरस्थ क्षेत्रों को हेलीकाप्टर सेवाओं द्वारा जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने निजी एयरलाइनों को भी पूर्वोत्तर और जम्मू तथा कश्मीर जैसे अगम्य और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ट्रक मार्गों पर नियोजित अपनी क्षमता के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर क्षमता नियोजित करने के निदेश दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश पूंजी निवेश

1629. श्री सत्यदेव सिंह :
डॉ. रमेश चन्द तोमर :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों ब्रिटिश निवेशकों ने भारत में पूंजी निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन–किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने अब तक कितना पूंजी निवेश किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश निवेशकों ने इलैक्ट्रॉनिक्स, रसायन और पैट्रो–रसायन, धातुकर्तीय उद्योग, स्वचालित वाहन उद्योग, फिल्मों, औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरी उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, वस्त्र उद्योग, मृत्तिका–शिल्प, औषध और भेषण–विज्ञान कम्प्यूटर–सॉफ्टवेयर, बिजली के उपस्कर आदि के क्षेत्रों में निवेश किया है।

भारत–सरकार, द्वारा जनवरी, 1991 से जून, 1994 तक स्वीकृत किया गया कुल ब्रिटिश निवेश 9451.6 मिलियन है।

[अनुवाद]

कर सुधार

1630. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री राम कापसे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की कर प्रणाली को, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के मौजूदा प्रयासों के अनुरूप लाने के लिए अनेक कर सुधारों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) इसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). कर सुधार समिति की सिफारिश के अनुपालनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। कर सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

1632. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगपतियों को वर्ष–वार कितना ऋण दिया गया;

(ख) यह ऋण किन–किन उद्योगों को दिया गया है;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋण के रूप में दी गई धनराशि में से कितनी धनराशि वसूल की है;

(घ) किन–किन फर्मों ने ऋण का भुगतान नहीं किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा वर्ष 1992–1993 और 1993–94 के दौरान प्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत मंजूर और संवितरित सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

	मंजूरियां	संवितरण
1992–93	5842.7	4008.0
1993–94	7937.0	5766.3

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का उद्योग–वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार उसने प्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत उद्योगो को 26,083 करोड़ रु. संवितरित किये हैं और बकाया ऋण 17,115 करोड़ रु. था। वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान प्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत वसूली अनुपात (अर्थात कुल मांग की तुलना में वसूली) क्रमशः 84.4 प्रतिशत 89.7 प्रतिशत, और 90.5 प्रतिशत है।

(घ) सरकारी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों और लोक वित्तीय संस्था, (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के भी अनुसरण में एकक–वार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

(ङ) देय राशियों की वसूली में बैंको और वित्तीय संस्थाओं की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजना वित्त के अन्तर्गत उद्योग-वार मंजूर तथा संवितरित सहायता

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग	मंजूरी 1992–93	मंजूरी 1993–94	संवितरण 1992–93	संवितरण 1993–94
1	2	3	4	5	6
1.	खाद्य प्रसंस्करण	321.17	460.43	262.90	274.40
	क. चीनी	100.07	137.86	108.64	83.75
	ख. अन्य	221.10	322.57	154.26	100.65

1	2	3	4	5	6
2.	वस्त्र	652.45	798.47	497.48	603.93
3.	जूट	2.00	20.00	5.97	13.41
4	कागज एवं कागज उत्पाद	178.13	182.78	99.15	116.83
5.	रबर एवं रबर उत्पाद	132.05	55.28	142.48	56.67
6.	रसायन एवं रसायन उत्पाद	992.07	1005.32	809.30	835.87
7.	उर्वरक	351.75	313.03	295.73	339.16
8.	सीमेंट	559.89.	320.80	623.14	421.98
9.	मूल धातु	592.13	1034.53	685.77	749.13
	क. लोहा एवं इस्पात	550.93	958.65	609.05	722.85
	ख. अलौह	41.20	75.88	76.72	26.28
10.	धातु उत्पाद	260.57	254.11	168.42	182.23
11.	मशीनरी	147.30	221.01	116.97	90.85
12.	बिजली तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण	322.63	361.56	210.34	369.18
13.	परिवहन उपकरण	153.12	248.96	124.41	185.66
14.	बिजली उत्पाद	223.20	658.10	97.75	202.52
15.	सेवाएं	348.95	384.06	288.96	438.92
	क. होटल	28.09	13.42	31.78	7.76
	ख. अस्पताल	55.90	25.17	49.84	26.51
	ग. सड़क परिवहन	—	—	—	—
	घ. अन्य	264.96	345.47	207.34	404.65
16.	अन्य	605.25	1618.53	379.21	885.60
	कुल	5842.66	7936.97	4807.98	5766.34

* परियोजना तथा परियोजना भिन्न (टी.डी.एफ. ऋण सहित) एवं विदेशी मुद्रा ऋण सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे पर सामान की दुलाई-उतराई

1633. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा मुम्बई में सामान की दुलाई–उतराई का कार्य किया जाता है;

(ख) क्या यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो एयर इंडिया के सामान की दुलाई–उतराई का कार्य करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकरण को सामान की दुलाई–उतराई का कार्य दिए जाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गया हवाई अड्डा

1634. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया हवाई अड्डे को बड़े हवाई जहाज उड़ाने योग्य बनाने संबंधी विकास और इस हवाई अड्डे को अन्य बड़े अड्डों से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरिया और गया के बीच चार्टर्ड उड़ान सेवा आरंभ करने की संभावना का पता लगाने हेतु कोरिया के किसी शिष्टमंडल ने हाल में पटना और गया की यात्रा की;

(घ) क्या गया हवाई अड्डे का समुचित विकास हो जाने के बाद विदेशी पर्यटकों तथा बढ़े व्यापार के माध्यम से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन से पता चलता है कि गया हवाई अड्डे का बोइंग 737 और एयरबस 320 प्रकार के विमानों के लिए उन्नयन किया जा सकता। परियोजना की अनुमानित लागत बिना राडार के 24.30 करोड़ रुपए और राडार सहित 54.30 करोड़ रुपए है। संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए यह संभव नहीं है कि इस हवाई अड्डे का उन्नयन किया जा सके।

(ग) चार्टर्ड उड़ान सेवा आरम्भ करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोरिया शिष्टमंडल के दौरे की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ). गया हवाई अड्डे के उन्नयन से अतिरिक्त आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

1635. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूर्वांचल विकास निधि के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में अप्रैल, 1994 में प्रधान मंत्री को एक अर्ध–शासकीय पत्र भेजा था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बताया गया था कि राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड जिले विकास के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से अन्य भागों की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा सामान्य कार्यक्रमों के वित्त पोषण के अलावा उक्त क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु दो निधियों अर्थात् बुंदेलखण्ड विकास निधि तथा पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गई है और फिलहाल इन दोनों निधियों में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। यह अनुरोध किया गया था कि इतनी ही राशि केंद्र द्वारा दोनों निधियों में केंद्र के अंशदान के रूप में मुहैया कराई जाए।

(ग) और (घ). मामले पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि किसी राज्य में पिछड़े इलाके का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी राज्य को सामान्य केंद्रीय सहायता किसी विशेष क्षेत्र अथवा स्कीम के लिए न देकर समग्र रूप में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/जिलों के लिए आबंटन अपने समग्र योजना परिव्यय में से ही किए जाने होते हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में गोदामों की स्थापना

1636. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में गोदाम खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गोदामों के कब तक खुल जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). सरकार विदेशों मे गैर–सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा भण्डागार स्थापित करने का समर्थन करती है। भारतीय उद्यमियों का एक दल रोटरडम (नीदरलैण्ड में) इण्डियन इण्टरनेशनल मार्केटिंग सेण्टर (आई आई एम सी) नामक एक भण्डागार–सह–वितरण केन्द्र स्थापित कर रहा है। आशा है कि यह केन्द्र 1995 के उत्तरार्द्ध में कार्य करने लगेगा।

एम एम टी सी ने भी यू. एस. ए. में एक गोदाम स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की है।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार

1637. डा. साक्षीजी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार केन्द्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) एवं (ख). वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 (जनवरी से जून) (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातकोत्तरों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये स्नातकोत्तरों की संख्या निम्न प्रकार थी

(हजार में)

वर्ष	चालू रजिस्टर	नियुक्त किए गये
1990	84.5	0.4
1991	75.1	0.5
1992 (जनवरी से जून)	74.4	0.1

भारत में अमरीकी बैंकों का प्रवेश

1638. श्री आर. जीवरत्नम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बैंकों की भारत में प्रवेश की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सेवा–शर्तें हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि अमेरिकी बैंक, अर्थात सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि., भारत में पहले से ही कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एक शाखा खोलने के लिए चेज मैनहटन बैंक को भी लाइसेंस जारी किया है और उक्त बैंक ने दिनांक 21.9.1994 को अपनी शाखा खोली है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में आने वाले विदेशी बैंकों के लिये शर्तें अलग–अलग देशों के लिये अलग–अलग नहीं हैं। भारत में शाखा स्थापित करने संबंधी विदेशी बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय आदान–प्रदान के सिद्धांतों, वित्तीय स्थिति, बैंक की सुदृढ़ स्थिति, सारे विश्व में इसके शाखा–तंत्र, पूंजी और परिसम्पत्तियों के आकार, बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अपनी स्थापना वाले देश में उनकी प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय लाभ और बैंकों के पर्यवेक्षण संबंधी देश में प्रचलित प्रणाली के साथ–साथ दो देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय/व्यापार संबंधों पर भी विचार किया जाता है। आर बी आई ने आगे सूचित किया है कि भारत में शाखा खोलने के इच्छुक विदेशी बैंकों को अपनी प्रथम शाखा खोलते समय एक नियत पूंजी के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डालर लाना होगा जिसे दूसरी शाखा खोलते समय बढ़ाकर 20 मिलियन अमेरिकी डालर और तीसरी शाखा खोलते समय बढ़ाकर 25 मिलियन अमेरिकी डालर कर दिया जायेगा। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से भारत में भारतीय परिचालनों के जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 8 प्रतिशत के बराबर राशि की पूंजी निधि बनाये रखने की भी अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

नई कपड़ा मिलें

1639. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में आज तक कपड़ा मिलों की क्षेत्रवार संख्या कितनी–कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नई सहकारी कताई मिलें स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 30.9.94 की स्थिति के अनुसार देश में सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों की संख्या 1222 थी। क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र	मिलों की संख्या
सरकारी (एन टी सी) बीआईसी/एसटीसी	188
सहकारी	124
गैर–सरकारी	910
कुल	1222

(ख) से (घ). राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से शेयर पूंजी ऋण सहायता पर नई सहकारिता कताई मिलों को स्थापित करने के लिए कोई पत्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रोजगार के अवसर

1640. श्री तारा सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में "294 मिलियन जोब सीकर्स बाई सेंचुरी एंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी कुछ वर्षों में नौकरी को तलाश करने वाले सभी लोगों को नौकरी देने संबंधी एक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1992–2002 की 10 वर्षीय अवधि में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्यां 94 मिलियन होगी। इसका यह आशय नहीं है कि उस वर्ष तक रोजगार चाहने वालों की संख्या 94 मिलियन होगी।

(ख) योजना आयोग द्वारा तैयार अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992–94 के दौरान नियोजित तथा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के अनुसार	नियोजन	बेरोजगारी
	(मिलियन में)	
1992	301.7	17.0
1993	308.1	17.3
1994	313.7	18.5

(ग) एवं (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में परिकल्पित रोजगार नीति में रोजगार गहन क्षेत्र सैक्टरों, सब–सैक्टरों तथा क्रियाविधियों के विकास पर बल दिया गया है। सन् 2002 ई. तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति की प्राप्ति को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है तथा इस् प्रयोजनार्थ नीतियों, पालिसियों तथा कार्यक्रमों का त्वरित किया जा रहा है।

बैंकों में जमाराशि

1641. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1993 और 30 जून, 1994 तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी सार्वजनिक जमा धनराशि थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : दिसम्बर, 1993 और जून, 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां क्रमशः 170554.42 करोड़ रुपए और 182764.82 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

1642. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को खाडी देशों से अपने देश में हो रही सोने की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना सोना जब्त किया गया; और

(ग) खाड़ी देशों से होने वाली सोने की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आसूचना रिपोर्टों और किये गये अभिग्रहणों से पता चलता है कि सोने की खाड़ी के देशों से हमारे देश में लगातार तस्करी की जाती रहती है। तथापि, सरकारी तौर पर सोने के आयात की अनुमति दिये जाने के बाद सोने की तस्करी में सामान्य रूप से कमी हुई है।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पकड़े गये सोने की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1991–92	4665
1992–93	2339
1993–94	1233

देश में पकडा गया उपर्युक्त सोना विदेशी मूल के सभी स्थानों से लाया गया था। चूंकि अधिकाश मामलो में, तस्करी किये गये सोने को क्लेम न किये गये सोने के रूप में पकड़ा जाता है, इसलिए ठीक मूल देश का, चाहे उसे खाडी के देशों से लाया गया हो अथवा अन्यथा, उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

(ग) तस्करी के लिए सुगम्य सभी स्थानो पर तस्करी रोधी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। वायु मार्ग से सोने की तस्करी की रोकथाम करने के लिए सरकार ने इस समस्या, उसके विस्तार क्षेत्र और भारत तथा विदेशों में तस्करी में शामिल व्यक्तियों/एजेंसियों के बारे में व्यवहार्य आसूचना एकत्र करने के लिए एक विशेष कार्यकारी बल का गठन किया है।

पर्यटन को बढ़ावा

1643. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ नियमित पारस्परिक विचार–विमर्श करके पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के जरिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं/स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सरकारी स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलनों, क्षेत्रीय सम्मेलनों, आदि में नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के स्तर पर की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने के लिए बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। पर्यटन के संवर्धन से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से भी परामर्श लिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को पहले तो योजना आयोग और पर्यटन विभाग के बीच केन्द्रीय स्तर पर और दूसरी ओर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के स्तर पर सक्रिय पारस्परिक विचार–विमर्श करने के बाद तैयार किया जाता है।

[अनुवाद]

होटलों को कर मुक्ति

1644. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों को दस वर्षीय कर मुक्ति सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-I ए के अन्तर्गत

होटल से प्राप्त मुनाफों के 30 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षों की अवधि के लिए होटल उद्योग को पहले से ही उपलब्ध है। इसके अलावा, दूर–दराज के क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों या पर्यटक केन्द्रों में स्थापित होटलों के संबंध में सकल कुल आय से 10 वर्षों के लिए विशेष 50 प्रतिशत की छूट की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही साथ धारा 80 एच एच डी के उपबंधों के अधीन विदेशी पर्यटकों को दी गई सेवाओं से टूर–आपरेटरों, ट्रैवल एजेन्टों और होटलों द्वारा प्राप्त मुनाफों के संबंध में कटौती की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन सैक्टर के लिए यह कटौतियां पर्याप्त प्रोत्साहन हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

1645. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या इन कंपनियों पर अन्य कंपनियों पर लागू होने वाले वर्तमान नियम लागू होंगे :

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय उद्योग में किया गया निवेश 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में घोषित ढांचे द्वारा शासित होता है।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अनुबंध–III में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक निवेश के लिए अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। सभी अन्य विदेशी निवेश प्रस्ताव, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृतियों पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अधीन होते हैं।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1646. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण कोटे का विज्ञापन सभी वित्तीय संस्थाओं के संबंध में दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में वित्तीय संस्थाओं से सरकारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग (ओ बी सी) के लिए आरक्षण संबंधी संघ सरकार की 8.9.93 की हिदायतों के बाद कतिपय पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिए थे जिनमें उनके लिए आरक्षण नहीं किया गया था क्योंकि सरकारी हिदायतें उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 8.9.93 के सरकारी अनुदेशों की शर्तों के अनुरूप, ओबीसी के लिए आरक्षण देते हुए इन पदों को पुनः विज्ञापित करने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओबीसी के लिए आरक्षण देते हुए 23.11.94 को विज्ञापन दिया है। एल आई सी के मामले में, सरकारी अनुदेशों के अनुसार 8.9.93 के बाद सृजित हुए सभी रिक्त पदों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जा रहे हैं और यदि अपेक्षित हो, तो विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अखिल भारत आधार पर की गई भर्ती के लिए संशोधित 200 प्वाइंट रोस्टर और राज्य/क्षेत्रवार भर्ती के लिए 100 पृथक प्वाइंट रोस्ट बनाने को कहा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 8.9.93 के बाद भरे गऐ सभी रिक्त पदों के संबंध में ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले विशेष रोस्टर प्वाइंट सम्मिलित हैं।

कॉफी बोर्ड को बन्द करना

1647. **श्री के.टी. वान्डायार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी बोर्ड को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असंसाधित तथा चूर्ण कॉफी के मूल्य अस्थिर हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी कॉफी का उत्पादन हुआ तथा कुल कितनी कॉफी का निर्यात किया गया और उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(च) सरकार द्वारा कॉफी के मूल्यों को नियमित करने तथा देश के बाजार में कॉफी के बीजों/चूर्ण को प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमतें अभी काफी समय से लगातार घटती–बढ़ती रही हैं। चूंकि आई सी ओ के अस्थिर औसत को घरेलू नीलामियों के लिए आधार कीमत के रूप में लिया जाता है, इसलिए घरेलू कीमत में भी उतार–चढ़ाव बना रहा है।

(ङ) विगत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित, निर्यात की गई कॉफी तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल मात्रा निम्नलिखित थी :–

वर्ष	उत्पादन (मी.टनों में)	निर्यात की गई मात्रा (मी.टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
1991–92	1,80,000	1,11,452	349.00
1992–93	1,70,000	1,13,602	381.31
1993–94	2,12,000	1,35,608	581.79

(च) कॉफी की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ी है जिससे कॉफी की घरेलू कीमत में भी उछाल आया है। वर्ष 1993 में भरपूर फसल होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता की वजह से घरेलू बाजार में कमी की आशंका रही। इस प्रवृत्ति से निपटने तथा घरेलू उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कतिपय निम्न किस्म की कॉफी के निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा 31 दिसम्बर, 1994 तक कॉफी के निर्यात को 20,000 मी. टन तक सीमित कर दिया था।

पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

1648. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतनभोगी और गैर–वेतनभोगी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड गठित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी के गैर–पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित तथा संशोधित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 2.9.1994 की अधिसूचनाओं के तहत् वेतन बोर्डों का गठन कर दिया है।

(ख) दोनों वेतन बोर्डों का विस्तृत संघटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वेतन बोर्डों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

विवरण

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	गैर–पत्रकार समाचार पत्र, कर्मचारियों और समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड
अध्यक्ष	**अध्यक्ष**
श्री राजकुमार मणिसाना सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय	श्री राजकुमार मणिसाना सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय
नियोजकों के प्रतिनिधि	**नियोजकों के प्रतिनिधि**
1. श्री नरेश मोहन, (इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी)	1. श्री विश्व बंधु गुप्ता, (इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी)
2. श्री प्रताप टी. शाह, (इंडियन लैंग्वैज न्यूजपेपर एसोसिएशन)	2. श्री अभय छाजलानी (इंडियन लैंग्वैज न्यूजपेपर सोसाइटी)
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	**कर्मचारियों के प्रतिनिधि**
1. श्री विक्रम राव, (भारतीय श्रमजीवी पत्रकार परिसंघ)	1. श्री मदन फडनीस, (अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी परिसंघ)
2. श्री अरूण बागची (आनन्द बाजार पत्रिका)	2. श्री पी.के. मुखोपाध्याय, (राष्ट्रीय समाचार पत्र कर्मचारी परिसंघ)
स्वतंत्र सदस्य	**स्वतंत्र सदस्य**
1. श्री एस. अनंत कृष्णन, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, केरल	1. श्री एस. अनंत कृष्णन, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, केरल
2. श्री आर. कानूनगो, **सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक,** कोल इंडिया	2. श्री आर. कानूनगो, **सेवानिवृत्त कार्यकारी** निदेशक, कोल इंडिया

[हिन्दी]

राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

1649. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अल्पावधि ऋणों में उनके ऋण की धनराशि को कम से कम क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत निवेश करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 11 प्रतिशित ब्याज पर यह धनराशि जुटानी है तथा इसे 9 प्रतिशत ब्याज पर निवेश करना है;

(ग) यदि हां, तो ब्याज की दरों में इस भिन्नता को कैसे पूरा किए जा सकता है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का विचार तत्संबंधी नियमों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1985–86 से न्यूनतम अंतर्ग्रस्त (एमआई) मानदंड शुरू किया था जिसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहाकारी बैंकों को अपने निवल उधारयोग्य संसाधनों का क्रमशः न्यूनतम 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अल्पावधिक कृषि ऋणों में अंतर्ग्रस्त करना होता है और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड से मौसमी कृषि परिचालनों के लिए केवल ऐसे ऋणों में उनकी अधिक अंतर्ग्रस्तता की राशि के बराबर ही पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहिए। यह मानदंड सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता कम करने और उनमे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा संसाधन जुटाने की औसत लागत लगभग 11.5 प्रतिशत बैठती है और नवम्बर, 1991 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को दिए गए अल्पावधिक कृषि ऋणों पर उनके द्वारा वसूली योग्य ब्याज की दर 9 प्रतिशत है।

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक, कुल मिलाकर, 2.5 प्रतिशत की कमी को 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत के बीच रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/राज्य सहकारी बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नाम बकाया ऋणों की तुलना में उनके द्वारा लिंए गए पुनर्वित्त के अनुपात पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ). नाबार्ड ने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता अनुशासन के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1992 में एक अध्ययन समूह का गठन किया था। अध्ययन समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

कनाडा के साथ आर्थिक संबंध

1650. श्री साइमन मरान्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उन परियोजनाओं/उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें कनाडियन पूंजी का निवेश किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा की गयी नयी पहलों तथा विभिन्न स्तरों पर किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमारे आर्थिक सम्बन्धों से कनाडा सहित बहुत से विकासशील देशों के साथ सुधार हुआ है। अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान् कनाडा की कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुल 7451.41 लाख रुपये के 27 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। इन निवेशों को खनिज–बालू कम्पलैंक्स स्थापित करने, कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्माण, खनन उपकरणों के कलपुर्जे, प्रतिलिपिकरण मशीनें, छपा हुआ कपड़ा टालकम पाऊडर/फेस पाऊडर, आर.टी.वी. सिलिकोन रबड़ सीलेन्ट, द्रव्य सम्बन्धित सिलिको, बिजली के उपकरण, खनिज जल और अन्य गैस मिश्रित पेय इत्यादि के कार्य में लगाया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइनों द्वारा अर्जित लाभ को स्वदेश भेजना

1651. श्री के. प्रधानी :
श्री पी.सी. चाको :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत विभिन्न विदेशी एयरलाइनों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ख) उन्होंने इसमें से प्रत्येक वर्ष कितनी–कितनी धनराशि स्वदेश भेजी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सरकार द्वारा विदेशी एयरलाइनों के लाभ/हानि की मॉनीटरिंग नहीं की जाती है। तथापि, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान विदेशी एयरलाइन कंपनियों को, जो धनराशियां भारत से भेजने की अनुमति दी गई, उनके आंकड़े जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उपलब्ध कराए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष वार एवं एयरलाइनवार धनराशियां जिन्हें भारत में भेजने की विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अनुमति दी गई

(राशि लाख रुपयों में)

क.सं.	एयरलाइन कंपनी	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	एअर कनाडा	28	191	133
2.	एअर फ्रांस	4,794	9,541	9,329
3.	एअर हांगकांग	–	–	324
4.	एअर लंका	638	1,107	2,242
5.	एअर लिंक	–	29	–
6.	एलीटालिया	2,552	4,240	4,513
7.	बीमन बांग्लादेश	–	112	392
8.	ब्रिटिश एयरवेज	8,461	17,720	14,913
9.	कैथे पेसिफिक	3,891	6,234	7,970

1	2	3	4	5
10.	कार्गलक्स एयरलाइन्स	–	–	148
11.	डेल्टा एयरलाइन्स	2,053	5,026	6,483
12.	ईएलएएल	–	53	–
13.	इमिरात्स	6,958	9,875	12,380
14.	इजिप्ट एअर	280	787	921
15.	इथोपियन	1,167	1,885	1,974
16.	फिन्न एअर	–	–	32
17.	गल्फ एअर	11,261	16,907	21,138
18.	जापान एयरलाइन्स	4,229	2,591	667
19.	कैनिया एयरवेज	–	448	1,043
20.	कोरियन एयरवेज	13	–	1,240
21.	केएलएम	3,994	9,123	13,531
22.	कुवैत एयरवेज	5,572	11,310	11,862
23.	लीबिया एयरलाइन्स	24	–	–
24.	लुफ्थांसा	26,309	27,524	30,791
25.	मलेशिया एयरलाइन्स	2,537	4,662	3,137
26.	पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स	1,438	2,325	3,804
27.	पनामा वर्ल्ड एयरवेज	–	–	494
28.	ओरिएण्टल एयरलिंक	–	–	291
29.	क्यून्टास	971	1,348	1,991
30.	रॉयल जोर्डेनियन	1,143	1,928	3,087
31.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	–	–	985
32.	साबीना बेल्जियम एयरलाइन्स	69	3	–
33.	स्कैन्डिनावियन एयरलाइन सिस्टम	194	435	340
34.	सऊदिया	9,194	14,180	16,986
35.	सिंगापुर एयरलाइन्स	8,923	15,191	18,319
36.	सोथम एअर	–	–	3
37.	स्विश एअर	2,133	5,257	5,605
38.	सीरियन एअर	–	–	471
39.	थाई एयरवेज	2,158	5,413	3,723
40.	ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स	912	418	115
41.	ट्रांसमेडीटेरियन एयरलाइन्स	239	329	170
42.	टर्किस एयरलाइन्स	–	–	6,868
43.	यूनाइटेड एयरलाइन्स	–	–	3,173
44.	उजबेकिस्तान एयरलाइन्स	–	–	1,495
45.	यूगोस्लाविया एयरलाइन्स	3	4	–

अंतरिम राहत तथा महंगाई भत्ते के कुछ भाग को वेतन में शामिल किया जाना

1652. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे.सी.एम. के राष्ट्रीय समिति की हाल ही की बैठक में सरकार से यह अनुरोध करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि वह पांचवे वेतन आयोग से अंतरिम सहायता प्रदान करने तथा मंहगाई भत्ते के एक भाग को वेतन में शामिल करने के लिये कहे;

(ख) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 26.11.94 को हुई संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि अगर आयोग यह महसूस करता है कि उसके लिए अपनी नियुक्ति की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर अर्थात 8 अक्तूबर, 1995 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो सरकार से कहा जाएगा कि वह पांचवें वेतन आयोग से, अंतरिम राहत की दूसरी किस्त प्रदान करने और महंगाई भत्ते के एक भाग को वेतन में मिलाने से संबंधित कर्मचारी पक्ष की मांगों की जांच करने तथा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करे।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रतिभूति व्यापार

1653. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों को प्रतिभूति व्यापार का सीधे कारोबार करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों का अंतर–बैंक लेनदेन सीधे ही किया जा सकता है और किसी भी बैंक को इन लेनदेनों में किसी दलाल की सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलबत्ता, बैंक प्रतिभूतियों का लेनदन आपस में या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के माध्यम से बैंकोत्तर ग्राहकों के साथ कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि बैंकों द्वारा बैंकेतर ग्राहकों के साथ लेनदेन, यदि ऐसे लेनदेन राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंस में न किए जा रहे हों, तो दलालों का उपयोग किए बिना सीधे ही किए जा सकते हैं।

बाल श्रमिक

1654. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माचिस तथा पटाखा जैसे जोखिम भरे उद्योगों में बच्चों के लगाए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार के पास नियमों के ऐसे उल्लंघन की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कोई व्यवस्था–तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सरकार को माचिस तथा आतिशबाजी उद्योगों जैसे जोखिमकारी उद्योगों में बालकों के नियोजन की जानकारी है।

(ख) बाल श्रम(प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों को लागू करने हेतु केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रवर्तनकारी तंत्र विद्यमान हैं। ये अन्य बातों के साथ–साथ अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध तथा विनियमित करते हैं। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ). जी, हां। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र को बाल श्रम (प्रतिषेध एव विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के प्रवर्तन के बारे में तिमाही सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस बारे में गत चार वर्षों के प्रवर्तन संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	पता लगायी गयी अनिय–मितताओं की संख्या	चलाये गये अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या
1990	70	58	–	–
1991	173	298	4	1
1992	70	296	1	2*
1993	224	551	2	1

* 1991 में चलाये गये अभियोजनों से संबंधित दोषसिद्धि

सभी राज्यों द्वारा बाल श्रम अधिनियम, 1986 का प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	पता लगायी गयी अनिय–मितताओं की संख्या	चलाये गये अभियोजनों की संख्या	दोष सिद्धियों की संख्या
1990–91	14,849	650	616	72
1991–92	16,637	683	787	274
1992–93	67,327	2009	3459	1037
1993–94	38,630	1844	1596	494

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन

1655. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान और 1994–95 में 30 नवम्बर, 1994 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय सरकार को कौन–कौन सी योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के लिए अभी तक कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 और वर्ष 1994–95 के दौरान 30 नवम्बर 1994 तक भेजी गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1993–94 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं और रिलीज की गई राशि प्रत्येक परियोजना के सामने दी गई है। तथापि, वर्ष 1994–95 के दौरान प्राप्त परियोजना प्रस्ताव अधूरे थे और उन्हें संशोधन के लिए राज्य सरकार को वापिस कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	मनीकरन में पर्यटक परिसर	17.91	8.50
2.	रायसन में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	12.25	6.00
3.	पाओंटा साहिब में पर्यटक कुटीर का निर्माण	27.11	10.00
4.	केलांग में पर्यटक परिसर	49.11	5.00
5.	सर्चु में पर्यटक परिसर	48.12	25.00
6.	जतनगिरि में पर्यटक परिसर	26.88	5.00
7.	मनाली में पर्यटक स्वागत केन्द्र	26.74	13.00

1	2	3	4
8.	इक्विटी स्कीमों के तहत 15 कोचों की खरीद(148.94 लाख रु. की कुल लागत परियोजना लागत का 28%)	40.20	20.00
9.	चाकी में पर्यटक स्वागत केन्द्र	26.84	6.80
10.	मेले और उत्सव		
	कांगड़ा ग्रीष्म उत्सव	4.00	2.00
	शिमला ग्रीष्म उत्सव	4.25	3.00
	शिवरात्रि मेला	3.47	3.47
11.	कुल्लू प्रदेश में इस्तेमाल के लिए ट्रैकिंग उपकरण	5.90	2.50
12.	स्कीइंग उपकरणों की खरीद	23.11	10.00
13.	बचाव उपकरण	5.36	2.50
14.	तम्बुओं में आवास हेतु उपकरण	26.71	0.65
15.	प्रचार सहायता	2.50	2.50
		350.42	125.92

वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त स्कीमों की सूची (30 नवम्बर, 1994 तक)

1. शोजा में पर्यटक परिसर का निर्माण
2. कजा में पर्यटक परिसर का निर्माण
3. सांगला में पर्यटक परिसर का निर्माण
4. ताबो में पर्यटक परिसर का निर्माण (आई. एफ़)
5. बारोट में एंगलर लाज का निर्माण
6. मंडी में एंगलर लाज

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना

1656. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से प्रत्येक को कुल कितना संचित घाटा हुआ है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुए घाटे के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) सरकार का उपक्रमों को बंद करने के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले कर्मचारियों का पुनर्वास कैसे करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार, इसने संबंधित उच्च न्यायालय को समापन के लिए रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी. एस. यू.) के 8 मामलों (3 केन्द्रीय और 5 राज्य) की सिफारिश की है। उनके द्वारा बाइफर को दी गई प्रारंभिक सूचना के समय इन 8 कंपनियों की संचित हानि 518.42 करोड़ रुपये बैठती है।

(ग) से (ङ). बाइफर ने सूचित किया है कि रूग्णता के लिए मुख्य कारणों में आधुनिकीकरण की कमी, बाजार परिस्थितियों में बदलाव, वित्तीय समस्याएं, कम उत्पादकता, मजदूरों की अत्यधिक संख्या आदि शामिल हैं। जब बाइफर अपनी राय दे देता है कि यह युक्तिसंगत और साम्यिक है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए, तब वह कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत अगली कार्रवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय को अपनी राय की सिफारिश करता है।

इलायची का निर्यात

1657. श्री पाला के.एम. मैथ्यू : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इलायची के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). मसाला बोर्ड ने वर्ष 1994–95 के लिए 6.56 करोड़ रुपये मूल्य की 600 एम टी इलायची (छोटी) के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्तूबर, 1994 तक वास्तविक निर्यात 2.38 करोड़ रुपये मूल्य का 81 एम टी का हुआ जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि में 2.69 करोड़ रुपये मूल्य के 73 एम टी का निर्यात हुआ था।

(घ) छोटी इलायची के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

(I) नीलामियों की नियमित मानीटरिंग तथा नीलामीकर्ताओं व्यापारियों और निर्यातकों के साथ नियमित बैठक करना;

(II) ग्रेड युक्त इलायची की नीलामी के लिए कदम उठाना

(III) पश्चिम एशियाई बाजारों में लोगों से संवर्धन क्रियाकलाप अपनाना और उस क्षेत्र में व्यापार मिशनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना;

(IV) क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना और पश्चिम एशिया से अग्रणी आयातकों को आमन्त्रित करना,

(V) मसाला बोर्ड की बाजार संवर्धन योजना; और

(VI) पश्चिम एशियाई गन्तव्य स्थलों को हवाई मार्ग से इलायची के निर्यात पर, सीमित अवधि के लिए हवाई भाड़ा उपदान।

रुई की तस्करी

1658. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सीमाशुल्क प्राधिकारी रुई की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने से संबद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जाता है। न तो अभिग्रहण करने वाली एजेन्सियां अथवा न ही आसूचना एजेंसियों द्वारा रुई की कोई तस्करी होने की सूचना दी गयी है।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

1659. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरकार का अफीम एवं गांजा के चिकित्सा प्रयोग हेतु बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार तथा अन्य राज्यों में इनका और अधिक क्षेत्रों में खेती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ही अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुमति दी जाती है। अफीम की स्वदेशी और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन राज्यों में फसल वर्ष 1994-95 के लिए पिछले वर्ष के दौरान लाइसेंसीकृत 13,489 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर लगभग 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लाइसेंस दिए जाने की संभावना है।

स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा गांजा (कैनाबिस) की खेती के लिए अनुमति दी जा सकती है।

[अनुवाद]

हेरोइन की तस्करी

1660. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में गत छः माह के दौरान हेरोइन पकड़े जाने के कितने मामले हुए;

(ख) इस अभिग्रहण के संबंध में गिरफ्तार किये गये भारतीय तथा विदेशियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले छः महीने के दौरान हेरोइन की जब्ती के 19 मामले किए गए हैं।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 22 है, जिनमें से 14 भारतीय तथा 8 विदेशी नागरिक हैं।

(ग) सभी प्रवर्त्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर्त्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

विमानन का दर्जा

1661. श्री अमल दत्त :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के पश्चात् देश में विमानन का सही-सही दर्जा क्या है;

(ख) विमान बेड़ों, कर्मचारियों वित्त और कार्य-क्षेत्र सहित एयर टैक्सी ऑपरेटरों और अनुसूचित एयरलाइनों के नाम क्या हैं;

(ग) तीन विभिन्न मार्ग श्रेणियों में अलग-अलग विमान कंपनियों की उड़ान की सुनिश्चित योजनाएं क्या हैं और आगामी तीन वर्षों में नियोजित कार्य संचालन सहित उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या अनुसूचित विमान कंपनियों का उन मार्गों पर उड़ान भरना अनिवार्य है जो अनिवार्य है जो अनिवार्य परन्तु अलाभप्रद है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उन अनुसूचित विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जो इस संबंध में अनिवार्यता का पालन नहीं करती?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के पश्चात् अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं पर से इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया तथा इनके सहयोगियों का एकाधिकार समाप्त हो गया है। अन्य व्यक्ति भी अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं प्रचालित करने हेतु आवेदन देने के पात्र हो गए हैं।

(ख) हवाई टैक्सी प्रचालकों तथा अनुसूचित विमान कंपनियों के नाम इनके बेड़े, कर्मचारियों, वित्त तथा प्रचालन के क्षेत्रों के साथ-साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). देश में अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए छः निजी प्रचालकों को अनुमति दी गई है जिनमें से ट्रंक मार्गों (वर्ग–I) पर प्रचालन करने वाले चार अनुसूचित वायु परिवहन प्रचालकों, जिनके नाम मोदीलुफ्त, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, दमानिया एयरवेज तथा जेट एयरवेज हैं, को इनके द्वारा क्रमशः वर्ग–1, वर्ग–2 तथा वर्ग–3 के मार्गों पर लगाई गई क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत प्रचालन करना है। मोदीलुफ्त तथा दमानिया एयरवेज ने 1.12.94 से प्रचालन आरंभ कर दिए हैं। ईस्ट वेस्ट तथा जेट एयरवेज की निकट भविष्य में प्रचालन शुरू करने की आशा है।

(ङ) इस संबंध में चूक होने पर विमान नियम, 1937 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

विवरण

बेड़े, कर्मचारियों, वित्त तथा प्रचालन के क्षेत्रों के साथ-साथ हवाई टैक्सी प्रचालकों तथा अनुसूचित विमान कंपनियों के नाम

क्र.सं.	नाम	बेड़ा	कर्मचारी	वित्त	प्रचालन के क्षेत्र
अनुसूचित विमान कंपनियां - सार्वजनिक क्षेत्र					
01.	एयर इंडिया	25	17,151	केन्द्र सरकार के स्वामित्व में	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यू. के., महाद्वीप, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, जकार्ता, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यू.एस.एस. आर., खाड़ी, यू.एस.ए. मालवाही, ज्यूरिक मालावाही, अंतर्देशीय
02.	इंडियन एयरलाइंस	53	22,182	–वही–	अनुबंध "क" के अनुसार
03.	वायुदूत लिमिटेड	16	1,372	इंडियन एयरलाइंस के स्वामित्व में	अनुबंध "ख" के अनुसार
अनुसूचित विमान कंपनियां - निजी क्षेत्र					
01.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	10	निजी क्षेत्र के अनुसूचित हवाई टैक्सी प्रचालकों को यह सूचना देने की आव–श्यकता नहीं है	मैसर्स जेट एयरवेज जिसको हवाई टैक्सी प्रचालक के रूप में 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई है, के अलावा अनिवासी भारतीयों/व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में।	अनुबंध "ग" के अनुसार
02.	जेट एयरवेज	06			
03.	दमानिया एयरवेज	04			
04.	मोदीलुफ्थ	04			
05.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइन	05			
06.	अर्चना एयरवेज लि	03			
हवाई टैक्सी प्रचालक					
01	सहारा एयरलाइंस	03	ये गैर अनुसूचित चार्टर आधार पर प्रचालन करते हैं।		
02.	राज एयर प्रा. लि.	शून्य			
03.	जैगसन एयरलाइंस	03			
04.	ट्रांस भारत एविएशन	02			
05.	इंडिया इटरनेशनल एयरवेज	03			
06.	सराया एविएशन	01			
07.	दिल्ली गल्फ एयरवेज	02			
08.	मेगापोड एयरलाइंस	01			
09.	एरिएल सर्विसेज प्रा. लि.	02			
10.	उड़ान अनुसंधान और उड़ान संस्थान	03			
11.	यू. बी. एयर प्रा. लि.	01			

अनुबंध-'क'

इंडियन एयरलाइंस द्वारा सेवित स्टेशनों की सूची

घरेलू

क्र.सं.	स्टेशन का नाम
1	2
1.	अगरतला
2.	आगरा
3.	अहमदाबाद
4.	अमृतसर
5.	औरंगाबाद
6.	बागडोगरा
7.	बंगलौर
8.	भावनगर
9.	भोपाल
10.	भुवनेश्वर
11.	भुज
12.	बम्बई
13.	कलकत्ता
14.	कालीकट
15.	चंडीगढ़
16.	कोचीन
17.	कोयम्बतूर
18.	वाराणसी
19.	दिल्ली
20.	डिब्रूगढ़
21.	दीमापुर
22.	गोवा
23.	गुवाहाटी
24.	ग्वालियर
25.	हैदराबाद
26.	इम्फाल
27.	इन्दौर
28.	विशाखापत्नम
29.	जयपुर
30.	जम्मू
31.	जोरहाट
32.	जामनगर
33.	जोधपुर
34.	खजुराहो
35.	लेह
36.	लखनऊ
37.	मदुरै
38.	मंगलौर
39.	मद्रास
40.	नागपुर
41.	पटना
42.	पोर्ट ब्लेयर
43.	पुणे
44.	रायपुर
45.	राजकोट
46.	रांची
47.	सिल्चर
48.	श्रीनगर
49.	तेजपुर
50.	त्रिची
51.	त्रिवेन्द्रम
52.	उदयपुर
53.	वडोदरा

अनुबंध-'ख'

वायुदूत द्वारा प्रचालित 13 स्टेशनों की सूची

असम

– डिब्रूगढ़

– गुवाहाटी

– लीलाबाड़ी

– सिल्चर

अरूणाचल प्रदेश

– तेजू

– जैरो

त्रिपुरा

– अगरतला

मेघालय

– शिलांग

मिजोरम

– एजवल

नागालैंड

दीमापुर

वैस्ट बंगाल

– कलकत्ता

– बागडोगरा

– कूच बिहार

अनुबंध-'ग'
निजी एयरलाइनों द्वारा सेवित स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	स्टेशन का नाम
1	2
मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	
1.	अहमदाबाद
2.	औरंगाबाद
3.	बंगलौर
4.	बेलगाम
5.	भावनगर
6.	बम्बई
7.	कलकत्ता
8.	कालीकट
9.	कोचीन
10.	कोयम्बतूर
11.	दिल्ली
12.	दीव
13.	गोवा
14	हैदराबाद
15.	जयपुर
16.	जोधपुर
17.	मद्रास
18.	मदुरै
19.	मंगलौर
20.	नागपुर
21.	पोरबंदर
22.	पुणे
23.	राजकोट
24.	त्रिवेन्द्रम
25.	बडोदरा
26.	विजाग
27.	डिब्रूगढ़
28.	गुवाहाटी
29.	सिल्चर
मैसर्स मोदीलुफ्थ	
1.	अहमदाबाद
2.	अमृतसर
3.	बंगलौर
4.	बम्बई
5.	कलकत्ता
6.	कोचीन
7.	दिल्ली
8.	गोवा
9.	जयपुर
10.	खजुराहो
11.	पुणे
12.	उदयपुर
13.	वाराणसी
14.	जम्मू
15.	श्रीनगर
मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बेलगाम
4.	भावनगर
5.	बम्बई
6.	कालीकट
7.	कोचीन
8.	अगत्ती
9.	कोयम्बतूर
10.	गोवा
11.	हुबली
12.	जामनगर
13.	केशोद (जूनागढ़)
14.	मद्रास
15.	मदुरै
16.	मंगलौर
17.	पोरबंदर
18.	पुणे
19.	त्रिची
20.	त्रिवेन्द्रम
21.	बडोदरा
22.	विजयवाड़ा
23.	विजाग
मैसर्स दमानिया एयरवेज	
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बम्बई
4.	कलकत्ता
5.	कोयम्बतूर

1	2
6.	दिल्ली
7.	गोवा
8.	इन्दौर
9.	मद्रास
10.	डिब्रूगढ़
11.	गुवाहाटी

मैसर्स जेट एयरवेज

1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बंबई
4.	कलकत्ता
5.	कालीकट
6.	कोचीन
7.	कोयम्बतूर
8.	दिल्ली
9.	गोवा
10.	हैदराबाद
11.	मद्रास
12.	मंगलौर
13.	भोपाल
14.	चंडीगढ़
15.	जबलपुर
16.	कुल्लू
17.	लुधियाना
18.	रांयपुर
19.	शिमला
20.	अगरतला
21.	डिब्रूगढ़
22.	गुवाहाटी

[हिन्दी]

सोने का जब्त किया जाना

1662. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

शिक्षु अधिनियम, 1961

1663. श्री शरत पटनायक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माता संघ ने शिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) एवं (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इजरायल के साथ समझौता

1664. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इजरायल के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत और इजरायल के मध्य अक्तूबर, 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नामित वाहकों को पहले से उपलब्ध प्रति सप्ताह दो उड़ानों के अलावा एक अतिरिक्त उड़ान भरने का अधिकार दिया गया था।

पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक करार पर 18 मई, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में पर्यटन विकास संबंधी लोकप्रियता, सुविधाएं प्रदान करने, निवेश तथा तकनीकी भागीदारी के क्षेत्र में सहयोग करने का उल्लेख है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1665. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **वित्त मंत्री** भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के बारे में 26 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4574 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने डिस्पेन्सरी सुपरवाइजरों के पदों को अनारक्षित करने से पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित मुद्दों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन मुद्दों की जांच कब तक कर ली जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए संदर्भ पर उससे यह कहा गया है कि वह 1989 की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए अपने नयी दिल्ली स्थित कार्यालय में डिस्पेन्सरी सुपरवाइजर के एक आरक्षित रिक्त स्थान को अनारक्षित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पदेन अनुमोदन/सहमति प्राप्त कर इस मामले को व्यवस्थित कर दे।

[हिन्दी]

ऋण वितरण

1666. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 के दंगों में हुए संपत्ति की हानि को ध्यान में रखते हुए गुजरात में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में रियायती दरों पर कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी ऋण राशि उपलब्ध करायी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से यह सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने दंगों और उपद्रवों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अगस्त, 1984 में स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए है। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :-

(I) अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तित करना।

(II) वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों को पुनर्निर्धारित/स्थगित करना।

(III) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान करना।

(IV) प्रतिभूति और मार्जिन संबंधी मानदंडों में ढील देना।

ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होगी। अलबत्ता, बैंकों से आशा की जाती है कि वे अपने विवेकाधिकार के अन्दर, उधारकर्ताओं की कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आपदा से प्रभावित लोगों के साथ रियायती व्यवहार करेंगे। चूकवाली वर्तमान देयराशियों के संबंध में, कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया जाता।

[अनुवाद]

बाल श्रम

1667. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री श्रीकांत जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री पाला के.एम. मैथ्यु :
श्री शरत पटनायक :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण क्षेत्र में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन करने तथा इस कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक विशेष कोष की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंतर मंत्रालीय स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद उक्त योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकासशील देशों में निवेश

1668. श्री दत्ता मेघे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकसित एवं विकासशील देशों के औद्योगिक क्षेत्र में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय कंपनियां विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करती रही है।

(ख) दिनांक 30.9.94 की स्थिति के अनुसार ऐसे कुल 267 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया जिनमें से 111 प्रचालन संबंधी हैं। इन प्रस्तावों में कुल 95151.08 लाख रुपये के भारतीय निवेश का अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक औषध संकट

1669. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वापक औषध नियंत्रण वृहत योजना (1994–2000) के अनुसार स्वापक औषधों ने देश के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वापक औषध विरोधी कानून के लागू होने के बावजूद देश में स्वापक औषधों के सेवन में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कानून में कोई संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). स्वापक औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वृहत योजना का प्रारूप, अन्तर मंत्रालय के कार्य दल द्वारा तैयार कर दिया गया है। वृहत योजना के प्रारूप में स्वापक औषधों से लोगों की असुरक्षा के बारे में बल दिया गया है। आपूर्ति और मांग दोनों को कम करने के लिए जवाबी स्वापक औषध प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं।

(ग) दर्ज किए गए दुःव्यसन केन्द्रों पर व्यसनियों और विषमुक्त किए गए व्यसनियों के बारे में सूचना निम्नानुसार है :–

वर्ष	दर्ज किए गए व्यसनी	विषमुक्त किए गए व्यसनी
1989–90	1,31,360	38,903
1990–91	2,26,935	56,649
1991–92	2,53,212	71,225
1992–93	2,70,173	85,115
1993–94	2,90,628	1,01,007

(घ) से (च). वृहत योजना प्रारूप में सामान्य रूप से यह हस्तक्षेप किया गया है कि कानून में कुछ अनावश्यक सख्ती की हुई है।

[अनुवाद]

मसालों पर उपकर में छूट

1670. प्रो. के.वी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसालों पर उपकर में छूट जारी रखने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). मसाला तेलों, ओलियोरेजिन ओर केसर के निर्यात पर उपकर से दिनांक 30.9.1995 तक पहले ही छूट है। काली मिर्च (कच्ची मिर्च इन ब्राइन को छोड़कर) के मामले में छूट इस समय दिनांक 31.12.1994 तक उपलब्ध है। काली मिर्च के निर्यात पर उपकर की छूट देने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

12.00 मध्यान्ह

चीनी के आयात के संबंध में ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, रिपोर्ट का क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रौसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, शुगर स्केम का क्या हुआ?

[अनुवाद]

शुक्ल जी क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : शरद यादव जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शरद यादव को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इस मामले को उठाना चाहते हैं। हमारी एक बैठक हुई थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) उन्हें इसकी घोषणा करने दीजिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन दिन से ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर जो डैडलाक है, उस पर आज भी सरकार का रूख क्या है, वह सदन को बताया जाये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस डैडलाक को तोड़ने का काम करे और जो बहुत से विषय बच गये हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा हो सके, इसलिए सरकार क्या आज इस सवाल पर वक्तव्य देने का काम करेगी, जो हमारी मांग है, उसको पूरा करने के लिए सरकार काम करेगी?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हमने इस मामले पर आपके कक्ष में चर्चा की थी और हम उन सदस्यों के लिए इस प्रतिवेदन की पांच प्रतियां संसदीय ग्रंथालय में रखने के लिए तैयार हैं, जो इसे ध्यान से पढ़ना और

देखना चाहते हैं। महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसे एक अपवाद के रूप में लें और भविष्य में इसे पूर्वोदाहरण न मानें। कृपया भविष्य के लिए यह बात स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमें आगे इस प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस अनुरोध के साथ, मैं यह कहूंगा कि आज ही हम इस प्रतिवेदन की प्रतियां तैयार करेंगे और उन सदस्यों के फायदे के लिए जो इसे देखना चाहते हैं, आज ही इन्हें संसदीय ग्रंथालय में रखेंगे।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह केवल सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगी या फिर प्रेस और अन्य लोगों के लिए भी? क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे, क्योंकि राज्य सभा में आपने इसके बारे में कुछ कहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस मामले पर सभापति महोदय के साथ चर्चा की है। ग्रंथालय के अपने नियम होते हैं और सब कुछ उन नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। आपके निर्देशों के अनुसार इसे रखा जायेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, सभा-पटल पर जो दस्तावेज रखा गया है, उसे बारे में तथा जो दस्तावेज ग्रंथालय में रखा गया है, उससे यह किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं जानता। हमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिये क्योंकि पहले ऐसा उन्हीं दस्तावेजों संबंध में होता था जो अन्यथा गोपनीय होते थे और जिन्हें जनता के सामने रखा जाना सार्वजनिक हित के विरूद्ध माना जाता था, जहां इस प्रकार का तरीका अपनाया जाता है कि हम इसे सभा के सदस्यों से छिपाना नहीं चाहते, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि यह जनता के सामने जाये क्योंकि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि प्रभावित हो सकती है। इस मामले में मुझे इसे सभा पटल पर न रखे जाने का कोई कारण समझ नहीं आता। लेकिन, अगर नेतागण सहमत हैं, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं ठीक-ठीक यह जानना चाहता हूं कि इसमें मुश्किल क्या है। क्या मैं रिपोर्ट से उद्धरण दे सकता हूं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : सभा में बोलते हुए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : तो फिर जहां तक दस्तावेज के प्रयोग का संबंध है मेरे ऊपर या सदस्यों पर क्या रोक है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। मुझे बस यही कहना है। अन्यथा मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि यह अनावश्यक है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो हमें ऐसा करने के लिए बाधित करे। लेकिन जब आप सहमत हैं तो और अधिक उदार और खुला दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाते?

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : मुझे एक छोटी सी बात और कहनी है। हम सभी सहमत हैं कि इसे ग्रंथालय में रखा जायेगा क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर यह मांग की थी। आप जानते हैं कि साधारण प्रक्रिया यह है कि कोई भी दस्तावेज अथवा कोई रिपोर्ट अथवा कोई पत्र पहले सभा पटल पर रखा जाता है और फिर उस विशेष दस्तावेज अथवा रिपोर्ट अथवा पत्र की निश्चित प्रतियां ग्रंथालय में भेजी जाती हैं। इस विशेष मामले में कुछ अपवादिक परिस्थितियों के कारण प्रक्रिया के विपरीत किया जा रहा है। प्रक्रिया के विपरीत इसे सभा में न रखकर ग्रंथालय में रखा जाना स्वयं में एक पूर्वोदाहरण है। अतः महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार के निर्देश देते समय इस दस्तावेज के प्रयोग, इसे भेजने और इसे प्राप्त करने के बारे में जो कुछ भी निर्णय लिया गया है, उस पहलू को अवश्य ध्यान में रखें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी एक बात आडवाणी जी के प्रश्न के उत्तर में कही...**(व्यवधान)** अभी आपने यह बताया कि उस रिपोर्ट को आप यहां पर डिबेट में कोट कर सकते हैं। इस पर डिबेट भी होनी है। अगर डिबेट में कोट करना है तो वह पोर्शन कोट करने वाला निकालना पड़ेगा यानी मुझे लाइब्रेरी में बैठकर कागज और पैंसिल लेकर उसको लिखना पड़ेगा। अगर मैं 10 पेज हाथ से लिखने के लिए बैठ सकता हूं तो उसको पांच मिनट में फोटो कापी करके निकाल भी सकता हूं। मैं इसलिये यह बात पूछ रहा हूं कि इस रिपोर्ट को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उससे ऐसा लग रहा है कि उसकी फोटो कापी करने पर कोई आपत्ति करेगा।

[अनुवाद]

किसी पत्र को सभा में रखने अथवा संपूर्ण दस्तावेज की फोटो-प्रति करवाने में क्या समस्या है?

[हिन्दी]

अगर फोटो कापी करना संभव है तो फिर फोटो कापी निकाल कर शाम तक हमें पहुंचाने में इन्हें क्या कठिनाई है? अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करें, चूंकि यहां एक-एक कदम पर तमाशे जैसा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है...**(व्यवधान)** मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम आपके कक्ष में प्रतिवेदन रखने के सुझाव से केवल इसलिए सहमत नहीं थे, क्योंकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हमने मांग की थी कि इस ग्रंथालय में रखा जाना चाहिये। हम यह भी जानना चाहते थे कि इस रिपोर्ट को ग्रंथालय में रखने का क्या महत्व है। मुझे विश्वास है कि जैसा गत समय में अन्य सभी मामलों में किया जाता रहा है, इस रिपोर्ट को ग्रंथालय में इसके सभी पूर्ण ब्यौरों सहित रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इसकी सिर्फ पांच कापियां ही क्यों रखी गई हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पार्टी नेताओं द्वारा मेरे कक्ष में रिपोर्ट को ग्रंथालय में रखने के लिए सहमत होने तथा सभा की कार्यवाही जारी रखने के लिए दिए गए सहयोग की प्रशंसा करता हूं।

इस रिपोर्ट को ग्रंथालय में रखे जाने का क्या तात्पर्य है, मुझे इस पर विचार करना होगा और इस पर विचार करने के बाद ही मैं उस बात पर ठीक–ठीक विनिर्णय दे सकता हूं।

लेकिन जहां तक उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का सम्बंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा–पटल पर रखते ही यह सार्वजनिक दस्तावेज बन गया है। वास्तव में, यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। सरकार को काम करना है और जब सरकार को काम करना है तो उसे अधिकारियों की सलाह लेनी पड़ती है और अधिकारी सरकार के समक्ष अपने विचार रखते हैं। जब कभी किसी अधिकारी द्वारा दिये गये मत को महत्व मिल जाता है तो अन्य अधिकारी उस पर आपत्ति करते हैं। लोगों को विस्तार से बातें स्पष्ट करने के स्थान पर कई बार गलतफहमी भी उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अब तक जिस नियम का पालन किया जा रहा है वह यह है कि प्रशासनिक मामलों को सभा–पटल पर नहीं रखा जाता है। फाइलों पर की गई टिप्पणियों को सभा–पटल नहीं रखा जाता। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच हुए पत्र–व्यवहार को सभा–पटल पर नहीं रखा जाता है। ऐसा प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाता है।

इस मामले में भी शायद सरकार इसी नियम के अनुसार चलना चाहती थी लेकिन सदस्यगण चाहते थे कि जो रिपोर्ट रखी गई है, उसके मद्देनजर उन्हें अपने विचार रखने का अवसर दिया जाये और रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध हो। सरकार पहली बार में इसे पार्टी नेताओं और फिर सभी सदस्यों को दिखाने के लिए तैयार थी और फिर सभी सदस्यगण इस बात से सहमत थे कि इसे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। बाद में इस बात पर जोर दिया गया था कि इसे ग्रन्थालय में रखा जाना चाहिये। मेरे विचार में इस पर चर्चा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस बात का ध्यान रखने के लिए कि सरकारी फाइलों में टिप्पणियों की गोपनीयता को बनाये रखने के सिद्धान्त का पालन किया जाये और लोगों को इसका एक अंश भी पढ़ने का अवसर दिए बगैर इसका खुलासा न करना उपयुक्त नहीं है। शायद उनकी यही मंशा है। मेरे विचार में जब सदस्यगण मेरे कक्ष में इस बात से सहमत हुए थे कि इसे ग्रंथालय में रखा जाना चाहिये, तो उन्हें मालूम था कि उसका तात्पर्य क्या है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पांच कापीज के लिए कहा है, पांच से ज्यादा करवाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में जहां तक प्रतियों की संख्या का सम्बन्ध है, ये कुछ अधिक या कम हो सकती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है; ऐसा किया जा सकता है। इसके पीछे मंशा काम को सरल बनाने की है कुछ छिपाने की नहीं। हमारी मंशा उस तरीके से, जिस तरीके से आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करवाने की है। मेरे विचार में इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिये और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यसूची में शामिल किए गए कार्यों को समाप्त करने में सहायता दें ताकि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। श्री चन्द्रजीत यादव इस बात पर जोर दे रहे थे कि आर्थिक नीति पर विचार किया जाये; अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये। अब, कार्यसूची में कृषि नीति पर चर्चा करना भी शामिल है और इस पर चर्चा की जानी चाहिये। संस्कृति संबंधी मसौदा पत्र भी आज की कार्यसूची में शामिल है। गीता जी पिछले कई महीनों, से, कई महीनों से नहीं, बल्कि अनेक वर्षों से भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए कह रही हैं। मेरे विचार में इस पर चर्चा की जानी चाहिये। लेकिन इन मामलों पर चर्चा तभी की जा सकती है जब हम उन मामलों को जो कार्यसूची में शामिल किए गए हैं, को अधिक महत्व दें और जो मामले कार्यसूची में शामिल नहीं हैं, उनको थोड़ा कम महत्व दें। जब तक इस नीति का सभी सदस्य अनुपालन नहीं करते और जब तक वे इस मामले में सहयोग नहीं करते, तब तक संसद के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना मुश्किल हो जायेगा और मैं वास्तव में आपसे इसमें सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, एक बात की सफाई नहीं दी, मैंने आपसे पूछा था.........

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ सकते हैं क्या।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, लायब्रेरी में जब हम उसको पढ़ने जायेंगे और डिबेट में जब उसको कोट करेंगे, तो मैं क्या उसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, क्यों नहीं। मैं इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा और आपको नियम और विनियमों का पालन करना होगा। मैं नियमों को पढ़े बिना आपको इस प्रकार से जवाब नहीं दे सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक प्रति लेकर और इसकी फोटोप्रति करा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका हां या न में जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं नियमों का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का पालन कर सकते हैं आप जो कुछ भी करें उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : महोदय, सामान्यतः ग्रंथालय में रखे गये सभी दस्तावेज प्रैस को प्राप्य होते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रैस इसे प्राप्त कर सकती है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई विश्वकोष नहीं हूं कि सभी निर्णयों की जानकारी मुझे हो, मुझे इसे पढ़ना पड़ता है और उसके पश्चात् मैं, उस पर विनिर्णय देता हूं। नियमों का पालन किया जायेगा और आपको उपयुक्त अधिकारियों से जवाब मिल जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम एक जानकारी चाहते हैं, आपके मार्फत से हम जानकारी चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का पूर्वोदाहरण बता लिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम केवल एक जानकारी चाहते हैं। हम यह जानकारी चाहते हैं कि यह तो आए–दिन माननीय मंत्री के इस्तीफे के समाचार का सिलसिला जारी है इसके संबंध में सरकार स्पष्ट करे। क्यों सत्र चल रहा है लोगों में जानने की काफी उत्सुकता है कि क्या हो रहा है, प्रतिदिन एक मंत्री के इस्तीफे के समाचार आ रहे हैं। ... **(व्यवधान)** आपने इस गतिरोध का समाधान निकाला है लेकिन मंत्रियों के इस्तीफे का क्रम जारी है तो हम यह जानना चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकलेगा या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब यह है कि मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपके मार्फत से हम यह जानना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अब हम कार्य–सूची को लेते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने गैर–सूचीबद्ध कार्य पर चर्चा करने में काफी समय ले लिया है। कृपया कार्यसूची में सम्मिलित मदों को भी महत्व दीजिये। कम–से–कम एक बार तो हमें कार्य–सूची में शामिल विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से विचार करना चाहिये। बाद में, हम महत्वपूर्ण नीतियों पर भी चर्चा करेंगें।

12.2 म.प.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के वर्ष 1993-94 और इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग आदि के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से, मैं निम्नलिखित सत्र सभा–पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(i) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ii) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.–6650/94]

(2) (i) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6651/94]

(4) (i) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6652/94]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(i) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या–6653/94]

(ii) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या–6654/94]

(iii) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या–6655/94]

(6) (i) इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6656/94]

शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1994

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :–

शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1994, जो 28 जुलाई, 1994 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.–6657/94]

अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ और मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (i) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6658/94]

(ii) मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीरिक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये। देखिए संख्या–6659/94]

(iii) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6660/94]

(iv) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या–6661/94]

(2) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद; मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, मुम्बई; दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर और उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या–6662/94]

प्रतिभूति संविधा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(1) प्रतिभूति संविधा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) प्रतिभूति संविधा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 12 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविधा (विनियमन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 26 अक्तूबर 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रतिभूति संविधा (विनियमन) (चौथा संशोधन) नियम, 1994, जो 7 नवम्बर, 1994, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी.–6663/94]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(3) (एक) इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.–6665/94]

(4) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी सांख्यिकीय विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.–6666/94]

(5) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उपधारा (5) तथा धारा 34 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–6667/94]

(6) (एक) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) तथा धारा 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई, के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.–6668/94]

(7) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–6669/94]

(8) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) तथा धारा 23 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–6670/94]

(9) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–6671/94]

(11) जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (iv) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (जम्मू–कश्मीर सरकार) 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.–6672/94]

(12) जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (iv) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) जम्मू–कश्मीर सरकार के वर्ष 1990–91 के वित्त लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.–6673/94]

(दो) जम्मू–कश्मीर सरकार के वर्ष 1990–91 के विनियोग लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–6674/94)

(13) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.–6675/94]

(14) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1994 जो 6 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.–6676/94]

(15) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) संशोधन नियम, 1991, जो 25 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35 में प्रकाशित हुये थे तथा उसके शुद्धि–पत्र, जो 30 जनवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59 (केवल हिन्दी संस्करण) तथा 14 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुय थे।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) संशोधन नियम, 1993, जो 6 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि–पत्र, जो 28 अप्रैल 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 420(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.–6677/94]

(16) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(i) सा.का.नि. 776(अ) से सा.का.नि. 779(अ), जो 25 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ii) सा.का.नि. 797(अ), जो 9 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 128/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(iii) का.आ. 619(अ), जो 26 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(iv) का.आ. 620(अ), जो 26 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(v) का.आ. 709(अ), जो 27 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(vi) का.आ. 710(अ), जो 27 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओ को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(vii) का.आ. 774(अ), जो 27 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(viii) का.आ. 775(अ), जो 27 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ix) का.आ. 852(अ), जो 29 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(x) का.आ. 853(अ), जो 29 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-6678/94]

(17) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1994 को किये गये चौबीसवें मूल्यांकन के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निक्षेप बीमा तथा ऋण गांरटी निगम, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-6679/94]

12.21 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.22 म.प.

लोक लेखा समिति

(एक) अट्हत्तरवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के प्रशिक्षण वायुयान के विकास और उत्पादन संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का अट्हत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री भगवान शंकर रावत : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरणों के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-खुले पुर्जों संबंधी 163वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-विद्युत मोटर और सूती कपड़ा संबंधी 164वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(3) सीमा शुल्क प्राप्तियां-टैरिफ मूल्यों के संशोधन में विलम्ब और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी किये

गये छूट आदेश संबंधी 195वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(4) सीमा शुल्क प्राप्तियां–अंतिम उपयोग की शर्त की अनदेखी करके दी गई शुल्क छूटों संबंधी 213वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(5) प्रशिक्षण वायुयान का आयात संबंधी पहला प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(6) सतत चैनल परीक्षण बेज (सी.सी.टी.बी.) के संस्थापन में विलम्ब और उनका असंतोषजनक कार्य निष्पादन, टेलीफोनों की अनियमित खरीद, वस्तु सूची नियंत्रण, अनुसंधान, विकास और उत्पादन संबंधी 5वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(7) सीमा शुल्क प्राप्तियां–यात्रियों के सामान पर शुल्क संबंधी 7वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)

(8) रक्षा पूर्ति विभाग के कार्यकरण की समीक्षा संबंधी 83वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(9) प्रत्यक्ष कर–अनियमित छूट और राहत तथा कर निर्धारण से छूटे हुए धन संबंधी 101वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(10) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम संबंधी 117वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(11) रेलवे में भमि प्रबंध संबंधी 125वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(12) मूल्यांकन कक्षों के कार्यकरण और अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(13) वातानुकूल संयंत्र के चालू न किये जाने के कारण पूंजी के अवरूद्ध होने संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(14) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा संबंधी 11वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(15) शस्त्र प्रणाली "X" के विकास संबंधी 26वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(16) अत्यधिक टेलिफोन कॉल करने वालों का कम राशि का टेलिफोन कॉल प्रभार बिल बनाने संबंधी 28वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(17) ट्रैक सामग्री की खरीद और उपयोग संबंधी 39वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

12.24 म.प.

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(चौदहवां, पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन)

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चौदहवां, पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.24½ म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अतहर हॉस्टल, दारूल उलूम नदवातुल उलेमा, लखनऊ में ली गई तलाशी

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : 21/22 नवम्बर, 1994 की रात में लखनऊ के दारूल उलूम नदवातुल उलेमा के अतहर छात्रावास में तलाशी की घटना, विवाद और सार्वजनिक आलोचना का विषय रही है। इस बारे में सभी अटकलों को समाप्त करने के लिए, मैं, इस सम्माननीय सदन के समक्ष तथ्य रखने की दृष्टि से निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि 31 अक्तूबर/01 नवम्बर को, उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार अपहृत व्यक्तियों (तीन ब्रिटिश और एक अमेरिकी राष्ट्रिक) को, गाजियाबाद तथा सहारनपुर जिलों में कुछ मकानों पर छापा मारने के बाद मुक्त करा लिया था। उसी दिन कुछ गिरफ्तारियां की गई थीं। गाजियाबाद जिले के एक मकान जिसमें एक अपहृत व्यक्ति को रखा गया था, की तलाशी में मुहम्मद नजरू के नाम का एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया था जिस पर दिल्ली का पता था। इस सूत्र के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मुहम्मद नजरू को 2 नवम्बर, 1994 को गिरफ्तार कर लिया। बाद में यह पता चला कि मोहम्मद नजरू का असली नाम मोहम्मद नजीर खान है। मुहम्मद नजीर खान जोकि एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक निकला, ने पुछताछ के दौरान बताया कि गैंग द्वारा मकान नं. 736, कूचा फजलापुरा, सुई वालान, दिल्ली को किराए पर लिया गया था और उस मकान को छिपने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

इस मकान की तलाशी के दौरान एक ब्रीफकेस बरामद हुआ जो कथित रूप से अभियुक्तों में से किसी एक का था। इसमें (क) एम. ए.(भाग–I) अरब संस्कृति के विद्यार्थी मुहम्मद खालिद बशीर के नाम का लखनऊ विश्वविद्यालय का एक परिचय–पत्र (ख) तीन व्यक्तियों का एक पोलोराइड फोटोग्राफ और (ग) लखनऊ से नई दिल्ली की यात्रा के लिए लखनऊ मेल का 14 अक्तूबर, 1994 का एक रेलवे टिकट मिला। दिल्ली पुलिस की हिरासत में रखे गए अभियुक्तो ने परिचय–पत्र पर लगे फोटोग्राफ की शिनाख्त अपहरण षडयंत्र के गैंग लीडर शाह जी के रूप में की और अन्य दो व्यक्तियों को नुरूल अमीन और फारूख के रूप में पहचाना।

इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने, लखनऊ में इस सूत्र के आधार पर आगे जांच के लिए एक निरीक्षक के नेतृत्व में अन्वेषणकर्ताओं के एक दल को तैनात किया।

लखनऊ पहुंचने के बाद जांच दल ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी। "परिचय पत्र" के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय में की गई पूछताछ से पता चला कि "परिचय पत्र" जाली है और कि इसे लखनऊ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी नहीं किया गया है। जहां तक रेलवे टिकट का सवाल था, रेलवे से की गई पूछताछ से पता चला कि इसे खुर्शीद अहमद निवासी 20/2, अतहर छात्रावास, नदवा कालेज, लखनऊ के नाम पर बुक किया गया था। इस सूचना

के प्राप्त होने पर, लखनऊ में तैनात राज्य आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने 20 नवम्बर को लखनऊ जोन के पुलिस उप–महानिरीक्षक से विशेष सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सम्पर्क किया जहां पर रेंज पुलिस उप–महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। यह कहा गया कि विदेशियों के अपहरण के हाल ही में हुए मामले के संबंध में तलाशी और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस की मदद की जरूरत होगी।

21.11.94 को राज्य आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने उप–महानिरीक्षक (रेंज) लखनऊ से सम्पर्क किया। ऐसा प्रतीत होता है कि 21 नवम्बर की रात के लिए निर्धारित तलाशी अभियान की योजना पर उनके साथ लगभग 6.00 बजे विचार–विमर्श किया गया। उप–महानिरीक्षक ने, पुलिस अधीक्षक (गोमती–पार) लखनऊ से आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की टीम से तलाशी अभियान के ब्यौरों पर विचार–विमर्श करने और तलाशी दल को पर्याप्त बल उपलब्ध करके उनकी सहायता करने के लिए कहा। इसके अनुसरण में, 9.30 बजे अपराह्न को राज्य आसूचना ब्यूरो के कार्यालय में एक बैठक की गयी थी, जिसमें तलाशी के तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया और अंतिम रूप दिया गया। यदि पहले नहीं तो, कम से कम इस बैठक में, नदवा कालेज का उल्लेख किया गया और उसमें तलाशी लेने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। इस बैठक में बनायी गयी योजना के अनुसार लखनऊ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक (गोमती–पार) को अपेक्षित पुलिस बल के साथ तलाशी दल के साथ तैनात किया।

मध्य रात्रि के आस पास पुलिस अधीक्षक (गोमती–पार) के नेतृत्व में तलाशी दल ने नदवा कालेज परिसर के दो चौकीदारों को साथ लिया और सीधे कमरा सं. 20/2 की तरफ बढ़े। राज्य पुलिस ने उस कमरे के नजदीक और पूरे कालेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी। इस कमरे में रह रहे व्यक्तियों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और इस पर अन्दर से अच्छी तरह ताला लगा दिया। जब दरवाजा खोलने के लिए बार–बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया तो उसे तोड़ कर खोला गया। इस कमरे में 7 लड़के पाए गए। जब पुलिस उन्हें बाहर ला रही थी तो उन्होंने नारे लगाए जिसपर पूरे परिसर में छात्रावासों में रहने वाले छात्र बड़ी संख्या में बाहर निकल आए। उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी में बाधा डाली और रोकने की कोशिश की। जब तलाशी दल को छात्रों की उत्तेजित भीड़ ने घेर लिया तो पुलिस कार्मिकों ने, इस दल और गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से हवा में गोलियां चलायीं। इस भगदड़ में, तलाशी दल की तरफ एक या दो देशी विस्फोटक डिवाईस भी फैंके गए लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। ऐसा होते हुए भी, तलाशी दल गिरफ्तार व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पार्क–रोड पुलिस चौकी पर ले जाने में कामयाब हो गया। संदिग्धों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए हुई हाथा पाई में, कालेज के दो छात्रों को मामूली रूप से खरोंच आई बतायी जाती है–एक के कन्धे पर और एक की टांग पर।

प्रारम्भिक जांच–पड़ताल से पता चला कि अपहरण के मामले में प्रमुख अभियुक्त शाह जी, गिरफ्तार व्यक्तियों में नहीं था। न ही खुर्शीद अहमद उनमें था। पकड़े गए छात्रों को, उनकी गिरफ्तारी के एक घंटे के अन्दर मामूली पूछताछ के बाद छोड दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना के बारे में एक मामला दर्ज किया है, जिसकी छानबीन की जा रही है।

उसी रात को, इसी प्रकार के एक अभियान में, मोहम्मद अबू बक्र हनीफ़ उर्फ हमजा उर्फ अमरिकी, नामक व्यक्ति, गुयाना राष्ट्रिक, (मार्च 1994 तक नदवा कालेज का छात्र था) को भी पकड़ा गया था। अबू बक्र, नदवा कालेज से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर एक किराए पर लिए गए प्राइवेट आवास में रह रहा था। अबू बक्र, पिछले कुछ महीनों से प्रतिकूल कार्यों के कारण आसूचना संगठनों के नोटिस में था। मौ. अबू बक्र हनीफ ने पूछताछ के दौरान, सहारनपुर में हुई घटना, जिसमें अपहृत विदेशी राष्ट्रिकों को बरामद किया गया था, के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा बरामद किए गए फोटो की शिनाख्त खुर्शीद अहमद के रूप में की, जिसे रेलवे टिकट में कमरा नम्बर 20/2, अतहर होस्टल नदवा कालेज, का निवासी दिखाया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कुछ पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। अबू बक्र की उग्रवादियों के साथ अन्तर्ग्रस्तता के बावजूद, जिन परिस्थितियों में, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया गया, उनकी जांच गृह मंत्रालय के एक जांच अधिकारी द्वारा की जा रही है।

नदवा कालेज की तलाशी, नेमी तौर पर ली गई थी। जब कभी इस तरह का अभियान चलाया जाता है तो सम्बंधित कालिज प्राधिकारियों को विश्वास में लिए जाने की प्रथा है। विख्यात तथा सुस्थापित शैक्षणिक संस्थान के मामले में इस प्रथा का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए था। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि जिन प्राधिकारियों ने इस तलाशी अभियान की योजना बनाई थी और तलाशी ली थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, तलाशी दल को तलाशी अभियान में अधिक चौकसी तथा पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए थी और बेहतर रणनीति और योजना बनानी चाहिए थी। इस प्रकार के संवेदनशील मामले की, गृह मंत्रालय को सूचना दी जाती रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

इसलिए, गृह मंत्रालय ने, इस घटना की जांच करने के लिए भारत सरकार के एक विशेष सचिव की नियुक्ति की है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी।

जांच पूरी होने तक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को निलम्बित तथा आसूचना ब्यूरो, लखनऊ के 2 अधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से नोटिस दे रहा हूं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार द्वारा कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

(व्यवधान)

12.28 म.प.

इस समय श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

12.29 म.प.

इस समय श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

12.30 म.प.

सभा का कार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, आपकी अनुमति से, श्री विद्याचरण शुक्ल जी की ओर से मैं घोषणा करता हूं कि 19 दिसम्बर, 1994 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :–

1. आज के आदेश पत्र में से सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा यथापारित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन करने संबंधी अध्यादेश पर चर्चा और केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1993 पर विचार तथा पारित किया जाना।
3. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना :–

   (क) कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994

   (ख) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994
4. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति देय ऋणों की वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाना व पारित किया जाना

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं अनुरोध करती हूं कि निम्नलिखित मदें अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जाएं :–

देश में वैगन उद्योग की 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पूर्वी क्षेत्र में है, फिर भी वहां भारतीय रेलवे से क्रयादेश प्राप्त न होने के कारण अभूतपूर्व संकट चल रहा है जिसके परिणमस्वरूप यह उद्योग बंद हो रहा है और इसके कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं।

** कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को भी विचारार्थ सम्मिलित किया जाये :–

1. बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित कोष के आबंटन की आवश्यकता।
2. पूर्व रेलवे में बख्त्यारपुर–राजगीर लाईनों का गया तक बढ़ाने एवं पूरे बिहार में रेलवे लाईनों के विस्तार की आवश्यकता।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित प्रस्तावों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये :–

1. खलीलाबाद नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्य हेतु आई. एस.डी.एल.टी. योजना से धन की व्यवस्था कराई जाये।
2. खलीलाबाद से बलरामपुर नई रेलवे लाईन को बिछाने हेतु पुनः सर्वेक्षण करवाया जाये तथा इस रेलवे लाईन को स्वीकृत कर धन उपलब्ध कराया जाये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाये :–

1. रानी लक्ष्मी बाई सागर परियोजना ललितपुर में कार्यरत वर्क चार्ज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के केन्द्रीय कर्मचारियों के समान परियोजना के बोर्ड द्वारा समय–समय पर वेतन तथा अन्य भत्ते देना स्वीकार किया गया है। उनको स्वीकार करके तुरन्त सभी भुगतान कर दिये जायें तथा ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाये।
2. पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ लागत का धसान नदी पर उ.प्र. और म.प्र. की सीमा पर स्थित (धसान नदी पर) देवरा घाट पुल का निर्माण कार्य तुरत शुरू किया जाये।

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :–

(एक) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में एक साथ वृद्धि (ओ.टी.आई.) को लागू करने में विसंगतियों को हटाने के लिए मार्गोपाय का सुझाव देने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन, और

(दो) 7 सितम्बर, 1990 से पहले शुरू की गई पन बिजली परियोजनाओं पर हिमाचल प्रदेश को रायल्टी के रुप में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने और विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान करने संबंधी मुद्दा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित कर लें :–

1. काशीनाथ सेठ बैंक लि. शाहजहांपुर के लेन–देन पर लगे

रिजर्व बैंक के प्रतिबंधो का समाप्त कर इसका विलय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाये,

2. दूरसंचार विभाग द्वारा खोले जाने वाले उत्तर प्रदेश में एक अन्य परिमण्डल को क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुये काऊंटर मैगनेट

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयो का जोड़ा जाये :–

1. रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम रेलवे के रतलाम–अजमेर खण्ड के नीमच से रतलाम के मध्य मीटरगेज लाईन का ब्राडगेज में बदले जाने हेतु दो करोड़ की राशिं का बजट स्वीकृत किये जाने के बाद भी कार्य में शिथिलता से यात्रियों, व्यापारियों व अन्य वर्गों के समक्ष व्याप्त कठिनाईयां,
2. केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले की पेयजल योजनाओं के निराकरण व स्वीकृति होने से पेयजल के आसन्न संकट से नागरिकों में बेचैनी व असंतोष।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़े जाने का अनुरोध करता हूं।

1. रांची के एच.ई.सी. कारखाने को बी.एफ.आई.आर. की रिपोर्ट के अनुसार और तीन सौ अस्सी करोड़ रुपया देना एवं विस्थापित, विधवा के आश्रितों को उक्त कारखाने में नौकरी दी जाए एवं कार्यादेश दी जाए।
2. बहुद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल पं. सिहभूम का अधूरा कार्य केन्द्र अपने हाथ में लेकर शीघ्र पूरा करे एवं विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी देने, पुनर्वास की व्यवस्था करने, मुआवजा जिनको नहीं मिला है, उसको मुआवजा शीघ्र देने की कार्यवाही की जाए एवं परियोजना के कार्य कलापों की जांच उच्चस्तरीय कराई जाए।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 9 अक्तूबर, 1994 को रात 9.30 बजे मैं गंगाखेड़ जिला परभनी से अपने घर जाने के लिए निकला था। उसी समय वहां के शिव सेना के ....** और उनके कुछ साथियों ने मुझ पर हमला किया। मेरा गला दबाने की कोशिश की और मेरे गले पर जख्म भी हुआ है। उन्होंने लोहे की छड़ और पत्थरों से मेरे ऊपर हमला किया। उससे मेरी कार का ड्राईवर भी जख्मी हुआ और कार के शीशे चूर हो गए। यह जो हमला हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद शिव सेना के ...** जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, उनका वहां पर सत्कार भी किया है। इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए और मुझे संरक्षण दिया जाए ताकि ऐसा हमला दोबारा नहीं हो। अभी वहा चुनाव हैं और चुनाव के दौरान भी कुछ गड़बड़ी होने का अंदेशा है। इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए, यह विनती मैं आपसे करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि उन्होंने यहां ...** का नाम लिया है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इस प्रकार जो उन्होंने पार्टी बदल किया है उसके कारण लोगों में उत्तेजना होती है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि सारी बातों को देखते हुए भविष्य में उनको अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने बता दिया है। ..... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : संसद सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो उसकी रक्षा होनी चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : मेरा कहना है कि जो व्यक्ति यहां आकर अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता है उन पर इस सदन में आरोप करना ठीक नहीं है।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंटेवार : नवाखेड़ा में मुझ पर हमला किया है। मारने वाले का सत्कार किया गया है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

12.40 म.प.

निर्वाचन आयोग (भारत की संचित निधि पर व्यय भारण) विधेयक *

[अनुवाद]

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे निर्वाचन आयोग के भारत की संचित निधि पर व्यय भारण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्वाचन आयोग के भारत की संचित निधि पर व्यय भारण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच.आर. भारद्वाज : मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं।

* दिनांक 16.12.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

12.42 म.प.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस विधेयक पर पहले भी विचार किया जा चुका है। श्री विजय एन. पाटील अपना भाषण जारी रखेंगे। क्या वह यहां उपस्थित हैं। मेरे विचार में वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे एक–दो बातों पर ध्यान दें। रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगें हैं। रेल मंत्री ने मुझे बताया कि सभा में रखी गयी अनुपूरक मांगों पर पिछली बार विस्तार से चर्चा की गई थी। केवल उन्हें सभा के मतदान के लिए नहीं रखा जा सका था। अगर ऐसा है तो उस पर पुनः चर्चा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यह तो आप रिकार्ड से देख सकते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंटरी डिमांड्ज यहां पेश की गई हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। जो सप्लीमेंटरी डिमांड्ज हैं उन पर हमें कुछ कहना है और डिस्कशन एवोइड नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर चर्चा हो चुकी है तो इसे दोहराया नहीं जाना चाहिये। अगर चर्चा नहीं हुई है तो फिर इस पर चर्चा करने का समय मांगने के आप हकदार हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी चन्द्रजीत यादव द्वारा कही गई बातें बड़ी प्रभावपूर्ण लगीं। वह मेरे कक्ष में आये और सभा में खड़े होकर यह कहा कि हमें आर्थिक नीति पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वह तो मैं अभी भी कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। अतः अगर आप किसी विषय पर चर्चा कर चुके हैं तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं। अन्य बातें भी आप दोहराये बगैर जितना संक्षेप में हो सके उतने ही संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वह तो ठीक है, लेकिन जब आएगा तो बाकी के बिल्स तो पहले आएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सिर्फ सभा की सुविधा के लिए यह बता रहा हूं ताकि आप और अधिक कार्य कर सकें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : लेकिन जहां तक रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स संबंध है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है जब रेल बजट पेश किया जाए तो मैं यहां उपस्थित भी रहूं या नहीं। इसीलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : चर्चा तो होनी चाहिए, यह हमारा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप हाउस चलने नहीं देते, उसी पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो दूसरों पर क्या लेंगे?

[अनुवाद]

12.44 म.प.

(श्री शरद दिघे **पीठासीन हुए**)

श्री पृथवीराज डी. चव्हाण (कराड) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य आई.डी.बी.आई., जो देश की प्रमुख विकास वित्त संस्था है, का पुनर्गठन करना है। सरकार विकासात्मक वित्त के कार्य में लगी आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एफ.आई. जैसी अन्य संस्थाओं को पहले ही स्वायत्तता प्रदान कर चुकी है।

आई.डी.बी.आई. का वर्तमान पूंजी आधार 753 करोड़ रुपये है लेकिन बढ़ते हुए औद्योगीकरण, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के लिए उठाए गए कदमों और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता को देखते हुए यह पूंजी आधार बहुत ही कम है।

मौजूदा विधेयक का उद्देश्य निगम के कार्यात्मक स्वायत्तता और संचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के साथ–साथ उसके सार्वजनिक स्वरूप को बनाये रखकर आई.डी.बी.आई के वित्तीय आधार को बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करना है, जिसे संसद की स्वीकृति के बगैर आगे 5,000 करोड़ रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। अतिरिक्त इक्विटी बाजार से मिलेगी परन्तु सरकार की इक्विटी 51 प्रतिशत से कम नहीं होने दी जाएगी। यह स्वतः निजीकरण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल आई.डी.बी.आई., जिसने भारतीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी साख बनाई है, को अभी भी भविष्य में अग्रणीय भूमिका अदा करने की अनुमति देना है। संचालानात्मक पक्ष की ओर से इस विधेयक का उद्देश्य बोर्ड का पुनर्गठन करना है। चूंकि आगे चलकर गैर–सरकारी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए इसमें यह उपबंध रखा गया है कि शेयरधारक अपने में से चार निदेशक चुन सकते हैं। परन्तु अध्यक्ष, महाप्रबंधक, पूर्णकालिक निदेशक तथा अन्य विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होगा। परन्तु इससे निजी क्षेत्र के शेयरधारकों में से चुने गए निदेशकों के साथ काम में कुछ खुलापन आयेगा।

सामान्यतः पहले गैर–सरकारी निदेशकों को राजनीतिज्ञों द्वारा नियुक्त किया जाता था जिन्हें विशेष वित्तीय ज्ञान नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई आर्थिक विचारधारा के साथ सरकार केवल उन्हीं लोगों को गैर–सरकारी निदेशकों के पद पर नियुक्त करेगी जिन्हें वास्तव में वित्तीय संस्थाओं तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की कार्यप्रणाली के बारे में विशेष ज्ञान है।

अतः, इस विधेयक की आवश्यकता क्यों हुई? महोदय, इस तथ्य के बावजूद भी कि इसने गत समय में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, इस अग्रणीय प्रमुख वित्तीय संस्थान की अनेक समस्यायें हैं।

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मुख्य भूमिका राज्य वित्तीय निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्रायोजित करना है। साथ ही, इसकी एस.आई.डी.बी.आई.–भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में पूर्ण–नियंत्रणाधीन सहायक शाखा है। यदि आप आई.डी.बी.आई. के वित्त पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इसका लगभग 6,000 करोड़ रुपया राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों में इक्विटी या ऋण के रूप में लगा हुआ है।

दूसरी समस्या यह है कि सरकार ने 1991 से आई.डी.बी.आई. को इक्विटी देना बंद कर दिया है। सरकार प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की नाममात्र की इक्विटी दिया करती थी। लेकिन पिछले 2–3 वर्षों से उसने यह भी देना बन्द कर दिया है। साथ ही आई.डी.बी.आई. का एक स्रोत एस.एल.आर. बॉण्ड के रूप में कम लागत वाला फंड था। लेकिन अब उदारीकरण शुरू होने के पश्चात् एस.एल.आर. योजना बंद कर दी गई है। एस.एल.आर., आई.डी.बी.आई. को अधिकतम 1100 करोड़ रुपये दिया करती थी। लेकिन अब यह पिछले वर्ष कम होकर 200 करोड़ रुपये हो गया है और मेरे विचार से इस वर्ष आई.डी.बी.आई. को एस.एल.आर. बॉण्ड कम लागत वाला कोई फंड नहीं मिला है।

एक अन्य समस्या है, क्योंकि चूंकि 1991–92 की अवधि के दौरान हमारे देश ने कम ब्याज-दर पर ऋण लिया था, अतः जब आई.डी.बी.आई. विदेशों में ऋण एकत्र करने के लिए गया तो विदेशी बैंकों ने सरकारी गारंटियों की मांग की। ये सरकारी गारंटियां जो पहले नहीं दी गई थी, भारत सरकार ने दी। लेकिन भारत सरकार ने 1.2 प्रतिशत की एक गारंटी बॉण्ड शुल्क लेना शुरू कर दिया। जब 15 अरब येन का एक जापानी एक्जिम बैंक ऋण लिया गया तो भारत सरकार ने 1.2 प्रतिशत की गारंटी फीस वसूल की। इस से पैसे की लागत बढ़ती है।

महोदय, आई.डी.बी.आई. एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान होने के कारण सरकार इसे कर में कुछ रियायत देती थी।

इसे विभिन्न आयकर प्रावधानों से छूट प्रदान की गई थी। लेकिन उदारीकरण के बाद कर में मिलने वाली छूट को पूरी तरह वापस ले लिया गया है जिससे कम्पनी पर संसाधन संबंधी दबाव बढ़ गया है।

इन समस्यओं के कारण ही धन एकत्र करने की आवश्यकता पड़ी और वह भी कम लागत पर धन [illegible] धन एकत्र करने का सबसे अच्छा तरीका पूंजी बाजार में प्रीमियम की ऊंची दरों पर शेयर जारी करना है। इक्विटी को बहुत अधिक परिवर्तित किए बिना और 25 प्रतिशत तक इक्विटी को परिवर्तित करके भी, और 120–140 रु. तक प्रति शेयर तक के प्रीमियम पर शेयर जारी करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आसानी से 2,000 करोड़ रु. तक का धन एकत्रित कर सकती है जिस पर उन्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में वित्तीय समाचारपत्रों में भी उल्लेख किया गया है। उन्हें इस ऋण की सर्विस भी नहीं करनी पड़ेगी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उपलब्ध धन की कुल लागत भी बहुत कम होगी और वे इस धन से आधारभूत क्षेत्र के उद्योगों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर देश के औद्योगिक विकास संबंधी कार्यों को पूरा कर सकते हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मूल भूमिका आई.सी.आई.सी.आई., आई.एफ.सी.आई., भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा भारतीय साधारण बीमा निगम जैसी विकास हेतु वित्तीय पोषण करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है और वे पुनर्गठन के बाद भी इस भूमिका को निभाते रहेंगे।

महोदय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की दूसरी भूमिका राज्य स्तर पर वित्तीय संस्थाओं, राज्य वित्तीय निगमों को विकसित करना भी है, जो अब स्थापित हो चुकी हैं और आने वाले समय में अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ रही हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी औद्योगिक परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के क्षेत्र में कदम रखा है और उनमें भी स्थिरता आ रही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का गठन किया गया है और यह विशवसनीयता पूर्वक कार्य कर रहा है।

जैसे–जैसे समय बीत रहा है, जैसे–जैसे हम देश में नई आर्थिक संरचना की ओर बढ़ रहे हैं अब आवश्यकता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से राज्य वित्तीय निगमों को अलग कर दिया जाए और इस बात की भी आवश्यकता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भी स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि वह स्वयं एक स्वायत्त निकाय बन जाए और न कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी बन कर रह जाए।

इसमें कुछ समय लग सकता है। हम धीरे–धीरे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों को राज्य निगमों की इक्विटी में अतिरिक्त योगदान देना पडेगा ताकि औद्योगिक विकास बैंक वास्तव में एक प्रमुख वित्तीय संस्था की भूमिका निभा सके। अब यह विश्व में एक बड़ी विकासशील वित्तीय संस्था है। इसे विश्व की ऐसी बड़ी संस्थाओं में दसवा स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण की वापसी की दर बहुत ऊंची है। मैं समझता हूं कि उसके 92 प्रतिशत संविभाग मानक संविभाग हैं और केवल 8 प्रतिशत संविभाग संदेहास्पद स्थिति में हैं। उनकी शायद ही कोई अशोध्य परिसम्पत्तियां हैं। उनकी एक प्रतिशत से भी कम अशोध्य परिसरपत्तियां है। उन्होंने बहुत विश्वसनीय तरीके से कार्य किया है और हमें उन्हे प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय, मैं कुछ सुझावों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आने वाले दिनों में जो नई भूमिका

निभानी है, वह है बिजली पैट्रोलियम, रसायन आदि जैसे आधारभूत क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने की भूमिका और यह भूमिका वह है जिसे उन्हें आज की स्थिति पर ध्यान देते हुए आरम्भ करना है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उद्यम पूंजी, निवेश सेवाओं और वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए अनेक सहायक कंपनियां है। हम उन्हें जो स्वायत्तता प्रदान करेंगे; इससे उन्हें वाणिज्यिक बैंकिंग के क्षेत्र में विशेष वित्तीय उत्पाद, के लिए ऋण और उपस्कर वित्त, उपस्करों को पट्टे पर देने, पुलों के लिए वित्त प्रदान करने आदि के लिए सहायक कंपनियां स्थापित करने में सहायता मिलेगी। वे पहले से ही ऋण देने वाली ऐजंसी के रूप में कार्य कर रही हैं। उनकी ऋण प्रदान करने वाली एजेंसी 'केयर' पहले से ही कार्य कर रही है। नए स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया स्थापित करने के लिए यह एक प्रमुख एजेंसी है। यहां एक निवेशक सेवा कंपनी भी है। हांगकांग के साथ एक संयुक्त कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव था लेकिन अब उस प्रस्ताव को स्थागित कर दिया गया है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि एक भारतीय शैक्षिक विकास बैंक स्थापित किया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व्यवावसायिक शिक्षा के वित्त पोषण के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। नई आर्थिक नीति के आने से उच्च शिक्षा को स्वयं व्यक्तियों द्वारा भी अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन हमें उन्हें कम दर पर ऋण देने की आवश्यकता है और मेरा विचार है कि भारतीय शैक्षिक विकास बैंक स्थापित कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

महोदय, हमारे देश में उद्यम पूंजी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना होगा। कम्प्यूटर, कम्पयूटर, साफ्टवेयर, जैव-प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा जैसे नए उद्योगों की उत्त्पत्ति हो रही है। यह क्षेत्र बहुत जोखिमपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि उद्यमी, इंजीनियर प्रविधितंत्री आदि जो कि इन उद्योगों को विकसित करते हैं, उनके पास वित्त मौजूद हों। उद्यम पूंजी निधि में थोड़ा जोखिम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उद्यम पूंजी निधि है। लेकिन मेरा विचार है कि वे बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं। यह 15 करोड़ रु. के लगभग है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्यम पूंजी यूनिटों में उनकी सफलता का अनुपात 40 प्रतिशत है। यह काफी ऊंचा है। लेकिन जोखिम उठाना होगा ताकि उन उद्यमियों को जो जैव-प्रौद्योगिकी तथा शीतागार जैसे कृषि उद्योगों, उच्च प्रौद्योगिकी वाले कृषि उद्योगों में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त सहायता दी जा सके। इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक स्वागत योग्य विधेयक है। इससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सुदृढ़ होगी और इससे उस संपूर्ण योजना के अंतर्गत देश के वित्तीय क्षेत्र भी सुदृढ होगें और इससे आधारभूत क्षेत्र और देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अन्त में, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। एक समस्या प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में है। विदेशी बैंकों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास दस प्रतिशत ब्याज की दर पर धनराशि जमा करने की अनुमति दी गई है ताकि उसे प्राथमिकता क्षेत्र कहा जा सके। जो राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं; उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। उन पर उद्यम पूंजी निधि में, धन रखने के लिए भी जोर देना चाहिए। उद्यम पूंजी निधि को भी सरकार द्वारा घोषित प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में शामिल करना चाहिए।

महोदय, ऋण देने की प्रक्रिया और बंद करने की प्रक्रिया को बदलने कीं आवश्यकता है। यह प्रक्रिया बहुत बोझिल है। प्रतिभूति स्टाम्प शुल्क, आयकर आदि की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद बन सकता है। महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में बहुत विश्वसनीयता से कार्य किया है और यह विधेयक इसे और सुदृढ़ करेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री द्वारा यह विधेयक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूंजी बढ़ाने तथा बाजार से पूंजी प्राप्त करने के लिए लाया गया है।

मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का एक सदस्य हूं। अतः मेरी सबसे पहली आपत्ति यह है कि इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा गया। सामान्यतया, परम्परा यह है कि संसद में लाए जाने वाले किसी भी विधेयक को स्थायी समितियों को भेजा जाता है और स्थायी समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यदि ऐसा किया जाता, तो संसद में यह विधेयक लाने से पहले सदस्यों के सुझाव और परामर्श के आधार पर इसमें कुछ सुधार और परिवर्तन किए जा सकते थे। तो यह मेरी पहली आपत्ति है और मुझे उम्मीद है कि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री का ध्यान पूरे बैंकिग क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सभी अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों और कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं में चेयरमैन और प्रबंध-निदेशकों के खाली पड़े पदों से चिंतित हैं। काफी लम्बे समय से ये पद खाली पड़े हैं। जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और प्राथमिकता क्षेत्र या आवास क्षेत्र से संबंधित चाहे जमा-राशि अथवा अग्रिम-राशि देने का मामला हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं।

सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया तथा आन्ध्र बैंक में चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशकों के पदों के खाली पड़े रहने के कारण कार्यकारी अधिकारी तथा निम्न स्तर के अधिकारी निर्णय लेने की स्थिति में नही होते है जिससे बैंकों को काफी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं।

महोदय, जहां तक कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संबंध है इसने पिछले वर्षों में बहुत विश्वासनीयता पूर्वक कार्य किया है लेकिन धन की कमी के कारण वे राज्य वित्त निगमों और वित्तीय संस्थाओं की अधिक मदद नहीं कर पाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि बाजार से ऋण लेने की सुविधा से यह और सुदृढ़ होगा और देश में उद्योगों का विकास होगा।

निदेशकों के बारे में हमने यह सुझाव दिया है कि सभी निदेशक सरकार के होने चाहिए। चाहे बैंक हों अथवा भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक सरकार का इन संगठनों के कार्यकरण पर नियंत्रण होना ही चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि 51 प्रतिशत शेयर सरकार के पास होगें लेकिन मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि कभी–कभी ऐसा संभव नहीं होता। उन्हें [illegible] में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शेयरों और संपत्ति की निगरानी करनी होगी क्योंकि एक बार अंतरण होने से संपत्ति पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। सरकार को इस बात के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा कि 51 प्रतिशत शेयर हमेशा उसके पास रहे और केवल 49 प्रतिशत शेयर जनता के लिए रहे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बैंकों का जो पुनर्गठन किया जा रहा है उससे संघों और ग्राहकों में बहुत अधिक चिंता व्याप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघों में यह भय बना हुआ है कि चूंकि सरकार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है और इसलिए नए पदों का सृजन किया जा सकता है अथवा छंटनी भी की जा सकती है। मैं सरकार तथा वित्त मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि सेवाओं में किसी प्रकार की छंटनी न की जाए, विशेष रुप से राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं बंद होने के कारण ऐसा नहीं किया जाएगा। यह भय बना हुआ है। इस भय को दूर करने के लिए संघों को आश्वासन दिया जाना चाहिए क्योंकि अंततः बैंकों के कर्मचारी ही ग्रहाकों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

मै मंत्री महोदय को यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्ण बैंकिंग ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। बैंकों विशेषरुप से छोटे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण तथा ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। सरकार ने ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के बारे में बताया है। सरकार ने यह कहा है कि वह नौ–दस बैंकों में यह कार्य शुरू कर रही है। लेकिन बैंकों के पुनर्गठन के लिए अभी कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं।

1.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म.प. तक के लिए स्थागित हुई

2.10 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(श्री शरद दिये **पीठासीन हुए**)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प

और

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद सख्या 13 और 14 पर एक साथ चर्चा करेंगें, श्री चेतन चौहान अपना भाषण जारी रखेंगें।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बोल रहा था क्योंकि आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के गठन की बात कर रहे हैं। मेरा यह विनम्र सुझाव है और मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में भी यह आश्वासन दिया था कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करेंगें ताकि वे अर्थक्षम बन सकें और उनका राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय न किया जा सके और एक बार पुनर्गठन हो जाने के बाद तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो ऋण दिया गया है वह गरीब किसानों और छोटे ऋण लेने वालों से वसूल नहीं किया जा सकेगा। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, वे सहयोग नहीं कर रहे हैं तथा प्रायोजित बैंकों के प्रबंधन द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। अन्य अनेक समस्याएं हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसने जो ऋण पत्र पहले जारी किए थे वे बैंकों तथा अन्य संस्थानों द्वारा खरीदे गए थे। दुर्भाग्यवश इन ऋण पत्रों की राशि 1991–92 में 1177 करोड़ रुपये से कम करके 1993–94 में केवल 200 करोड़ रुपये कर दी गई थी। आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मेरे विचार से ये ऋण पत्र खरीदे जाने थे और किसी भी प्रकार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए धन जुटाने का यह आसान तरीका था। ये न केवल सस्ते थे बल्कि लंबी अवधि के लिए भी थे, आमतौर पर ऋण पत्र 14 वर्षों के लिए होते थे। इसकी अवधि भी कम कर दी गयी है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनेक राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगम और भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक को प्रोत्साहन किया है। औद्योगिक विकास बैंक का लगभग 7000 करोड़ रुपया इन संगठनों में फंसा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय संस्थानों तथा एस.आई.डी.बी.आई. से यह पैसा वसूल कर सके। इसके परिणाम बहुत ही निराशजनक थे। वास्तव में ये नाममात्र के थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे और आकर्षित हों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अब तक एफ.डी.आर.,ऋण पत्र जारी कर तथा जमा प्रमाणपत्रों के माध्यम से ऋण वसूल किए हैं। मैं जमा प्रमाणपत्र योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने यह योजना वित्तीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए शुरू की थी लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जमा प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा ऋण लेने का एक अत्यंत मंहगा तरीका है। यदि वे इस पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लेते हैं और इस पर 2.5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय होता है तो कोष की लागत लगभग 15.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत हो जाती है। अब चूंकि आपने ब्याज दर कम कर दी है तो यह ऋण लेना मेरे विचार से बहुत महंगा पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जमा प्रमाणपत्रों के माध्यम से जो 2300 करोड़ रुपये के करीब राशि एकत्रित कर ली है उनका वह कैसे प्रवंधन करेगा क्योंकि यह ऋण देने का मंहगा तरीका है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऋण पत्रों का समय समाप्त होने की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। पहले ऋण पत्रों की अवधि दस वर्ष की होती थी और अब वाणिज्यिक ऋण विशेष रूप से अल्पकालीन ऋणों की अवधि एक–दो वर्ष में समाप्त हो जाएगी। आमतौर पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कम से कम छः वर्ष के लिए ऋण देता है और इसे अल्पकालीन ऋण लेने तथा उसे लंबे समय तक निवेश करने के लिए काफी काम करना होगा।

महोदय, बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विविधीकरण को ठीक ही अपनाया है और इसने उद्यम बाजार में प्रवेश किया है। लेकिन उद्योग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें अनेक संगठनों अथवा वित्तीय संस्थानों के पास न जाना पड़े। वे चाहते हैं कि उन्हें एक ही वित्तीय संस्थान के पास सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं अर्थात वे 'एकल खिड़की प्रणाली' चाहते हैं, जो उद्योग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास आएंगे वे बीमा की सुविधा और मूल पूंजी तथा म्युचल फंड की सुविधा चाहेंगें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को बीमा व्यापर, पट्टे पर देने संबंधी व्यापार तथा म्युचल फंड के क्षेत्र में भी कार्य करना होगा। केवल उद्योगों को ऋण देना ही पर्याप्त नहीं होगा और उन्हें अन्य अवसरों तथा योजनाओं को भी देखना होगा ताकि उन्हें इन योजनाओं से अच्छी आय हो सके।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि एस. आई. डी. वी. आई., जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अनुषंगी कंपनी है ने एक वाणिज्यिक बैंक खोला है। मुझे आशा है कि यह वाणिज्यिक बैंक उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेगा जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कार्य शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि यदि सही दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इससे लाभ ही होगा।

महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो समस्याएं मैं देख रहा हूं वह यह हैं कि एस. आई. डी. बी. आई. को जो 4000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी दी गई थी उसे किस प्रकार वसूल किया जाए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋण की रकम के बराबर ही ब्याज अर्जित किया। और मेरा सरकार को सुझाव है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तदानुसार परामर्श देना होगा कोई न कोई रास्ता निकालना होगा कि आई.डी. बी.आई. द्वारा एस. आई.डी.बी.आई में निवेश किए गए 4000 करोड़ रुपये की वसूली कैसे की जा सकती है।

ऋण की वसूली के लिए अन्य जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ समय पहले गठित वसूली न्यायाधिकरण दस माह के बाद भी केवल बंबई, जयपुर और कलकत्ता में तीन वसूली न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंको में अशोध्य ऋणों के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। मद्रास और दिल्ली में वसूली न्यायाधिकरण अभी स्थापित किए जाने हैं।

[अनुवाद]

विशेष रूप से दिल्ली में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। इस न्यायाधिकरण को शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि यह वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दे।

बैकों के पुनर्गठन के संबंध में मुझे सूचित किया गया है कि बैंक आफ बड़ौदा में 16 महाप्रबंधक है। उससे मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। मैं नहीं जानता कि एक बैंक में इतने महाप्रबंधक क्या कार्य रहे हैं। एक ओर तो कुछ बैंको में कोई भी अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक नहीं है और कुछ बैंको में 16 महाप्रबंधक हैं। मेरा सुझाव है कि जब बैंको का और यहां तक कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का भी पुनर्गठन किया जाये तो यह इस ढंग से किया जाना चाहिये कि उसमें शीर्ष प्रबंधन इतना बोझिल न हो। शीर्ष प्रबंधन में यथासंभव कम–से–कम अधिकारी रखे जाने चाहिये। चाहे वे राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाएं हों या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्षेत्रीय कार्यालय शाखाएं हो, कर्मचारियों को अधिकाधिक नहीं नियुक्त करना होगा ताकि ग्राहकों से प्राप्त ऋण संबंधी आवेदनों की समुचित और बेहतर ढंग से जांच–पड़ताल की जा सके और उन्हें शीघ्र स्वीकृति दी जा सके।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लगभग 34,500 करोड़ रुपये की संपत्ति सृजित की है। प्रत्येक चीज प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करेगी, पुर्नगठन उनमें से एक है। जब तक प्रबंधन में कुशलता नहीं होगी, तब तक लगभग 35,000 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति से समस्याएं ही उत्पन्न होंगी।

एक अन्य सामान्य सी समस्या जिसके बारे में मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, वह उद्योगों के लिए कार्यकारी पूंजी के लिए ऋणों की स्वीकृति से संबंधित है। सावधिक ऋणों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति दी जाती है। कोई भी उद्योग जिसे सावधि ऋण मिल जाता है, उसे कार्यकारी पूंजी की स्वीकृति के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता है। कार्यकारी पूंजी को स्वीकृति देने में निरपवाद रूप से होने वाले विलम्ब के परिणामस्वरूप उद्योग रूग्ण हो जाते हैं या अंततः उद्योगों की लागत अधिक हो जाती है। इससे उद्योग को शुरू करने में भी विलम्ब होता है। मेरा सुझाव है कि सरकार समुचित कदम उठाये। पहले एक योजना थी कि वित्तीय संस्थाए केवल सावधिक ऋणों को ही स्वीकृति नहीं देगी, बल्कि सावधिक ऋणों के साथ–साथ वे आवेदनों पर भी विचार करेंगी और कार्यकारी पूंजी के लिए धनराशि भी स्वीकृत करेंगी। मेरे विचार में जो विशेष योजना वहां पहले मौजूद थी और जिसे किन्हीं कारणों से समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः शुरू किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा, अगर एक ही स्थान से, एक ही खिड़की से (सिंगल विंडो सिस्टम) उद्योग को कार्यकारी पूंजी के साथ सावधिक ऋण भी दिया जाये, तो इससे समय की बचत होगी, विभिन्न संस्थाओं में जाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा और इससे लागत की भी बचत होगी। इससे उद्योग को शुरू करने में होने वाले विलम्ब से भी बचा जायेगा जिससे अन्यथा उद्योग को अत्यधिक असुविधा होती है।

कुछ बड़े उद्योगों के रूग्ण होने के प्रमुख कारणों में से एक कार्यकारी पूंजी को स्वीकृति देने में होने वाला विलम्ब है। मैं सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

एक अन्य समस्या निदेशकों के कार्यकाल के सम्बंध में है। ऐसा देखा गया है कि जब निदेशकों की कार्यावधि समाप्त हो जाती है, तो वे उस पद पर तब तक बने रहते हैं, जब तक वे पुनः नियुक्त नहीं हो जाये या जब तक नये निदेशक नियुक्त न हो जायें। स्थायी समिति की बैठक में भी यह विशेष बात उठाई गई थी। इनमें से कुछ निदेशक, चाहे वे दक्षता प्राप्त निदेशक हों अथवा जनता में से नियुक्त किये गये हों या अन्य निदेशक, अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, चार–पांच वर्ष तक वहां उस पद पर बने रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी और एक बार इन निदेशकों की कार्यावधि समाप्त हो जाये, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिये और अन्य निदेशक नियुक्त किये जाने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक स्पष्टीकरण देने का भी अनुरोध करता हूं। आज सुबह माननीय अध्यक्ष ने ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट तथा उस पर किस प्रकार विचार किया जाये, जटिल समस्या के बारे में टिप्पणी की थी।...

उन्होंने कहा कि इसे संसदीय ग्रंथालय में रखा जायेगा और इस रिपोर्ट को जारी करने या इसका उल्लेख करने के कार्य ग्रथालय के नियमों के अन्तर्गत किये जायेंगे। अब मैं वहां गया और इस रिपोर्ट की मांग की। यह रिपोर्ट अभी भी इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि इसे कैसे जारी किया जायेगा अथवा नहीं किया जायेगा। कल शनिवार है। हममें से कुछ सदस्यों को अन्य काम है। हमें उम्मीद थी कि इसे जारी कर दिया जायेगा। निर्णय करने के पश्चात् अगर सरकार इसे तुरंत उपलब्ध करा देती, तो हम इस रिपोर्ट को, चाहे वह ग्रंथालय परिसर के भीतर ही क्यों न हो, पढ़ सकते थे। यह वहां उपलब्ध ही नहीं है। मैंने ग्रंथालय के स्टाफ से पूछा। यह ग्रंथालय के कर्मचारियों की गलती नहीं है क्योंकि वे आदेशों के अधीन काम कर रहे हैं। मैंने इसे जारी करने की मांग की है। वे हमें दिशा–निर्देश देने में असमर्थ हैं। पहले ही लगभग 2 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस जटिल समस्या को सुलझाएं।....**(व्यवधान)**...हम क्या करें?

सभापति महोदय : क्या आप अध्यक्ष महोदय से नहीं मिले? आप स्वयं अध्यक्ष महोदय के पास क्यों नहीं जाते?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आप अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि हैं...**(व्यवधान)**। मेरा अनुरोध अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाया जा सकता है। मैं हरेक छोटे–छोटे मामले पर जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया ऐसे किसी विषय पर चर्चा मत कीजिये जो कार्यसूची में न हो।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरे विचार में ग्रंथालय को निर्देश दिये जाने चाहिये कि अगर वे इसे जारी नहीं कर सकते, तो कम–से–कम उसकी फोटोप्रति तो जारी की ही जानी चाहिये ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब तक इसे सभा में पेश नहीं किया जाता, तब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय ने सुबह पर्याप्त निर्देश दे दिये हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : जब चर्चा आरंभ हुई थी तो कहा गया था कि समस्या हल हो गयी है लेकिन समस्या तो यथावत बनी हुई है। अब ढाई बज रहा है लेकिन रिपोर्ट लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में तय कीजिए? स्पीकर महोदय ने कहा था कि इसको तत्काल उपलब्ध करवाया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आप यह मुद्दा बार–बार क्यों उठा रहे हैं?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं।

महोदय, वास्तव में, इस प्रकार के संशोधन की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे हैं। उसी के एक अंश के रूप में हमारे देश में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। यह प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भी स्वयं को समुचित और प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कर्त्तव्य निभाने और अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ पाता है। सभा में रखा गया यह विधेयक इस प्रमुख वित्तीय संस्था के सामने आ रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए है।

2.26 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं)

इसका उद्देश्य इस संगठन को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना है। इससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यशैली में कुछ लचीलापन आयेगा। अब, इस विधान से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इक्विटी शेयर इत्यादि के रूप में बाजार से ऋण ले सकेगा। अतः, यह विधान एक स्वागत योग्य कदम है।

इस पहलू की कोई आलोचना और कोई विरोध नहीं किया गया है सिवाय इसके कि संसद की अवहेलना करके इस प्रकार का अध्यादेश क्यों जारी किया गया और सरकार सीधे–सीधे सभा के समक्ष क्यों नहीं आई।

महोदया, हमें लगता है कि इस शीतकालीन सत्र में केवल जारी किये गये अध्यादेशों, जिनके स्थान पर विधेयक लाने की आवश्यकता है, पर ही विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानती हैं, एक और महत्वपूर्ण मद, अर्थात, अनुदानों की अनुपूरक मांगे हैं; और कार्यवाही शायद इसी तक सीमित रहेगी। अतः, इस बात के पर्याप्त आधार है कि उपबंधों के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालय अध्यादेश जारी करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। यह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट तथ्य है। तीन–चार अध्यादेश हैं और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के अतिरिक्त केवल एक अध्यादेश पर ही चर्चा करने का समय बचता है। सभा में जिस प्रकार कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए अगर इस पर चर्चा पूरी हो जाये, तो वही काफी होगा। अतः मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम नाईक : आप सत्रावधि को अभी और भी कम कर सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या करें? चुनाव हो रहे थे और आगे भी होंगे। विभिन्न दलों के माननीय सदस्यगण ने यह कहते हुए अपना मत व्यक्त किया कि जिस अवधि के दौरान चुनाव हों, उसमें सभा की बैठक नहीं होनी चाहिये। क्या एसा ही नहीं है? जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि यहां जनवरी और फरवरी में सभा की बैठक हो? नाईक जी, आप मुझे बता सकते हैं।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि सभा में समय बर्बाद किए बगैर कोई अन्य कार्य, विधायी कार्य सही ढंग से किस प्रकार चलाया जा सकता है। कुछ अन्य विषयेतर मदें भी है, जो महत्वपूर्ण है, मुझे इससे इंकार नहीं है।

अब मैं विधेयक के प्रावाधानों पर आता हूं। जैसा कि मैंने बताया विधेयक के प्रावधान स्वागत योग्य हैं। जैसाकि आप जानते हैं, वे पूंजीगत आधार को, जो अब तक 1,000 करोड़ रुपये था, बढ़ाने के लिए है। अब उसे बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है : 15,00 करोड़ रुपये इंक्विटी द्वारा और 500 करोड़ रुपये अधिमानी शेयरों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक यह पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित संगठन था। अब 51 प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास होगा और 49 प्रतिशत शेयर पूंजी के रूप में शेयरधारकों के पास रहेगा।

एक अन्य प्रावधान भी अच्छा है। इस संगठन को उत्तरदायी बनाया जायेगा और साथ ही इसे कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिये। अगर हरेक काम के लिए वे विभिन्न संगठनों और संसद पर भी, निर्भर रहें, तो सही रूप से कार्य करने में उन्हें मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें अपनी वचनबद्धता पूरी करनी है। बोर्ड, संकल्प पारित करके 5,000 करोड़ रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी रख सकता है। वे आम सभा इत्यादि की अध्यक्षता करेंगे। उनकी वार्षिक बैठकें होंगी; उनके लेख, उनके प्रतिवदेन पेश किये जायेंगे, उन पर चर्चा की जायेगी और वहां उन्हें पारित किया जायेगा।

इसमें स्पष्ट रूप से बैंको के पुनर्गठन की भी व्यवस्था की गई है। इसमें चार निदेशक होंगे, जिन्हें शेयरधारकों में से ही चुना जायेगा, और कोई भी व्यक्ति कुल शेयर का 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अपने पास नहीं रख सकता, चाहे उसके शेयरों की संख्या कितनी भी क्यों न हो।

हमारे देश के औद्योगिक विकास के संबंध में इस संगठन का कार्य विश्वसनीय है। इस प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान की आय में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; कर–पूर्व लाभ में 28.7 प्रतिशत थी और कर पश्चात् लाभ में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

इसकी स्वीकृतियों में 37 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और वास्तविक वितरण 21 प्रतिशत तक बढ़ा है। इससे निवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है जो कि अन्ततः औद्योगिक विकास में प्रतिबिम्बित होगा। सरकार द्वारा 5 प्रतिशत औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार से भी इस संगठन को बहुत सार्थक भूमिका निभानी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश का प्रमुख संस्थान है। इसके प्रारंभ से इनके द्वारा अब तक उद्योंगो को मंजूर की गई कुल मिलाकर सहायता की राशि 75,000 करोड़ से भी ऊपर है जो एक बहुत बड़ी राशि है। वितरित की गई सहायता की राशि 55,000 करोड़ रू. थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह आरंभ से ही लाभ कमा रहे हैं इसलिये यह एक स्वास्थ संगठन है।

बदलते समय में जब तक इस प्रकार के संशोधन पारित नहीं किये जाते और चुनौती भरी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सुसज्जित नहीं कर दिया जाता तब तक यह इस क्षेत्र के अन्य संग्ठनों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता।

प्रत्येक संस्थान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने आपको चौराहे पर खड़ा असहाय सा महसूस करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसा ऊंचा वित्तीय संस्थान भी इसी स्थिति में है। अब चिट फंड के द्वारा कम हो रही सम्पत्तियों, बाजार पर बढ़ती हुई निर्भरता, मध्यस्थता प्रणाली का कम होना, वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती हुई जटिलताऐं और निरन्तर बढ़ रहे कर का बोझ कुछ ऐसी समस्याएं है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर दबाव डाल रही है। महोदया, आज भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक ही प्रकार के कार्य और सेवा पर निर्भर नहीं रह सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण पत्र जिनको सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त माना जाता है और बहुत मूल्यवान समझा जाता है, उसका मूल्य घटकर जो मूल्य 1991–92 में 1177

करोड़ रू. था वर्ष 1993–94 के दौरान 200 करोड़ रु. हो गया। अर्थात 83 प्रतिशत की कमी आई। अतः उपर्युक्त तथ्य इस बात का सबूत है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य कितने चुनौती पूर्ण हैं। कुछ करने के लिए, बैंक को व्यापक रूप से बाजार ऋणों पर निर्भर करना पड़ेगा।

दूसरी समस्या है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर विकासशील कार्यों का दबाव। इस बैंक ने अनेकों राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों की धनराशि देकर सहायता की है और आज वे ही उसके लिए समस्याओं की जड़ साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 7000 करोड़ रुपये इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं जैसे भारतीय लघु विकास बैंक, एस.एफ.सी.जी., सी.सी.एस. में ऋण और इक्विटी के रूप में फंसे हुये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वह सुविधा प्राप्त नहीं है जो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगमों अर्थात् आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एफ.सी.आई. जैसे, प्रतियोगी संस्थानों को प्राप्त हैं क्योंकि ये सस्थायें कम लागत पर इक्विटी के रूप में धनराशि एकत्रित करती हैं। स्वाभाविक ही है कि इस बात को महसूस करके सरकार ने इस संशोधन को सभा के सामने प्रस्तुत किया है और इस विधेयक को समर्थन कर देने में किसी को संकोच नही होना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आगामी वर्षों में विद्युत और आधारभूत ढांचे सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को इसके मध्यम और दीर्घावधि कायदों को पूरा करने के लिए 44,500 करोड़ रू. की धनराशि की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि उद्योगों की ऊंची विकास दर प्राप्त करने के लिए इस संस्थान के अपनी भूमिका अदा करनी है। अगले पांच वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगभग 5 प्रतिशत होनी चाहिए जैसा कि सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है।

विद्युत क्षेत्र और दूर संचार क्षेत्र पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। अब यह भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यसूची में आ रहा है। जो विदेशी निवेशक आगे आ रहे हैं, वे भी विद्युत क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। वे सरकार द्वारा गारंटी की मांग कर रहे हैं।

पहले ऐसा नहीं था। इस स्थिति में एक परिवर्तन हो गया है। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं और यह अच्छी बात है कि वे यहां हैं। हमने यह देखा है कि विद्युत क्षेत्र में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निगमों द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं वे कुछ मामलों में उपयुक्त नहीं है। मैं इस बारे में एक उदाहरण दे सकता हूं।

इस तापीय विद्युत संयंत्र के दो यूनिट पूरे होने को हैं और वे शीघ्र आरंभ कर दिए जायेंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए धनराशि की तो समस्या बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ने विद्युत वित्त निगम ने और राज्य सरकार ने अपने ही कोष से इसके धन का निवेश किया है और इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और इसके पहले दो यूनिटों के पूरा होने के संबंध में कोई समस्या ही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि जब यह यूनिट आरंभ होने जा रही है तो उड़ीसा सरकार कुछ अमरीकन कंपनियों से उसे बेचने के संबंध में बातचीत क्यों कर रही है। यह बात संदेह पैदा करती है। इस कार्यवाही से आशंका उत्पन्न हो गई है। शर्तें बिल्कुल भी उपयुक्त और संतोषजनक नहीं हैं।

इसलिए पूरी स्थिति संदेहात्मक हो जाती है। राज्य सरकार के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने भी इसमें अपनी राशि दांव पर लगा रखी है। विद्युत वित्त निगम ने भी इसमें निवेश किया है इसलिए इस पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए।

महोदया, हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं। उन अन्य विद्युत कंपनियों की शर्तें भी उचित होनी चाहिए, जो भारत में कुछ विद्युत संयंत्र लगाने के लिए निवेश करने के लिए आ रही हैं, यदि उनके आने पर विद्युत 4 रु. प्रति यूनिट पर दी जाएगी तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब यह 2 रुपये प्रति यूनिट से भी कम की दर पर बेची जाती है। ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं। लोगों में ऐसी धारणा पनप रही है। इस स्थिति में क्या विद्युत क्षेत्र, दूर संचार क्षेत्र तथा अन्य ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए?

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि कार्य करने की स्वायत्तता के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को बहुत बडी धन राशि की भी आवश्यकता है। इस धन को बढ़ाने के लिए बाजार में इसके शेयर बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह से स्वायत्तता भी बनी रहेगी और प्रक्रिया से संबंधित अन्य चीजें भी विद्यमान रहेंगी। मैं इस विधेयक को पूर्ण समर्थन देता हूं और उसके साथ ही मैं बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में भी एक या दो टिप्पणियां करना चाहता हूं।

महोदया, कई बैंकों मे, अनेक रिक्तियां हैं। निदेशक इत्यादि के पद कुछ समय से भरे ही नहीं गए हैं। एक अथवा दो वर्ष से अधिक समय से यह पद रिक्त पड़े हैं। इन्हें भरा जाना चाहिए।

महोदया, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के संबंध में है। उनके पुनर्गठन के संबंध में कुछ बातचीत की गई है। कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के क्रियान्वयन का स्वागत नहीं किया गया है। संसद सदस्य होने के नाते मैं जिला स्तर की बैठकों में यह देखता हूं कि जहां कहीं भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखाएं खोलने के प्रस्ताव रखे जाते हैं उनका स्वागत नहीं किया जाता है, दूसरी ओर वे व्यावसायिक बैंको की शाखाएं स्थापित करने को वरीयता देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पहलू पर विस्तार पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों को कोई ऋण आदि नहीं देते जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल में पढ़ते हैं। यदि ऐसा है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसलिए है? इसी तरह से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी विभिन्न औद्योगिक यूनिटों की रूग्णता पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विभिन्न औद्योगिक यूनिटों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। इसकी सूक्ष्म जांच की जानी

चाहिए और यह सब चीजें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्गत 300 से भी अधिक रूग्ण यूनिटों पर पुर्नवास विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है जिसमें 75 अधिकारी कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि विभिन्न यूनिटों के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया गया अध्ययन विस्तारपूर्वक किया गया है और हम उस पर निर्भर रह सकते हैं। वे केवल यही कहते हैं कि प्रबंध में कमी ही रूग्णता का कारण है। इसके अतिरिक्त भी और अनेको समस्यायें हैं जैसे कर्मचारियों का होना या अद्यतन आधुनिक तकनीक का प्रमाण। इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विस्तार पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में वास्तविक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उन सभी कारणों को जिनके परिणामस्वरूप कोई विशेष यूनिट रूग्ण होती है इस रिर्पोट में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को देश की औद्योगिक स्थिति का सही अन्दाजा हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्रशंसनीय कार्य किया है और हम आशा करते हैं कि देश के औद्योगिक विकास में यह और भी प्रभावी कार्य करेगा और जो कुछ भी रूकावटें हैं वे भी दूर हो जायेंगी। इसके साथ ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को देश से औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के लिए, विशेषकर स्वदेशी उर्वरक क्षेत्र की रूग्णता को दूर करने के लिए कुछ और अधिक कार्य करना चाहिये।

हमने अपने सामने सन् 2000 तक 205 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनसंख्या की इस असाधारण वृद्धि के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। यदि हम विश्व बाजार में पैसा लेकर जायें भी तो भी हमें उर्वरक की उतनी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल सकती है जितनी मात्रा की हमें आवश्यकता है। इसलिए, हमें आत्म निर्भर बनना है। हम उर्वरक के आयात पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर फिर से गौर करना होगा और इसे एक नई दिशा देनी होगी। इसमें कोई आशंका नहीं है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अच्छा कार्य किया है लेकिन उसे इसी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उपयुक्त रूप से जांच करनी चाहिए कि हम किस तरह से राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) बिधेयक हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के अनुसार तैयार करने की दिशा में एक और विधान है। यह विधेयक, वित्तीय क्षेत्र में अन्य विधेयकों की तरह ही हमरी अर्थव्यवस्था को और आगे तक निजीक्षेत्र में ले जाने का प्रयास है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट–भाषण के दौरान इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है और न ही कोई ऐसा संकेत दिया है कि वह ऐसा करने जा रहे हैं। बाद के सत्रों में भी वित्त मंत्री महोदय ने यह मुद्दा नहीं उठाया मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब कोष–बैंको के सत्र में भाग लेने के बाद जब वह मेड्रीड से वापिस आये थे, तो उन्होंने नीति संबंधी दो घोषणाएं की थीं, एक तो यह कि बैंक दर विपणन क्षेत्र द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा दूसरे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी पूंजी जुटाने के लिए बाजार में प्रवेश करेगा। अतः, सरकार जल्दी में थी तथा उसने एक अध्यादेश का सहारा लिया। महोदया, अध्यादेशों का सहारा लेने की यह प्रक्रिया एक ऐसा पहलू है जिसका कि मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं।

महोदया, यह विधेयक हमारे सम्मुख चर्चा करने एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सन् 1964 में, इस माननीय सभा में एक विधेयक पारित कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हमारे देश की आवधिक ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे कि पुनर्वित के कार्य की देखभाल करनी थी तथा हमारे देश के औद्योगिक विकास प्रवर्तक के रूप में कार्य करना था। सरकार द्वारा हमें भेजे गये आंकड़ों के अनुसार यदि मैं इस बैंक के कार्य निष्पादन की ओर देखता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बैंक ने काफी कुछ किया है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इस बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन को भी देखा है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है। यदि हम इस वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन करे, तो उससे हमे इस बैंक द्वारा भारतीय उद्योगों की मूल कमजोरी को दूर करने में दिये गये योगदान का आसानी से अंदाजा लग जाता है। सहायता देने की मात्रा अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने का विश्वसनीय मापदंड नहीं है कि जो कुछ सोचा गया था, उसे वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। बैंक ने कभी भी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से प्रोन्नत बहुत–से व्यवसायिक उपक्रमों रूग्ण क्यों हो गये हैं। इसके 300 से अधिक उद्योग पहले ही रूग्ण पड़े हुए हैं। अतः देश में औद्योगिक विकास के निर्माण एवं बढोत्तरी के लिए सहायता देने का उद्देश्य असफल हो गया है और इसका कारण है–कुप्रबंधन एवं अकुशलता। महोदया, अतः मेरा कहने का अर्थ यह है कि यद्यपि अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्वरूप एवं ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया है, फिर भी मेरे मन में संदेह है कि ऐसे रवैये से क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर पायेंगे, क्या हम आर्थिक विकास एवं सुदृढ औद्योगिक विकास कर पायेंगे। हम आर्थिक विकास एवं सुदृढ औद्योगिक विकास कर पायेंगे अथवा नहीं, महोदया मुझे इस बारे मे आशंका है।

दूसरे, इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना 1993–94 के दौरान 1278 करोड़ रुपये की तुलना में 1994–95 के दौरान 15000 से 17000 करोड रुपये जुटाने की है। जबकि इस राशि का लगभग 60 प्रतिशत आंतरिक स्रोतों से लिया जायेगा और शेष के लिए बैंक को बाजार पर निर्भर करना पड़ेगा। अतः मेरा प्रश्न

यह है कि ऐसे समय में जब ब्याज की दरें व्यापक रूप से घट–बढ़ रहीं है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी सीमान्त लागत बढ़ाने का खतरा क्यों मोल ले रहा है? क्या यह तर्कसंगत और उचित है? वित्त मंत्री महोदय से मैं इसका सुस्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं। इसी बीच, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कुछ अंश तक अपनी समस्या से बचने के लिए अल्पावधि के लिए निम्न लागत वाले ऋणों पर निर्भर कर रहा है। लेकिन अल्पावधि के लिए धनराशि लेने की भी अपनी समस्या है। जैसे कि अवधि पूरी होने जैसी समस्याओं एवं परिसंपत्ति उत्तरदायित्व प्रबंधन आदि का आपस में सामंजस्य न होना अदि मैं नही जानता कि इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है।

मौलिक बात यह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने कार्यक्षेत्र में दीर्घावधि के ऋण देता है। लेकिन, अब यह विधेयक पारित हो जाने तथा यह अध्यादेश जारी हो जाने के बाद, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अल्पावधि की सहायता लेने का रास्ता अपना रहा है। अतः इस संसद ने वर्ष 1994 में इसके लिए जो जनादेश दिया था, उसेँ छोड़ा जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष ने अपने एक वक्तव्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है–"आज हम संसाधनो एवं गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों के लिए कड़ी स्पर्धा का सामना कर रहे हैं। अतः, हमें और अधिक बाज़ारोन्नमुख बनना है।" बैंक संचालन संबंधी ताकतें वाणिज्यिक हो गईं है, लेकिन जब यह संस्था स्थापित की गई थी, तब यह ताकतें वाणिज्यिक नहीं थीं, बल्कि इन्हें एक विकासात्मक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना पड़ता था। अब, चूंकि यह ताकतें वाणिज्यिक हो गई है; क्या हम यह निष्कर्ष निकाल लें कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी विकासात्मक भूमिका का परित्याग कर रहा है? अब, इसकी सम्भाव्य विकास प्राथमिकताएं–साख दर एवं सूचना सेवाये कंपनी–जिसे साख विश्लेषण एवं अनुसंधान लिमिटेड कहा जाता है तथा निवेशक सेवाए कंपनी, संयुक्त उद्यम एशियाई पूंजी, हांगकांग और राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज हैं। अतः, आज इस बैंक की प्राथमिकताएं ये हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि सरकार बाजारोन्नमुख एवं विकासाजन्यता के बीच विरोधाभास को किस प्रकार दूर करेगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं इसके प्रबंधन यह दावा करते हैं कि विकासात्मक वित्त सस्ती दर पर धनराशियां प्रदान करने के समरूप नहीं है। राज्य स्तरीय विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में गिरावट आई है। सरकारी नीति ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसका सहारा लेने के लिए मजबूर किया है। महोदय, अब सरकार यह विधेयक लाकर एवं वित्तीय क्षेत्र में अन्य सुधार करके एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है और जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया है, निश्चित रूप से यह परिवर्तन बेहतर सुधार की दृष्टि से नहीं किया गया है।

3.00 म. प.

संभवतः, अब सरकार भी ऐसा महसूस करने लगी है। सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीति से हमारे देश के औद्योगिक वातावरण को बहुत भारी क्षति पहुंची है। वास्तव में, इस पर सरकार की आर्थिक नीति को अलग करके चर्चा नहीं की जा सकती। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की जनता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधान मंत्री महोदय ने भी ऐसा महसूस किया है। अतः अब यही उचित समय है जब सरकार को यह समझा लेना चाहिए कि यदि इसी तरह से हमारे देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा ऋण देने वाले प्रमुख संस्थानों के भाग्य का सौदा बाजार से पूंजी उठाने के नाम व्यक्ति–विशेषों के हाथ में सौंपा जाता है, तो जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और यदि समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो देश को इतनी अधिक क्षति पहुंचेगी जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं होगा

महोदया, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर पुनर्विचार करे तथा इसके लिए दबाव न डालें। इससे न तो हमारे देश का कुछ भला होगा, न ही हमारे देश के औद्योगिक वातावरण को कुछ फायदा पहुंचेगा तथा न ही औद्योगिक विकास एवं राज्य वित्त निगमों की जिनके लिए कि इस बैंक–स्थापना की गई थी का कोई हित होगा।

अतः, महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार करें और इसे वापिस लें।

श्री शरद दिघे (मुंबई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं।

भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना वर्ष 1964 में वित्त–पोषण तथा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगी संस्थाओं के कार्यकरण को समन्वित करने, तथा उद्योगों के विकास हेतु ऋण प्रदान करने एवं ऐसी ही अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप की गई थी। मेरे विचार में इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। इस विधेयक से 1964 में निर्धरित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका में निश्चित रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बल्कि इसका उद्देश्य इस संस्थान को और सुदृढ़ करना है तथा जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इन्हीं दो उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

इसका प्रथम उद्देश्य, इस बैंक को पूंजी व्यापार से कम लागत की धनराशि जुटाने की अनुमति प्रदान करना है। इससे, यह संस्थान बड़े मूलभूत ढांचे वाली परियोजनाओं जो लम्बी अवधि वाली होती है–जैसे कि विद्युत, दूरसंचार, तेल–शोधन आदि के क्षेत्रों की परियोजनाओं, को वित्तीय सहायता प्रदान कर पायेगा। अतः, इससे देश में और अधिक मूलभूत ढांचा खड़ा करने तथा इन सस्थाओं से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य इस बैंक को कुछ हद तक कार्यकरण संबंधी स्वायत्तता प्रदान करना है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया है।

यदि हम ये दोनों उद्देश्य प्राप्त कर लेते है, तो जहां तक वित्तीय प्रणाली का संबंध है, इससे बदलते वित्तीय परिदृश्य में इस संस्थान की प्रतियोगितात्मक शक्ति में सुधार होगा। दूसरे शब्दों में, इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को और अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना है ताकि वह इस बदलते वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता कर सके।

अब, जहां तक इन उद्देश्यों के ब्यौरों का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा है कि इसका पहला उद्देश्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूंजी बाजार से कम लागत की धनराशि उगाहने की अनुमति प्रदान करना है। इस प्रयोजन हेतु, केन्द्र सरकार इस बैंक की 1000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर सकती थी। यह अधिनियम की वर्तमान धारा 4 है। अब संशोधित धारा 4 में इस बोर्ड को यह प्राधिकार है कि अपनी आम सभा में संकल्प पारित किये जाने पर यह 5000 करोड़ रुपयें तक की पूंजी बाजार से जुटा सकता है। निस्संदेह, अब तक यह 2000 करोड़ रुपये तक प्राधिकृत पूंजी बाजार से उठा सकता था, लेकिन यदि इसे आगे 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना हो, तो इसे सरकार से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस बैंक की आम सभा इसे एक संकल्प पारित कर बढ़ा सकती है। अतः, तदनुसार धारा 4 में संशोधन किया गया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान धारा 4(क) जिसमें कि केंद्र सरकार की नियत तिथि के बाद पूंजी के आगे किसी निर्गमन के लिए पूर्णतया अंशदान देने की शक्तियां प्रदान की गई है—का विलोप कर दिया गया है। अतः, अब यह पूंजी खुले बाजार से निस्संदेह, ऐसे किसी ढंग से उगाही जा सकती है कि केन्द्रीय सरकार की इक्विटी पूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अतः, जहां तक पूंजी शेयर का संबंध है, सरकार का नियंत्रण 51 प्रतिशत तक ही रखा गया है। अतः, इसे इससे और अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा तथा यह बैंक सरकारी संस्थान बना रहेगा, लेकिन बाजार से हम इक्विटी शेयरों के रूप में आसान किश्तों पर ऋण ले सकते है तथा इससे भी इस संस्थान को सहायता मिलेगी।

इस विधेयक में शेयर–होल्गि के अधिग्रहण पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तथापि जहां केन्द्रीय सरकार के अलावा किसी शेयर–धारक के मतदान के अधिकारों का संबंध है, तो यह अधिकारी निर्गमित पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित हैं। अतः, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि खुले बाजार में 49 प्रतिशत तक की पूंजी के शेयर बेचने की अनुमति प्रदान करने से कोई गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अपितु, इस स्तर पर भी मैं यह महसूस करता हूं कि संभवतः और अधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है अथवा सावधानी बरती जा सकती है, ताकि निहित स्वार्थ अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस संस्थान की शेयर पूंजी में निवेश करके कुछ गड़बड़ियां न कर सकें।

जैसा कि मैं कह रहा था, इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य कुछ सीमा तक कार्यकारी स्वायत्तता की स्थिति में सुधार करना है। अब, इस प्रयोजनार्थ बोर्ड की सरंचना को पूर्णतया संशोधित कर दिया गया है। पहले इस विधेयक की धारा 6 में यह उपबंध था कि बोर्ड के 22 सदस्य होंगे तथा इन 22 सदस्यों में अन्यों साथ–साथ एक प्रतिनिधि भारतीय रिजर्व बैंक का, पांच प्रतिनिधि वित्तीय संस्थानो के थे। छह प्रतिनिधि भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राज्य वित्त निगम थे।

इस समय इस विधेयक में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को हटा दिया गया है। उसके स्थान पर शेयर धारकों के चार प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है। शेयरधारकों के प्रतिनिधि वार्षिक आम बैठक में चुने जाएंगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि बोर्ड के किसी निदेशक को आम सभा की बैठक में हटाया भी जा सकता है। अतः, जहां तक बैंक के कार्यात्मक पहलू का संबंध है, अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण किया गया है।

जहां तक प्रबंधन का संबंध है अब यह कार्य निदेशक मंडल में विहित होगा। खंड 6 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 5 में संशोधन किया गया है और इसमें प्रावधान है :

> "कि प्रबंधन–आम अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन–बोर्ड में विहित होगा और बोर्ड सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है... न कि इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निदेशित अथवा आम सभा की बैठक में किए जाने हेतु अपेक्षित।"

मूलतः इन कृत्यों के निर्वहन में खंड 5 के उपखंड 4, जिसका इस विधेयक द्वारा लोप कर दिया गया है, में यह प्रावधान किया गया है :

> "कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में विकास बैंक को ऐसे नीतिगत मामले में जिसमें जनहित का संबंध हो, ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शन किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार दे।"

अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए बोर्ड को अधिक स्वायत्ता दे दी गई है। वे नीतियों और इस बैंक के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अधिक स्वायत्ता दी गई है और लोकतंत्रीकरण किया गया है।

अब वार्षिक आम बैठक बुलाना अपेक्षित है। शेयर धारकों को वार्षिक लेखाओं पर चर्चा करनी होगी और उन्हें स्वीकृत करना होगा उन्हें लाभांश स्वीकृत करना होगा और लेखा परीक्षण भी नियुक्त करने होंगे। इसलिए केन्द्र सरकार का उन पर नियंत्रण होने की बजाय इसे छोड़ दिया गया है और वार्षिक आम बैठक को दे दिया गया है ताकि वे निदेशक चुन सकें और उन्हें हटा सकें **(व्यवधान)**

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं। पिछले तीन दिनों से प्रक्रियात्मक मामलों में हमने काफी समय खोया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभा की कार्यवाही का शीघ्र निपटान करने का प्रयास करें ताकि हम बर्बाद हुए समय की पूर्ति कर सकें। माननीय सदस्य अमूल्य योगदान दे रहे हैं।

इसके पश्चात् एक छोटा–सा विधेयक है–भारत की संचित निधि विधेयक और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। मैं माननीय सदस्य, श्री शरद दिघे का बहुत आभारी होऊंगा यदि वह थोड़ा सहयोग करें ताकि हम इस पर भी चर्चा कर सकें **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : यदि आप चाहें तो आप इस विधेयक पर आज चर्चा पूरी कर सकते हैं। अब केवल 15 मिनट शेष रह गए हैं तथा अधिक से अधिक यही विधेयक पूरा किया जा सकता है लेकिन संचित निधि विधेयक नहीं क्योंकि इसमें कुछ और समय लगेगा। अतः हम आज 3.30 बजे तक एक विधेयक पूरा कर सकते हैं।

श्री शरद दिघे : जहां तक ऋण लेने और राशि जमा कराने का संबंध है, प्रावधान उदार बना दिए गए हैं तथा इस बैंक को अधिक शक्तियां दे गई हैं।

अंत में मैं केवल एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक इस बैंक के कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन का संबंध है, यह विषय भी बोर्ड के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इस बैंक से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन रोका जा सके और जहां तक इस बैंक का संबंध है इस में अधिक प्रतियोगी वेतन दिए जा सकें।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापट्टनम) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन इस शर्त पर करता हूं कि इस उदारीकरण के वाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका और अधिक महत्पूर्ण होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन से ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक चलता है। अब उदारीकरण करने से बैंक को विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनकर अपनी भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी।

3.15 म. प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को औद्योगिक क्षेत्र में संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्य करने हैं। जो संशोधन पारित किए जा रहे हैं उसके बाद इस तथ्य को नजर–अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्य के अतिरिक्त वाणिज्यिक कार्य भी करेगा। लेकिन इस बात पर सदैव बल दिया जाना चाहिए कि यह बैंक विकासात्मक कार्यों की भूमिका अधिक निभाए क्योंकि वाणिज्यिक कार्य करने के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जो भूमिका प्रदान की गई है उसका महत्व कम नहीं होना चाहिए। उदारीकरण के बाद इन बैंकों के सुयोग्य अधिकारी अनेक विदेशी संस्थानों में जा रहे हैं। अतः इस बात की ओर ध्यान दिया जाना है कि इन बैंको विशेष रूप से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिभावान व्यक्तियों को इन बैंकों में ही रखा जाए ताकि जो भूमिका निभाई जा रही है उसे देश की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ–साथ निभाया जा सके।

अब बैंक 5000 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचने पर विचार कर रहा है, संभवतः पहले चरण में यह 2000 रुपये हो लेकिन बाद में बोर्ड के साधारण संकल्प द्वारा इसे 5000 करोड़ रुपये तक का करना है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। यदि संस्था को विश्व स्तर का बनना है तो इसे 5000 करोड़ रुपये तक नहीं रहना चाहिए बल्कि 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ना चाहिए। इस प्रकार बैंक को धन उपलब्ध कराने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले संसाधनों के अन्तराल को पूरा किया जा सके तथा इस काम के लिए एक और संशोधन विधेयक न लाना पड़े इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। लेकिन यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संस्थान को विकासात्मक कार्य को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हमारे औद्योगिक विकास विशेष रूप से विकास कार्य क्षेत्र में कोई बाधा न आए। अन्य प्रकार का कार्य कर वाणिज्यिक बैंक बनने के विचार को नियंत्रित करना चाहिए विशेष रूप से औद्योगिक विकास के इस प्रमुख बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति, इस प्रकार इन बैंकों द्वारा किए गए औद्योगिक कार्यों के माध्यम से वृद्धि दर मुद्रा स्फीति जो कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है की दर से अधिक होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : क्या मैं मंत्री महोदय से बोलने के लिए कहूं क्योंकि हमें इसे 3.30 बजे तक समाप्त करना होगा जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है?

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (वारसार) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, यह औद्योगिक विकास से संबंधित बिल है, हमें बोलने का मौका दिया जाए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : यह साधारण सी बात है। यह साधारण बात नहीं है जितनी बनाई गई है।

सभापति महोदय : अभी आप सहमत हुए थे कि इसे 3.30 बजे तक समाप्त किया जाना चाहिए। श्री राम नाईक भी इस बात से सहमत हैं।

श्री राम नाईक : जब विभिन्न दलों के अन्य सदस्य बोलते हैं तब हम भी चाहतें हैं कि हमारे सदस्य भी बोलें।

श्री योगेन्द्र झा (मधुवनी) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसका नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक है। वस्तुतः यह निष्प्रभावी करने वाला विधेयक है न कि संशोधन विधेयक है। महोदय , हमारे आर्थिक क्षेत्र में यह धुन सवार है व एलसिंग बीमारी है और हमारे माननीय वित्त मंत्री इस विचार के प्रणेता हैं कि राष्ट्रीय संपत्तियों, प्राथमिकताओं और आत्म-निर्भरता को समाप्त कर दिया जाए।

सभापति महोदय, जैसा कि 1964 में ही इसे अधिनियमित किया गया था इसके उद्देश्य में ही यह बताया गया है कि इसका लक्ष्य यह था कि यह उद्योगों के वित्तपोषण, उनके संवर्धन और विकास में कार्यरत संस्थाओं के कार्यकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित करने हेतु प्रधान वित्तीय संस्था होगी। वह राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए थी। अब जैसा कि यह प्रस्ताव है कि 49 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र को मिलेंगे। महोदय, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी विदेशी धन अथवा शेयर धारक इसमें नहीं होंगे। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं अपनी गलती सुधारता हूं। इसके अलावा एक और खतरा है। यह बैंक मुख्यतया हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जो स्वाभाविक रूप से प्रमुख क्षेत्र, मूल क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के लिए हैं, के अनुरूप औद्योगिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण करने हेतु बनाया गया था। सरकार अभी भी यह दावा करती है कि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हमारा मिश्रित औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हमारे उद्योगों के लिए कार्य करने वाली इस प्रमुख वित्तीय संस्था को न केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी सौंपा जा रहा है। महोदय, हो यह रहा है। प्रारंभ में प्रेस के माध्यम से यह प्रचार किया गया कि सरकारी क्षेत्र असफल हो गया है; यह घाटे में चल रहा है केवल लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही शेयरों के लिए उन कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। कोई भी शेयर लिए बिना ही बड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रभाव डालने और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। जब उन्हें 49 प्रतिशत शेयर प्राप्त हो जाएंगे तो मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय प्राथमिकता की क्या भूमिका होगी और उसे कौन महत्व देगा।

[अनुवाद]

ऐसी स्थिति में, इसका विरोध करने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और यह हमारे राष्ट्रीय हित के विरूद्ध जाता है।

महोदय, इस विधेयक में कुछ उपबंध ऐसे है जिससे इसमें संशोधन नहीं होगा बल्कि वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्वरूप में मौलिक और गुणात्मक परिवर्तन करने वाले हैं। मूल रूप से इससे इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जायेगा। महोदय, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय यह बताने के बहुत इच्छुक रहते हैं, अगर कुछ विकास, कुछ औद्योगिक विकास हो भी जाये, चाहे वह हमारे राष्ट्रीय उत्पादक उद्यमों का हो या केवल उपभोक्ता वस्तुओं या विलासिता अथवा सामान्य वस्तुओं का हो, से हमारे निर्यातों में वृद्धि हो सकती है लेकिन ऐसी बातों से हमारे राष्ट्रीय दर्जे, राष्ट्रीय स्तर, लोगों के जीवन-स्तर और हमारी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार में इज़ाफा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में, यह हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर एक भारी प्रहार है।

व्यवहार में हमने देखा है कि सरकार द्वारा कई काम करने शेष हैं। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री महोदय उन्हें कब शुरू करेंगे। मेरे कुछ सहयोगियों ने समस्या का उल्लेख किया है और मैं अब इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा।

अब, मैं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंको पर आता हूं। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी कहा है कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो होना ही चाहिये। अगर सरकार इन दोनों को मिला दे तो वे और भी अधिक फायदेमंद हो सकते हैं और कर्मचारी भी इसी की मांग कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे इस संबंध में स्पष्टीकरण दें कि क्या ये बैंक विशेष रूप से औद्योगिक विकास की ओर ही ध्यान देंगे। क्योंकि हमारे बैंको में जमाखोरों और कलाबाजारियों को ऋण देने की प्रवृत्ति है और इससे हमारा राष्ट्रीय उत्पादन अथवा उत्पादकता नहीं बढ़ती। उनमें, उन्हें यह ऋण देने की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि शायद वे समय से भुगतान कर सकत हैं और वे रिश्वत भी दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले शिक्षित बेरोजगार कोष तथा प्रधान मंत्री राहत कोष हुआ करते थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत उत्पादन संबंधी उद्यमों के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिन लोगों की सिफारिश की गई है, उन्हें बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं। अधिकांश बैंकिग संस्थान उन्हें धनराशि प्रदान नहीं कर रहे है। वे उनकी सहायता नहीं करते।

मौजूदा स्थितियों में हमारे देश में, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने इस सभा में एक बार कहा था, पहले विश्व समाजवादी बाजार व्यवस्था हुआ करती थी और आने वाले समय में हम इसे पुनः अपना सकते हैं। अब, वहां इसका अस्तित्व नहीं है। हमारे देश में नब्बे करोड़ लोग हैं और उनसे दुगुने हाथ। भारत जैसे देश में श्रमशक्ति एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। अतः, ऐसी स्थिति में बैंको को अवश्य यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि वे ऐसे, विशेष रूप से स्व-नियोजित युवकों और स्व-नियोजित उद्यमियों द्वारा चलाये गये उत्पादन उद्यमों को मदद दें। हांलाकि, बैंक दूसरी दिशा में ही जा रहे हैं। वे ऐसे कार्यों में सहायता नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस सभा में सुझाव दिया है और आज भी माननीय वित्त मंत्री को

सुझाव देता हूं कि हमें देश में प्रत्येक जिले के कम से कम एक ब्लाक में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा अन्य स्व–नियोजित उत्पादन उद्यमों के अन्तर्गत बैंक ऋण लेने वाले लोगों के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं अथवा क्या वे प्राप्त कर लिये गये हैं अथवा ऐसे लक्ष्य कभी निर्धारित ही नहीं किए गये थे और यदि समाप्त कर दिये गये हैं तो क्या उसके लिए कोई जवाबदेह है या नहीं, इसका पिछले दस–बारह वर्षों का सर्वेक्षण करवाना चाहिये। बिना किसी प्रतिफल के, हम इस प्रकार से धनराशि बांटते नहीं रह सकते। इस संबंध में अगर सरकार बिहार के मधुबनी, दरभंगा इत्यादि कुछ जिलों का चयन मौके पर सर्वेक्षण के लिए करती है, तो मैं भी अपना सहयोग दे सकता हूं।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि उन्हें कम से कम इस प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे वापिस लेने चाहिये। इस एक संस्थान को तो देश में रहने दीजिये। पैसे की खातिर बहुत सी चीजें दूसरे के हाथों में चली गई हैं इसी प्रकार कल हमारे लोकतंत्र भी दाव पर लग जायेगा। सरकार और समाचार पत्र यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां घाटे में चल रही हैं और राष्ट्रीय कोष पर मात्र एक व्यय के रूप में हैं। लेकिन कठोर वास्तविकता यह है कि वे लाभ कमाने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की भारतीय और यहां तक कि बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी वर्ग से अदला–बदली कर रहे है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वे सरकारी क्षेत्र की लाभप्रद इकाइयों को भारतीय पूंजीवादी वर्ग एवं यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप रहे हैं। सरकार यह दावा करती है कि विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ गया है और यहां तक कि बजट घाटा भी कम हो गया है। यह पुराने समय के कुछ जमींदारों की तरह से है, जो अपनी धन–दौलत और शानौशोकत को बनाये रखने के लिए अपनी जमींदारी बेच दिया करते थे। अतः, इसमें एक भारी खतरा है और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मेरा वित्त मंत्री से, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मामले सुलझाते हैं, अभी भी इस विधेयक को वापिस लेने और हमारे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास की सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मजबूत बनाने का अनुरोध करता हूं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आ सके। श्रमशक्ति से लेकर हमारे पास सभी प्राकृतिक संसाधनों की क्षमतायें हैं। लेकिन एक–एक करके विकास के मुख्य स्रोत को अपने से अलग किया जा रहा है।

अतः, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और पुनः वित्त मंत्री से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। उसके पश्चात् हम सभी विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है।

सभापति महोदय : यह विधेयक अभी पारित किया जाना है, संसदीय कार्य मंत्री इस विधेयक को पारित करने के लिए इस सभा की सम्मति ले चुके हैं। अतः, इस विधेयक के लिए हम सभा का समय आधा घंटा और बढ़ा सकते हैं और गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए अंत में आधा घंटा और दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) सभापति महोदय, हाफ एन आवर से काम नही चलेगा, क्योंकि हमारे दो वक्ता अभी और बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके दल ने केवल यही सूची दी है। अतः, मैं आपके दल के और सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैंने एक और नाम भी भेजा है।

सभापति महोदय : जी नहीं, अब केवल श्री चित्त बसु का ही नाम बचा है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, हम इस प्रतिबंध से सहमत नहीं हैं। मैंने आपके पास नाम भेजा है और वह सदस्य यहां बैठे हुए हैं लेकिन आप उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अनेक प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन आप मुझसे सहयोग क्यों नहीं करते?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, आज शाम को हमें मुम्बई जाना है। कल सुबह वहां बैठक है। अतः, आज हम नहीं चाहते कि सभा का समय बढ़े।

सभापति महोदय : हमें सभा का समय आधा घंटा बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपके दल के एक और सदस्य को बोलने की अनुमति दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति महोदय, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और हम लोगों को उसमें जाना है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, हम छह बजे तक बैठेंगे, साढ़े छह बजे तक नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं अब गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य लूंगा।

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, आप मुझे आज अपना भाषण शुरू करने की अनुमति क्यों नहीं देते ताकि मैं सोमवार को अपनी बात जारी रख सकूं।

सभापति महोदय : जी नहीं, किसी भी स्थिति में आज इस मद को हम समाप्त नहीं कर सकते। अतः, अब एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : अब, हम गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य लेंगे।

3.35 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

डा. विश्वनाथम केनिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा 15 दिसम्बर, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 15 दिसम्बर, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.36 म.प.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों के विस्तार के बारे में संकल्प–जारी

सभापति महोदय : अब हम श्री आर. अबारासु द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे बहस करेंगे। कुमारी ममता बनर्जी।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, इसके लिए अभी छः घंटे स्वीकृत हुए हैं और पांच घंटे हो चुके हैं, इसलिए मंत्री महोदय का जवाब चार बजे के लिए फिक्स किया जाए जिससे यह चार बजकर तीस मिनट तक खत्म हो सके।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय ने पहले ही गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बहस आरंभ कर दी है...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : इसमें गलत क्या है महोदया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। मैं कह रहा हूं कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया गया है और यह 4.30 म. प. पर समाप्त हो जाना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : शेष समय 58 मिनट का है, उसके बाद ही हम यह मुद्दा ले सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं 5 अगस्त, 1994 को श्री आर. अन्वारासु द्वारा पेश किए गए गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प का समर्थन करती हूं। उस संकल्प में उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछडे वर्ग के लोगों का विकास करने इनसे संबंधित केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं पर निगरानी रखने के बारे में तौर–तरीकों का सुझाव देने के अधिकार दिए जाने चाहिए और आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारो का पूर्णतः समर्थन करती हूं क्योंकि यद्यपि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए इस राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे अन्य आयोगों का गठन किया गया है लेकिन वास्तव में समस्या यह है कि जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह लाभ निम्न स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जो कुछ भी धन केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है उस पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का सही इस्तेमाल हो रहा है अथवा नहीं। अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाये।

महोदय, यह सच है कि सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही 27 प्रतिशत कोटा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया है। लेकिन, विभिन्न राज्यों में कुछ और अन्य पिछड़े हुए वर्ग भी हैं जिनको इस आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। उनको अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में प्रकाशित नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप उनको उन लाभो से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए, क्या मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें और पता लगाएं कि कितने राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची प्रकाशित कर दी है और कितने राज्य सरकारों ने यह सूची अब तक प्रकाशित नहीं की है ताकि उन्हें लोगों को सरकार की नीतियों के अनुसार लाभ मिल सके?

महोदय, यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम हैं फिर भी मैंने मिदनापुर, जू और झारग्राम जैसे क्षेत्रों में देखा है कि जनजातीय लोग 12 महीनों में से 11 महीने चावल नहीं खाते हैं। मैंने प्रशासन की जानकारी के बिना इन क्षेत्रों का दौरा किया ताकि लोग खुलकर अपनी शिकायतें बता सकें।

11 महीने के चावल नहीं खातें हैं क्योंकि उन्हें मिलता नहीं है। वे केवल कुछ कुकुरा, एक तरह का संतरा, एक तरह का जंगली फल खाते हैं। मैंने मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया और हुगली जिलों में पूरे झारखंड क्षेत्र का दौरा किया है। मुझे बिहार की समस्या के बारे में भी जानकारी है। बिहार में भी झारखंड के लोगों के लिए बहुत समय से यह मांग की जा रही है कि झारखंड के लोगों के लिए

एक विशेष स्वायत्त परिषद होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यह मांग बहुत उपयुक्त है।

जहां कहीं भी गरीबी की रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं चाहे बिहार में हो, उड़ीसा में हो, आन्ध्र प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल में हो या देश के किसी अन्य भाग में हों—उनकी मदद की जानी चाहिये। यहां तक कि उत्तराखंड के लोगों की भी जो समस्याएं है, हमें उन पर भी बहुत संवदेनशील होकर विचार करना चाहिए।

इस संबंध में मेरी व्यक्तिगत राय है क्योंकि मैंने उत्तर बंगाल का भी दौरा किया है। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग के लिए हमारी सरकार ने एक स्वायत्त परिषद प्रदान की है सिलीगुढ़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्वार है। वहां के 70 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। लेकिन इसका किसी को पता नहीं है। उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त नहीं होता है। आप पंचायत प्रणाली के बारे में जानते हैं यदि पंचायत सत्तारूढ़ दल से संबंध रखती है तो उन्हें लाभ मिलेगा। यदि पंचायत सत्तारूढ़ दल की नहीं है तो उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

यहां इन्दिरा आवास योजना है। इसमें क्या हो रहा है? कभी राज्य सरकार निर्धन लोगों को मकान सौंप देती है लेकिन उनको पक्की तीज़ डीड अथवा पट्टा नहीं दिया जाता है। चुनावों के बाद वे मकानों का स्वामित्व अन्य लोगों को देने लगते हैं यही सब चल रहा है।

हमारे पास आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., डी.आर.डी.ए., स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे अनेक कार्यक्रम हैं। लेकिन निगरानी के अभाव में कार्यान्वयन सही नहीं है जिसमें कि निर्धन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ईसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मामले पर गंभीरता से विचार करें। अन्य पिछड़े बर्गो को उनका उपयुक्त हिस्सा मिलना चाहिए। निश्चय ही, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन आप विभिन्न स्रोतों से यह पता लगाएं कितने लोगों को नियुक्ति मिली है अर्थात इसका लाभ मिला है और कितने लोगों को इसका काम नहीं मिला है। उनको उन लाभों से वंचित रखा गया है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई निगरानी व्यवस्था नहीं है।

मैं अल्पसंख्यकों के बारे में भी बोलना चाहती हूं। आपको 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करना है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि किलने राज्य अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित धन का उपयोग कर रहे हैं और कितने राज्य इस धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? विशेषकर मेरे राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। यदि राज्य धन का उपयोग नहीं करता है तो केन्द्र सरकार इन लोगो के लाभ के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक सगठनों के माध्यम से, इस धन का उपयोग नहीं करवा सकती है। सरकार के पास नीति तो है लेकिन निगरानी के अभाव के कारण सरकार इस धन का अपयोग नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मामले पर गंभीरता से विचार करें। अल्पसंख्यकों की भी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। उनकों उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है ...**(व्यवधान)**

यहां तक कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम है। सरकार ने पहले ही अल्पसंख्यक विकास निगम तथा वित्त निगम जैसे संयुक्त उद्यम आरंभ कर दिए हैं। यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम है। आपने कहा था कि केवल चार राज्य आध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार ही सहमत हुए हैं। अन्य राज्यों का क्या विचाार है? वे सहमत क्यों नहीं हुए है? यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो केन्द्र सरकार को गैर–सरकारी संगठनों को धन भेजना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन उनके लिए कार्य कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेहरू युवक केन्द्र है। सामाजिक कार्य और विकास कार्यो के लिए स्वयं सेवी संगठन हैं। हम धन इन्हें भेज सकते हैं। जनता के धन का प्रयोग उपयुक्त होना चाहिए। इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए।

कृपया उद्योग, कृषि, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों की पृष्ठभूमि पर नजर डालें उन्होंने कितना विकास किया है? आपको यह भी देखना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार को कुछ योजनाएं कार्यान्वित करनी है और सरकार को कोई कार्ययोजना तैयार करनी है। यदि इस कार्ययोजना का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया जाता तो लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध यह है कि यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। यदि लोगों की उपेक्षा होती है तो उनकी शिकायते सही होंगी। उत्तराखंड और झारखंड आंदोलन में क्या हो रहा है? मैं जानता हूं कि उत्तर बंगाल में भी कमलापुर आन्दोलन और अन्य आन्दोलन पहले से ही चल रहे हैं।

असम में, करबिआलांग लोग भी स्वायत्त परिषद की मांग कर रहे हैं। पश्चिम उड़ीसा में भी, यह आन्दोलन आरंभ हो गया है। मेरा विचार है कि यह बेहतर होगा यदि सरकार मुख्य मंत्रियों से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाएं और उनसे विशेषकर पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा आंर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगो को ध्यान में रखते हुए राज्य की समस्याओं के बारे में पूछे। यदि राज्य सरकारें सहमत हों तो केन्द सरकार उनसे निर्वाचित लोगों और विशेष कर कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए एक स्वायत्त परिषद गठित करने के लिए कह सकती हैं ताकि वे स्वयं अपने विकास कार्य आरंभ कर सकें। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हो रही है।

झारखंड मुद्दे पर हमारी सरकार स्वशासी परिषद् के लिए सहमत हो गई है लेकिन जहां तक कि मेरी जानकारी है उनकी सरकार सहमत नहीं हुई है। उन्हें अपना समझौता भी करने दें।

तमिलनाडु में, उन्होंने 69 प्रतिशत आरक्षण किया है। विधेयक को तमिलनाडु विधानसभा में भी पारित कर दिया गया है।

यदि स्वायत्त परिषद् की कोई आवश्यकता है तो मैं निश्चय ही उत्तराखंड, झारखंड क्षेत्रों और असम में झारग्रान, बांकुरा, पुरूलिया करबियालांग क्षेत्रों और पश्चिम उड़ीसा और देश के अन्य भागों के लिए भी अनुरोध करूंगा जहां लोगों को इस तरह की शिकायतें हैं। सरकार को सही शिकायतों पर विचार करना है। यदि आप उन पर विचार नहीं करेंगे तो एक अन्य दार्जिलिंग और कश्मीर समस्या खड़ी हो जाएगी।

यदि आप लोगों की उपेक्षा करेंगे तो लोग इसे सहन नहीं करेंगे। मेरा विचार है कि लोगों की शिकायतों पर ठीक तरह से विचार करना बेहतर है क्योंकि हमारा दल काडर आधारित दल है। हमारा दल जनाधार युक्त है। हम इस सभा के प्रतिनिधि है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

हमें अपने हित में लोगों की शिकायतों पर विचार करना है। इस मामले में कोई तुच्छ दलीय स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहता हूं कि आप मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। अन्नाभाई ने सुझाव दिया है कि संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।मेरे विचार से यह एक अच्छा प्रस्ताव है। सरकार को इसे स्वीकार कना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन और धन के उपयोग पर समुचित निगरानी रखी जा रही है।

मैं यह भी कहूंगी कि आप कृपया 'अन्य पिछड़े वर्गों' को भी शामिल करें।

[अनुवाद]

'अल्पसंख्यकों' का अर्थ किसी वर्ग विशेष से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उन अल्पसंख्यकों से है जो वास्तव में ही अल्पसंख्यक हैं, किन्तु जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं एवं जिन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं। निस्संदेह, सरकार उनके लिए धनराशि दे रही है। लेकिन इस धनराशि का आधा भाग निचले स्तर तक पहुंच रहा है और आधा भाग बिचौलियों की जेबों में। इसकी जांच करना मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है। मंत्री महोदय अत्यंत निपुण हैं तथा वह इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक सुलझा लेंगे। कृपया इस बारे में मुझे ब्यौरे से अवगत कराने की कृपा करें। झारखंड, उत्तराखंड एवं अन्य क्षेत्रों के लिए स्वायत–परिषद् स्थापित करने हेतु मैं जो भी मुद्दे उठाती हूँ, कृपया उन पर गम्भीरतापूर्वक गौर करें, ताकि इन लोगों को यह विदित हो जाए कि वे उपेक्षित नहीं हैं तथा सरकार, जो जनता द्वारा निर्वाचित है, उनके लिए कार्य करेगी।

इन शब्दों के साथ, बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपकी आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, श्री आर. अन्बारासु द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने यह संकल्प पेश करके कम से कम सदन में एक बहस चला दी है। यह पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को जो अधिक शक्ति देने की बात है, यह कहा गया है कि आगे जो प्रतिवेदन देगा उस पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए, यह सही बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति जी, सबसे पहली बात यह है कि जो धनराशि हम भिन्न–भिन्न तरह से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों का कल्याण करने के लिए उपलब्ध करते हैं वह सचमुच में उन तक नहीं पहुंचती है। इस पर विचार करने का यह विषय है। हमने देखा कि गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए बड़ी–बड़ी योजनाएं चली। उनके लिए बैंको में कुछ नियम–कायदों को रिलैक्स किया गया और गरीबों को जिनके पास थोड़ी सी जमीन तक नहीं थी वह उनको दी गई। सदन में कई बार मंत्री जी द्वारा आंकड़े पेश किये गए कि कितने हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च किये गए है। लेकिन खर्च के बाद इसका मूल्यांकन नहीं हुआ कि हमने जो खर्च किया है वह सचमुच में सार्थक हुआ या नहीं। क्या वह आदमी कागज़ों पर ही ऊपर उठा है या वास्तव में धरती पर गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार में जहानाबाद जहां से में आता हूं, वहां बहुत धन गरीबों में बैंकों द्वारा दिया गया लेकिन सचमुच में वह सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में गया जो लखपति और करोड़पति बन गए। गरीबों को अगर पांच हजार रुपए की वस्तुएं देनी हैं तो उनको दो हज़ार रुपए कीमत की चीज़ पांच हजार रुपए में मिलीं और वह दो हजार रुपए की चीज़ भी गाय–भैंसों को खिलाते खिलाते परेशान हो गये। उससे कोई फायदा नहीं हुआ जबकि बिजनेस करने के लिए लाऊडस्पीकर दिये। मैं कहता हूं कि सरकार की क्या विडंबना है कि बैटरी में मिलावट करके सप्लाई किया गया और उससे गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से गरीबों के नाम पर लूट हो रही है। अगर यह लूट इसी तरह से चलती रही तो गरीब ऊपर नहीं उठ सकता। हमारे यहां जो यह राक्षसी प्रवृत्ति सारे के सारे धन को निगलती जा रही है चाहे वह चीनी घोटाला हो या कोई दूसरा घोटाला हो, जब तक इस राक्षसी प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक आप अरबों खरबों रुपए गरीबों के नाम पर लगाएं, कुछ बनने वाला नहीं है। अगर बनने वाला होता तो फिर उनमें असंतोष होने की जरूरत नहीं थी।

आज गरीबों में असंतोष का मुख्य कारण आर्थिक विषमता है। इतने वर्षों की आजादी में हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जो तरक्की हुई है उससे इंकार नहीं किया जा सकता। उनमें बड़े–बड़े अधिकारी हुए हैं लेकिन उन्हीं लोगों का एक सर्कल

बन गया है। उन्हीं के हाथ में पैसा जाता है चाहे आरक्षण का मामला हो या कोई और मामला हो। आप सर्वेक्षण करे कि आरक्षण का फायदा किनको जा रहा है।

उन पिछड़ी जाति के लोगों की आज भी वहीं हालत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए आरक्षण के प्रावधान को सही ठहराया है लेकिन अगर उन गरीब लोगों के बच्चों के लिए स्कूल नहीं रहेंगे, उनके लिए अच्छे अध्यापक नहीं रहेंगे, अध्यापक गांवों में नही जाएंगे तो फिर उनको क्या लाभ होगा? मण्डल आयोग की वजह से इतना खून-खराबा हुआ, लेकिन उनको इससे क्या हासिल हुआ? इससे तो जो लोग लोक सभा में है, विधान सभा में हैं या बड़े अफसर हैं उन्हीं को फायदा होगा। लेकिन यदि सचमुच में गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ दिलाना है तो उन सबके लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज वह व्यवस्था नहीं है।

आज देश में शिक्षा का एक नया सिलसिला चल गया है। आज सब जगह प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। यहां तक कि गांवों में भी इस प्रकार के स्कूल खुल गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों का क्या महत्व रह गया है? लेकिन गरीब, जो 99 प्रतिशत गांवों में रहते है, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे कहां जाएंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उनको आप कैसे लागू करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आप इसकी देखरेख करने के लिए एक कमेटी नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सही मायने में क्या हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि हमने इतना खर्च किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने खर्च नहीं किया, लेकिन यह खर्च किस पर हो रहा है? यह खर्च मुट्ठी भर लोगों पर हो रहा है। आज देश के नौजवान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नौजवान और पिछड़ी जाति के नौजवान एक जगह संगठित और हथियारबंद हो रहे हैं। मेरे यहां पर प्रतिदिन दो-चार हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यह क्या हो रहा है?

एक माननीय सदस्य : वहां आपकी ही सरकार है।

श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह : बिहार की ही बात नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो या और कोई जगह, सब जगह यही हाल है।

इन सबके पीछे जो कारण है वह है आर्थिक विषमता। अगर आप उन लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाएंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उन पर ज्यादती नहीं होगी। अगर उनका आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो आप लाख कानून बना दीजिए कुछ नहीं होगा।

आपने यहां पर एकछत्र राज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटा नागपुर, जिसको झारखंड कहते हैं, आज भी वहां महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं दो-चार महीने के बच्चे को पीठ पर बांधकर काम करती हैं। उनकी देश के प्रति क्या भक्ति रहेगी? लेकिन उनके पास आज भी देशभक्ति है और जो देश से फायदा उठाते हैं, जो देश को खा रहे हैं वे देश की सुरक्षा को दुश्मनों के हाथों बेच देते हैं लेकिन वे गरीब देश के लिए जान दे सकते हैं। गरीब ही देश के लिए लड़ता है, मरता है। आप कहते हैं कि हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं?

मैं उड़ीसा में टीम के साथ घूमने गया था। मैंने वहां देखा कि वहां छोटे-छोटे बच्चों को एक पत्थर जैसी प्याज की शक्ल की जड़ी उबालकर खिलायी जाती है। इस देश में एक तरफ कुत्ते मलाई खा रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश के भाग्य विधाता क्या खा रहे हैं? अगर इस तरह से विषमता रहेगी तो किसी का भला नहीं हो सकेगा।

4.00 म. प.

आखिर आज क्यों राष्ट्रीय धारा से ये लोग कटते जा रहे हैं। आपकी नींद अब तो खुलनी चाहिये। आप नौजवानों को राष्ट्रीय धारा में लाने का काम करिये। सबसे पहली व्यवस्था आपको यह करनी चाहिये कि उनकी पढ़ाई के लिये गांव के स्कूलों में उचित इंतजाम करें। आप कह सकते हैं कि यह राज्य सरकारों का काम है, मैं मानता हूं कि यह राज्य सरकारों का काम है लेकिन जब आन्दोलन होता है तो गरीब राष्ट्रीय धारा से और ज्यादा कटते जाते हैं जिनको दबाने के लिये आप फिर फौज भेजते हैं जो उन पर गोलियां चलाने का काम करती है।

इसलिये मैं कहूंगा कि उन गरीबों के लिये आप जो धन देते हैं, वह धन उनके हाथों में जाये, इसके लिये आपको सोचना है। आज बीच में जिस तरह से सभी लोग बैठे हैं, अधिकारी या बिचोलिये गरीबों के लिये दिये गये धन को खा जाते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि गरीब गरीब ही बना रहता है, फकीर ही बना रहता है, निरक्षर ही बना रहता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। इतना ही कहते हुये मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर गौर करें और केवल भाषण या बहस करके ही इस मामले को न छोड़ें बल्कि इससे आगे की कार्यवाही भी करें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, मैं माननीय अन्वारासु जी के संकल्प का स्वागत करता हूं। काफी उचित समय पर उन्होंने यह संकल्प सदन के सामने रखा है परन्तु ऐसा लगता है कि पिछड़ी जातियों की समस्याओं के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इस समय पिछड़ी जातियों के लिये जिस आयोग का गठन किया गया है, यदि हम देखें कि उसे काम क्या सौंपा गया है, मेरी समझ में नहीं आता कि जो काम अब उसे सौंपा गया है, वह काम काफी पहले हो जाना चाहिये था। इस आयोग के कार्यों के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा गया है :

[अनुवाद]

"यह आयोग किसी भी वर्ग से संबंधित नागरिक को इस सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के अनुरोध की जांच करेगा

तथा किन्हीं पिछड़े वर्गों के ऐसी सूची में अधिक अथवा कम संख्या में शामिल किये जाने संबंधी शिकायतों को सुनेगा तथा केन्द्रीय सरकार को, जो यह उचित समझेगा, वह सलाह देगा।"

[हिन्दी]

सभापति जी, मेरा कहना है कि आजादी के बाद पिछड़े वर्गों के संबंध में जितने भी कमीशन गठित हुये, उन सबने यही सलाह और सुझाव दिये। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इस आयोग को वे बहुत सी सुविधायें भी मिलती जो सुविधायें एस सी एस टी से संबंधित आयोग को, महिला आयोग को, अल्पसंख्यक आयोग को आज प्राप्त हैं और यह आयोग भी पूरी सुविधाओं के साथ काम करता। इस आयोग को केवल यही काम सौंपा गया है कि कौन सी जातियां इसमें जोड़ी जाये और कौन सी जातियां न जोड़ी जायें और उसे भी अब तक तय नहीं कर पाया है।

सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि कई राज्यों ने अभी तक इन जातियों का आइडैन्टिफिकेशन भी नहीं किया है। आइडैन्टिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया आती है लेकिन उसके लिये कोई समय–सीमा तय नहीं की गयी है। मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी सदन में मौजूद है, वे इस बारे में एक समय–सीमा निर्धारित करे और देखें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इन जातियों की आइडैन्टिफिकेशन का काम भी पूरा नहीं किया है और इसके बाद वे नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही कब तक पूरी करेंगे। जब तक पहले चरण का काम पूरा नहीं होगा उस समय तक दूसरे चरण की प्रक्रिया सही अर्थों में कैसे शुरू की जा सकती है।

अभी मेरे बहुत से साथियों ने यहां विभिन्न आयोगों की चर्चा की कि उनका किसी भी प्रकार से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पैसा तो मिलता है परन्तु वास्तव में सही अर्थों में वह पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता जिसके लिये उस पैसे का उपयोग होना चाहिये। जिस हिसाब से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में हमने व्यवस्था बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सारा पैसा केवल चन्द लोगों के हाथ में चला जाता है और वे लोग अपने हिसाब से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो पैसा यहां से दिया जाये उसकी सही तरीके से मोनिटरिंग की जाये और देखा जाये कि कैसे हम अपनी योजनाओं के जरिये अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

जहां तक मैं समझता हूं पिछड़े वर्गों के साथ निरंतर उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है। हम लोगों ने लोक सभा में लगातार कई सत्रों तक यह मांग की कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया जाये परन्तु कहने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया गया। अब जब कि आरक्षण दे दिया गया है परन्तु उसको मिलने वाली दूसरी सुविधायें नहीं दी गयी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्री–परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये मिलने वाली आयु संबंधी छूट नहीं दी गयी परन्तु जब यहां सांसदों ने शोर मचाया, इधर–उधर से सरकार पर दबाव पड़ा तो बाद में सूची जारी की गयी। पूरे एक महीने के बाद, जब सूची जारी की गयी तो उसके लिये बच्चे कैसे तैयारी कर सकते थे क्योंकि शायद कल से मुख्य परीक्षाएं भी प्रारम्भ हो गयी हैं। मेरी मांग है कि आयु सीमा की छूट के बारे में माननीय मंत्री जी को स्पष्ट दिशा–निर्देश देने चाहिये।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ सारी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस हिसाब से बात नहीं कर रही है। अभी इंजीनियरिंग की जाइंट परीक्षा का विज्ञापन निकला हुआ है जिसके फार्म भरे जा रहे हैं और परीक्षा 1995 में होगी। उसमें एस.सी.एस.टी. के आरक्षण की बात तो कही गई है, लेकिन ओ.बी.सी. के आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा। आपने आ.बी.सी. के लोगों का कोई भविष्य निर्धारित नहीं किया है।

जो पिछड़े लोग हैं वे गावों में रहते हैं। हमारे पास अनेक लोग गावों से आते हैं। मेरे पास कुछ दिन पूर्व भी एक शिष्ट मंडल मिलने आया था। गावों में जो कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों के रूप में ओ.बी.सी. के लोग काम करते हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्तूबर 1994 में जो ए.आर.एस. की परीक्षाएं हुई, उनमें ओ.बी.सी. का आरक्षण नहीं हुआ। सरकार यहां कुछ कह जाती है और अमल में उसको नहीं लाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इंजीनियरिंग की परीक्षा जो 1995 में होने वाली है और जिसके फार्म अब भरे जा रहे हैं उसमें ओ.बी.सी. के परीक्षार्थियों को आरक्षण देने जा रही है या नहीं तथा जो कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनको इस आरक्षण की सुविधा देंगे या नहीं? एक तरफ तो आप सुविधाएं देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक के बाद एक आयोग बनाते जाते हैं और ओ.बी.सी. के लोगों को कोई आरक्षण की सुविधा नहीं देते हैं, तो कैसे इनका भला होगा। आप अभी से जो आई.टी.आई. की इंजीनियरिंग परीक्षा 1995 में होने वाली है उसमें ओ.बी.सी. के आरक्षण की घोषणा कीजिए, तब कहीं इनको इसका लाभ मिल पाएगा। मैं इस विषय पर तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार यहां सदन में आकर आश्वासन तो दे देती है, लेकिन उसके ऊपर कार्यान्वयन नहीं करती है।

सभापति महोदय, आज उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के मांग पूरे देश में चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। समूचे उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घाषित करने और उसके अनुरूप योजना बनाकर उस क्षेत्र के उत्थान की बात आज से 15–20 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज तो यह सरकार हर बात में कह देती है कि हम तो कोर्ट की बात मानेंगे, लेकिन 15–20 साल पहले कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, उसका पालन भी यह सरकार नहीं कर सकी है। मुझे तो इस सरकार के व्यवहार को देख कर ऐसा लगता

है जैसे यह सरकार समस्याओं को सुलझाने के बजाय समस्याओं को उलझाने में ज्यादा रुचि लेती है। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले से ही कार्यान्वयन किया गया होता, तो आज उत्तराखंड की यह समस्या खड़ी नहीं होती।

सभापति महोदय, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी समस्या अलग प्रकार की होती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई नाहीं की है। आज तो स्थिति यह है कि शहर और गांव के रहन–सहन में अन्तर बढ़ता जा रहा है। आज शहरों में रहने के तौर–तरीकों और गावों में रहने के तौर–तरीकों में बहुत अन्तर आता जा रहा है। जहां शहर आगे बढ़ते जा रहे हैं वही गांव पीछे होते जा रहे हैं और इस खाई को और बढ़ा रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं, उसको अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और इस अन्तर को हमें कैसे दूर करना है, उसके अनुसार योजना बनाकर काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज शहर और गांव में रहने वाले ओ.बी.सी. के बच्चों में बहुत अन्तर है। गांव में रहने वाले ओ.बी.सी. के बच्चों का शैक्षिक स्तर कैसे ऊंचा होगा, कैसे उसे डाक्टरी एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा देकर ऊंचा उठाएंगे, कैसे उसे उच्च शिक्षा देकर विदेश में भेजेंगे, इन सब बातों के ऊपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : आपकी पार्टी वाले रोकते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : आप पूछिए कि ये काम क्यों नही करते हैं। हमारी पार्टी ने किसी को कभी भी पिछड़े लोगों के उत्थान के काम करने से नहीं रोका है। यह तो आपकी ही पार्टी है, जो इनके उत्थान की बात तो यहां कह देती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। आप इनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नहीं। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो इनसे पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सम्पूर्ण उत्तराखंड को पिछड़ा मानकर उसके उत्थान के लिए कार्य करने का फैसला दिया था, तो वह काम क्यों नही किया। आपकी पार्टी तो वोट लेने के लिए काम करती हैं। आप इनसे पूछिए कि इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ओ. बी.सी. की आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की और जो कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं उनके आरक्षण की क्या व्यवस्था की है और विदेशों में इन लोगों को भेजने के लिए उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रह हैं? यह भी एक अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश किया है। उन्होंने अवश्य इस बात को ध्याने में रखा होगा कि अभी तक हमारी पार्टी ने जो काम इन लोगों के उत्थान के लिए किए है वे पर्याप्त नहीं है। तभी वे इस विधेयक को लाने के लिए बाध्य हुए होंगे।

सभापति महोदय, इतना कहते हुए मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत सारे आयोग बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनके संचालन की कोई ठीक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अभी आपने एक कोल परिषद् बनाई है। उसके लिए रुपए की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उस रुपए का उपयोग कैसे होगा, इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस क्षेत्र में एस.टी. से सम्बन्धित लोग रहते हैं, लेकिन आपकी सरकार के इस परिषद् को बनाने एवं व्यवस्था ठीक़ नहीं कर पाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जो एस.टी. के लोग हैं इनको अपना पैसा मिल भी पाएगा या नहीं या केवल वह पैसा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जेबों में ही जाएगा, उनके ही मकान बनाने के काम में आएगा। जिन को वास्तव में इस पैसे की जरूरत है, उनको यह मिल पाएगा या नहीं, इसके विषय में भी आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है। इस पर ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोगों ने ही बोला है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब इस पर चर्चा चल रही थी तब विपक्ष ने वाक–आउट किया हुआ था।

सबने उन कमियों की जानकारी से अवगत करवाया था। मेरा आग्रह है कि आप इसपर विचार करें। यदि वास्तव में सरकार की नीयत साफ है, सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को सही ढंग से हल करना चाहती है तो एक निश्चित समय में जातियों की पहचान कर ले। एक सर्वरूपता लाई जाए और उसके हिसाब से इस पर विचार किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा में पहले आरक्षण नहीं दिया तो 12 प्रतिशत लोग ही आए। बाद में जब हमने कहा तो उसमें 15 प्रतिशत और जोड़े गए। पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या 52 प्रतिशत से ऊपर है और आप 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं और उसे भी बराबरी से लाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप तत्काल यह घोषणा करें कि इंजीनियरिंग की परीक्षा में आरक्षण की बात हो, कृषि वैज्ञानिकों की परीक्षा में भी आरक्षण दिया जाए तभी वास्तव में हमारी जो नीयत है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो हम सही दिशा देना चाहते हैं, उसके हिसाब से चले पाएंगे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ 2–3 बातें ही कहनी हैं। पहली बात मैं कांग्रेस सरकार से यह कहता हूं कि सफाई मजदूरों को पैन्शन मिलनी चाहिए। वे सड़के साफ करते हैं, गन्दगी उठाते हैं और सबसे ज्यादा भलाई का काम करते हैं लेकिन उनके पैन्शन नहीं मिलती। उसमें ज्यादातर लड़कियां और औरतें काम करती है। जब वे काम के काबिल नहीं रहती तो मांगने पर मजबूर हो जाती हैं।

दूसरी बात यह है कि गांवों में हरिजनों को दो महीने ही मजदूरी मिलती है जब वहां धान की कटाई होती है, बाकी के दस महीने उनके पास कोई काम नहीं होता। तब वे मवेशी रख लेते है। मेरा कहना यह है कि उनको गाय, भैंस खरीदने के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाना चाहिए। जो समय से लोन न दे, उससे आप ब्याज ले सकते हैं।

दूसरी बड़ी बात यह है कि हरिजनों का जिक्र होता है लेकिन कांग्रेस के लोग तो केवल वोट लेना जानते हैं। 15–20 दिन पहले की बात है, अनुसूचित जाति के वैल्फेयर मंत्री पहले एक शहर में

गए और उसके बाद गांव में गए। उन्होंने वहां पब्लिक मीटिंग को ऐड्रैस किया, लोगों से भी बात की। मैंने उनसे पूछा कि पंजाब में हरिजनों के कितने बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि 9 लाख बच्चों को वजीफा मिलता है। वहां दो करोड़ की आबादी है जिसमें से 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग हैं। मंत्री जी सुन लेते हैं और बोल देते हैं, इनको कुछ करना ही नहीं आता तो क्या करेंगे। वहां पर सिर्फ एक लाख अनुसूचित जाति के बच्चों को वजीफा मिलता है, 8 लाख बच्चे, जिनकों वजीफा मिलता है, वे दूसरी जाति के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास के लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों को अलग-अलग वजीफा मिलना चाहिए।

पंजाब में एक कमोव जाति है।

उनमें से हर एक के पास जमीन है, कोई जमीन के बगैर नहीं है। वह हरिजनों से नफरत करते हैं, उनके कुंओ का पानी नही पीते और उनको पानी पीने नहीं देते हैं लेकिन वह भी हरिजनों के वजीफे ले जाते हैं। जो वजीफे बैकवर्ड क्लासेज के और शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, उनके लिए बिल्कुल अलहिदा-अलहिदा रकम मखसूस करो। जितने शैडयूल्ड कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए अलहिदा रकम मखसूस करो, उनसे रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि हम 9 लाख बच्चों को वजीफा देते हैं। यह तो कमाल कर दिया। कोई देखे तो 9 लाख तो पंजाब में शैड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे है ही नहीं। उनके नाम पर सब दूसरे वजीफा ले जाते हैं।

घर बनाने वास्ते यह जमीन खरीद नहीं सकते। जमीन की कीमते पंजाब में 4-5 लाख रुपये एकड़ तक हो गई है। इसके कारण जिनके पास घर नहीं हैं, वह मकान नहीं बना सकते। पटियाला में लाहौरी गेट पर एक भंगी कालौनी है और एक धीरू की माजरी भंगी कालोनी है, दो भंगी कालोनियां हैं। उन दोनों कालोनियों की 10 हजार वोट हैं। वहां मैं आज से 50 साल पहले जाया करता था तो वहां सूरत राम नाम का एक सोशलिस्ट लडका था, वह बाद में हमारे में मिल गया था। उसका घर बाल्मीकियों के हरिजन मंदिर के पास ही है। उसके घर में 12 जीव हैं और 10×10 का एक कमरा है। पचास साल पहले भी एक कमरा था और आज भी एक कमरा है। उसके घर में उसकी घरवाली सैकिण्ड डिवीजन में मैट्रिक पास है, उसकी बहन फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास है, उसका लड़का सैकिण्ड डिवीजन में मैट्रिक पास है। उस सूरत राम वाल्मीकि के 3 लड़के-लड़कियां पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी को नौकरी नहीं मिली। इन लोगों को नौकरी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह पढ़े पढ़ाये घर में बैठे हैं और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। स्वीपर के काम के लिए जिसको सड़क मिली हुइ है, उसी को मिली रहती है, दूसरा तो उस पर जा ही नहीं सकता और नौकरियां उनको मिल नहीं पाती।

मैं तो कहता हूं कि जो मैट्रिक पास हो गये हैं, उनको नौकरियों पर क्यों नहीं लगाया जाता। वह कहते हैं कि पंजाब के पास रुपया ही नहीं है तो नौकरियां कहां से दे। मैने तो यह मिसाल दी है। पटियाला शहर 8 रियासतों की राजधानी रही है, वहां बाल्मीकियों के पहले ही घर की यह हालत है कि न उनके पास मकान हैं और एक घर में ही 12 जीव रहते हैं। कोई चारपाई पर पड़ा है, कोई दरी बिछाकर कहीं लेटा पड़ा है, कोई कहीं लेटा पड़ा है, उनकी यह हालत है। आज हिन्दुस्तान की क्या हालत है? हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 47 साल हो गये तो भी उनकी यह हालत है। सरकार को उनको मकान बनाने के लिए जगह देनी चाहिए और उनको मकान बनाकर देने चाहिए। उनके जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनकी नौकरियों का प्रबंध किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जिस सूबे में सरकारी जमीने हैं, वह उन्हें देनी चाहिए। पंजाब में यह बात बहुत अच्छी की है कि जब पेप्सू में कर्नल रघुवीर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो 50 हजार एकड सरकारी जमीन उन्होंने हरिजनों को दे दी। सरदार प्रताप सिंह कैरो जब चीफ मिनिस्टर थे तो एक लाख एकड़ जमीन पडी हुई थी, वह सरकारी जमीन उन्होंने 90 गुना लैण्ड रेवेन्यू या 200 रुपये एकड के हिसाब से हरिजनों को दे दी। अब जो बाकी जमीनें पडी हुई है, जो आबाद नहीं हैं या जो आबाद हो रहीं हैं, वह सरकार के नाम पर है, वह भी सरकार को हरिजनों को दे देनी चाहिए, इसमें नरसिंह राव जी को क्या होता है। नरसिंह राव जी के पास से तो नहीं जाती, वह कह दे कि बाकी जमीन हरिजनों को दो।

सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेसी मुझसे नाराज भी होते हैं, मैं तो नाराजी की बात नहीं करता, हम तो हाथ पकडकर इनसे मांगते है कि 42 साल से वोट तो हम डालते है, पंजाब में दो ही कम्युनिटी है, बाल्मीकि और मजहबी रमदासिये, वोट तो वह डालते हैं और कांग्रेसी कैण्डीडेट को जिता देते हैं लेकिन गांव में कोई कांग्रेस का कैण्डीडेट आता है तो वह आकर बनिये की दुकान पर बैठ जाता है, वहां चार आदमी इकट्ठे कर लेता है, फिर सरपंच के पास चला जाता है, वहां 10 आदमी इकट्ठे कर लेता है, जब वह हरिजन बस्ती के पास से जाता है तो सोचता है कि यह तो वोट डालते ही है, इनसे क्या कहना है, चलो यहां से चलें। वहां के लोगों को कैण्डीडेट का भी पता नहीं है लेकिन वह कांग्रेस को वोट डालते रहे हैं।

शहरों में सतीश शर्मा जी ने मेरे कहने से अब मेहरबानी की है कि कुछ पेट्रोल पम्प उनको दिये हैं।

वहां हरिजनों के लिए रिजर्व किये हैं। जहां-जहां पेट्रोल पम्प खोले हैं, वहां से जाट लोग एक-एक महीने का पेट्रोल और डीजल इकट्ठा ले जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। इसको आप देखें। जहां-जहां पेट्रोल पम्प खुले हुए हैं, वे सब हरिजनों को दे दिये जाये और गैस की ऐजेसियां भी हरिजनों को दे दी जायें। जिन हरिजनों के बच्चों कों इसका बिजनेस करना नहीं आता है, उन्हें इसका बिजनस करना सिखाये। जिन हरिजनों के बच्चे पढे-लिखे नहीं हैं उनको चाहे पैट्रोल पम्प और गैस की ऐजेसियां मत दें लेकिन जिन हरिजनों के बच्चे बी. ए. पास हैं, उनको पेट्रोल पम्प और गैस की ऐजेसियां अवश्य दी जायें।

पंचों और सरपंचों को आपने एक-एक लाख रुपये गांवो के सुधार के लिए दिये हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इन पैसों से गांवों का सुधार नहीं किया है, लेकिन हरिजनों की बस्तियों का कोई सुधार नहीं किया है। 25 परसेंट पैसा हरिजनों की बस्ती का सुधार

करने के लिये रखना चाहिये। हरिजन लोग अभी भी गन्दे पानी और नालियों के बीच रहते हैं। उनके रहने के लिए धर्मशाला भी नहीं है। पहले सरकार ने उनके लिए धर्मशाला बनायी थी लेकिन अब बस्तियां काफी हो गई हैं। एक धर्मशाला से काम नहीं चलता है। वह 2–3 होनी चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है है कि जो फैसले और वायदे किये हुए हैं, उन पर सरकार को अमल करना चाहिये। इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : सर्वप्रथम, तो हमें श्री अन्बारासु जी को यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई देनी चाहिए। इसके साथ ही, मैं अपनी सरकार को भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के लिए बधाई देता हूं। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब, क्या आप अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। इस विधेयक के मामले में नहीं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अगला संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आज ही लिया जाना चाहिए।....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सभा का मत प्राप्त करूंगा।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : महोदय, इस आयोग के उद्देश्य एवं इसे प्रदान की गई शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। महोदय, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का अधिनियमन अन्य वर्गों की सूची में किसी जाति अथवा किन्हीं समुदायों को शामिल करने अथवा इस सूची में से निकालने हेतु समय–समय पर सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय–स्तर पर एक स्थाई निकाय के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए किया गया है। सामान्यतया इस आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य है। इस आयोग का गठन 14 अगस्त, 1993 को किया गया है तथा न्यायमूर्ति श्री आर.एन. प्रसाद (रिटायर्ड) को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इस आयोग को अत्यंत सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। हम अपने देश में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी संख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 50 से 55 प्रतिशत है। इनमें से अधिकतर लोग गरीब हैं। हमारे पास भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन इन लोगों की स्थिति सुधारने एवं मूलतः इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं विद्यमान हैं। हमें पिछड़े वर्गों की समस्याओं से निबटना है। इसके लिए हमें निश्चित रूप से आरक्षण करने की आवश्यकता है तथा उनकी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए भी हमें उन्हें रोज़गार प्रदान करना होगा चाहे वह सरकारी संस्था में हों अथवा उद्योगों में हों अथवा स्व–रोजगार के माध्यम से हों।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया था कि बैंक अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कल बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं एवं बैंकों को भेजी जाती हैं, बैंक उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। महोदय, शायद कुछ हद तक यह सही है। लेकिन मुझे अपने राज्य एवं अपने ही जिले का यह अनुभव है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए लोगों की पहचान कर ली जाती है। यहां तक कि आजकल इस प्रयोजन हेतु राजसहायता भी नियत की जाती है तथा आवेदक का नाम बैंक के पास भेज दिया जाता है। लेकिन मुझे अत्यंत खेदपूर्वक यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि बैंक इन उद्यमियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसा न केवल पिछड़े वर्गों बल्कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी हो रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुंदायों के मामले में, निगमें प्रारंभिक धन देने हेतु आगे आ रही हैं। वे मार्जिन राशि देने के लिए भी इच्छुक हैं। शेष 75 से 80 प्रतिशत तक की शेष धनराशि देना बैंकों पर निर्भर है। लेकिन बैंक किसी वजह से इन वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में निश्चिन्तता अनुभव नहीं करती। इन वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना देश एवं बैंकिंग संस्थाओं के लिए बाध्यकारी है। आज सुबह ही मंत्री महोदय ने सभा में यह कहा है कि सरकार प्राथमिकता क्षेत्र–जिसमें कमजोर वर्ग भी शामिल हैं–को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

अतः, मात्र इसके कार्यान्वयन के प्रश्न का समाधान किया जाना ही शेष है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस संबंध में नीतियां अच्छी प्रकार से निर्धारित की गई हैं, सरकार की तरफ से भी यही वचनबद्धता है तथा राजनैतिक मंशा भी यही है। लेकिन जब इसके कार्यान्वयन का प्रश्न आता है, तो इसमें बहुत–सी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण को उद्धृत करते हुए, प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा था कि आज तक अर्थात राष्ट्रपति के अभिभाषण तक रोजगार योजना से एक लाख युवकों को सहायता मिल जानी चाहिये थी,–लेकिन इस योजना से वास्तव में केवल 6000 युवकों को ही लाभ मिल पाया है। एक लाख लोगों को इसका लाभ मिल जाना अपेक्षित था, जबकि इसकी तुलना में केवल 6000 लोगों को ही वास्तविक रूप में सहायता मिल पाई है। उस समय प्रधान मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इस स्थिति में सुधार हो जायेगा।

जब हमने संबंधित संस्थाओं एवं युवकों से पूछताछ की, तो हमें यह पता चला कि जब जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऐसे युवकों की पहचान की जा रही थी, तो बैंक सहित अनेक विभाग चयन की प्रक्रिया में संलग्न थे। लेकिन अंत में जब वे बैंक के पास जाते हैं तो बैंकर्स अनेक आधारों पर धन उपलब्ध कराने से इनकार कर देते हैं। वे यह दलील देते हैं कि रिजर्व बैंक की नीति भिन्न है इत्यादि, इत्यादि। एक बार युवाओं का पता लगाकर उन्हें दर–बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और उन्हें अपना बहुत सारा समय और शक्ति बर्बाद करनी पड़ती है। उनकी बड़ी–बड़ी उम्मीदें अंत में धूल में मिल जाती हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नीतियों को गंभीरता से कार्यान्वित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। योजनाएं बहुत

अच्छी हैं। लेकिन उन्हें वास्तव में कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है? यदि आप कार्यान्वयन पहलू की निगरानी के लिए इस पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को कुछ शक्तियां दें, तो इससे बहुत सहायता मिल सकती है। मैंने गुजरात से प्राप्त एक रिपोर्ट देखी है जिसमें आयोग के अध्यक्ष ने विस्तार से यह उल्लेख किया है कि गुजरात में क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उन्हें यह सब करने की शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने केवल पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो कुछ किए जाने की आवश्यकता है, उस पर टिप्पणी की है। यदि आयोग को कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं, तो इससे बहुत हद तक सहायता मिलेगी। अन्यथा, आप किसी दूसरे तंत्र के बारे में सोच सकते हैं जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए और लोगों को उनसे वास्तव में लाभ प्राप्त हो। यदि इसे वास्तव में हासिल किया जाए, तो हम गरीबी–रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सहायता कर सकते हैं और उन्हें निश्चित रूप से गरीबी–रेखा से ऊपर लाया जा सकता है।

महोदय, कर्नाटक में अधिकांश पिछड़े वर्ग मछुआरे, "इडिगास", "टोड़ी टेप्पर्स" तथा "गोलास" इत्यादि हैं। ये लोग प्राचीन काल से इन व्यवसायों को करते आ रहे हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि उन्हें यह व्यवसाय छोड़ देने चाहिए। लेकिन उन्हें शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वे लोग उन्हीं व्यवसायों को करते रहना बुरा नहीं मानेंगे। अन्ततः यह आयका प्रश्न है। शिक्षा और आय से सामाजिक स्तर में भी सुधार होता है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में दिए गए सुझावों को स्वीकार करें। मैं इस संकल्प को लाने के लिए माननीय सदस्य श्री अंबारासु को भी बधाई देता हूं। मैं मंत्री महोदय से हस संकल्प को स्वीकार करने का पुनः आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : जहां तक इस विषय के लिए आबंटित किए गए समय का संबंध है, वह समाप्त होने वाला है। इस वाद–विवाद में तीन और सदस्यों को भाग लेना है। क्या हमें इसके लिए आधा घन्टा समय और बढ़ाना चाहिए?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मेरा सुझाव है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और वाद–विवाद को समाप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : उन तीन सदस्यों का क्या होगा जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मेरा अनुरोध है कि उन्हें दो–तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए ताकि हम दूसरी मद पर विचार आरंभ कर सकें।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि इस संकल्प के लिए आधा घंटा समय और बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में विस्तार के संबंध में संकल्प का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस संकल्प का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करना और नितांत रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यों की निगरानी के लिए एक संसदीय समिति भी नियुक्त करना है।

महोदय, जहां तक इस आयोग का संबंध है, इसे बहुत कम और सीमित शक्तियां दी गई हैं। उसका काम पिछड़े वर्ग के समुदायों का पता लगाना और उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना या उससे निकालना है। इस आयोग को दी गई यह एक बहुत ही सीमित शक्ति है। इसे पिछड़े वर्गों, जो कि जनसंख्या का 52 प्रतिशत हैं, की अनेकों समस्याओं से निपटने हेतु पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। लेकिन दूसरे आयोग जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी ऐसी शक्तियां दिया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह आयोग, इन शक्तियों के साथ उन अनेकों समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनका पिछड़े वर्ग सामना कर रहे हैं। इस आयोग को पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति और समस्याओं से निपटना या उन पर निगरानी रखना संभव नहीं है। हांलाकि इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वे सवर्ण वर्गों से बहुत पीछे हैं।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट केवल नौकरियों में आरक्षण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इन लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना और इनका आर्थिक विकास है। अतः, इस आयोग की शक्तियों का विस्तार करना और उनमें वृद्धि करना आवश्यक है ताकि यह आयोग पिछड़े वर्गों के उत्थान की निगरानी कर सके। केवल नौकरियों में आरक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें उचित शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, उच्च नौकरियों में उन्हें योग्य कर्मियों की आवश्यकता होगी और इसके लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे अध्यापकों की पर्याप्त संख्या सहित अच्छे विद्यालयों की आवश्यकता होगी। जहां तक पिछड़े वर्गों का संबंध है, वे ऐसे गांवों में रहते हैं जहां विद्यालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहां पर पर्याप्त अध्यापक भी नहीं हैं। विद्यालय भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अतः, स्कूलों कालेजों और व्यावसायिक कालेजों में भी, उनके दाख़िले के लिए आरक्षण करना होगा।

अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सरकार ने अनेक गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाए हैं। यह देखना होगा कि क्या ये कार्यक्रम और नीतियां अपेक्षित स्थानों और लोगों तक पहुंच रहीं हैं या नहीं। इन कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन एक ऐसा मामला है जिस पर गौर करना होगा। यदि निर्णयों, कानूनों और कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जाता है, तो उनका उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा।

दूसरी बात जो मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित शेष लाभ जैसे आयु में छूट और छात्र कितनी बार परीक्षा में बैठ सकता है, नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि यह छूट इस प्रकार से दी जाए कि इससे इन वर्गों का अधिक से अधिक हित हो।

कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें रह रहे अधिकांश लोग प्रगति करें। क्योंकि अधिकांश जनसंख्या पिछड़ी हुई है, इन लोगों को अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए कदम उठाने होंगे।

मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, जिन्हें मेरे पूर्व वक्ता पहले ही बता चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में सवर्ण जातियों और पिछड़ी जातियों के प्रतिशत में बहुत बड़ा अन्तर है। इसमें स्पष्ट असमानता है। अतः, सवर्ण वर्गों के बराबर सरकारी नौकरियां प्राप्त करने लिए पिछडे वर्गों को संरक्षण देना होगा। यदि सरकारी नौकरियों के लिए इन जातियों के उचित उम्मीदवार नहीं हैं, तो उनके लिए सरकारी नौकरियों में कम–से–कम तीन वर्ष तक स्थान रिक्त रखने होंगे जैसाकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किया जाता है। रोस्टर प्रणाली को अपनाना होगा जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया जाता है।

ऐसी भी शिकायतें हैं कि बैंक पिछडे वर्गों के लोगों को उद्योग लगाने के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन बातों पर विचार करना होगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाता है।

मैं अन्त में, मछुआरों की दयनीय स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें बहुत अधिक संख्या में मछुआरे रहते हैं। वे बहुत पिछड़े लोग हैं। वे लोग एक बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति में संकीर्ण जगहों पर रहते हैं। उनकी साक्षरता दर बहुत कम है और वे बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति में रहते हैं। बेहतर अवसर और लाभ देकर ऐसे लोगों को अन्य सवर्ण वर्गों के लोगों के बराबर लाना होगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का जोरदार ढंग से समर्थन करता हूं। इस देश में पिछड़े वर्ग की साठ प्रतिशत आबादी है। उसमें लगभग 55 प्रतिशत आबादी गरीबी की तबाही से गुजरती रहती है और यह शहर में नहीं बल्कि अति पिछड़े इलाके गांव एरिया में ही रहती है।

महोदय, मंडल आयोग कमीशन बनाया गया था, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी वह लागू भी हुई लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पिछड़े वर्गों की पहचान तक नहीं की गई, जब कि भारत सरकार ने उस पर कडे निर्देश दिए हैं जैसा मैं जानता हूं। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं?

जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है, आज से नहीं, मुझे लोक सभा का पिछले 8–9 वर्षों का अनुभव है, यहां पर अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्गों के बारे में चर्चाएं तो बहुत बार हुआ करती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में, सच्चाई में इन वर्गों की समस्याएं दूर नहीं हो पातीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया, लेकिन इस आयोग की शक्तियां सीमित रखी गईं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया दखल मत दीजिए, समय नही है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : पिछड़े वर्ग की इतनी बड़ी जनसंख्या है और इस वर्ग के लिए आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। मैं मांग करता हूं कि पिछड़े वर्गों से संबंधित भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सबको इस आयोग के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि यह आयोग स्वतंत्र रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम कर सके।

सभापति महोदय, समय की कमी है, इसलिए मैं 2–4 बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मेरे मित्र शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज पिछड़े इलाकों में जहां पर पिछडे वर्गों के लोग रहते हैं, वहां पर उनके विद्यालय भी पिछड़े हुए हैं। विद्यालयों के लिए भवन नहीं हैं। भवन हैं तो उनके ऊपर छत नहीं है। कई विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक हैं तो उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालय भी पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित साधनों की भी यही हालत है। इन सारे अभावों के बावजूद यदि पिछड़े वर्ग का कोई विद्यार्थी किसी तरह से शहर के अच्छे विद्यालय में पढ़–लिख जाता है और कालेज में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो कालेज में उसका नामांकन नहीं हो पाता है। हम लोग यहां पर एम पी हैं, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी का नामांकन कालेज में नहीं हो पाता है, उसके लिए वहां पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ये सारे अधिकार इस आयोग के निहित किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने जो सुझाव दिए हैं, मेरा अनुरोध है कि सरकार इन पर गंभीरता से ध्यान दे तथा अभी मंत्री महोदय जो वक्तव्य देंगे, उसमें इन सुझावों को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुक्तपुजा) : महोदय, मैं इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करने के लिए श्री अन्बारासु का धन्यवाद करता हूं जो कि इस संबंध में कुछ संशोधन तथा कुछ नए विधान सामने लाने

में सरकार के लिए उपयुक्त होगा। हम सब जानते हैं, जैसा कि सभी वक्ताओं द्वारा कहा गया है कि जबकि आयोग में इस ओर अच्छा कदम उठाया है, फिर भी आयोग को सौंपे गए अधिकार बहुत कम हैं और ठीक यही उस समय था। चूंकि आयोग एक विशेष उद्देश्य से गठित किया गया था और अधिकार की चारदीवारी के भीतर थे जो कि सीमित थे और वे समुदायों को यह सुझाव देने के लिए कि यह अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होंगे या बाहर रहेंगे, अपने अधिकारों के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। पिछडे वर्ग की सूची के संबंध में सुझाव देने के लिए इससे पहले भी अनेक आयोग थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1953 में तैयार की गई आयोग की प्रथम रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई थी चूकि वह लंबे समय तक सभापटल पर ही पड़ी रही थी। 1956 में आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फैंक दी गई और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। चूंकि बार–बार प्रयत्न किए गए और अब इस संबंध में हमारे पास कुछ सूत्र हैं। संविधान के अनुसार हम सब जानते हैं कि यह देखने के लिए कि जातिं आधार है कि क्या यह व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा एक विशेष पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आता है।

अनेक पहलुओं के कारण इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बीच अभी भी काफी लोग हैं जो कि अनेक क्षेत्रों में पिछडे हुए हैं और विशेषकर कि आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। हम आपको दिखा सकते हैं कि वैज्ञानिकों के बीच अभी भी अनेक पिछडे हुए लोग हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो कि वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आ सकते हैं। सेवाओं में भी अनेक पिछडे वर्ग के लोग हैं। अनेक पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं जो कि सेवाओं में सक्रिय हो सकते हैं। तो, यह मामला है, जिसपर कि गहराई से विचार करना है। कुछ आयोग होने चाहिए जो कि उपयुक्त सिफारिशें तैयार करें जिन पर कि संसद में विचार किया जाए।

श्री अन्बारासु ने इस उद्देश्य के लिए समय–समय पर गठित विभिन्न आयोगों को रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का सुझाव दिया है। यह एक अच्छा सुझाव है। इससे भारत में काफी लोगों को उपयुक्त न्याय दिलाने में लाभ पहुंचेगा। यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त जो कि 22 प्रतिशत है, 52 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं। इसलिए, इन वर्गों के लोगों की समस्याओं पर ध्यान न देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हम इस संबंध में इससे भी अधिक कर सकते हैं।

मैं सरकार का तथा माननीय सदस्य का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आयोग गठित करने का सुझाव दिया। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि यहां तक कि इस आयोग में भी पिछड़े वर्ग के लोगों को सही प्रतिनिधित्व क्यो नहीं दिया गया है। ऐसे आयोग का अध्यक्ष भी पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा और वह है ईसाइयों के संबंध में जो अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, वे बहुत निर्धन हैं और उन्हें वे लाभ प्राप्त नही हो रहे हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्राप्त हैं। अब, सरकार कुछ विधान प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है और मैं समझता हू कि संसद में दिए गए आश्वासन और उत्तर के अनुसार उन्हें अनुसूचित जाति में कैसे शामिल किया जाए, इस संबंध में मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। उनके रहन–सहन के तरीकों में अथवा उनके विचारों में अथवा समाज द्वारा वे जिस नजर से देखे जाते हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है। इस पहलू पर कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह देखेने के लिए कि उन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शामिल किया गया है, उन्हें अपने कार्य की गति तेज कर देनी चाहिए और कुछ विधान प्रस्तुत करने चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में कुस्ता वर्ग पिछडे वर्ग में है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसी तरह से बिहार मे कुछ वर्ग हैं जो बिहार में तो पिछड़े वर्ग में हैं लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। जो वर्ग दो किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में है, उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग में है और जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मध्य प्रदेश के पिछडे वर्ग से ज्यादा कमजोर हैं उनके लिए कोई एकरूपता की स्थिति लाना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : महोदय, मैं श्री अंबारासु का बहुत आभारी हूं जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया और, अन्य माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। सदस्यों ने पिछड़े वर्ग समुदाय के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है और यह जोर दिया है कि इस आयोग को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। महोदय, पिछडे वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन उच्चतम न्यायालय में मंडल के मामले में निर्णय के समय किया गया था। मंडल के मामले में निर्णय को लागू करने तथा देश में पिछड़ी जातियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने इस आयोग का गठन किया है। मुख्यतः इस आयोग का गठन देश में कुछ जातियों को शामिल करने या कुछ जातियों को उस सूची में से निकालने के लिए किया गया है क्योंकि मंडल सूची में विनिर्दिष्ट अनेक समुदायों के अलावा भी राज्य की सूची में ऐसे अनेक समुदाय हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें इस सूची में शामिल नहीं किएं जाने के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चय ही, उन्हें न्याय पाने के लिए आयोग के समक्ष आना होगा। इस आयोग का यह मुख्य उद्देश्य है।

. मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि इस तरह के आयोग द्वारा पिछड़ी जातियों के हितों को संरक्षण मिलना चाहिए। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की सहायता करती आ रही है। देश में ऐसे कई राज्य हैं विशेषकर कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा अब उत्तर प्रदेश तथा

बिहार जो न केवल आरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के सामान्य विकास के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं जिस पर हमें गर्व है।

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री पी. वी. नरसिंहराव की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ी जातियों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में नौकरियों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर रही है। यह अवसर प्रदान करते हुए हमने अन्य समस्याओं को भी ध्यान में रखा है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि पिछड़ी जातियों का हित न केवल रोजगार में है बल्कि शिक्षा में भी है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि अनेक सरकारों ने न केवल रोजगार में ही आरक्षण का प्रावधान रखा है बल्कि शिक्षा में भी आरक्षण का प्रावधान रखा है इसी तरह से केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में भी इस प्रकार का अवसर प्रदान करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है।

4.55 म.प.

(श्री पीटर जी मरबनिआंग **पीठासीन हुए**)

मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि सेवाओं में अवसर मिलने से पिछड़ी जातियों को काफी मदद मिलेगी। इसलिए, हमने 200 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश में पिछड़ी जातियों के कल्याण और विकास के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने 30 नवम्बर तक 164.92 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये गये हैं। राज्य सरकारों से राज्य स्तर पर निगम स्थापित करने तथा राष्ट्रीय निगमों के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। राज्य स्तर पर निगमों ने अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। उसके आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इसका लाभ–प्राप्त हो सकेगा।

अब तक, स्वरोजगार मानदंडों द्वारा इन दो वर्षों में 99,876 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा प्रत्यक्ष अवसर प्रदान हुए हैं। इन अवसरों द्वारा अन्य 82,875 लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर 1,82,751 लोगों को राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह एक उपलब्धि है जो कि हमने अल्पावधि में प्राप्त की है। इस निगम ने वर्ष 1994 में विभिन्न राज्य स्तरीय निगमों को बहुत कम ब्याज दर पर 300 करोड रुपये के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्याज की दर 6 प्रतिशत है। केन्द्रीय निगम राज्य निगमों को 4 प्रतिशत की ब्याज की दर पर ऋण दे रहे हैं और राज्य निगम पात्र उम्मीदवारों को 6 प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान करेगी। हम जानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है पिछड़ी जातियों के कल्याण और उनको संरक्षण प्रदान करने के मानदंडों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद हमने सभी केन्द्रीय क्षेत्र के बैंकों, राष्ट्रीय स्तर के निगमों तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करें।

इसके अतिरिक्त, हम उन राज्यों की निगरानी कर रहे हैं जहां इस नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। निगम न केवल उन्हें ऋण दे रहा है बल्कि निगरानी का कार्य भी कर रहा है। माननीय सदस्यों ने निगरीन प्रणाली के बारे में उल्लेख किया है। हमारी निगरानी प्रणाली उपयुक्त है। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हम जिला, राज्य, तथा राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदात्री संस्थाओं का गठन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस परामर्शदात्री संस्था के अध्यक्ष माननीय कल्याण मंत्री हैं।

5.00 म.प.

निगरानी प्रणाली में लोक सभा तथा राज्य सभा के माननीय सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य स्तर की निगरानी समितियों में संसद सदस्यों, विधायकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण में रूचि रखने वाले प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलिति किया जायेगा। हम जिला स्तर पर भी सम्मितियां नियुक्त करेंगे ताकि इन समितियों द्वारा उन व्यक्तियों का चयन किया जा सके जिन्हें वास्तव में लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है और वह यह भी देखेंगे कि उनको वास्तव में लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। वे इस बात का सत्यापन कर सकते हैं, वे चयन कर सकते हैं तथा निगरानी कर सकते हैं कि आवश्यकता वित्त और मदद समाज के निम्नतम स्तर के निर्धन लोगों तक पहुंच रही है अथवा नहीं।

मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूं जो कि इस प्रयत्न को और मजबूत करेंगे। इसके लिए हमें माननीय सदस्यों की सहायता चाहिए ताकि लगभग सभी जिलों के संबंधित संसद सदस्य इस समिति में हों और वे बता सकेंगे कि उनके अपने जिलों में वास्तव में क्या हो रहा है, कितने लोगों को राष्ट्रीय निगमों तथा राज्य स्तर पर वित्त तथा विकास निगमों द्वारा ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

अधिकतर राज्यों ने राज्य स्तर पर वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कर ली है। कुछ राज्यों ने पिछड़े वर्गों से संबंधित नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का पता लगाया है और नामित किया है।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिहार राज्य ने केन्द्र सरकार के सुझावों को लागू करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हैं? यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे संबंधित सुविधाएं देने के लिए बिहार सरकार ने अन्य कौन से कदम उठाए हैं?

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया है कि बिहार सहित अनेक राज्यों में पहले ही निगम गठित कर दिए हैं। बिहार भी पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण और विकास के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त कर रहा है। मैं माननीय सदस्य को व्यक्तियों की संख्या और बिहार राज्य द्वारा केन्द्रीय निगम से प्राप्त धन के बारे में अवश्य बताऊंगा।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने आपके विचारों को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या नहीं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : बिहार सरकार केन्द्रीय निगम से ऋण ले रही है। उनका अपना पृथक निगम है। वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : उन्होंने लोगों को कितना धन दिया है?

सभापति महोदय : वह आपको अलग से बताएंगे।

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था लेकिन इस समय मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि बिहार सरकार ठीक से कार्य कर रही है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं.....

सभापति महोदय : वह आपको अलग से जानकारी देंगे।

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं आपको वास्तविक आंकड़े बता दूंगा। मैंने बताया है कि पूरे भारत में दो वर्ष के भीतर ये निगम गठित किए गए थे और पिछड़े वर्गों के लिए इस राष्ट्रीय वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से 1,82,000 लोगों को लाभ हुआ है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों से भी सहमत हूं कि आयोग को सुदृढ़ करने के स्थान पर एक संसदीय समिति गठित करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति जैसे पृथक संसदीय समिति गठित करने का सुझाव एक अच्छा सुझाव है। उस प्रकार की संसदीय समिति पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। विभाग को आबंटित धन, मंत्रालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों, पिछड़े वर्ग के लोगों को हो रही कठिनाइयों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा, इस बारे में चर्चा की जा सकेगी और संसद तथा मंत्रालय को इससे संबंधित सुझाव दिए जा सकेंगे ताकि प्रणाली में सुधार किया जा सके। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं इस बात की ओर भी पूरा ध्यान दूंगा कि इस कार्य के लिए हम आपको सहयोग दें। मैं यह सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव कदम उठाऊंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। हम चाहते हैं कि ऐसी समिति पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण को देखे ...**(व्यवधान)**

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : मैंने एक मुद्दा उठाया था और मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था।

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, श्री ओस्कर का प्रश्न बैंकों के बारे में है, जबकि निगम केन्द्रीय निगम को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, हम उन्हें प्रारंभिक धन और आवधिक ऋण भी देते हैं। हम जहां भी वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं को देखते हैं तो उनके संबंध में वित्त मंत्री से बातचीत करते हैं। हमने हाल ही में वित्त मंत्री के साथ एक बैठक की थी। कभी–कभी हमारे समक्ष वैसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका श्री ओस्कर फर्नान्डीज ने उल्लेख किया है। ऐसा संभव है। हमारा देश बहुत विशाल है। हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं।

अल्पसंख्यकों के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए कल मैंने ऐसा कहा था। हमें अनेक बार विभिन्न राज्य निगमों से रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र ऋण देने के लिए बैंकों को राजी नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में हमने वित्त मंत्री के साथ बैठक की थी। वह हमारी बात से सहमत हो गए थे और उन्होंने बैंकों, के सभी अध्यक्षों को निदेश दिए थे कि वह देखें कि कमजोर वर्गों को ऋण उच्च प्राथमिकता पर दिया जाए ताकि उन्हें बिना किसी विलम्ब के समय से ऋण मिल जाए। यदि माननीय सदस्यों ने किसी अन्य राज्य में भी वैसी समस्याएं देखी हैं जैसी श्री ओस्कर फर्नान्डीज ने बताई हैं तब हम उन मामलों को निपटाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हम स्वयं वित्त मंत्रालय तथा राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित बैंकों के साथ यह मामले उठाएंगे ताकि हमारे प्रयासों से पिछड़ा वर्ग समुदाय को न्याय मिल सके ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार : इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में क्या विचार है?

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं।

पिछड़ा वर्ग समुदाय के बारे में कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में इन मुद्दों को गंभीरता से लिया और माननीय प्रधान मंत्री ने निदेश दिया कि बिना किसी विचलन के 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षा देने वाले ऐसे लगभग 26 प्रतिशत व्यक्तियों की संघ लोक सेवा आयोग ने पहचान की है। इसमें विचलन नहीं हो सकता है। इस संबंध में हम कोई विचलन नहीं होने देंगे। हम इस देश की जनता विशेषरूप से पिछड़ा वर्ग समुदाय को दिए गए वचन को पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि माननीय सदस्यों के मन में इसके प्रति कोई आशंका न रहे।

महोदय, श्री फर्नान्डीज ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि इस आयोग के सदस्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से नहीं हैं। इस आयोग के अध्यक्ष श्री प्रसाद स्वयं पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं। एक या दो सदस्यों को छोड़कर अधिकांश सदस्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं क्योंकि हमें अन्य समुदायों के व्यक्तियों को भी इसमें नियुक्त करना पड़ता है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं। हम देखेंगे कि भविष्य में सदस्यों की आकांक्षाओं का ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह : अभी तो एक भी नहीं है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : अभी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष स्वयं पिछड़ा वर्ग समुदाय के हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 1995 में होने वाली परीक्षा के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : हमं छूट देने और अन्य मुद्दों की ओर ध्यान देंगे। सरकार को समस्या की जानकारी है और हम इसके लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी कठिनाई के नौकरी में अपना हिस्सा मिले।

सभापति महोदय : आपको अवसर मिलेगा।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस माह की 24 तारीख को अधिसूचना जारी होने से पहले इस सरकार द्वारा आयु में और परीक्षा में बैठने के अवसरों में छूट दी जाएगी। प्रत्येक मंत्री यही कहेगा, "सरकार को जानकारी है, सरकार को जानकारी है।" ऐसा कहने का क्या फायदा है? जानकारी रखने का क्या लाभ है? उन्हें आश्वासन देना चाहिए। उन्हें ठोस प्रस्ताव के साथ आगे आना चाहिए। उन्हें इसे लागू करना चाहिए। मैं 24 तारीख से पहले मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि अधिसूचना में यह छूट प्रदान की जाएगी।

सभापति महोदय : क्या आप और समय लेंगे? इस कार्य के लिए 5.00 बजे तक का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम क्या करें? क्या हम और दस मिनट ले लें?

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं केवल दो मिनट चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम भी पिछड़ा वर्ग समुदायों से संबंधित इन सभी मुद्दों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। सरकार निकट भविष्य में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने पर विचार कर रही है ताकि पिछड़ा वर्ग समुदाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित सभी लंबित मामले निपटाये जा सकें। सरकार इन मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देगी। हम सभी संसदीय राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श करके सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और एक अंतिम निर्णय लेंगे ताकि पिछड़ा वर्ग समुदाय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोई समस्या न हो। सामान्य तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को सत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा में उचित हिस्सा दिया जाना चाहिये। उन्हें हमारी सरकार के माध्यम से सभी आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मुझे उम्मीद है कि अन्बारासु यह संकल्प वापिस ले लेंगे ताकि हम माननीय सदस्यों द्वारा अन्य विषयों पर विचार कर सकें। इस प्रक्रिया को लागू करते समय, अपना कर्तव्य निभाते हुए, कल्याण मंत्रालय सभी बातों पर विचार करेगा और हमारे अधिक से अधिक हित को ध्यान में रखेगा।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : श्री थामस ने एक बड़ा ही उपयुक्त विषय उठाया था। ....**(व्यवधान)**

श्री के.वी. तंग्का बालू : महोदय, हम संसद के प्रति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, जिनका मामला श्री थामस उठा रहे थे, के प्रति वचन बद्ध हैं। सरकार ने इन मामलों से संबंधित ब्यौरों, उनकी विशेषताओं और दोषों पर विचार करने के लिए कल्याण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। पिछले आठ महीनों के दौरान हमारे पास 10,000 से अधिक मामले आये हैं। समिति काम कर रही है और प्रतिदिन अपनी ओर से अधिकाधिक मामलों को निपटा रही है। हमने संसद को आश्वासन दिया है कि हम राज्य सरकार तथा आर.जी.आई. की सिफारिशों और जो अभिलेख हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके साथ सभा में बहुत जल्दी उपस्थित होंगे।

श्री पी.सी. थामस : जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसे अवश्य करते हैं। जब आप कुछ नहीं करना चाहते तो एक समिति का गठन कर देते हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : थामस जी, ऐसा नहीं है।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : श्री थामस की बात बिल्कुल सही है।

श्री के.वी. तंग्का बालू : हमने इस समिति को नजरअंदाज नहीं किया है। समिति काम कर रही है। यह बहुत सक्रिय है और बहुत जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी। हम संसद के सामने उपस्थिति होंगे और आपकी सहमति से हम समस्या को सुलझाने में कामयाब होंगे।

सभापति महोदय : अन्बारासु जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री आर. अन्बारासु : मैं इसके वापिस लिये जाने का विरोधी नहीं हूं लेकिन जो आश्वासन दिया गया है वह सुस्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था। पुनः, वह मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के संबंध में संतुष्ट नहीं कर पाये। मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी है कि मंडल आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था। मैं उसे उद्धृत करता हूं :–

> "भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में नागरिकों को शामिल किए जाने संबंधी अनुरोध और उन्हें अधिक संख्या में शामिल किये जाने संबंधी शिकायतों पर विचार करने, उनका निरीक्षण करने और सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करेंगे। ऐसे निकाय द्वारा दी गई सलाह सामान्य रूप से सरकार के लिए बाधित होगी।"

मंडल आयोग के मामले पर यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। लेकिन इसके साथ–साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग की भांति पिछड़ा वर्ग आयोग को कुछ और अधिक शक्तियां देने पर कोई निषेध या कोई

रोक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश यह नहीं कहता कि आयोग का गठन सूची में सिर्फ नागरिकों का नाम दर्ज करनें या हटाने के लिए किया जा सकता है। उसके बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। उल्लेख यह है कि भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन.....

सभापति महोदय : आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते।

श्री आर. अन्बारासु : यह आयोग मंडल आयोग के मामले पर हुए निर्णय से व्युत्पित निर्देश के आधार पर स्थापित किया गया था। इसी कारण यह एक संबद्ध भाग है।

सभापति महोदय : आप इसे वापिस ले रहे हैं अथवा नहीं?

श्री आर. अन्बारासु : माननीय मंत्री ने बार–बार अनेक आश्वासन दिए हैं। ये आश्वासन केवल कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा ही नहीं बल्कि कल्याण मंत्री ने भी दिये थे। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये केवल एक या दो आश्वासनों के बारे में बताऊंगा।

एक दिन सभी सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयु सीमा में छूट देने, परीक्षा में बैठने के लिए दिए जाने वाले अवसरों की संख्या बढ़ाने और अंकों में छूट दिए जाने पर उत्तेजित थे। 16 दिसम्बर, 1993 को श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2311 के उत्तर में श्री के.वी. तंग्का बालू ने कहा, "मामला विचाराधीन है।" उस दिन तारीख 16 दिसम्बर, 1993 थी। यह मामला आज भी विचाराधीन है। जरा विचार कीजिये, कि यह अभी भी विचाराधीन है। कितने समय तक यह विचाराधीन रहेगा? क्या यह मामला निकट भविष्य के होनेवाले आम चुनावों तक विचाराधीन रहेगा।

पुनः, 1 मार्च, 1994 को शून्य काल के दौरान, श्री सीताराम केसरी ने इस सभा को भारतीय प्रशासनिक सेवा और सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आयु–सीमा में छूट देने का सभा को आश्वासन दिया था। यह आश्वासन कल्याण मंत्री ने दिया था। लेकिन इस आश्वासन को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया। 24 दिसम्बर को एक अधिसूचना प्रकाशित की जानी है। अगर यह छूट उस समय से पहले नहीं दी जाती तो मैं नहीं समझता कि अन्य पिछड़े वर्गों को उससे फायदा होगा। अतः, 52 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके पश्चात् 11 मई, 1994 को यह मामला पुनः संसद में उठाया गया था और लोक सभाध्यक्ष ने संपूर्ण सभा के सुस्पष्ट समर्थन के कारण मदद का आश्वासन दिया था। माननीय अध्यक्ष ने मंत्री महोदय को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया था। उसका क्या हुआ? पुनः 13 मई, 1994 को हमारे सासंद, श्री के. राममूर्ती द्वारा लाये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पर जवाब देते समय, कल्याण राज्य मंत्री, श्री तंग्का बालू ने सभा को आश्वासन दिया था कि अन्य पिछड़े वर्गों को आयु–सीमा में छूट दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इसे कब पूरा किया जायेगा। हम माननीय मंत्री से इस प्रकार के अस्पष्ट उत्तर नहीं चाहते। हम एक स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि क्या यह लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जायेगा या नहीं।

महोदय, 14 जून, 1994 को यह मामला लोक सभा में 'शून्य काल' के दौरान उठाया गया था जिसका बड़े–बड़े नेताओं ने समर्थन किया था और 18 अगस्त, 1994 को यह मुद्दा पुनः लोक सभा में 'शून्य काल' के दौरान उठाया गया था जिसका पूरी सभा ने समर्थन किया था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है और सरकार की ओर से कोई शुभ संकेत नहीं आया है।

महोदय, सिविल सेवा परीक्षा, 1995 के लिए 24 दिसम्बर, 1994 को अधिसूचना प्रकाशित की जानी है। अगर सरकार 24 दिसम्बर, 1994 तक आयु सीमा में छूट देने की घोषणा नहीं करती तो लोक सभा सरकार द्वारा दिये गए सभी आश्वासनों और सरकारी आश्वासनों संबंधी स्थायी समिति की शीतकालीन सत्र के पहले दिन, 7 दिसम्बर, 1994 को लोक सभा में रिपोर्ट के रूप में पेश की गई सिफारिशों का भी कोई फायदा नहीं होगा। अतः, मंत्रियों द्वारा सभा में दिए गये आश्वासनों से कोई अच्छी भावना परिलक्षित नहीं होती। अतः, मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या कोई संसदीय समिति गठित की जायेगी अथवा वह अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध कल्याणकारी उपायों की निगरानी न करें।

महोदय, इस आयोग की भांति दो अन्य आयोग हैं। एक अल्पसंख्यक आयोग है और दूसरा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग है। इन दोनों आयोगों को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सूची में कुछ समुदायों को दर्ज करने अथवा उन्हें हटाने के लिए नहीं किया गया है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि क्या ऐसे स्थायी निकाय की आवश्यकता अन्य पिछड़े वर्गों की सूचित में कुछ समुदायों को शामिल करने या उसमें से हटाने के लिए है? क्या आपके विचार में इस कार्य के लिए ऐसे स्थायी निकाय की आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों से संबंधित ब्यौरे, सामाजिक–आर्थिक समस्याओं और पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है और इसीलिए, इस विधेयक को बुरी नीयत से लाया गया है।

इसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस आयोग को और शक्तियां देने के लिए कुछ संशोधन लाने के अपने विचार पर पुनः विचार करें।

महोदय, मैं दो इरादों से यह संकल्प लाया हूं। पहली बात यह है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए जिसके पास अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी शक्तियां और जिम्मेदारियां होंगी जैसी कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के पास हैं और दूसरी बात यह है कि आरक्षण व्यावसायिक पाठयक्रमों सहित शिक्षा के उच्च स्तरों तक शैक्षिक अवसरों में दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए जैसी कि कल्याण मंत्रालय की मौजूदा चल रही योजना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाती है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां, छात्रावास, कोचिंग सेंटर और बुक बैंकों की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसी कि कल्याण मंत्रालय की अनेक योजनाओं के तहत वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध है।' अतः मेरा इरादा इस आयोग को शक्तियां देने का है जिससे उन अनेक विशेषाधिकारों की जांच हो सके जो अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जा सकते हैं और मेरा इरादा सभी योजनाओं की निगरानी के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने की मांग करने का भी है जिससे यह देखा सके कि क्या उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है और क्या निर्धन और जरूरतमंद लोग वास्तव में उन विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं और क्या वह आम आदमी तक पहुंचते हैं।

यद्यपि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है फिर भी कई विशिष्ट प्रश्न जैसे आयु सीमा में छूट, शुल्क में रियायत, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठ सकने के अवसरों की संख्या इत्यादि में छूट नहीं दी गई है।

महोदय, मैं एक दूसरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मण्डल आयोग के फैसले में ही यह कहा गया है कि देश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुल आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है। जब ऐसी बात है तो अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का क्या औचित्य है? आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का क्या औचित्य है?**

सभापति महोदय : यह बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जा सकती है। आप किसी फैसले पर अपना फैसला नहीं दे सकते हैं। यह असंसदीय है।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, हर एक व्यक्ति को फैसले के बारे में अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। यह असंसदीय नहीं है। फैसला दिया जा चुका है और मैं उस पर अपनी राय प्रकट कर रहा हूं। इसे फैसले पर अपने विचार व्यक्त करना मेरी स्वतंत्रता और अधिकार है।**

सभापति महोदय : आपको ठोस प्रस्ताव लाना होगा।

श्री आर. अन्बारासु : न्यायमूर्ति रत्नावल पाण्डियन एक न्यायाधीश थे। वह इसके न्यायाधीशों में से एक थे। उन्होंने अपने प्रृथक निष्कर्षों में टिप्पणी की है कि :

> आरक्षण का प्रतिशत अधिकतम 50 प्रतिशत तक रखना न तो किसी वैज्ञानिक और न ही किसी मान्य फार्मूले पर आधारित है। वास्तव में अनुच्छेद 16(4) सरकार को आरक्षण का प्रतिशत सीमित करने से नहीं रोकता है।"

सभापति महोदय : न्यायाधीशों के बारे में की गई टिप्पणियां कार्यवाही का भाग नहीं होंगी।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, जो मैंने पढ़ा वह न्यायाधीश द्वारा की गई केवल एक टिप्पणी है।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैं सत्ताधारी दल का सदस्य हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी मालुम है। लेकिन मैं विपक्षी दल के सदस्यों से भी अपने संकल्प का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। महोदय, संकल्प वापस लेने के बजाय मैं विपक्ष में सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मेरा संकल्प स्वीकार करें ताकि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।.....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैंने सभी सदस्यों से आग्रह किया और वे इस बात से सहमत हो गए हैं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सकता है, अतः मैं इस संकल्प को वापस नहीं ले रहा हूं। यदि वे लोग इस पर आपत्ति करेंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा। मैं इस माननीय सभा से इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं।....**(व्यवधान)**

श्री के.वी. तंग्का बालू : मैं सभा को और सदस्यों को भी आश्वासन देता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि पिछड़े वर्गों को उनका उचित हक मिले। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन को पूरे मन से स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि कई बार आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

मैं मंत्री महोदय का सम्मान करते हुए इस संकल्प को वापस लेता हूं। अतः मैं इस संकल्प को वापस लेने के लिए इस सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की माननीय सदस्यों की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया

** अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

[अनुवाद]

5.30 म.प.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 2 पर आते हैं। इसके लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है। श्री सत्यदेव सिंह।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं सम्मानित सदन के सामने निम्न प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हत्याओं तथा इन समुदायों की महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये।"

सभापति महोदय, बड़े दुख और आक्रोश के साथ यह प्रस्ताव मैं इस सदन के सामने लाया हूं। लगातार दलित वर्गों के साथ, गरीबों के साथ और सबसे दुख का विषय है कि हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाऐं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब इस सदन के सामने इस समस्या पर चर्चा हुई है। शायद यह अंतिम अवसर भी नहीं होगा।

प्रश्न इस बात का है कि इतने प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, रैजोल्यूशन के माध्यम से हरिजन उत्पीड़न, दलितों के उत्पीड़न के साथ-साथ महिलाओं के शील भंग की समस्याओं को इस सदन में उठाया जाता है लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारा पूरा समाज ही संवेदनशून्य हो गया है। जिस देश की संस्कृति में, जिस देश की मर्यादा में और जिस देश के ग्रन्थों में नारी को इतना सम्मान और इतना स्थान दिया गया हो, आज उसी नारी की समस्या को लेकर, उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सदन में बार-बार इस सवाल को बिना परिणाम उठाया जाता है।

वैसे तो यह समस्या देशव्यापी है। कहीं भी अत्याचार हो, गरीबों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, यह अत्याचार पूरे भारतीय समाज के साथ है। यह पूरे भारतीय समाज के ऊपर कलंक है। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश और बिहार में यह घटनाऐं बढ़ी हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का उद्‌गम केन्द्र है। काशी, मथुरा, अयोध्या, बद्रीधाम, केदारनाथ, यह सभी हमारे श्रद्धा के केन्द्र हैं। गंगा जमुना संस्कृति के लिए भी उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। वहां की संस्कृति में एक सम्मिश्रण है और उससे भारतीयता की ध्वनि गूंजती है। जहां महिलाओं का सम्मान था, आज उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के रिकार्ड बनाये जा रहे हैं। महिलाओं का, बच्चों को, बुजुर्गों का सम्मान और स्नेह हमारी संस्कृति के उदात्त चरित्र हैं, यह हमारी संस्कृति के बिन्दु रहे हैं। लेकिन आज इसके बाद पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जो 14 करोड़ आबादी का प्रदेश है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है, निर्बाध गति से सुरसा के मुंह की तरह से यह घटनाऐं बढ़ती जा रही हैं। आये दिन बच्चों का अपहरण हो रहा है। धन लेने के लिए, फिरौती लेने के लिए उनकी हत्याऐं हो रही हैं, महिलाओं का शील भंग किया जा रहा है और बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इन सारे दुष्कृत्यों में शासन, जो वर्तमान शासन है, का परोक्ष नहीं, सीधा-सीधा हाथ है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का और विशेष रूप से दलितों का, गरीबों का बडा अपमान हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है।

मैं आपका ध्यान डायरैक्टिव प्रिंसिपल की ओर, आर्टिकल 46 की ओर ले जाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा"।

[हिन्दी]

संविधान को स्वीकार करने के इतने दिनों के बाद आज भी धारा 46 की शब्दावली सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है। आज इसको जमीन पर उतारने का, आम आदमियों को सुरक्षा देने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमारे पुराने मनीषी, जिन्होंने बहुत सोच समझकर भारत के संविधान की रचना की थी, उनके सामने भी इसी प्रकार का, दलितों के उत्पीड़न का, महिलाओं के उत्पीड़न का एक विचार रहा होगा। उसी का प्रतिफल है कि आर्टिकल 46 में हमने इस भावना को निहित किया है कि यह स्टेट का कर्तव्य होगा, राज्य का दायित्व होगा कि देश के गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का, जो दलित हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, जो अवसर से हीन हैं, को उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा रखी जायेगी और इसीलिये डायरैक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में इस बात को इनकारपोरेट किया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन शब्दों में जितना दम है, उतना आपमें उनको सुनने का भी दम नहीं रह गया है। संस्कृत में कहा गया है :—

"यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वह देवस्थली है, अच्छे लोगों का स्थान है, देवताओं का स्थान है। देवता जिन्हें पूजा की दृष्टि से देखा जाता है, वे भी उन स्थानों में वास करते हैं, जहां नारी

का सम्मान होता है। हमारे इतिहास के पन्ने और मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी इस बात से भरी पड़ी हैं कि नारी ने इस देश के उत्थान के लिये बहुत समर्पण किया। हम नारी को सती साधवी देवी दुर्गा अनेक रूपों में देखते हैं लेकिन आज हम जिस रूप में नारी को देख रहे हैं, उसकी चर्चा भी बार-बार करना, मैं समझता हूं कि समाज के प्रति, नारी सम्मान के प्रति एक आघात होगा, लेकिन परिस्थितियां और व्यवस्थायें हमें विवश करती हैं। नारी समाज की आज जो दशा है, वह हमें यह कहने के लिये विवश करती है कि इस सदन में हम अपनी आवाज इस बात के लिये उठायें कि अत्याचार, उत्पीड़न की एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिये। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इन अत्याचारों का सिलसिला थमा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां नई सपा-बसपा गठबंधन की सरकार है। यह एक अपवित्र गठबंधन है लेकिन उस पर पुरोहित का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। वह उसको जीवन देने का काम कर रही है। आप महिला हैं और मंत्री भी हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका विशेष ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह कैसा गठबंधन है? मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश ने जो अपना इतिहास महिला उत्पीड़न का बनाया, मेरा ख्याल है कि विश्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ने में उसने अपना प्रमुख स्थान बनाया है।

एक माननीय सदस्य : गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आ जायेगा।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि गिनीज बुक में नाम भेजना हम सबकी संस्कृति और मर्यादा के प्रति अपमानजनक होगा।

4 दिसम्बर 1993 को वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री ने शपथ ली। उसके बाद 13 दिसम्बर को नारी उत्पीड़न का इतिहास शुरू हो गया। इलाहाबाद के दोना गांव में शिवपतिया नाम की महिला को नंगा करके घुमाया गया। वह हरिजन थी, गरीब थी, उसकी आवाज में दम नहीं था, उसके चेहरे पर चमक नहीं थी, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे और जो वस्त्र थे वह उतार कर उसे नंगा घुमाया गया। एक वर्ष का कार्यकाल मुख्य मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है। इस एक वर्ष का अंतिम कांड 28 तरीख की रात को नगलापरसी में हुआ। थाना दादू, जनपद अलीगढ़ में 9 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसका प्रारम्भ दोना से हुआ और समाप्ति नगलापरसी कांड से हुई । मैं एक वर्ष के कार्यकाल के बारे में आपको बता रहा हूं। एक वर्ष के बीच में जो कांड हुए, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने एक महिला के नाम का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सत्यदेव सिंह : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। एफ. आई. आर में शिवपति का जिक्र है। उनकी ओर से अभियोजन का मामला है। सार्वजनिक दस्तावेज में उनका जिक्र है। बातें खुली हैं। मैं नहीं जानता हूं कि मुझे उनका नाम क्यों उद्धत नहीं करना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। आप विनिर्णय दे सकते हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कुछ भी हो, मैं देखूंगा।

श्री सत्यदेव सिंह : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। धन्यवाद।

दूसरे वर्ष का श्रीगणेश अभी हुआ है। ग्राम फलविदा, थाना मवांना, जिला मेरठ में 5-6 दिसम्बर की रात को 5 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया। शिवपतिया को क्यों नंगा किया गया? यह किस विकृत मानसिकता का प्रतीक है? शिवपतिया के साथ बलात्कार किया गया तो अधिकारी स्थानांतरित कर दिये गये, निलम्बित कर दिये गये, लेकिन यह कब हुआ? उसी समय तत्काल नहीं हुआ। जब यह कांड अखबार में प्रकाशित हुआ तब उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। शिवपतिया को नंगा क्यों किया गया। नंगा इसलिए किया गया क्योंकि उसके बच्चे का किसी के बच्चे के साथ झगड़ा हो गया। बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : यू.पी. के कई हिस्से बना देने चाहिये।

श्री सत्यदेव सिंह : शिवपतिया के ऊपर इसलिए जुल्म ढाया गया क्योंकि गांव के कुछ जो बड़े सशक्त लोग हैं उनका ताकत एक गरीब आदमी के ऊपर निकाली गई ताकि उनका वर्चस्व समाज के ऊपर बना रह सके। एक महिला को नंगा करके अपनी ताकत का संदेश जो लोग देना चाहते थे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। अतः इस माध्यम से मेरी मांग है कि समाज के सामने आज हिन्दुस्तान के संविधान के सामने हमने ईक्विलिटी ऑफ लॉ, सबको समान अधिकार मिला हुआ है कहते हैं परन्तु आज नगलापलसी में क्या हुआ।

मान्यवर, हमारे यहां आतंक फैलाने के लिए बलात्कार किया जाता है लेकिन अलीगढ़ में क्या हुआ। शासन ने स्वीकार किया है कि 9 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। उनको पचास-पचास हजार रुपया दे दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने हर अपराध के लिए निश्चित कर रखा है कि बलात्कार करो, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसके साथ बलात्कार हुआ है, क्या पचास हजार रुपया देकर उसका जो शील भंग हुआ है, उसकी जो मर्यादा चली गई है, क्या चन्द नोट के टुकड़े से उसकी मर्यादा वापस आ सकती है? आज इस देश के अन्दर सबसे मर्यादित कौन हैं? वह गरीब लोग हैं जो भले ही अपनी आवाज को साफ शब्दों में इस सदन में न बोल पायें, अखबार में उनको न छपवा सकें लेकिन भारतीय संस्कृति की असली वास्तविकता अगर कहीं जीती है, जागती है, अगर उसमें धर्म कहीं जिन्दा है तो वह गरीब की झोंपड़ों में है। आज उन्हीं झोंपड़ी में आग लगायी जा रही है। वे गरीब हैं, बेसहारा हैं,

लाचार हैं, इसीलिए हमको यह अधिकार मिल गया है कि जिनके पास सफेद कपड़े हैं, जिनके पास धन सम्पति है या जो राजनैतिक तिकड़म से सत्ता के केन्द्रों में पहुंच गये हैं, क्या उनको यह अधिकार दे दिया गया है कि वे गरीबी का माखौल ही न उड़ाएं बल्कि उनका शील भंग करें, उनका उत्पीड़न करें सिर्फ अपनी दादागिरी जमाने के लिए।

मान्यवर, नगलापलसी के अन्दर यह जो बलात्कार हुआ है, उसके पीछे वहां के सत्ताधारी पार्टी का हाथ है। उन्हीं की जात के लोग नगलापलसी में भट्टा चला रहे हैं और विपक्षी चाहते हैं कि उनका भट्टा बन्द हो जाए। मान्यवर, यहां गृह मंत्री जी अभी आये थे, चले गये लेकिन जो मंत्री जी बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नगलापलसी कांड अपने आप में एक नमूना है। वहां 9 महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ। भट्टा बन्द कराना चाहते थे। यह राजनैतिक राइवेलरी नहीं है। आपस में झगड़ा नहीं है। भट्टा किसी का बन्द हो जाये। उसका भट्टा बन्द कराने के लिए उन्होंने क्या उपाय किया कि जो बदांयू जिले की गरीब महिलायें थीं, उसमें कुंवारी महिलायें थीं, हरिजन महिलायें थीं, मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलायें थीं। उनके साथ बलात्कार किया गया ताकि वे भट्टे की नौकरी छोड़कर भाग जायें। जिस समय हमारी संसदीय जांच समिति वहां पर गई थी तो उसके वहां पहुंचने से पहले ही वहां के जिलाधिकारी ने उनको ट्रकों में लादकर वहां से भेज दिया। वे जो जाड़े में भट्टे की ईटें जोडकर रहती हैं, उनके चूल्हे बता रहे थे, जली हुई आग बता रही थी, सना हुआ आटा बता रहा था कि वे जाने के लिए तैयार नहीं थीं। बिखरी हुई तरकारी बता रही थी कि किस ढ़ंग से उनको लादा गया है कि जैसे ट्रकों पर जानवर लादे जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की सारी सत्ता इस बात के लिए लग गई थी कि सच्चाई पर पर्दा पड़ जाये।

महोदय, उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसका भी एक नमूना मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जो संकलित आंकड़े हुए हैं और ये पूरे भी नहीं हैं क्योंकि इस समय भी जब मैं इस सदन के सामने बोल रहा हूं उस समय भी उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार हो रहे हैं क्योंकि अपराधों को सपा–बसपा सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अपराधों का पोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज जो राजनैतिक दल सत्ता में हैं वे उनको पोषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर अपराधों की संख्या देखिये जो सरकार के द्वारा बताये गये हैं, कागनिजिबल ऑफेंस हैं : अपराध–2 लाख 40 हजार से ज्यादा हैं। लूटपाट राहजनी की घटनायें 20 हजार। हत्याएं लगभग 8 हजार। संगीन डकैतियां लगभग 7 हजार। अपहरण की संख्या 3,200 और नारी उत्पीड़न की घटनायें 3,000 और बलात्कार की संख्या 1800 है। यह रिकार्ड है। यह क्यों हो रहा है और कुछ आंकड़े तो संकलित ही नहीं हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई क्योंकि उन्हें धन के आधार पर थाने में लिखा नहीं गया। आज थाने बिकते हैं।

दाम वसूलने के लिए एफ आई आर नहीं लिखी जाती है। संगीन अपराध जितने होते हैं, उसके आधे भी एफ आई आर दर्ज नहीं किए जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात जो मैं पूरे सदन के सामने पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, वह यह है कि जितना उत्पीडन नारियों का हुआ है, जितना बलात्कार उनका हुआ है, जितने उनके घर फूंके गए हैं, इन सबमें सपा–बसपा के समर्थकों का हाथ है, किसी दूसरी पार्टी का हाथ नहीं है।

महोदय, आज हो क्या रहा है? जो अपराधी हैं, वे खुले–आम घूम रहे हैं। थानों में बैठकर चाय पी रहे हैं। कलैक्टर और कमीश्नर के आफिस में बैठकर लैटर– हैड छपाकर दरख्वास्तें दे रहे हैं। जो पीडिंत हैं, उत्पीड़ित हैं, उनकी एफ. आई. आर. नहीं लिखी जा रही है। उनके गवाहों को तोडा जा रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा है– खबरदार, आपकी एफ. आई. आर. लिख ली गई है, लेकिन तुम्हें अपनी बात नहीं कहनी है। फतेहपुर, हमीरपुर, बदाऊं, बाराबंकी, पडरौना, वाराणसी, आजमगढ़ बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, खटीमा, मंसूरी, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों में सामूहिक बलात्कार और हत्यायें हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं।

अब आप एक उदाहरण देखिए कि किस प्रकार सपा सरकार काम कर रही है और *रो सत्ता के संरक्षण में नारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और गरीबों का दमन कर रहे हैं। 2.1.1994 को हमीरपुर जनपद के चरखारी थाना के अन्तर्गत ग्राम अस्तौन है, ग्राम अस्तौन में एक नव युवती है, विवाहिता है और उसका नाम है मानवती। *... जो कि सपा के हैं, उन्होंने इसको बुलाया, इसको लाने के लिए जबरदस्ती ट्रैक्टर गया –ने कहा कि मैं आज चुनाव जीता हूं और इस चुनाव जीतने की खुशी में मैं जश्न मनाना चाहता हूं और नौटंकी होगी। तुम मानवती मेरे बगल में बैठकर नौटंकी देखना। इस बहाने से वे वहां ले गए और उसे उसके पति को कमरे में बन्द करके ले जाया गया तथा इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और तीन लोगों ने मुंह काला किया। सबसे पहले* ने किया। इस मामले को हमारे हमीरपुर, मौदाह के पूर्व विधायक, नौजवान विधायक, ने उठाया, जबकि वह उनका क्षेत्र नहीं था। लाखों की तादाद में जनता दौड़कर इनके पास गई, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस मामले को उठाइए। उन्होंने कलैक्टर से मिल कर इस मामले को उठाया और एफ आई आर लिखवाई । उसके बाद पूरा प्रशासन टूट पड़ा। उस समय हमीरपुर जिले में महिला कलैक्टर थी, उसने महिला के दर्द को समझा और उसने आदेश दिया कि एफ आई आर लिखी जाए। एफ आई आर कलैक्टर के आदेश से लिखी गई, लेकिन 15 मिनट के अन्दर वह एफ आई आर एक्सपंज कर दी गई और कलैक्टर का स्थानान्तरण करा दिया गया, कलैक्टर गजेटियर के एडिटर बना दिए गए तथा लखनऊ बुला लिया गया और फिर दूसरा कलैक्टर वहां पहुंच गया। क्योंकि उस कलैक्टर ने देखा था कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है और उसने एफ आई आर लिखने की बात कही थी, उसने कोई जेल भेजने की बात

* अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

नहीं कही थी और चूंकि वहां के*...... का बलात्कार में हाथ था, स्वयं बलात्कारी थे, इसलिए उस कलैक्टर का स्थानान्तरण करा दिया गया। फिर हमारे पूर्व विधायक बादशाह सिंह के साथ दानवीकृत्य किया गया और इनको जंगल में ले जाया गया तथा एन्काउन्टर करने की कोशिश की गई। अगर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आन्दोलन न खड़ा किया होता, तो शायद उनके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती।

इसी प्रकार 8 नवम्बर को थाना बेनीगढ़, जिला हरदोई, ग्राम शुक्लराजपुरवा में 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कियां गया। यह बलात्कार किया वहां के*.... के पुत्र और उनके पांच साथियों ने। रिपोर्ट नहीं लिखी गई । और तो और लखनऊ में चिनहट स्थान है। माननीय अटल जी का वह क्षेत्र पड़ता है। चिनहट के अन्दर अच्छा काम होता है। चिनहट के बगल में एक गांव है– दोहरा। इस गांव में नाबालिग 13 वर्ष की एक बच्ची थी। भूख से पीड़ित थी, उसने अपनी मां से कहा कि भोजन दे दो। उसकी मां ने कहा– बेटी जाओ, टमाटर तोड़ लाओ, तब तक मैं सब्जी बना दूंगी और तुम्हें भोजन मिल जाएगा। यह 13 साल की अबोध लड़की, जब टमाटर लेने के लिए खेते में जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है और 7–8 लोग उस 13 साल की बच्ची के साथ मुंह काला करते हैं। बाद में यह बात समाज में न फैले, इसलिए वे समाज के सरमाएदार उसका गला घोंट कर मार डालते हैं। वह भूखी थी पेट की, लेकिन ये थे भूखे भेड़िए, जो असमत लूट रहे थे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को चुनौती दे रहे थे और देश पर कलंक लगा रहे थे। वे समाज को विकृत कर रहे हैं। इन लोगो के साथ क्या है, उनका नाम भी नहीं आ सकता है क्योंकि इनकी जेब में पैसा है और उनकी जेब में वोट है। वोट की परवाह हमारी कांग्रेस पार्टी भी बहुत जोरों से करती है। देश भाड़ में चला जाए, समाज टूट जाए, बिखर जाए, अत्याचारों की परम्परा पराकाष्ठा हो जाए। क्या आप समझते हैं कि आपके अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि आप कंस से भी बढ़ गए। कंस से सबक लीजिए, रावण से सबक लीजिए, यह देश वह देश है, माननीय मंत्री जी, रावण हजारों वर्षों पहले अत्याचार किया करता था, लेकिन आज भी समाज रावण को भूला नहीं है। हम दशहरे पर रावण के कुकृत्यों को याद करके उसके प्रतीक स्वरूप पुतले को जलाया करते हैं। यह वह हिन्दू समाज है, वह राष्ट्र है जहां पर अपराध क्षमा नहीं किए जाते हैं, अपराधों का इतिहास लिखा जाता है। यहां देर है, अन्धेर नहीं है। उस अन्धेर की नगरी में आप अपना टिम–टिमाता हुआ चिराग जलाना चाहते हैं, लेकिन उसका तेल अब खत्म हो चुका है। जल्दी बुझ जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जल्दी ही इन अत्याचारों को बंद करिए।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि उत्तरांचल में हमारे यहां आन्दोलन चल रहा है और वहां आठ जिले के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश 50 लाख की आबादी पर बन सकता है तो क्या उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड नहीं बन सकता है। पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और वर्तमान सरकार ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, उत्तरांचल के आठ जिले मिला करके आप एक अलग राज्य बना दीजिए। वहां के लोगों ने लोकतंत्र के अंदर अपनी मांग की और उसके लिए आन्दोलन किया। आखिर इस लोकतंत्र के अंदर मांग करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, धरना है, प्रदर्शन है अपनी बात को रखना है, जनसंग्रह करना है, लोकसंग्रह करना है, लोकचेतना जगानी है। वे दिल्ली में रैली करने के लिए आ रहे थे, सरकार की अनुमति थी कि दिल्ली में रैली की जाए। प्रदेश की सरकार की अनुमति थी कि रैली की जाए। अगर अनुमति नहीं थी तो फिर जब पहाड़ी जिलों से लोग चले थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और स्त्रियां थीं तो उनको वहीं क्यों नहीं रोका गया? उनको मुजफ्फरनगर तक आने दिया गया।

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरांचल का इतिहास, उत्तरांचल की आबादी का आज बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय सेनाओं में काम करता है। भारत मां की सीमाओं की रक्षा करता है। उन्होंने अपने खून और बलिदान से इस धरती को कुछ दिया है। यहां पर एक पार्टी की एक प्रतिनिधि हैं वह आज उन्हें गद्दार कहकर सम्बोधित करती हैं कि उत्तरांचल के लोग गद्दार हैं। अगर उत्तरांचल के लोग गद्दार हैं तो इस देश के अंदर कोई भी देशभक्त नहीं रह जाएगा। जिन लोगों ने खून और बलिदान दे करके देश की सीमाओं की रक्षा की है उन्हें एक छोटे से लोग सिर्फ इसलिए गद्दार कहें क्योंकि उनकी कोई राजनैतिक मांग है। उनकी राजनैतिक मांग नहीं है। हिमांचल प्रदेश बनना जितना आवश्यक था उतना ही उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना है। वे अपनी पहचान चाहते हैं और वे अपनी जरूरतो को स्वयं पूरा करना चाहते हैं। वे सम्मान चाहते हैं। उन्होंने अब तक एक बड़े हिस्से में रह करके देख लिया है कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। फिर इस शासन ने भी उनको क्या दिया। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में इन लोगों की बसें रोकी गईं, उसके बाद इन बसों को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जलाया गया। सरकार कहती है गोली में पांच लोग मारे गए लेकिन महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ। महोदय, महिलाओं को नंगा किया गया, उनके ब्लाउज, पेटीकोट से बसों को जलाया गया ताकि यह सबूत रहे कि यहां पर उत्तरांचल के जो आन्दोलनकारी थे उन्होंने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद में इन पर गोलीबारी हुई। हम सब वहां पर गए थे। वहां के गन्ने के खेत, वहां पर भट्टे के सामने खड़ा हुआ पेड़ मूक गवाही दे रहा था और सड़क पर पड़े हुए खून के छींटे चिल्ला–चिल्ला करके इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां पर कितना बड़ा जघन्य कांड हुआ है और यह क्यों किया गया। यह उत्तरांचल के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यह सब उत्तर प्रदेश का शासन कर रहा है। वहां पर महिलाओं को नंगा किया गया, उनके साथ बलात्कार किया, इसलिए कि उत्तरांचल के आन्दोलन को ठंडा कर दें।

** अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के आन्दोलन में मुजफ्फरनगर का कांड ठंडा नहीं होगा बल्कि यह तो आग में घी की तरह से काम करेगा। मुलायम सिंह की सरकार इस पर आहुति नहीं डाल सकती। आज हिमालय के जो शिविर हैं इसके गवाह हैं। आज उत्तरांचल ठंडा है, आज वहां जो आन्दोलन चल रहा है मेरा कहना यह है कि वहां आज तक कर्फ्यू नहीं लगा। वहां की जनता शांतिप्रिय है, देशभक्त जनता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रदर्शन करने का काम किया था उसको भी इस तरह से उनका मनोबल गिराने के लिए तोड़ा गया। लेकिन क्या वे महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार करेंगे? महिलाओं का शील भंग इसलिए किया जाएगा कि उत्तरांचल की मांग को राजनैतिक सम्मान न मिल सके। हमने स्वयं तथा मुलायम सिंह की सरकार ने भी इस प्रस्ताव को पास करके विधानसभा से यहां केन्द्र सरकार के पास भेजा है कि उत्तरांचल राज्य का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह यह कांड हो, इसमें आपका क्या जवाब है? आप जवाब देते हैं एक प्रश्न है 201, इसमें आपने स्वीकार किया है जैसाकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस ने 1–2 अक्तूबर की रात को मुजफ्फरनगर में गोलियां चलाई थीं और बताया गया पाचं लोग मारे गए। आगे क्या कहते हैं– घटना की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग और सर्वदलीय संसदीय तथ्यान्वेषी दल ने की थी। राष्ट्रीय महिला अयोग ने केन्द्र सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ छेड़छाड़/बलात्कार की घटनाओं की सत्यता की पुष्टि की, फिर आपने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच क्यों कराई? अगर आपके मन में शंका नहीं थी कि वहां कुछ नहीं हुआ, वहां महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं किया गया, उनके साथ अत्याचार, बलात्कार नहीं किया गया तो फिर सीबीआई की जांच क्यों हुई? सीबीआई ने भी अपनी जांच में 5.12.94 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सामने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर चुकी है।

माननीय गृह मंत्री क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर में कहते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 अक्तूबर से 16 अक्तूबर, 1994 तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, गोपेश्वर, श्रीनगर, टिहरी और देहरादून का व्यापक दौरा किया और 16 नवंबर, 1994 को एक व्यापक रिपोर्ट दी, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोपों की पुष्टि की गई है तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिश की है। अंत में आप क्या कहते हैं कि यह सब मामला प्रदेश सरकार का है। लेकिन वह सरकार आप चला रहे हैं, आपकी बैसाखियों के सहारे वह सरकार चल रही है। इस सदन को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नारी उत्पीड़न, दलितों पर अत्याचार और उनकी हत्याएं हो रही हैं, इन सबके जिम्मेदार आप हैं और केन्द्र में सत्तासीन सरकार इन आरोपों से बच नहीं सकती है।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चारों पायों पर गंभीर आघात हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र के इतिहास में वह 16 दिसंबर, 1993 काला दिवस था जब नई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर प्राणघातक हमला किया गया, मार डालने की साजिश की गई, महिला विधायकों को अपमानित किया गया, मार–पीट की गई। इसके पीछे का भावना थी कि विधानसभा की मर्यादा समाप्त हो जाए, विधानसभा को हम नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। आज विधायिका का यह पहला मजबूत पाया संसद, जिसमें हम बोल रहे हैं, संसद की गरिमा है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के नीचे इसकी मर्यादा है, जिसको तोड़ा गया है। योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है। मंत्रियों ने मार–पीट की, लोगों को ललकारा, सत्ता पक्ष के लोगों ने भाजपा विधायकों को टारगेट बनाया, इसका कारण यह था कि वह पंचायती राज बिल पास कर लें, कानून जैसा चाहे बना लें, जिस प्रकार से भी हो बजट जल्दी निपटा लें, उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं, अलोकतंत्र में है और फिर 13 सितंबर, 1994 को सरकारी बंद कराया गया, किस बात के लिए कराया गया।

अभी यहां पर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात की गई। कौनसा ऐसा राजनीतिक दल है जो आरक्षण को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार ही नहीं जो इसका समर्थन नहीं करता। भाजपा ने सदैव इस बात का पुरजोर समर्थन किया है कि आरक्षण नीति ठीक प्रकार से लागू होनी चाहिए और हमारी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। आपने आरक्षण के मामले पर उत्तर प्रदेश बंद क्यों करवाया, क्या कारण था, क्या इसलिए कि अत्याचार और बलात्कार के मामले दब जाएं। एक माहौल तैयार करके यह बताया जाए कि आपके लोग आरक्षण के विरोधी हैं, हम हीं आरक्षण के सबसे बड़े मसीहा हैं। मंडल साहब यहां से चले गए परंतु उनकी आत्मा मुलायम सिंह जी के हृदय के अंदर प्रवेश कर गई, इसलिए इस बात का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी ईमानदारी और कृत्यों पर भरोसा नहीं था, इसलिए 13 सितंबर को प्रवेश बंद करवाया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर हमला कर दिया गया और बता दिया गया कि प्रदेश सरकार का विश्वास न्यायपालिका में नहीं है और सरकार विरोधी कोई निर्णय होगा तो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसके पीछे चीनी मिलों के निजीकरण का मामला था, जिसकी वजह से न्यायपालिका को सबक सिखाना था। इस तरह से विधायिका और न्यायपालिका पर अविश्वास करने के बाद लोकतंत्र के तीसरे पाये ब्यूरोक्रेसी को ऊपर से नीचे तक जातिवाद और रिश्वत के आधार पर बांट दिया गया। जाति के आधार पर और पैसा लेकर पोस्टिंग और स्थानांतरण होने लगे। आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य शून्य हो रहे हैं, सारे उद्योग ठप्प पड़े हुए हैं, लेकिन पोस्टिंग और स्थानांतरण का उद्योग जाति और रिश्वत के आधार पर जोरों से चल रहा है।

लोकतंत्र का चौथा पाया है ओपन सोसायटी, ट्रांसपेरेंट सोसायटी, संसद में जो हम बात करते हैं, हर स्कैम पर यहां चर्चा होती है, चीनी घोटाला रिपोर्ट की यहां पर मांग की जाती है, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। इस देश में कोई चीज पर्दे में नहीं चल सकती, सरकार का कोई कृत्य पर्दे में नहीं चल सकता, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है आपको केवल ईमानदार ही नहीं होना चाहिए बल्कि आपको ईमानदार दिखना भी चाहिए। ऐसा लगना

चाहिए कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। यह नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश ने आपसे सीख लेकर "हल्ला-बोल" पत्रकारों पर शुरू किया कि आपने अलीगढ़ का मामला क्यों छाप दिया, बलात्कार का मामला क्यों छाप दिया, मुजफ्फरनगर के मामले को इतना रंग क्यों दे दिया। जब खून ही रंग दे रहा है तो खून का रंग लाल होता है। अखबारों की सुर्खियां तो काले में छपती हैं, तो क्या अखबार वाले नहीं लिखेंगे।

18.00 म.प.

श्री सत्यदेव सिंह : हल्ला बोल, किसपर? हाकर्स पर, जो सबेरे पांच बजे, छः बजे चाय की चुस्की के साथ हम लोगों को अखबार देता है, जो एक पाजामा और कमीज पहनकर, साईकल चलाकर दरवाजे-दरवाजे पहुंचता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्यदेव सिंह, आप अपना समय लीजिए। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त नहीं कर सकते।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर पाना संभव नहीं है। मैं आधा घण्टा और लूंगा।

सभापति महोदय : इस समय आप पांच मिनट तक अपनी बात जारी रखिए और आप अपनी बात बाद में भी जारी रख सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं अपनी बात इस समय समाप्त नहीं करने जा रहा हूं।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, अभी नहीं, कृपया अपनी बात अभी समाप्त मत कीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र चलाने के लिए, व्यवस्था ठीक रखने के लिए, संविधान के अनुसार सरकार काम करे, उसके लिए जो चार हमारे पाये हैं-स्वतंत्र विधायिका, स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र प्रैस और स्वतंत्र न्यायपालिका-इन सब पर हमला हो रहा है। यह हल्ला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यह अत्याचार और अनाचार प्रकाश में नहीं आएं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एक और अवसर, आप देंगे तो मैं इस बात को फिर रखूंगा।

महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : आप अपनी बात बाद में जारी रख सकते हैं।

सभा सोमवार 19 दिसम्बर, 1994 को ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 दिसम्बर, 1994/28 अग्रहायण, 1916(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।